लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी सस्करण

(सातवां सत्र)

6th Lok Sabha

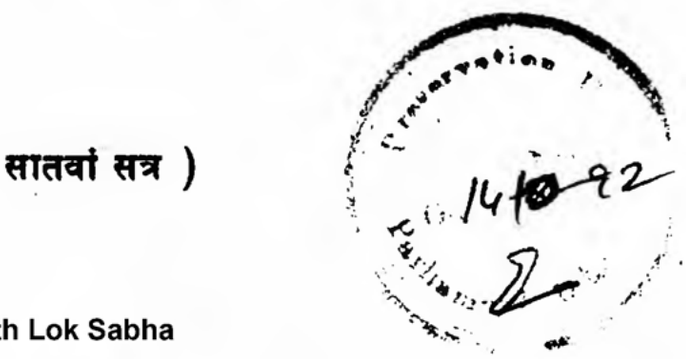

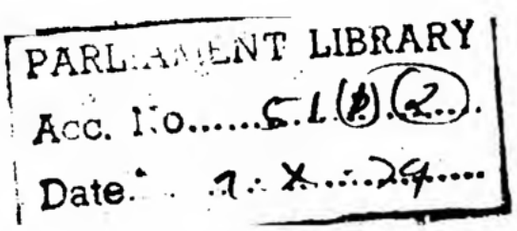

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 35, बुधवार, 11 अप्रैल, 1979/21 चैत्र, 1901(शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	1–20
*तारांकित प्रश्न संख्या—680 से685 और 687	
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	20–173
तारांकित प्रश्न संख्या—686, 688 से 699 और 701	
अतारांकित प्रश्न संख्या—6601 से 6605, 6607 से 6621, 6623 से 6646, 6648 6745, 6747 से 6770 और 6772 से 6800	
अतारांकित प्रश्न संख्या 4343 दिनांक 20-12-1978 में शुद्धि करने वाला विवरण	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	173–180
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	175–177
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	177
31वां प्रतिवेदन	
सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	177–180
15वां प्रतिवेदन	
याचिका समिति	180
9वां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	180
122वां प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	180
22वां और 33सवां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	181–184
(एक) मृत्युदण्ड के उत्सादन की आवश्यकता—श्री राम विलास पासवान	181
(दो) मंडी गोविन्दगढ़, पंजाब में स्टील यार्ड के श्रमिकों को सुविधाएं देने के बारे में— श्री पी० राजगोपाला नायडू	182–183
(तीन) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में—श्री सौगत राय	183
(चार) पश्चिम बंगाल में विद्युत संकट का समाचार—प्रो० समर गुह	183–184

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगों पर चर्चा के बारे में	184–255
अनुदानों की मांगें––1979–80	
श्री नाथू सिंह	184–187
श्री के० सूर्यनारायण	187–190
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	190–193
श्री पलाश बर्मन	193–195
श्री तेज प्रताप सिंह	195–198
श्री कचरू लाल हेमराज जैन	199–200
श्री चन्द्रशेखर सिंह	201–206
श्री वेणुगोपाल गौंडर	206–208
श्री भारत भूषण	208–211
श्री बी० के० नायर	211–215
श्री रेणुपद दास	215–218
श्री बलदेव सिंह जसरोटिया	218–220
श्री दाजीबा देसाई	220–223
चौधरी बलबीर सिंह	223–226
श्री ए० सी० जार्ज	226–228
श्री धर्म सिंह भाई पटेल	228–231
श्री ए० आर० बद्री नारायण	231–234
श्री भानु प्रताप सिंह	234–242
श्री एस० एम० गोपाल रेड्डी	243–246
श्री हरिकेश बहादुर	246–249
श्री के० मालन्ना	250–252
श्री हुकुम देव नारायण यादव	252–255
आधे घंटे की चर्चा	255–261
हरियाणा के डाकघर खाते	
श्रीमती मृणाल गोरे	255–257
डा० रामजी सिंह	257–258
श्री बृजलाल वर्मा	258–261

लोक सभा

बुधवार, 11 अप्रैल, 1979/21 चैत्र, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 4 मिनट पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमेंट का क्षरण

*680. **श्री नाथू सिंह:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दस प्रतिशत से 40 प्रतिशत सीमेंट के क्षरण के कारण सीमेंट के उपभोक्ताओं में व्यापक अन्सतोष होने के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या सीमेंट का क्षरण रोकने के लिए क्राफ्ट कागज से निर्मित बोरियों अथवा कागज की परत वाली बोरियों का उपयोग करना सीमेंट कम्पनियों के लिए अनिवार्य बनाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस): (क) से (ग) बोरियों से विभिन्न मात्रा में सीमट के क्षरण होने के कारण सीमेंट की हानि होने के बारे में उपभोक्ताओं से शिकायतें मिली हैं सरकार ने बढ़िया किस्म की बोरियों के विकास को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए हैं जिससे सीमेंट का क्षरण संभव सीमा तक कम हो जाएगा दो किस्म की सुधरी हुई बोरियों की उपयुक्तता देखने हेतु इस समय इन बोरियों पर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए जा रहे हैं। सरकार सीमेंट के क्षरण को कम करने हेतु पुरानी बोरियों के उपयोग के अनुपात को घटाकर न्यूनतम करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है। सीमेंट भरने के लिए क्राफ्ट कागज से निर्मित बोरियों अथवा कागज की परत वाली बोरियों के उपयोग को लाभप्रद नहीं समझा गया है।

श्री नाथू सिंह: अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आज के दिन और आपके नाम को इतिहास याद रखेगा, क्योंकि पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि आप चार मिनट देरी से आए हैं।

एक माननीय सदस्य: कोरम नहीं था।

श्री ज्योतिर्मय बसु: जब तक कोरम नहीं होगा, तब तक वह नहीं आ सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप दोनों बातें नहीं कर सकते।

श्री नाथू सिंह : मैंने आपको बधाई दी है।

अभी मंत्री महोदय ने बताया कि हम इस बारे में प्रयास कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इस समय सीमेंट का जितना अधिक ब्लैक हो रहा है, उतना शायद कभी नहीं हुआ है। इसके साथ-साथ उपभोक्ताओं को दूसरे तरीकों से यह नुकसान हो रहा है कि सीमेंट को रखने के लिए जो बैग्ज, बोरे, बनाए जाते हैं, उनमें से बहुत सा सीमेंट बाहर निकल जाता है और उपभोक्ताओं को सीमेंट बहुत कम मात्रा में मिल पाता है। इसके बारे में आज तक कोई प्रयास नहीं हुआ है।

इसके अलावा कुछ लोग लाभ उठाने के लिए पत्थर पीस कर और राख को सीमेंट में मिला देते हैं। सीमेंट की स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। बहुत खराब सीमेंट मिलता है, जिसकी वजह से बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज और पुलियां वगैरह टूट जाती हैं। क्या सरकार कोई ऐसा इन्तजाम करेगी कि जब सीमेंट की कम्पनियों में कट्टों या बोरों में सीमेंट भरा जाता है, उससे पहले उनकी जांच हो, ताकि सीमेंट का सीपज न हो? जो पुराने बोरे फट चुके हैं, खराब हो चुके हैं, क्या सरकार उनके इस्तेमाल पर पाबन्दी लगाएगी और यह व्यवस्था करेगी कि नये बैग्ज़ काम में लाये जायें।

श्री जार्ज फर्नांडीस : इस समय अधिकांश बोरे नये इस्मतोल किये जाते हैं, मगर कुछ पुराने भी इस्तेमाल किये जाते हैं। मगर सीपेज का सवाल केवल पुराने बोरों का न हीं है, नये बारों के बारे में भी यही कहा जा सकता है। आम तौर पर यह सही है कि लगभग 5 फीसदी सीमेंट सीपेज से निकल सकता है। इस बारे में हम कई काम कर चुके हैं। एक तो सीमेंट रगुलेशन एकाउण्ट की मदद से सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट के माध्यम से काम करा कर हम दो कम्पनियों द्वारा बनाए गये नये बोरों को बाज़ार में ला रह हैं और उसके अनुभव के आधार पर हम आगे का काम करेंगे।

माननीय सदस्य ने मिलावट वगैरह की बात छेड़ी। अधिकतर राज्य सरकारों ने सीमेंट के वितरण की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। जो एक-दो राज्य बचे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वे भी इस के वितरण की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लें, और इस प्रकार राज्य सरकारें इन सारी शिकायतों को दूर करने के लिए कदम बढ़ाएं।

श्री नाथू सिंह : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह इस बारे में बहुत जागरूक हैं। क्या वह बताएंगे कि जो सीमेंट इम्पोर्ट किया जाता है, उसमें कौन से बैग्स काम में लाये जाते हैं—जूट के बने हुए या पालिथीन के बने हुए? यदि उसमें पालीथिन के बैग्ज़ काम में आते हैं, जो बरसात में पानी से सीमेंट को ख़राब नहीं होने देते हैं, और जो बहुत ड्यूरेबल हैं, तो क्या सरकार का इस तरह का कोई विचार है कि जूट के बैग्ज़ के बजाये वे बैग्ज़ अधिक काम में लाये जायें। जूट के बैग्ज़ भी इस्तेमाल किये जायें, ताकि जूट इण्डस्ट्री को भी नुकसान न हो, लेकिन कुछ मात्रा में पालीथीन के बैग्ज़ भी काम में लाये जायें, जिससे सीमेंट का रखाव ठीक ढ़ंग से हो सके।

श्री जार्ज फर्नांडीस : यह सही है कि विदेशी सीमेंट का आयात पेपर पालिथीन बैग्ज़ में हो रहा है। लेकिन हमारे यहां एक अर्से से सीमेंट बेचने का काम जूट के बोरों में

ही होता रहा है, और जूट उद्योग का भविष्य भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस लिए मैं नहीं समझता कि हम इस समय इसमें कोई बदल कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक तथ्य है कि उत्पादन क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर क्षेत्रीय असंतुलन के परिणामस्वरूप ही सभी कारखानों में सीमेंट की बोरी का मूल्य 4 रुपये होने तथा नये कारखानों में एक बोरी का मूल्य 5 रुपये होने के बावजूद भी आज सीमेंट की बोरी 60 रुपये प्रति बोरी की दर से काले बाजार में बिक रही है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि औसतन एक सीमेंट की बोरी को अपने उत्पादन स्थान से लेकर उपभोक्ता के स्थान तक लगभग 685 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है जबकि कुछ समय पहले ऐसा नहीं होता था ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह ठीक है कि आज सीमेंट को पहले की तुलना में कहीं अधिक लम्बी यात्रा तय करनी पड़ती है। परन्तु हम इस समस्या के समाधान के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे रास्ते में कुछ कठिनाईयां आ रहीं हैं क्योंकि सीमेंट के कारखाने देश के केवल कुछ ही भागों में हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यही तो क्षेत्रीय असंतुलन है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमें यह असंतुलन पैत्रिक सम्पत्ति के रूप में मिला है। इसे दूर करने के लिए हम रातों-रात तो कुछ कर नहीं सकते। परन्तु जहां तक सीमेंट के नये कारखाने लगाने का संबंध है उसके बारे में हमारा यह प्रयत्न है कि कारखाने अलग-अलग स्थानों पर लगाये जायें जिससे कि यदि चूने के पत्थर की खुदाई एक स्थान पर हो तो उसकी पिसाई का काम जहाँ तक सम्भव हो सके, उस स्थान पर किया जाये जहां कि सीमेंट का उपभोग किया जाना हो। इसके बारे में हमने नई नीति अपनानी शुरू कर दी है। परन्तु इसके वास्तविक रूप से क्रियान्वित होने में 2 साल का समय तो लग ही जायेगा। अतः तब तक तो यह समस्या बनी ही रहेगी।

जहां तक काला बाजारी का संबंध है मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सीमेंट वितरण का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। हमने राज्य सरकारों से अपील की है। यदि राज्य सरकारें इस कार्य में अपना सहयोग नहीं देती हैं तो मैं केवल उद्योग मंत्री होने के नाते इस संबंध में कुछ कर पाने में असमर्थ हूं। अपनी एजेंसियों तथा स्टाकधारियों के माध्यम से सीमेंट का वितरण करने क दायित्व हर राज्य सरकार का अपना दायित्व होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारें इस संबंध में कुछ और चौकसी बरतें तथा ऐसे लोगों को स्टाकधारी नियुक्त ना करें जोकि काले बाजार में सीमेंट बेचने का प्रयास करते हों। जहां कहीं भी जो स्टाकधारी चोर-बजारी करता है तो उसका पता लगाना तथा उसके बारे में पुलिस तथा जिला प्रशासन को सूचित किया जाना चाहिये ताकि ऐसे स्टाकधारियों से मुक्ति प्राप्त की जा सके। ऐसा राज्य सरकारों को अवश्य करना चाहिये। ऐसा करके ही यह हमारी सहायता कर सकता है तथा उनसे छुटकारा पा सकते हैं।

श्री बलबीर सिंह : क्या मन्त्री महोदय इस बात की कोशिश करेंगे कि जैसे खाद की जो बोरियां होती हैं उन के अन्दर पोलिथिन का एक पैकेज जुदा तौर पर होता है और बाहर दूसरा जूट बैग होता है, उसी तरह सीमेंट में भी वह कर दें ? अगर वह कहते हैं कि बाहर से क्रैफ्ट पेपर या दूसरा पोलिथिन का बैग मंगवाने में ज्यादा खर्च होता है तो पोलथिन जो यहां बनता है और खाद में आलरेडी वह इंट्रोड्यूस्ड है उस सिस्टम को क्या यहां इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि बरसात में बाहर का पानी भी असर न कर सके और बोरी जब गिरती है तो उसमें सीमेंट बाहर न निकल सके । एक बार अगर बोरी सीमेंट की नीचे गिर जाय तो एक किलो हर बार उस में से सीमेंट बहर निकल आती है ···· (**व्यवधान**) ··· यह बात है कि दो बार सीमेंट का थैला वह फेंक देते हैं और उस में से दो किलो सीमेंट निकल आती है । तो वह चीज इस से रुक जाती है अगर पोलिथोन का रैप जलाहिदा से हो जाय और ऊपर जूट बैग हो जाय। ····· (**व्यवधान**) ····

अध्यक्ष महोदय : यह तो सरकार के लिये एक परामर्श है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह जो नये बैग्स का मैंने यहां जिक्र किया ये दो किस्म के हैं । कहते हैं कि आज जो जूट बैग है उस को और अच्छे ढंग से वीव करा कर जरा मजबूत बैग बनाए जायें, यह काम हो चुका है । दूसरे बिटुमैन लाइन बैग इस समय हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लैमिनेट बैग को इस में इस्तेमाल में लाना संभव नहीं है, इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच गए हैं ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष जी, अभी मन्त्री जी ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है । मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेन्ट्स पर जिम्मेदारी डालने से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है बल्कि सीमेंट की ब्लैक-मार्केट प्राइस और बढ़ गई है । जहां पहले सीमेंट के एक थैले के पीछे 4-5 रुपये ब्लैक मार्केट प्राइस थी वहां अब वह बढ़कर 10 रुपये हो गई है । इस तरह से स्टेट गवर्नमेंटस पर जिम्मेदारी डाल कर, जो आपका मकसद था कि भाव कम हो जायेंगे, वह मकसद पूरा नहीं हुआ है । ऐसी हालत में क्या आप कोई दूसरा आल्टर्नेटिव सोच रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसके बारे में हम बातचीत कर लेंगे ।

श्री रागावेलू मोहनरंगम : इतने भरे शरीर वाले व्यक्ति पर भी आपकी दृष्टि नहीं पड़ती । श्रीमान जी यह बात सर्वविदित है कि जब से सीमेंट के लिए परमिट व्यवस्था आरम्भ कर दी गई है विशेषकर तब से लोगों को सीमेंट प्राप्त करने में असमान्य कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अधिकारियों द्वारा इस कार्य में काफी विलम्ब किया जाता है । इस समय मैं राज्य या केन्द्र के बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्यों कि मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है कि माननीय मन्त्री महोदय अवसर का लाभ उठाकर शीघ्र ही यह बात कह देते हैं कि इस कार्य के लिए तो राज्य सरकार ही जिम्मेदार है । मैं मन्त्री महोदय से बहुत ही स्पष्ट उत्तर चहता हूं क्या जब से परमिट प्रणाली आरम्भ की गई है तभी से अधिकारियों द्वारा सीमेंट देने में असाधारण विलम्ब किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को उनके निर्माणकार्यों के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसके बारे में स्पष्ट उत्तर दें ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान जी इस मामले का केन्द्र तथा राज्य से कोई संबंध नहीं है । सीमेंट का वितरण उद्योग मन्त्रालय या भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाता केवल सीमेंट का आवंटन उद्योग मंत्रालय के सीमेंट नियंत्रक द्वारा विभिन्न राज्यों को किया जाता है । जहां तक सीमेंट के वितरण का संबंध है इसका कार्यभार राज्य के नागरिक पूर्ति विभाग या राज्य सरकारों के संबद्ध विभाग को होता है कि वह अपने-अपने राज्यों में सीमेंट का वितरण किस ढंग से करते हैं । इन्हीं विभागों द्वारा ही परमिट दिये जाते हैं, इन्हीं के द्वारा हीं सीमेंट के स्टाकधारियों की नियुक्ति की जाती है तथा यही विभाग सम्पूर्ण वितरण प्रणाली को विनयमित करते हैं । जहां तक मेरा संबंध है····

श्री रागावेलू मोहनरंगम : हमें परमिट प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिये ···· **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं उसी बात पर आ रहा हूं यह तो राज्य सरकार का कार्य है कि वह सीमेंट का वितरण किस प्रकार से करती है तथा उसकी चोर बाजारी को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है । मैं तो इस संबंध में केवल राज्य सरकारों से यही अनुरोध कर सकता हूं कि वह अपने प्रशासनिक तंत्र का उपयोग इस ढंग से करें कि इस कार्य में व्याप्त सभी प्रकार के कदाचार को समाप्त किया जा सके ।

अर्ध-स्वचालित डायलाइसिस मशीन का विकास

681. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर ने पूर्णत:स्वदेशी सामग्री से अर्ध-स्वचालित उरच्छेदी (पेरीटोनियल) डायलाइसिस मशीन का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह मशीन परीक्षण में सफल हो रही है और मशीन का ब्यौरा क्या है ।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) तथा (ख) नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर से इसका निश्चित पता लग गया है कि उन्होंने इस प्रकार की कोई भी डायलिसिस मशीन विकसित नहीं की है । सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर ने डाक्टरों के कहने पर कम्पनी के इंजीनियरों ने केवल डाक्टरों से सहयोग किया है और डायलिसिस में तेजी लाने के लिए अस्पताल की डायलिसिस मशीन के साक इस्तेमाल किये जाने के लिए एक स्वचालित पम्प विकसित किया, डिजाइन बनाया और उसे तैयार किया । इस पम्प का अस्पताल में परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री सौगत् राय : श्रीमान जी, यह फिर ऐसा मामला उठाया गया है जिसका केन्द्रीय सरकार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । यह राष्ट्रीय हित में नहीं है । इससे केवल बिड़ला बन्धुओं को ही एक कम्पनी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है । परन्तु यह मामले लोक सभा में उठाये जा रहे हैं ।

श्री वयालर रवि: इसका राष्ट्रीय हित में होना अनिवार्य है । गैर-सरकारी हित के के मामलों पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठ जाइये । मुझे समझ नहीं आती कि यह क्या गड़बड़ है ? **(व्यवधान)** किसी गैर-सरकारी कम्पनी के बारे में चर्चा करने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि देश यह जानना चाहता है कि इस सबध में कितना वैज्ञानिक विकास हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री वयालर रवि: संसद को इतना हास्यास्पद नहीं बनाया जा सकता । **(व्यवधान)**

श्री रागावेलु मोहनरंगम: वह सदस्यों के बारे में तो बहुत सी बातें करते हैं क्योंकि वह किसी विशेष कम्पनी का मामला उठा रहे हैं ।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ: अध्यक्ष महोदय, नेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एक ऐसी मशीन डेवलप की गई है । मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि डायलेसिस बजातखुद ईजाद नहीं की गई है लेकिन एक ऐसी स्वचालित पम्पिंग मशीन जरूर बनाई गई है जिससे डायलेसिस करने में जल्दी हो सके । क्या मन्त्री महोदय यह बताना पसन्द करेंगे कि जिससे जल्दी डायलेसिस हो सके और सुविधा हो सके—क्या ऐसी स्वचालित मशीन डेवलप की गई है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस: प्रश्न नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर के बारे में है जोकि बिड़ला की एक कम्पनी है—इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं है । यह कम्पनी डायलेसिस मशीन बनाने वाली कम्पनी नहीं है ।

बाल रोलर और टेपर रोलर बेयरिंग, बाई साईकिल स्टील बाल्ज, रोल्ड रिंग्ज रोलर बेयरिंग, एक्सलबाक्सेज, एक्सल बाक्सज के लिए स्फीरिकल रोलर बयरिंग्ज, स्टील का स्टिंग्ज, स्पिनडल इनसर्टज तथा जोकी ग्लीज इन चीजों को बनाने का लाइसेंस उनके पास है और यह चीजें वे बना रहे है । डायलेसिस के लिए, किसी औषधि या मरीज के इस्तेमाल में आने वाले किसी यन्त्र के लिए उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और न कोई सम्बन्ध है । अस्पताल के डाक्टर्स गए थे और उन्होंने कहा कि हमारी एक समस्या है, इसमें अगर आप कोई मदद कर सकते हैं तो करें। कम्पनी के जो इन्जीनियर्स थे, उन्होंने अपने ढंग से इस काम को कर के उस अस्पताल को मदद पहुंचाने का काम किया है। इस यन्त्र को बना कर न तो बेचने का उनका कोई इरादा है और न यह कोई इस प्रकार का इन्स्टीच्यूट है जो रिसर्च या डवेलपमेंट से सम्बन्धित है ।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ: जो स्वचालित पम्प बना है उस के लिये मिनिस्टर साहब ने बतलाया है कि इसका ट्रायल हो रहा है। क्या आप यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह ट्रायल कितने दिनों से हो रहा है और अब तक उस का नतीजा क्या रहा है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जब हमारे पास यह प्रश्न आया था तो उस समय हमने कम्पनी से पूछताछ की थी । जो कुछ कम्पनी ने हमें बताया वह इस प्रकार है मैं कम्पनी के पत्र से उद्धृत कर रहा हूं--

> "तथ्य तो यह है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के पास डयलाइसिस मशीन है । इस मशीन के कार्यकरण में डाक्टर कुछ सुधार करना चाहते थे। हमारे इंजीनियरों ने उन्हें अपना सहयोग दिया तथा उन्होंने एक स्वचालित पम्प का विकास किया, डिजाईन तैयार किया तथा उसका निर्माण किया । इस पम्प को डायलाइसिस की मशीन के साथ लगाया जाता है जिससे कि वह तीव्र गति से चलती है। यह पम्प इस अस्पतल में प्रयोगाधीन है। चिकित्सा के क्षेत्र में यह हमारी तकनीकी जानकारी का ही एक नमूना है ।"

उन्हें इससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है । इसके साथ ही न ही हम इस सम्बन्ध में ही कुछ कह सकते हैं कि इन सुविधाओं का उपयोग डायलाइसिस मशीन का विकास करने के लिए किया जायेगा ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं इसके बारे में व्यवस्था के प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता,

अध्यक्ष महोदय : श्री सौगत राय इसके बारे में स्वयं ही निर्णय कर रहें है·· **(व्यवधान)**

श्री वी० शंकरानन्द : सदस्यों का प्रश्न पूछने का अधिकार कुछ नियमों के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है तथा प्रश्न भी नियमों के अन्तर्गत ही विनियमित किया जाना चाहिये। मेरा व्यवस्था का·····

अध्यक्ष महोदय : यदि गैर-सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रश्नों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये तो फिर तो बहुत से प्रश्न पूछे ही नहीं जा सकेंगे···नियमों में इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ?

श्री वी० शंकरानन्द : नियम 41 (2) के उप नियम (7) तथा (8) के अन्तर्गत प्रश्न पूछने सम्बन्धी शर्तों का ब्यौरा दिया गया है ····· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता । अनुसंधान तथा विकास का कार्य प्रमुख रूप से केन्द्र सरकार का कार्य है ।

श्री वी० शंकरानन्द : प्रश्न अनुसंधान तथा विकास के बारे में नहीं है । नियम 41 (2) में का गया है:--

> (2) प्रश्न पूछने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन है अर्थात्--उप--नियम (सात) में लिखा गया है:
>
> "वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतया भारत सरकार का विषय न हो ।"

इस प्रश्न का भारत सरकार के साथ कोई संबंध नही है

उप-नियम (सौलह) में कह गया है:

"उसमें ऐसे निकायों, या/व्यक्तियों के नियंत्रण के अन्तर्गत विषय नहीं उठाये जाएंगे जो मुख्यतया भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हो ।"

अध्यक्ष महोदय: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 682

चंबल घाटी क्षेत्र का विकास करने की योजना

*682. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) कोटा से इटावा तक चंबल घाटी क्षेत्र का आर्थिक विकास करने हेतु केन्द्रीय स्तर पर किन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने परिवारों को लाभ पहुंचा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुरहमान): अध्यक्ष जी, इस में तीन तरह की स्कीमें चल रही हैं: 1. सैन्ट्रल की पायलेट प्राजेक्ट, जिस से समतल भूमि ठीक रखी जाए, 2. कन्ज़र्वेशन आफ सायल, और 3. जम्बल-वेली की डवैलपमेंट स्कीम ये तीन स्कीमें चल रही हैं ।

जहाँ तक इस में एम्पलायमेंट देने की बात है हर परिवार के मुताल्लिक इतिला देना मुश्किल है, लेकिन ये तमाम काम हो जायें तो लगभग 20 हज़ार आदमियों को परमानेन्ट नौकरी मिल सकती है ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया: अध्यक्ष जी मैं आज प्रथम बार किसी मंत्री को बधाई इसलिए दे रहा हूं कि उन्होंने इस सवाल के जवाब को सभापटल पर न रख कर सदन में इसका उत्तर दिया है । जहां से ये उत्तर बन कर आते हैं--वह प्लानिंग कमीशन एक सफेद हाथी है और पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस सफेद हाथी को जन्म दिया था, लेकिन वे योग्य महावत थे जो उस पर सवारी करते थे और अंकुश भी रेखते थे, लेकिन अब यह सफेद हाथी, यह प्लानिंग कमीशन बिलकुल ही निरंकश हो गया है। और वहां परतौकरशाह बैठकर जिस ढंग से सवालों के उत्तर बनाते हैं, वह उचित नहीं है । इस सवाल का जो उत्तर अभी आया है, उस का सवाल से कोई वास्ता नहीं है । मैं आप की आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि पहले सन् 1970-71 में तत्कालीन प्रधान मन्त्री की तरफ से जो ई० ई० सी०, योरोपियन एकोनामिक कम्युनिटी की सहायता से होने वाला काम था, उस को देखने के लिए तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने एक कमेटी का निर्माण किया था लेकिन वर्तमान सरकार ने उस कमेटी को भंग कर दिया और दूसरी कमेटी जो जन्म नहीं दिया है, तो क्या फिर मन्त्री महोदय दुर्धर्ष डाकुओं से आंतकित उन भयंकर दुर्गम घाटियों, जम्बल, यमुना, क्वाली और अन्य सहायक नदियों के कटाव और वहां की जनता की कठिनाइयों, उनके अभावग्रस्त जीवन और उनकी आवश्यकताओं को देख कर उन के अनुकूल कोई योजना बनी हुई है जो बननी है उस पर किस तरह से अम्ल हो, इसके लिए कोई पार्लियामेंटरी टीम बनाने के लिए क्या वे कोई स्वीकृति देंगे ।

श्री फजलुर रहमान : माननीय सदस्य ने सवाल तो बहुत लम्बा किया । मैं यही बताना चाहता हूं कि मैंने जो तीन विषयों का नाम लिया है वे तीनों स्कीमें आपके लिए हैं । उनमें डाकुओं की बैली और जो आपकी जमीन है जो आपका क्षेत्र है, वह सब कवर हो जाता है । अब जहां तक पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने की बात है, तो अध्यक्ष महोदय, आप तो हाऊस के सर्वेसर्वा हैं । अगर आप कोई कमेटी बनाते हैं तो में उसमें रोड़ा नहीं बन सकता ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : हमें बड़ी खुशी है कि इस टीम के निर्माण के लिए जिम्मेवारी अध्यक्ष जी, आप पर डाली गई है और मैं ऐसा समझता हूं कि आप इसे जरूर स्वीकार करेंगे ।

हमारा जो दूसरा पूरक प्रश्न है वह यह है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से पचनदे पर, पंजाब में तो पांच नदियां निकली हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पंचनदा है वे नदियां एक जगह गिरी है और उनका वहां संगम हुआ है, एक बांध बनाने के लिए एक योजन 1970-71 में बनी थी और वह 60 करोड़ रुपये की योजना थी । वर्ल्ड बैंक की उस योजना पर, जिसका सर्वे हुआ था, जांच हुई थी और जांच होने के बाद उस पर अमल करने की दिशा में कुछ कदम उठाए गये थे, तो मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको उस योजना की जानकारी है जिसके तहत विश्व बैंक से सहायता से लेकर एक बांध बनाने की बात थी ? मैं इसका साफ उत्तर चाहता हूं कि क्या यह योजना कार्यन्वित होगी या नहीं और होगी तो कब तक ?

श्री फजलुर रहमान : अध्यक्ष महोदय, योजना किसी खास स्कीम की वर्ल्ड बैंक से बनी थी, इसकी इत्तिला तो मुझे नहीं है लेकिन इतन मुझे पता है कि 57 करोड़ रुपया इस नदी घाटी योजना के लिए, चम्बल बैली के लिए मिला था और उसमें से अभी अत आपकी प्रान्तीय सरकार सिर्फ 17 करोड़ रुपये खर्च कर पाई है ।

डा० रामजी सिंह : अध्यक्ष महोदय, चम्बल घाटी में जो कुछ हुआ है, वह इतिहास की विशेष बात है, जहां 400 बड़े डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था । चम्बल घाटी की समस्या कोई ला एण्ड आर्डर की समस्या नहीं है, वह आर्थिक और सामाजिक समस्या है । तो क्या मैं मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि चम्बल घाटी शान्ति मिशन की जो योजना सरकार के पास लम्बित है, उसमें से कितनों की उन्होंने स्वीकृति दी है और कितने के विषय में वे विचार कर रहे हैं और वहां की कौन सी विशेष योजना है ? आदरणीय प्रधान मन्त्री जी से चम्बल घाटी शान्ति मिशन के लोग मिले थे और वे बहुत आशावान हैं । उनके लिए आर्थिक सर्वेक्षण का कार्यक्रम चालू हो चुका है या नहीं और उनके लिए आर्थिक योजना को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार क्या कर रही है ? इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं ।

श्री फजलुर रहमान : अध्यक्ष महोदय, स्कीमों की जहां तक सूची का सवाल है, माननीय सदस्य अगर इस के लिए अलग से सवाल पूछें, तो मैं जवाब दे दूंगा र मैंने जो जवाब में बतलाया है वह यह है कि ये सारी स्कीमें पाइलेट प्रोजेक्ट, कन्जरवेशन आफ सायल, डेवलपमेंट आफ केचमेंट एरिया आफ चम्बल बैली, ये सारी चीजें एक दूसरे से सम्बन्धित है, जिससे

वहां की जमीन की सुरक्षा हो, उबड़-खाबड़ जमीन ठीक की जाए, एफोरेस्टेशन हो और इरीगेशन की फैसेलिटीज हों । उनकी गरीबी को मद्देनजर रखते हुए, यह सब किया गया है ।

अब जहां तक डकैतों का सवाल है, मैं माननीय सदस्य से यह आग्रह करूंगा कि इस का जवाब देने के लिए कान्सीटेंट होम मिनिस्टर हैं ।

यह स्कीम बता देंगे कि कब कैसे होगा ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस घाटी के विकास के लिए जो योजना बनाई गई है उसके क्रियान्वयन में आपने बताया है कि अभी तक केवल 17 करोड़ खर्च हुआ है और चालीस करोड़ खर्च नहीं हुआ है । यह योजना शायद 1974 में बनी थी । मैं जानना चहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है, राज्य पर है या आप पर है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि गति को तेज करने लिए आपने क्या किया है ?

इस विकास के काम को आपने क्या राज्य पर ही छोड़ दिया है या केन्द्र के प्लान में भी इसके लिए कुछ किया जा रहा है ?

श्री फजलुर रहमान : जहां तक योजना विभाग का सवाल है आवश्यकता के अनुसार, जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हम स्कीम्ज और प्लान बनाते हैं । जहाँ तक एक्सीक्यूशन का सवाल है ज्यादा तर एक्सीक्यूशन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । कोई भी सरकार हो वह निष्क्रिय नहीं बैठ सकती है । लेकिन आप तो जानते ही हैं कि क्या-क्या दिक्कतें पेश आती हैं स्कीम को एक्सीक्यूट करने में ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : चालीस करोड़ खर्च क्यों नहीं हुआ ? इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ।

श्री फजुलर रहमान : काफी लम्बी अवधि तक के लिए यह स्कीम है, उसकी गतिविधि लम्बी चलनी है । जमीन अगर मिल जाए, सारी सुविधायें मिल जाएं और जिस एरिया में काम करना है उस एरिया में कितनी कठिनाई है ये सब चीजें आड़े आती हैं । मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि एक बार जा कर स्वयं देख लें और मुझे आशा है कि देखने के बाद वह कहेंगे कि बहुत मेहनत के बाद यह सतरह करोड़ रुपया खर्च हुआ है ।

हैदराबाद स्थित परमाणु ईंधन संयंत्र समूह में आग लगना

*683. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 मार्च, 1979 को हैदराबाद स्थित परमाणु ईंधन संयंत्र समूह प्रभागों (विंगों) में से एक में आग लग गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 12 मार्च, 1979 को रात की पाली में आधी रात के कुछ देर बाद नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के जिर्कोलॉय निर्माण संयंत्र में आग लग गई थी ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने बहुत ही शुष्क सा उत्तर दिया है । इसमें हुई हानि के बारे में उन्होंने किसी प्रकार का ब्यौरा नहीं दिया गया । ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय ने गम्भीरता पूर्वक इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं किया है। पूछा था आग लगी क्या, जवाब दे दिया आग लग गई । यह उत्तर देने का कोई तरीका नहीं है। मैंने प्रश्न में यह भी पूछा था कि इससे जो हानि हुई है उसका ब्यौरा दिया जाए तथा साथ ही यह भी बताया जाए कि आग किस प्रकार लगी और इस संबंध में भविष्य में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं । उन्होंने इनका कोई उत्तर नहीं दिया ।

प्रो० शेर सिंह : सदस्य महोदय ने यह तो पूछा है कि आग किस प्रकार लगी उन्होंने ये भी पूछा है कि उसमें कितनी हानि हुई । छत पर पड़े लैंटर को हानि हुई है तथा इसके साथ ही ऊपर पड़े मिट्टी के तेल के टैंकों तथा इस्पात ढांचे आदि को भी काफी हानि पहुंची है। बिजली की सारी तारें बिल्कुल सड़ गई हैं । पी० सी० निकासी व्यवस्था बिल्कुल पिघल गई है। कुल मिलाकर यह सारी हानि लगभग 20 लाख के करीब बनती है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यह बहुत ही गम्भीर मामला है तथा यह बहुत ही संगीन बात है कि हमारे परमाणु संयंत्रों में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा क्या इस घटना की कोई जांच करवाई गई है? यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि जांच नहीं करवाई गई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में ऐसी लापरवाही क्यों बरती गई है?

प्रो० शेरसिंह : एक जांच समिति का गठन किया गया था और उस समति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जोकि विचाराधीन है। प्रतिवेदन में इस प्रकार की आग के भविष्य में ना लग पाने के संबंध में कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं।

श्री सौगत राय : यह पहला अवसर नहीं है जबकि इस परमाणु संयंत्र समूह में इस प्रकार की भयानक आग लगी हो । जैसा कि आपको मालूम ही है कि पिछले वर्ष बड़ौदा हैवी वाटर प्लांट में भी इसी प्रकार की आग लगी थी जिसके परिणाम स्वरूप हमारा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम लगभग एक वर्ष पीछे पड़ गया था और अब हैदराबाद स्थित परमाणु संयंत्र में ईंधन संयंत्र समूह में आग लग गई है । हमारे देश में तथा विदेशों में हमारे परमाणु संस्थानों को क्षति पहुंचाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न चल सके । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अपने सम्पूर्ण परमाणु संस्थानों की सुरक्षा के बारे में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कोई व्यापक जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हमारे आणविक संस्थानों में पिछले दो वर्षों में जो आगजनी की घटनाएं होती रहीं हैं उनका आपस में कोई संबंध तो नहीं है या फिर उनके पीछे देश के ही कुछ लोगों या विदेशों का कोई हाथ तो नहीं है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : या उसके पीछे अमरीका का हाथ तो नहीं है।

प्रो० शेर सिंह : जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस आगजनी की घटना में किसी का हाथ नहीं है और यह केवल मात्र एक दुर्घटना का ही परिणाम है।

डा० कर्ण सिंह : आणविक तकनीक का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग बढ़ाने के लिए आणविक संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है और जैसा कि अमरीका स्थित हैरीसबर्ग की हाल ही की घटना से स्पष्ट होता है कि इस मामले में खतरे बहुत अधिक होते हैं तथा उसके लिए आरम्भ से ही उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने जरूरी होते हैं। क्या सरकार सदन को यह बताने की कृपा करेगी कि इन संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आणविक तकनीक तथा क्षमता का उपयोग करके हमारी जनसंख्या को इससे होने वाले सम्भावित कुप्रभावों से बचाया जा सके। हैरीसबर्ग में जो घटना घटी है वह वह इस बात का संकेत करती है कि इस संबंध में सरकार को क्या उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए ? क्या इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है या नहीं ?

प्रो० शेर सिंह : सुरक्षा उपायों की व्यवस्था तो प्रणाली में आरम्भ से ही कर दी गई है तथा इस बात के लिए हर प्रकार की सावधानी बरती जा रही है कि इस प्रकार की घटनाएं बार-बार न घटें। माननीय सदस्य महोदय ने हैरिसबर्ग की दुर्घटना का उल्लेख किया है। मैं इस सम्बन्ध में यह बता देना चाहता हूं कि हमारी प्रणाली उनकी प्रणाली से कुछ भिन्न है। परन्तु फिर भी इस प्रकार की घटना की संभावना हो सकती है। इसीलिए हर प्रकार की सावधानी बरती जा रही है। मैं हाल ही में ई० आर० सी० गया था और वहां जाकर मैंने स्वयं यही प्रश्न पूछा था कि क्या सभी प्रकार की दुर्घटनाओं की पूर्व कल्पना करके उन्हें रोकने के लिए हर प्रकार की उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा प्रणाली के अन्दर ही उसके बारे में सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। मुझे बताया गया था कि ऐसा कर दिया गया है।

प्रो० समर गुह : यह बात तो सभी को मालूम ही है कि परमाणु तकनीक के लिए अद्यतन तंत्र अपेक्षित होता है तथा परमाणु संयंत्र समूह में होने वाली दुर्घटना भी बहुत भयंकर हो सकती है। मंत्री महोदय ने बताया कि सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था संयंत्र के अन्दर ही कर दी जाती है परन्तु जो कुछ हमारे हैवी वाटर प्लांट तथा हैदराबाद में हुआ, तथा अमरीका में हुई हाल ही की जिस दुर्घटना का उल्लेख डा० कर्ण सिंह द्वारा किया गया, उसे दृष्टिगट रखते हुए क्या सरकार का विचार अन्दर बनाए गए सुरक्षात्मक उपायों का पुनरीक्षण करने का है और क्या सरकार यह समझती है कि अन्दर बनाए गए सुरक्षात्मक उपाय प्रर्याप्त हैं या उनमें कुछ और अतिरिक्त उपाय किए जाने अपेक्षित हैं ? क्या सरकार देश के सभी परमाणु संयंत्रों की सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का पुनरीक्षण करेगी ?

प्रो० शेर सिंह : मैं माननीय सदस्य महोदय के सुझाव का स्वागत करता हूं और यह भी बता देना चाहता हूं कि दुर्घटना के कारणों की पूर्वकल्पना करते हुए, हर प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

इलेक्ट्रानिकी उद्योग का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रतिनिधि मंडल

*684. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला :** क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश के इलैक्ट्रानिकी उद्योग का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मार्च, 1979 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से एक प्रतिनिधि मडल भारत आया जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की प्रमुख कम्प्यूटर कम्पनियों के 27 विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व था ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री शंकरसिंहजी वाघेला : इलैक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज की आजकल हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी डिमांड है और इसका अध्ययन करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से एक प्रतिनिधि मंडल यहां आया भी था । जवाब में जो कहा गया है कि कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रोनिक्स संघटक पुर्जों के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मार्च, 1979 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से एक प्रतिनिधिमंडल आया था, में माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उसका आशय क्या था, वह कमर्शियल परपज से आया था या ऐसे ही आया था ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 10 साल में जो बेकारी दूर करने की बात कही जाती है, उसको देखते हुए कम्प्यूटरों के मामले में गवर्नमेंट की नीयत क्या है ? जब कम्प्यूटर बेकारी को और बढ़ावा देंगे, तो भी क्या सरकार कम्प्यूटरों की और मांग करेगी ? जो प्रतिनिधिमंडल यहां आया था, क्या उसके आने का परपज़ बिज़नेस था ?

प्रो० शेर सिंह : मैंने निवेदन किया कि यह शिष्टमंडल मार्च के इसी महीने में आया था और पिछले साल भी एक शिष्टमंडल एरिया रिफाइन करने के लिए आया था कि कौन से एरिया में काम हो सकता है, जिसमें दोनों की कोआपरेशन हो सकती है। इस बारे में जो शिष्ट मंडल आया, उसने पिछले शिष्टमंडल का अनुमोदन किया और आगे के लिए कोई ज्वायन्ट बेंचर मिडिल ईस्ट या अफरीकन कंट्रीज में लगा सकते हैं ? ट्रेनिंग से कुछ हो सकता है या हार्डवेयर और सोफ्ट वेयर की सप्लाई कर सकते हैं, और अपने देश में बेंदा कर सकते हैं और हम अपना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सब बातों पर विचार हुआ, और आगे के लिए क्या हो सकता है, वे सब एरियाज आइडेंटीफ़ाइड हुए। इस प्रतिनिधिमंडल ने भी पिछले प्रतिनिधिमंडल का अनुमोदन किया।

श्री शंकरसिंहजी वाघेला: हर एक प्रतिनिधिमंडल का अपना आशय होता है। जो प्रतिनिधिमंडल यहां आया था, क्या उसके साथ इलैक्ट्रानिक एक्विपमेंट मैनुफैक्चर करने वाली हमारी डिफेंस एस्टाब्लिशमेंट्स के बारे में भी चर्चा हुई थी? देश की सुरक्षा के बारे में रेडार एक बहुत नाजुक साधन है। क्या उसके बारे में भी चर्चा हुई थी?

प्रो० शेरसिंह: डिफेंस के बारे में विशेष रूप से जो इलैक्ट्रानिक्स चाहिए, उसके बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं हुई।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, यह बताया गया है कि उन्हें एक बैठक के लिए निमंत्रित किया गया, उनके साथ चर्चा की गई तथा विचारों के आदान प्रदान के बाद हम सभी चले गए। अब जहां तक प्रश्न के (ग) भाग का सम्बन्ध है, उसके बारे में मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि क्या उसके बारे में किसी प्रकार का कोई करार किया गया है या नहीं। प्रतिनिधिमंडल तो इस वर्ष भी भारत आया है तथा पिछले वर्ष भी आया था। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो प्रतिनिधिमंडल पिछले वर्ष भारत आया था तथा जो इस वर्ष भारत आया है, वह स्वयं भारत के दौरे पर आया था या उसे भारत सरकार ने यहां आने का निमंत्रण दिया था। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रतिनिधिमंडल खाली लौट गया या उसकी भारत यात्रा पूरी तरह से असफल रही।

प्रो० शेर सिंह: श्रीमान जी, भारत योरुपीय आर्थिक समुदाय के संयुक्त आयोग के अन्तर्गत जिसमें कि हमारे 12 साथियों को विशेषज्ञों का एक दल भी था, वह ब्रुसल्ज सहित योरुपीय आर्थिक समुदाय के देशों की यात्रा पर नवम्बर, 1977 में गया। वह भी भारत-योरुपीय आर्थिक समुदाय के संयुक्त आयोग के तत्वाधान में था और अब उनका प्रतिनिधिमंडल यहां आया है तथा एक प्रतिनिधिमंडल पिछले वर्ष भी यहां आया था। अतः यह भारत योरुपीय आर्थिक समुदाय के संयुक्त आयोग के तत्वाधान में है अतः वह खाली कैसे जा सकता था। उन क्षेत्रों का पता लगाया गया था जहां कि सहयोग सम्भव है। यहां तक कि इन देशों में निर्यात वृद्धि करने के बारे में भी बहुत से मामलों पर विचार किया गया। यह बात नहीं है कि वह खाली लौट गये हों। परन्तु यह बात है कि किसी प्रकार के औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। परन्तु सहकारिता सम्बन्धी सम्भावयता क्षेत्रों का पता लगाया गया था।

श्री विनोद भाई बी० सेठ: हमारे देश में बहुत अधिक अन्य प्रमुख इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियर उपलब्ध है परन्तु इसके बावजूद भी इसे बिजली के उपकरणों में हम काफी पिछड़े हुए हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार पत्तनों, रेलवे तथा विमानों आदि के लिए बिजली के उपकरणों को लगाने का है?

अध्यक्ष महोदय: मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

अनियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि

***685. श्री अनन्त राम जायसवाल:**

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1978 से मार्च 1979 तक की अवधि में रूई के मूल्यों में कमी होने के बावजूद कपड़ा मिलों ने इस अवधि में अनियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्यों में वृद्धि की थी,

(ख) यदि हां, तो 1 सितम्बर, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि में रुई के थोक विक्रय मूल्य सूचकांक में कितनी कमी हुई थी और उसी अवधि में अनियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई थी,

(ग) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों तथा निजी क्षेत्र की मिलों द्वारा तैयार किए जाने वाले अनियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्यों को विनियमित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(घ) क्या सरकार का विचार अनियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्य में वृद्धि पर नियंत्रण करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि में कच्ची रुई का थोक बिक्री मूल्य सूचकांक 2.4 प्रतिशत गिरा; जबकि इसी अवधि में सूती कपड़े के थोक बिक्री के मूल्य सूचकांक में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) : कपड़े के मूल्यों में घटाबढ़ी के समूचे प्रश्न के सम्बन्ध में सूती वस्त्र उद्योगपतियों से चर्चा हुई थी तथा उद्योगपतियों से कपड़े के मूल्यों को कम करने के बारे में तुरन्त कदम उठाने के लिए कहा गया था। उद्योगपतियों ने कुछ सुझाव दिए हैं जो सरकार के विचाराधीन है।

श्री अनन्त राम जायसवाल : क्रय शक्ति की कमी की वजह से अपने देश की आबादी एक बहुत बड़ा हिस्सा साल के ज्यादा हिस्से में अधनंगा रहता है और सन् 1964-65 मुकाबिले प्रति व्यक्ति साल की खपत में सन् 77-78 में 3.4 मीटर की कमी हुई है जो अपने आप में बहुत एलार्मिंग है। इसके अलावा आप ने केवल छः महीने की फिगर दी है। साल भर की यह स्थिति है कि जहां पर रुई के दाम गिरे हैं साढ़े नौ परसेंट वहां कपड़े के दाम करीब तीन परसेंट बढ़ गए हैं और कपड़े के ही नहीं, सूत के, धागे के भी दाम बढ़ गए हैं। तो एक तरफ तो किसान और दूसरी तरफ जिन उद्योगों को आप बढ़ाना चाहते हैं हैंडलूम वगैरह, उन को इस से नुकसान हुआ है क्योंकि धागे के दाम इतने बढ़ रहे हैं मैन मैड फाइबर के भी और क्लाथ के भी कि उन का चलना मुश्किल हो रहा है। कल एक डैलीगेशन आप से मिला था। तो मैं यह कह रहा हूं कि जो हथकरघा, कन्ज्यूमर और किसान इन तीनों की कीमत पर मिल मालिक दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं उसके बारे में आप ने अपने जवाब में कोई जिक्र नहीं किया है कि आप की तरफ से उसके लिए क्या कार्यवाही हो रही है। आप ने खाली यह बता दिया कि मिल मालिकों की तरफ से यह आफर है। आप ने इन दामों को रोकने के लिए क्या निश्चित कार्यवाही की यह बताने का कष्ट करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम तो इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन के लोगों से मिले और उन से हम ने यह कहा कि उन लोगों ने आज जिस रूप में दाम बढ़ाए हैं वह कम किए जाने चाहिएं। उसने बाद यह दाम कम करने की दृष्टि से उनकी तरफ से तीन सुझाव आए हैं जिनका मैंने यहां पर जिक्र किया। हम ने उन से बताया है कि ये तीनों सुझाव हमें मंजूर नहीं हैं और दामों को उन्हें गिराना पड़ेगा। सूत और कपड़ा दोनों क्षेत्रों में जहां भी दामों को बहुत बढ़ाने का सिलसिला चला है उसको गिराने का काम उन्हें करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से किसी और कदम के उठाए बिना दामों को गिराने का काम वह करेंगे। इस वक्त उन लोगों की बातचीत हमारे मन्त्रालय के साथ चल रही है और अगर उन की तरफ से दाम घटने के सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हमें मंजूर हो तो हम कोई और कदम अपनी तरफ से उठायेंगे जिस के द्वारा दामों को गिराने में मदद मिले।

श्री अनन्त राम जायसवाल : पहले कपड़े के हर मीटर पर रिटेल प्राइस छपा करती थी। आजकल खाली एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस ड्यूटी छाप देते हैं और शिकायत यह है कि वह भी इतना बढ़ा कर छापते हैं कि जिस से वे खूब फायदा उठायें। तो क्या आप पहले की तरह रिटेल प्राइस छपायेंगे और दूसरे, मूल्य को नियंत्रित करने के लिए तुरन्त कंट्रोल लागू करेंगे ? इसके अलावा साल भर तक जो यह स्थिति रही कि बराबर कपड़े के दाम बढ़ते रहे इस बीच में आप का मन्त्रालय क्यों सोता रहा इस पर कुछ प्रकाश आप डालेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, जहां तक दामों पर कन्ट्रोल लगाने का सवाल है यह जहां तक हमारी समझ है सम्भव नहीं है क्योंकि कपड़े के दाम पर कन्ट्रोल लगा कर उसको फिर अमल में लाना एक असम्भव जैसी चीज हमें नजर आती है। लेकिन और कई उपाय हैं जिन को अमल में लाया जा सकता है जिन के बारे में हम इस समय विचार कर रहे हैं और जहां तक हर मीटर पर कपड़े का दाम छापने का सवाल है यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा कि जब दाम एक अरसे से बढ़ते रहे तो सरकार ने उस के बारे में कोई कदम क्यों नहीं उठाया ?.....

श्री अनन्त राम जायसवाल : अरबों रुपया मिल मालिकों ने कमा लिया और खाली प्राइवेट ने ही नहीं नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन ने भी कमाया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन इस समय 40 प्रतिशत अपना कपड़ा कन्ट्रोल कपड़ा बना रहा है और बाकी जो नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन का कपड़ा है वह आम तौर पर चार और पांच रुपये प्रति मीटर के दाम के भीतर है, तो अरबों रुपया नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के द्वारा मुनाफे के रूप में कमाने का सवाल नहीं है। यह सही है कि निजी मिलों ने इस प्रकार की कोई अपनी नीयत नहीं दिखाई जिस से यह मालूम हो कि लोगों को कपड़ा उचित मूल्य पर मिल सके इस जिम्मेदारी को उन लोगों

ने निभाया हो। तो इस पर जो कार्यवाही हमें करनी है वह कार्यवाही हम लोग करने जा रहे हैं।

श्री चिमनभाई एच० शुक्ल : जहां तक इस इंडस्ट्री का सवाल है कभी भी सरकार की बात उन्होंने नहीं मानी है। वह सरकार को तो कुछ समझते ही नहीं हैं।

तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि सरकार रा-मटीरियल और फिनिश्ड गुड्स, इन दोनों के बीच में कितना फर्क होना चाहिए यह मानती है तो सरकार जो मानती है उसके लिए वह क्या कदम उठाना चाहती है?

एक बात मैं और पूछना चाहूंगा। ये मिल वाले कभी भी मानने वाले नहीं हैं। तो क्या सरकार जिस सख्त कदम की बात करती है उसमें वह यह बात भी सोचेगी कि सारी मिलों में केवल स्पिनिंग होने दे, बुनाई न होने दे।

बुनाई का काम भारत सरकार हथकर्घा उद्योग को सौंपें। जब तक यह नहीं होगा तब तक वे अपना मुनाफा कम करने वाले नहीं हैं क्योंकि उनको मुनाफा कमाने की आदत हो गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूं। इसमें मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है कि मिल मालिक इस मामले में जो रुख अपना रहे हैं वह लोक-हित वाला रुख नहीं है। सामान्य लोगों की समस्याओं के बारे में उनको किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं है--यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन माननीय सदस्य का जो प्रश्न है कि हम सिर्फ स्पिनिंग का काम इन मिलों में करें और सारा वीविंग का काम बाहर निकाल लें--यह सम्भव नहीं होगा। जितनी पूंजी इस उद्योग में लगी हुई है और जितना कपड़ा मिलें बनाती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए यह चीज इस वक्त सम्भव नहीं है। रा-मैटीरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट के जो रिश्ते का सवाल है वह अलग अलग उद्योगों में अलग अलग किस्म का होता रहेगा। टेक्सटाइल मिल्ल में भी रा-मैटीरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो अन्तर है उसमें जरूर फर्क रहेगा।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, 1966-67 में जब रुई का भाव शायद 400-500 रुपए के बीच में रहा तब कपड़ा साढ़े चार, पांच रुपए मीटर पर था लेकिन आज रुई का भाव 260 पर चले जाने के बाद भी कपड़ा 11 रुपए मीटर बिक रहा है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने इस मुनाफे को कन्ट्रोल करके, रुई के जो उत्पादक हैं उनके साथ कोई सामंजस्य करने की चेष्टा भी की है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यही चेष्टा इस समय हो रही है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मन्त्री जी ने अभी शायद दो तीन दिन पहले कहा कि सरकार काटन टेक्सटाइल मिलें इस साल बहुत नफा कमायेंगी। उसका कारण यह नहीं है कि उनकी एफीशिएन्सी बढ़ गई है बल्कि उसका कारण यह है कि रुई के दाम

बहुत गिर गए हैं। और काटन क्लाथ के दाम बढा रहे हैं। प्राइवेट मिलें उससे भी ज्यादा गड़बड़ कर रही हैं। यह मन्त्रालय पिछले दो साल से पैसिव स्पेक्टेटर रहा है। एक एक गज़ पर बीस-बीस पैसे दाम बढ़े हैं। मेरे पास काटन का इन्डेक्स है। मई 1977 में कपास का सूचकांक 214 था, तथा अक्तूबर 1977 में यह घट कर 160.6 रह गया। अतः उसमें 22.6 प्रतिशत की कमी हुई। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप दाम कितना कम करना चाहते हैं और क्या मांग आपने रखी है? अगर वे दाम कम नहीं करते हैं तो आप क्या कार्यवाही करेंगे? अभी जैसा यहां पर रिटेल प्राइस छापने के लिए कहा गया तो अगर पहले यह दाम छापे जा सकते थे तो अब क्यों नहीं छापे जा सकते हैं? आप उनकी कास्टिंग करके एक्स-मिल प्राइस छापिए न कि आप उनके हाथ में दे दें कि जो भी चाहें वे छाप दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जहां तक एन० टी० सी० मिलों के मुनाफे का सवाल है, इस साल पहली बार एन० टी० सी० मिलों ने तीन करोड़ का मुनाफा कमाया है। मैं माननीय सदस्य को इस राय से सहमत नहीं हो सकता कि यह मुनाफा रुई का दाम कम होने के कारण या कपड़े का दाम बढाने के कारण हुआ है। जैसा मैंने पहले बताया, एन० टी० सी० की मिलें प्रति वर्ष चालीस करोड़ गज कन्ट्रोल का कपड़ा बनाने के काम में लगी हैं जिसमें मुनाफा कमाने की कोई बात नहीं है। जो दाम कपड़ा बनाने में लगता है वही दिया जाता है। एन० टी० सी० मिलों में मुनाफे का कारण यह है कि माडर्नाईज़ेशन का काम वहां पर किया गया है और एफीसिएन्सी बढ़ाने का काम भी हुआ है। मैनेजमेन्ट में जहां जहां कमज़ोरियां थीं उनको भी दूर करने का काम हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक कई प्रकार के प्रयास हमने डेढ़ साल में किए हैं। हमने पहली बार एन० टी० सी० की 111 मिलों के जनरल मैनेजर्स को एक जगह पर बुलाकर, उनकी समस्याओं को समझ कर, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया ताकि उनका काम ठीक ढ़ंग से हो। इस तरह से हम ने इस दिशा में कई प्रकार के प्रयास किए हैं जिसका नतीजा यह है कि आज एन० टी० सी० मुनाफे की ओर बढ़ रही है। जहां तक मिलों द्वारा मुनाफा कमाने का सवाल है, मिलें मुनाफा जरूर कमायेंगी। कोई मिल मुनाफा कमाती है, यह कोई सवाल नहीं हो सकता है।

मुनाफ़ा ज़रूर होगा—— उद्योग में निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो——मुनाफ़ा होगा, इस के बारे में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो उद्योग मुनाफ़ा कमा रहे हैं और दामों पर लगाम लगाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं——इस सम्बन्ध में उन की तरफ़ से तीन प्रस्ताव हमारे सामने आये हैं और हम ने कहा है कि ये हमें मन्जर नहीं हैं। अब जो ठोस सुझाव हैं वे हम ने रखे हैं और उन से जैसा जवाब आयेगा फिर उस पर कार्यवाही करेंगे।

क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन, बिहार द्वारा ज्ञापन

***687. श्री किशोर लाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसियेशन ने 5 मार्च, 1979 को एक विशाल प्रतिनिधि मण्डल में बिहार के राज्यपाल को एक ज्ञापन पेश किया था ;

(ख) उनकी मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में स्थित उनके विभिन्न मिशनों/संस्थाओं तथा लोगों पर बहुत बार आक्रमण हुए हैं; और

(घ) इन आक्रमणों के पीछे किन शक्तियों/संस्थाओं का हाथ है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क), (ख), (ग) और (घ) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। अभी कुछ ही घन्टे पूर्व हमें बिहार सरकार से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है जिसके आधार पर मैं अपने उत्तर में शुद्धि करना चाहता हूं।

जहां प्रश्न के (क) भाग का सम्बन्ध है कि क्या यह सच है कि क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसियेशन ने, 5 मार्च, 1979 को एक विशाल प्रतिनिधिमंडल में बिहार के राज्यपाल को एक ज्ञापन पेश किया; इस का उत्तर यह है कि हां, 5 मार्च को बिहार के राज्यपाल के उप सचिव को एक ज्ञापन दिया गया।

जहाँ नक प्रश्न के (ख) भाग का सम्बन्ध है कि क्या इन घटनाओं के बारे में एक उच्च स्तरीय जांच करवाने तथा यह पता लगाने की मांग का सम्बन्ध हैं कि क्या इन घटनाओं के पीछे किसी संस्थागत एजसी का हाथ तो नहीं है तथा दोषियों को सजा देने की मांग का सम्बन्ध है।

जहां तक प्रश्न के अन्य भागों का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि उनके बारे में बिहार सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

श्री किशोर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं—इन के मैमोरेण्डम देने से पहले वहां कितने क्रिश्चयन-मिशनरीज़ के मर्डर हुए, जिस से उन के अन्दर सेन्स-आफ़-इनसिक्योरिटी पैदा हुई तथा जिन मिशनरीज़ का मर्डर हुआ क्या उन के बारे में कोई इन्वेस्टीगेशन हुआ? मैं यह भी जानना चाहता हूं—क्या कोई सेन्ट्रल एजेन्सी जैसे इन्टैली जेन्स ब्यूरो या कोई अन्य एजेन्सी इन क्रिश्चियन मिशनरीज़ के मर्डर की जांच में लगी हुई है?

श्री धनिक लाल मंडल: मुकामा में एक क्रिश्चियन-फादर की मृत्यु हुई थी, उसके बाद यह मेमोरेण्डम राज्यपाल महोदय को दिया गया। उस मेमोरेण्डम में उस के पहले की घटनाओं के बारे में जो बातें कही गई हैं—उन में कहा गया है कि मुंधेर में इस तरह की घटना हुई है, उसके बाद बरौनी में हुई, चनपुटिया, चम्पारन में हुई, रोहतास में हुई—इस तरह की कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है। जहां-जहां इस तरह की घटनायें

हुई, उन के सम्बन्ध में मैंने अभी बतलाया है, लेकिन इन पर जो सूचना मांगी गई है, वह हम को अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस सम्बन्ध में हम आगे नहीं बतला सकते हैं।

श्री किशोर लाल : उस मेमोरेण्डम की चार घटनाओं का ज़िक्र मन्त्री महोदय ने किया; जो बिहार में हुई है। ये घटनायें डिस्ट्रिक्ट टाउन्ज़ में हुई हैं और 5 मार्च के बाद एक महीने से ज्यादा हो गया है, बिहार सरकार ने गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया को अभी तक इत्तिला नहीं दी। क्या गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया यह मुनासिब नहीं समझती कि माइनारिटी कम्यूनिटीज ने जो मेमोरेण्डम दिया है और उन के अन्दर जो सेन्स-आ -इन्सियोक्योरिटी पैदा हुई है—उस को दृष्टि में रखते हुए सी० बी० आई० या किसी अन्य सेन्ट्रल एजेन्सी से इन्वेस्टीगेशन कराये, ताकि जो लोग उसके पीछे हैं या जो इंस्टीचूशन्ज़ उन के खिलाफ हैं— उनके विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जा सके और हमारी माइनारिटी कम्यूनिटीज़ में जो सेन्स-आफ इन्सिक्यूरिटी पैदा हो गई है, उस को दूर किया जा सके ? क्या गवर्नमेन्ट इस बात को कन्सीडर करेगी कि वह अपनी किसी सेन्ट्रल एजेन्सी के ज़रिये इस को इन्वेस्टीगेट करायें ?

श्री धनिक लाल मंडल : : महोदय, इस में सी० बी० आई० की एन्कवायरी की बात नहीं है। अभी जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है—वे उस मेमोरेण्डम में दी गई हैं— मोकामा, हवेली-खड़गपुर बरौनी, चनपुटिया, रोहतास—ये सब डिस्ट्रिक्ट टाउन्ज नहीं हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। इनके सम्बन्ध में बिहार सरकार से जानकारी मंगाई गई है, वह अभी हमें मिली नहीं है। हम जरूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जानकारी आ जाय, जो देरी हुई है, उस के लिए हमें खेद है।

श्री बी० पी० मण्डल : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब 5 मार्च को लोगों का एक प्रतिनिधिमण्डल बिहार के राज्यपाल से मिला था तो उसके बाद बिहार के राज्यपाल, जोकि भारत सरकार का ही प्रतिनिधि होता है, तो इसके द्वारा बिहार में अल्पसंख्यकों तथा विशेष रूप से ईसाई अल्पसंख्यकों को परेशान किए जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य-वाही की गई है। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन अत्याचारों के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ है ? (व्यवधान)

श्री धनिक लाल मण्डल : जी, नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा उत्पादकता सेवाओं का विकास

686. **श्री नटवरलाल बी० परमार :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने उत्पादकता सेवाओं के विकास के लिए प्रस्तावों पर विचार किया था, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) :(क) और (ख'): उत्पादिता सेवाओं का विकास राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद के प्रारम्भ से ही एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया जाता है :-

(1) उसने औद्योगिक इंजीनियरी, ईंधन कौशल, संयंत्र इंजीनियरिंग, उत्पादन इंजीनियरी, व्यवहार विज्ञान तथा वित्त प्रबंध में विशिष्ट सेवाओं का विकास किया है।

(2) उपर्युक्त क्षेत्रों में यह प्रशिक्षण, उत्पादिता सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयन सेवाओं की व्यवस्था करता है, प्रयोज्य अनुसंधान योजनाओं को हाथ में लेता है तथा विभिन्न प्रकाशनों एवं दृश्य श्रृव्य साधनों के जरिये उनका प्रसार करता है।

(3) यह लघु उद्योगों के लिये राज्य सरकारों के निकट सहयोग से प्रकोष्ठों की स्थापना कर उत्पादिता सेवाओं का विकास करने में कार्यरत है।

(4) इसने पर्यवेक्षण विकास की राष्ट्रीय योजनाएं हाथ में ली है जिसमें पर्यवेक्षण मजदूर संघ विकास तथा उत्पादिता में कर्मचारी विषय पर एक राष्ट्रीय प्रमाण पत्र पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है।

(5) यह निगमित आयोजना, प्रबंध सूचना पद्धति विपणन, प्रशिक्षण उद्योगविधी तथा इलैक्ट्रानिक डाटा प्रासेसिंग में उत्पादिता सेवाओं का विकास करने में कार्यरत है।

(6) इसने ईंधन तेल तथा अलौह धातुओं के संरक्षण, फसल काटने के बाद के कार्य तथा ग्राम विपणन सर्वेक्षणों के बारे में विशिष्ट सेवाओं का विकास।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने अपनी 15 मार्च, 1979 को हुई बैठक में अपनी गतिविधियों को सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति विषयक उदेश्यों के अनुरुप बनाने का निश्चय किया है। परिषद ने तत्काल ही कार्यवाही करने लिये निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया है :—

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योगों के विकास आयुक्त तथा अन्यों के सहयोग से साबुन तथा दियासलाई उद्योगों का विकास करना।

(2) विद्यमान एककों में लघु क्षेत्र उत्पादकता सुधार का विकास तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के सहयोग से आरक्षित वस्तुओं के लिये लघु एककों का विकास संवर्धन करना।

(3) सरकारी क्षेत्र के संगठनों में जहां उत्पादकता कम है अथवा उग्ण समक्षी जाती है, उत्पादकता में सुधार तत्काल ही अध्ययन के लिये पता लगाये गये कुछ एककों/क्षेत्रों में राज्य विद्युतमंडल, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के उग्ण एकक तथा इंजीनियरी उद्योग, बंबई बंदरगाह तथा मुगलसराय का रेलवे यार्ड आदि हैं।

(4) मजदूर संघों की रुचि जाग्रत करने हेतु उपर्युक्त योजनाओं का संवर्धन करना ताकि वे उत्पादिता को अपने आंदोलन का एक अविभाज्य अंग बना लें।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद साबुन तथा दियासलाई उद्योगों का कुटीर/ लघु क्षेत्र में विकास करने हेतु विस्तार से प्रस्ताव बना चुकी है। अन्य क्षेत्रों के बारे में परिषद प्रस्ताव बना रही है।

आर्थिक आंकड़ों का संकलन करने की प्रक्रिया

688. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आर्थिक आंकडों को एकत्र करने की पद्धति और तरीका वर्तमान योजना के लिये पर्याप्त और प्रभावी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसे प्रभावी और अधिक व्यापक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना के लिए एकत्र आंकड़ों का मद-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर रहमान) : (क), (ख) तथा (ग) आर्थिक आंकड़ों के एकत्र करने की प्रक्रिया तथा पद्धतियों को सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि यें अधिक प्रभावी तथा व्यापक बन सकें। इस दिशा में जो मुख्य कदम उठाए गए हैं उनको दर्शाने वाली एक टिप्पणी (अनुबन्ध-I) तथा एक विवरण (अनुबंध-II) जिसमें मद-वार तथा वर्ष-वार आंकड़ों का एकत्र करना दर्शाया गया है, सभा पटल पर रखे. गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया: देखिये सख्या एल०टी० 4280/79]

अन्दमान के आस पास के समुद्र में खनिज निक्षेप पाया जाना

*689. **श्री चित्त बसु :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्रविद्वान सर्वेक्षण अनुसंधान द्वारा किये गये आरम्भिक सर्वेक्षण के अन्दमान के आसपास में समुह में बहुत उत्पादन वाले क्षेत्रों का और खनिज निक्षेपों के चिह्नों का पता चला है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार इस संबंध में आगे खोज अभियान चलाना वांछनीय तथा व्यवहारिक समझती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा ने जनवरी-फरवरी, 1979 में अन्दमान द्वीप के आसपास के समुद्र का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया था। इससे अंदमान के समुद्र में बहुत से उच्च जैविक उत्पादकता वाले पाकेटों और सूक्ष्म यांत्रिक धातुओं का पता चला है।

(ख) अब तक प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण पूरा करने के उपरान्त भविष्य में इस क्षेत्र का और भी गहन सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नही उठता।

हथकरघा कपड़े को बेहतर रूप में तैयार करने की योजना

*690. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **उद्योग** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना के दौरान धागे के उत्पादन बुनाई पूर्व तथा बुनाई पश्चात होने वाले कार्य संबंधी सुविधायें जुटाने तथा हथकरघा कपड़े को बेहतर रूप में तैयार करने का आधार भूत ढांचा बनाने हेतु कोई योजना तैयार की गई है अथवा इस संबंध में पहल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर संचालित लागत का ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) और (ख) वस्त्र नीति संबंधी धोषणा में हथकरधा को दी गई प्राथमिकता के अनुरूप हथकरघों व विद्युतकरघों के उप-दल ने वस्त्र संबंधी मुख्य कार्य दल को अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इन प्रस्तावों में 1200 लाख किलोग्राम हैंक यार्न का अतिरिक्त उत्पादन करना शामिल है जिसके लिये लगभग 10 लाख नये तकुए लगाने पड़ेंगे इनमें से आध विद्यमान एककों में तथा शेष आधे स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित नये एककों में लगाये जायेंगे। जहां तक बुनाई से पूर्व और बुनाई के पश्चात तथा परिस्करण संबंधी सुविधाओं का संबंध है केन्द्र सरकार द्वारा 12 राज्यों संघ शासित प्रदेशों को ऐसी सुविधाएं जुटाने के लिये पिछले तीन वर्षों में 406 लाख रुपये की कुल राशि दी गई है। छटी योजनावधि में मुख्य कार्य दल के उप दल ने इस कार्य लिये 1200 लाख रुपये राशि के कुल केन्द्रीय परिव्यय का प्रस्ताव किया है। यह परिकल्पना की गई है कि इस कार्य हेतु राज्य क्षेत्र में 1500 लाख रुपये की राशि लगाई जायेगी। हथकरघा कपड़े की किस्म व उसकी बिक्री में सुधार लाने के लिये ये सुविधाएं हथकरघा समूहों के पास स्थापित की जायेंगी वस्त्र संबंधी मुख्य कार्य दल की अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

बैंकों तथा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा हिन्दी में पत्र-व्यवहार

*691. **श्री अरविन्द बाला पजनौर**
श्री पी० एस० रामलिंगम } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी समिति ने निर्णय किया है कि हिन्दी भाषी राज्यों में बैंकों तथा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा केवल हिन्दी में पत्र-व्यवहार किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो समय-समय पर हिन्दी न थोपने के बारे में दिये गये आश्वासनों के सन्दर्भ में इस निर्णय का क्या औचित्य है ?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। विषय पर विचार विमर्श करने के पश्चात समिति ने फैसला किया कि उप प्रधान मंत्री (वित्त) विद्यमान नियमों तथा सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के सन्दर्भ में प्रश्न पर विचार करेंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान और नरौरा परमाणु बिजलीघर की प्रगति

*692. **श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और नरौरा परमाणु बिजली घरों की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम से पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) जी, हां।

(ख) भारी पानी की उतनी पूरी मात्रा अभी तक उपलब्ध नहीं है जितनी कि राजस्थान परमाणु विजलीघर में शुरु शुरु में भरने और उसे अंतिम रूप से चालू करने के लिये आवश्यक होती है । जहां तक नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना का सवाल है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण न्यूक्लीय उपस्करों के निर्माण में देरी हुई है जो अन्य श्रोतों से प्राप्त नहीं किये जा सकतें थे।

(ग) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट के लिये सरकार भारी पानी की उस मात्रा का अधिकांश प्राप्त करने की व्यवस्था भी कर चुकी है जो इसे शुरू करने के लिए आवश्यक होगी। शेष भारी पानी के भी इस वर्ष मिल जाने की सम्भावना है । जहां तक नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना का संबंध है, महत्वपूर्ण न्युक्लीय उपस्करों के निर्माण-कार्य में तेजी लाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल का उपयोग

*693. **श्री चित्त बसु : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग के लिये कच्चे माल के प्रयोग हेतु केले के छिलके तथा अनानास की पत्तियों जैसे कृषि एपशिष्ट पदार्थो का लाभप्रद उपयोग करने की प्रौद्योगिकी में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संबंध में 22 फरवरी 1979 के 'टाइम्स आफ इंडिया' नई दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की है, ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) से (ग) संदर्भित समाचार को देख लिया गया है। यह जूट प्रौद्योगिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला, कलकत्ता द्वारा विकसित की गई कतिपय प्रक्रियाओं से संबंधित है। किन्तु केरल तथा मणिपुर में क्रमश : केले के छिलके तथा अनानास की पत्तियों का उपयोग करने की स्थानीय तथा देशी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है जहां इन पदार्थों से कपड़ा तैयार किया जा रहा है। सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का और विकास करने के लिये पूरा सहयोग देने का निश्चय किया है जिससे कि इसका और अधिक विस्तार किया जा सके। संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके व्यापक कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां

*694. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की बिक्री के लिए उचित सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य 'मेक' की घड़ियों की तुलना में इन घड़ियों के रखरखाव की लागत बहुत अधिक है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की कम सप्लाई की ओर भी दिलाया गया है जिसके परिणामस्वरूप खरीददारों से अधिक मूल्य लिया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) एच०एम०टी० घड़ियों की क्वालिटी और कार्य की वजह से उनकी मांग बढ़ रही है। दिल्ली तथा देश में अन्य स्थानों पर ये घड़ियां एच० एम० टी० के अधिकृत बिक्री केन्द्रों के जरिये निर्धारित मूल्यों पर बेची जाती हैं। एच०एम०टी० घड़ियी की मांग की पूर्ति न होने की वजह से होने वाले सम्भावित कदाचार की गुंजाइश समाप्त करने और सारे देश में इन उत्पादों के लिये जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इन घड़ियों का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। 1977–78 में 20,58,000 और 1976–77 में 11, 71, 710 घड़ियों की तुलना में 1978–79 में एच० एम० टी० में 33,38,197 घड़ियों का उत्पादन हुआ था।

सीमन्स द्वारा नया स्विच बोर्ड कारखाना

*695. **श्री के० ए० राजन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमन्स इण्डिया ने कलकत्ता के निकट एक नया स्विच बोर्ड कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) जी नही।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तुर्कमान गेट दिल्ली, में इमारत गिराने के संबंध में दायर किए गए आपराधिक मामले

696. **श्री रशीद मसूद**
श्री दीनेन भट्टाचार्य } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्कमान गेट के निवासियों के विरुद्ध उस समय अपराधिक मामले दायर किये गये थे जब उनकी इमारतें गिराई गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) अब तक कितने मामले वापस ले लिये गये हैं और कितने अभी लम्बित है तथा उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क), (ख), और (ग) : 19-4-1976 को चार मामले दर्ज किये गये थे। साक्ष्य की अपर्याप्तता के कारण दो मामलों में पुलिस द्वारा जांच बन्द कर दी गई थी अन्य दो मामले वापस ले लिये गये थे। अत: अब कोई मामला लम्बित नहीं है।

सिविल सेवाओं में पदों के लिए साक्षात्कार में भाषा का प्रयोग

*697. **श्री दलपत सिंह परस्ते**

श्री सरत कार क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सिविल सेवाओं में पदों के लिए साक्षात्कार में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का चयन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है: और

(ग) क्या सरकार का विचार बैंकिग सेवा आयोग, रेलवे तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय बनाने का है ?

गृह मंत्रालय में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ग) फरवरी, 1977 में गठित बैंकिंग सेवा आयोग को मई, 1978 में समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिकीय स्टाफ तथा अधिकारी स्टाफ की भर्ती का कार्य अब असांविधिक आधार पर बैंकिंग सेवा भर्ती के सात बोर्डों को सौप दिया गया है। विभिन्न बैंकिग भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों के सामान्यत: (क) वस्तुनिष्ठ स्वरूप के परीक्षण तथा (ख) निबन्ध तथा सक्षेपण के लिये निर्णय किया है। वस्तुनिष्ठ स्वरुप के परीक्षण में तर्क के परीक्षण तथा अंग्रेजी के परीक्षण सहित कई प्रश्न पत्र शामिल होंगे। निबन्ध तथा सक्षेपण का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होगा। बैंक अभी भी अपना अधिकांश कार्य अंग्रेजी में कर रहे हैं और इस प्रकार अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक समझा जाता है।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी तथा हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दी जाती है। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि अन परीक्षाओं में अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय बनाया जाए, जिनमें इस भाषा का कुछ ज्ञान अनिवार्य समझा जाता है।

कार्यालय लिपिकों, वाणिज्यिक लिपिक, टिकट कलेक्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों आदि जैसे, गैर-तकनीकी सामान्य वर्गों की भर्ती के लिये रेल सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों को सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों के उत्तर देने आवश्यक होते हैं। रेल कर्मचारियों का तबादला समस्त भारतीय रेलों में किया जा सकता है : अतः यह आवश्यक समझा गया है कि समूह "ग" सेवाओं के उम्मीदवारों को रेलों के दिन प्रति दिन के कार्य के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी का वैकल्पिक विषय के रूप में रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं को श्रेणी-I तथा श्रेणी-II में भर्ती के लिये अपनाई गई प्रणाली को जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिये तथा परीक्षायों की योजना तथा चयन पद्धतियों में ऐसे परिवर्तनों को सिफारिश करने के लिए जिनसे कि राष्ट्रीय विकास एवं पुर्ननिर्माण के कार्यों के संदर्भ में उक्त सेवाओं की भूमिका तथा कार्यों के परिप्रेक्ष्य में समुचित ज्ञान, कौशिल्य तथा गुणों पर पर्याप्त बल दिया जाए, दिनांक 6–2–1974 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त कोठारी समिति के नाम से प्रसिद्ध भर्ती नीती एवं चयन पद्धति समिति ने साक्षात्कारों में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की थी :—

> "विचार के लिये हमे भेजा गया एक प्रश्न यह है कि साक्षात्कारों प्रश्नों क उत्तर देने के लिये उम्मीदवारों को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। बड़ी सावधानी के साथ विचार करने के बाद हमारी यह राय है कि सामान्य रूप से उम्मीदवारों को अंग्रेजी में उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे निर्णय की प्रक्रिया में सुविधा होगी, क्योंकि साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य जैसे कि अब है, देश के विभिन्न प्रदेशों से लिए जाते है, उन सभी की सामान्य भाषा के रूप में अंग्रेजी का ज्ञान होता है। इससे किसी उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में, योग्यता का निर्णय करते समय एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलेगी। फिर भी, साक्षात्कार में उम्मीदवारों को योग्यता की जांच करते समय उनके अंग्रेजी भाषा पर अधिकार को इतना अधिक महत्व न देकर उनके गुणों, विशेषताओं और उनके विचार-तत्व को महत्व दिया जाए। अगर किसी आपवादिक मामले में कोई उम्मीदवार किसी भारतीय भाषा में बोलने की इच्छा प्रकट करता है क्योंकि वह अंग्रेजी में अपने विचार पर्याप्त रूप में स्पष्ट करने में असमर्थ है, तो साक्षात्कार बोर्ड का उम्मीदवार को आराम देना चाहिए और उसे किसी भी भारतीय भाषा में उत्तर देने की अनुमति दे दें।"

सरकार ने कोठारी समिति को इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। संघ लोक सेवा आयोग भी इस सिफारिश को उपयुक्त रूप में कार्यान्वित करेगा।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त विदेशी सहयोगों की संख्या

*698. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या **उद्योग** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने और कितने मूल्य के विदेशी ठेके प्राप्त किये गये; और

(ख) उन विदेशी ठेकों में से कितने ठेकों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) उसी अवधि के दौरान शेष ठेकों की स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : (क) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड (ई०पी०आई०) ने 1976–77 से 1978–79 तक की तीन वर्षों की अवधि में कुल 557.57 करोड़ रुपये मूल्य के पन्द्रह ठेके प्राप्त किये थे। ठेकों के नाम तथा मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) पन्द्रह ठेकों में चार ठेके पूरे हो गए हैं।

(ग) बकाया ग्यारह ठेके कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

विवरण

1976–77 से 1978–78 की अवधि में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त किये गए विदेशी ठेके।

ठेका प्राप्त करने का वर्ष/परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य (लाख रु० में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1976–77		
1. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बैंकाक . .	192.00	पुर्ण
2. ऐन बाघजी (अर्दिया हाउसिंग प्रोजेक्ट, कुवैत) .	23000.00	
3. यांत्रिक प्रशिक्षण केन्द्र, इस्कन्दरिया, इराक . .	1027.00	पुर्ण
4. सर्वे करने के उपकरणों का सम्भरण, इराक . .	6.04	पुर्ण
5. गुयाना इस्पात संयंत्र के लिए परामर्शदायी रिपोर्ट .	1.30	पुर्ण
	24226.34	
1977–78		
1. वादी जीजान विद्युतीकरण योजना, सऊदी अरब	1842.00	
2. सीफ पैलेस एरिया बिल्डि०, कुवैत . .	3264.00	
3. 35वां ब्रिगेड कैम्प, कुवैत	8010.00	
	13116.00	

(1)	(2)	(3)
1978–79		
1. नार्दर्न ग्रेन साइलोज, इराक	4600.00	
2. वाटर रिसर्च सेन्टर, इराक	1550.00	
3. सेन्ट्रल ग्रेन साइलोज, इराक	4200.00	
4. एस०ए०ए०डी०-3 प्रोजैक्ट, इराक .	4200.00	
5. रेडियो एण्ड कलर्ड टी०वी० सेन्टर, इराक .	1350.00	
6. स्वाइस रिफाइनरी के लिए सिविल वर्क, आबू ढाबी	2000.00	
7. आयल स्टोरेज टैंक प्रोजेक्ट, जेदाह, सऊदी अरब	515.00	
	1841.00	

कुल योग (मूल्य)—55,757.34 लाख रुपये

कागज की काला बाजारी

699. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि छपाई के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले सफेद कागज के व्यापार में काला बाजारी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रु० का कागज निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने के स्थान पर अधिक कीमतों पर बेचा जाता है,

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार छपाई के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले सफेद कागज के व्यापार में एकाधिकार को प्राप्त करने का है जिससे कि छापेखाने को यह कागज उचित मूल्यों पर मिल सके।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) और (ख) कागज के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। फिर भी, यह सच है कि कागज निर्माता तथा व्यापारी कागज की मांग में तेजी से हुई वृद्धि का लाभ उठाकर कागज के मूल्यों में अनुचित वृद्धि कर रहे हैं। सरकार कागज की मांग व पूर्ति के बीच के सीमान्त असन्तुलन के कारण कागज के मूल्यों में सट्टे सम्बन्धी वृद्धि न होने देने का सुनिश्चिय करने हेतु कागज का उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक कदम उठा रही है और वह कागज का आयात करने पर भी विचार कर रही है। कागज उद्योग के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें उनसे कहा गया था कि वे मूल्यों को कम करें। कागज उद्योग की ओर से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। सरकार कागज उद्योग द्वारा मुनाफाखोरी को समाप्त करने एवं कागज का अधिक समान वितरण करने के लिये अनेक उपायों पर विचार कर रही है।

(ग) कागज के उत्पादन का वितरण में से किसी पर भी एकाधिकार नहीं है।

परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम के उपयोग में प्रगति

*701. **श्री ए० के० राव :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के मुख्य स्रोत संवर्धित यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का उपयोग करने की दिशा में भारत में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत का घटिया किस्म का कम मात्रा में उपलब्ध यूरेनियम अयस्क भारत को ऐसी यूरेनियम आधारित परमाणु ऊर्जा नहीं प्राप्त करने देगा जो कि ऊर्जा सम्बन्धी समस्या के हल के लिये एक व्यवहार्य वाणिज्यिक हल सिद्ध हो, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ऐसे रिएक्टरों में थोरियम समृद्ध यूरेनियम का स्थान नहीं ले सकता जिनमें केवल समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तथापि, एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके द्वारा अन्ततोगत्वा सापेक्षतः अधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाले थोरियम के इस्तेमाल से बिजली पैदा की जा सकेगी मद्रास के निकट कलपाक्कम में एक प्रोटोटाइप फास्ट रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) परमाणु विद्युत कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन का जो लक्ष्य इस समय हमारे सामने है उसके लिये देश के प्राकतिक यूरेनियम भडार पर्याप्त हैं।

बिहार के सिंहभूम जिले के बहारागोराह क्षेत्र में आदिवासियों पर अत्याचार में केन्द्रीय रिजव पुलिस का कथित प्रयोग

6601. **श्री ए० के० राय :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1979 में बिहार में सिंहभूम जिले के बहारागौराह क्षेत्र में आदिवासियों पर किये गये अत्याचारों के बारे में उनको जानकारी हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या उस क्षेत्र में आदिवासियों के मकान गिरा दिये गये हैं और महिलाओं को यातनायें दी गई हैं; यदि हां, तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या आदिवासियों को यातनायें देने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का उपयोग किया गया था; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा हरिजनों और आदिवासियों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का उपयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध लगायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) तथा (ख) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि बहारागोरा क्षेत्र में जनवरी, 1979 में न तो अत्याचार की कोई वारदात और न ही छेड़छाड़ अथवा उत्पीड़न का कोई मामला उनके ध्यान में लाया गया है। परन्तु तथाकथित बलात्कार का एक मामला था किन्तु स्थानीय प्रशासन द्वारा छानबीन करने पर आरोप झूठा पाया गया।

(ग) और (घ): केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को क्षेत्र में विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये तैनात किया जाता है न कि आदिवासियों को यातनायें देने के लिये। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तब ही तैनात किया जाता है जब कुमुक भेजना आवश्यक हो जाता है और राज्य की पुलिस को इसकी जरूरत होती है।

मध्य प्रदेश कपड़ा निगम के अधीन मिलों को हानियां

6602. **श्री हुकम चन्द कछवाय**: क्या **उद्योग** मंत्री अतांराकित प्रश्न सं० 1387 दिनांक 29 नवम्बर, 1978 के उत्तर के बारे में यह बताने की कपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश कपड़ा निगम के अधीन 6 अन्य कपड़ा मिलों में से प्रत्येक मिल को जनवरी, 1976 से नवम्बर, 1978 के दौरान कितनी हानि हुई,

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान जिन विभिन्न पार्टियों और फर्मों को तैयार कपड़ा बेचा गया उनसे अदायगियां प्राप्त न होने के कारण कितनी हानि हुई, और

(ग) उक्त मिलों के कपड़े के उत्पादन में प्रयोग में लाये गये घटिया रसायनों और रंगों एवं रद्दी माल से कपड़े में आये दोषों के कारण कितनी हानि हुई।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जनवरी, 1976 से नवम्बर, 1978 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लिमिटेड के नियंत्रणाधीन 6 अन्य वस्त्र मिलों में से प्रत्येक मिल को निम्न प्रकार हानि हुई:—

(लाख रुपयों में)

मिल का नाम	हानि/लाभ की राशियां अनन्तिम
1. हीरा मिल .	(–) 155.66
2. स्वदेशी काटेन एण्ड फ्लोर मिल्स	(–) 290.74
3. न्यू भोगल टैक्सटाईल मिल्स	(–) 45.77
4. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	(–) 44.75
5. इन्दौर युनाइटेड मिल्स	(–) 595.01
6. कल्याणमाल मिल्स	(–) 319.02

(ख) विभिन्न पार्टियों व फर्मों द्वारा भुगतान न करने/हुण्डियां वापिस कर देने की वजह से इन 6 मिलों को जनवरी, 1976 से नवम्बर, 1978 की अवधि में हुई हानि सम्बन्धी जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है। तथापि, उपर्युक्त कारणों से अप्रैल, 1975 से अप्रैल, 1978 की अवधि में 4,00,111.11 रुपये की हानि हुई थी। (उपर्युक्त हानियों में भुगतान न किये जाने/हुडियां वापिस हो जाने की वजह से कार्यकारी पूंजी में आई कमी के फलस्वरूप हुई हानि जैसी न दिखने वाली हानियां भी शामिल हैं)।

(ग) उपयोग में लाये जाने वाले माल के नमूनों की जांच वास्तविक उपयोग से पूर्व की जाती है तथा घटिया माल का उपयोग नहीं किया जाता है। अतः इसकी वजह से हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय फर्मों द्वारा कपड़े के क्षेत्र में विदेशों में प्राप्त किए गए ठेके

6603 **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी भारतीय फर्मों ने गत डेढ़ वर्ष के दौरान कपड़ों के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अध्यापन तथा परामर्श सेवा प्रदान करने हेतु विदेशों में ठेके प्राप्त किये,

(ख) प्रत्येक द्वारा हत्साक्षरित ठेकों की राशि कितनी है, और

(ग) क्या जहां तक देश में करों के भुगतान का प्रश्न है इन फर्मों का रिकार्ड साफ है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जम्मू व कश्मीर में हथकरघा उद्योग का विकास

6604. **श्रीमती पार्वती देवी**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार जम्मू व काश्मीर में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री: (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) तथा (ख) जी, हां। जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने कनीशाल उद्योग के विकास हेतु एक परियोजना स्थापित करने के लिये प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कार्यकारी पूंजी के अतिरिक्त, तीन वर्ष में 9.43 लाख रु० के अनुमानित व्यय से 100 करघे स्थापित करने की कल्पना है। इसमें सामान्य शैडों में 350 व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे और तीसरे वर्ष के अन्त तक वार्षिक उत्पादन 600 शालों का होगा।

पंजाब में कपास का उत्पादन

6605. **चौधरी बलबीर सिंह**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में बहुत कपास पैदा होती है,

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब क्षेत्र में कोई रूई तथा कताई मिल नहीं है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार का विचार पिछडे जिला होशियारपुर में, उसके उत्थान के लिये, एक मिल खोलने का है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी, हां।

(ख) भटिण्डा में सरकारी क्षेत्र में एक कताई मिल स्थापित की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) होशियारपुर जिले में सरकारी क्षेत्र में रुई कताई मिल स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उस जिले में निजी क्षेत्र में लगभग 50,000 तकुवों वाली पहले से चल रही एक कताई मिल के अलावा संयुक्त क्षेत्र में एक और कताई मिल स्थापित की जा रही है।

भारत उद्योग और वाणिज्य निगम

6607. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **इलेक्ट्रॉनिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत उद्योग और वाणिज्य निगम इलैक्ट्रॉनिक सम्बन्धी वस्तुओं का निर्माण करेगा और उनके क्या उपयोग होंगे;

(ख) इस निगम द्वारा संभवत: कब तक उत्पादन आरम्भ कर दिया जायेगा और प्रारम्भिक चरणों में कौन-कौन सी मदों का उत्पादन होगा;

(ग) इस एकक द्वारा प्रत्यक्षरूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के कितने अवसर प्रदान किये जायेंगे;

(घ) क्या यह एकक अपने उत्पादों का निर्यात भी करेगा और विदेशों में स्थित भारतीय उद्योगों की तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध करायेगा?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) मैसर्स भारत, इण्डस्ट्रीज एण्ड कमर्शियल कारपोरेशन नामक फर्म से इलैक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण के लिये इलैक्ट्रॉनिकी विभाग को न तो लघु उद्योग क्षेत्र में अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में और न ही औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

हरिजनों की वित्तीय स्थिति में सुधार

6608. **श्री जर्नादन पुजारी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान देश में हरिजनों की वित्तीय स्थिति में कहां तक सुधार हुआ हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : देश में हरिजनों की आर्थिक स्थिति में सुधार का जायजा लेने के लिये गहन व विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। इसकी व्यापकता और विशालता के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। योजना आयोग ने पंच-वर्षीय योजना 1978–83 के मसौदे में हरिजनों की आर्थिक स्थिति के बारे में इस प्रकार उल्लेख किया है :—

"गरीबी और असमानता की व्यापकता जो वास्तव में वर्षों से अपरिवर्तित हैं, हमारे समाज में अलाभान्वित दो ग्रुपों अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन की दशा में बहुत ही स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है:·····विकास की प्रक्रिया में उन्हें अभी तक आंशिक रूप से ही शामिल किया गया है·····गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की संख्या सामान्यत: काफी है। उनके पास थोड़ी सम्पत्ति है और आम तौर पर वे बटाईदारी और कृषि मजदूरी पर निर्भर करते हैं।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर के कर्मचारियों का मांग पत्र

6609. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान परमाणु बिजली घर के कर्मचारियों द्वारा पेश किया गया मांग पत्र 5 वर्ष से अधिक समय से सरकार के विचाराधीन है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों ने निकट भविष्य में अपनी मांगें पूरी करवाने के लिये सरकार पर दबाव डालने हेतु अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल प्रारम्भ करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामले में निर्णय लेने के लिये तथा भूख हड़ताल को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क),(ख) तथा (ग) : जी, नहीं। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के कर्मचारियों ने जून, 1977 में एक मांग पत्र दिया था। इस बारे में समझौता वार्ता हुई थी, जो असफल रही। उसके बाद, बिजलीघर में 8 सितम्बर, 1977 से 7 जनवरी, 1978 तक हड़ताल रही। उस हड़ताल के बिना शर्त समाप्त कर दिये जाने पर, यूनियन के नेताओं के साथ वार्ता का क्रम केन्द्रीय श्रम मंत्री के स्तर तक चला। एक मैत्रीपूर्ण समझौते तक पहुंचने की दृष्टि से कर्मचारियों को कुछ रियायतों की पेशकश की गई। तथापि, यूनियन ने वह पेशकश ठुकरा दी। दो कर्मचारियों ने, जो एक ऐसी यूनियन के प्रतिनिधि थे, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, 12 मार्च, 1979 को बारी-बारी से भूख हड़ताल करने की शुरूआत की। उनके अलावा, एक अन्य कर्मचारी ने भी 19 मार्च, 1979 को भूख हड़ताल शुरू की तथा उसे 26 मार्च, 1979 को पुलिस ने वहां से हटा दिया। मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ समझौता वार्ता चल रही है।

कारों, स्कूटरों और टायरों तथा ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि

6610. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1978, तथा 28 फरवरी, 1979 को ट्रैक्टरों, ट्रकों, मोटरकारों, स्कूटरों, साइकिलों तथा ट्यूबों और टायरों के दाम क्या-क्या थे,

(ख) क्या इनके मूल्य घटाने के लिये कोई कार्यवाही की गई,

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इनके मूल्यों को कब तथा कैसे कम किया जायेगा।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) विवरण 1 तथा 2 संलग्न है।

(ख) से (घ) इस समय ट्रैक्टरों, ट्रकों, मोटर कारों स्कूटरों साइकिलों तथा टायरों और ट्यूबों की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। फिर भी सरकार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं।

विवरण-एक

थोक मूल्य सुचकांक में शामिल किये गये परिवहन उपस्करों की कीमतें।

वस्तु	विशिष्टता	विपठान	1-4-1978 को	(कीमत रु० में) 28-2-1979 को
ट्रैक्टर	एम एफ 13-35 डीजल ट्रैक्टर (खुदरा कीमत)	गन्तव्यस्थान तक रेल भाड़ा मुक्त	42966.53	53950.50
ट्रक	(1) अशोक लेलैंड 'कोमट' एल्को 3/1-76" डब्ल्यू० वी० गुडस चैसि	मद्रास में कारखाने से निकलते समय की कीमत	90012.47	97063.56
	(2) टाटा माडल एल पी० 1210ई/52-5195	कारखाने से निकलते समय की कीमत	93021.56	95178.22
कार	(1) स्टैंडर्ड गेज कार	वही	21686.47	कीमत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
	(2) प्रीमियर पद्मनी कार	वही	28477.48	1-1-79 से ताला बन्दी होने के कारण कीमत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
	(3) सफेद किनारा (साइजों) हिन्दुस्तान एम्बेसेडर कार		31056.87	35508.95
स्कूटर	(1) लाम्बी स्कूटर 150 सी सी	बम्बई में कारखाने से निकलते समय का मूल्य	4172.61	4355.88
	(2) बजाज स्कूटर 150 सी सी वेस्पा	कारखाने से निकलते समय का मूल्य	3411.51	4052.59
साईकल	(1) एटलस साईकल	गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त दिल्ली	262.23	287.43
	(2) रेलें 24" (खुदरा कीमत)		358.00	396.00
	(3) हरकुलिस पापुलर ब्लैक टी आई साइकल	गन्तव्यस्थान तक रेल भाड़ा मुक्त	312.28	345.00

विवरण--दो

थोक मूल्य सूचकांक में शामिल किये गये टायरों तथा ट्यूबों की बीजक बनाते समय की कीमतें।

क्रमांक	विशिष्टता के साथ वस्तु	विपणन	इकाई	कीमत रु० में	
1	2	3	4	5	
	टायर	गन्तव्यस्थान तक रेल भाड़ा मुक्त एक		1-4-78 को	28-2-79 को
1.	कार टायर रेयन बी० एस० डब्ल्यू० कोड* 11 डनलप कोर्ट करव 6.70.15--6 प्लाई रेटिंग ब्लैक सी .49	वही	वही	279.73	331.28
2.	5.90--15 ,, ,, सी० .49	वही	वही	228.74	279.22
3.	5.20--14 ,, ,, सी० .49	वही	वही	197.19	241.36
4.	5.60--13 ,, ,, सी० .49	वही	वही	208.23	235.05
	ट्रक टायर रेयन स्टेंडर्ड डेप्थ 5 आर० आई० बी०				
5.	8.25--12 प्लाई रेटिंग एच० डब्ल्यू 115/	वही	वही	1077.43	1304.59
6.	9.00-20 12 पी आर० एच० डब्ल्यू० 115/डब्ल्यू० डब्ल्यू० 105	वही	वही	1370.85	1558.57
7.	साइकिल टायर 28-1/2 डब्ल्यू बो० गोल्ड सील	वही	वही	12.80	43.30
8.	मोटर साइकल टायर 3--25--19.4 प्लाई रेटिंग यूनिवर्सल	वही	वही	112.36	122.46
9.	डनलप टू विलर टायर 50-10 4 प्लाई	वही	वही	73.83	80.80
10.	ट्रैक्टर टायर रियर 11.2-28/102-28 जी० जी० ए० टी 6 प्लाई एक्स 99	वही	वही	893.85	998.09
11.	ट्रक्टर टायर रियर 12.4--28 11/28 जी० जी० टी० आर० ए० टी० एफ० एण्ड आर० 6 प्लाई	वही	वही	1074.39	1232.00
12.	आफ दी हाई वे टायर्स नायलन टायर्स 12.00 24/25/16 प्लाई	वही	वही	3113.99	4065.85
13.	आफ दी हाई वे टायर्स नायलन टायर्स 18.00--24/25/20 प्लाई	वही	वही	9805.74	9805.74

1	2	3	4	5
टयूबें		गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त	एक 1-4-78 को	28.2.78 को
1.	मोटर कार टयूबस 5.90–15 (जी-15)	वही	वही	33.13	37.86
2.	बड़ी ट्रक ट्यूबस 9.00.2 (वाइटाइल)	वही	वही	120.05	140.40
3.	मोटर साईकल ट्यूबस 3.25 से 16	वही	वही	22.73	26.51
4.	टू विलर स्कूटर ट्यूबें 3.50.10	वही	वही	16.41	18.94
5.	साइकल टयूबें हैवी सर्विस	वही	वही	5.00	5.55
6.	" " (रोड स्टार)	वही	वही	5.15	5.70
7.	ट्रक्टर ट्यूबें 12.4.28/11–28 जी० जी० टी० आर० ए० टी० एफ० एण्ड आर०	वही	वही	126.10	145.00
8.	ट्रैक्टर टयूबे 13.6.28(12-28) ए० टी० एफ० एण्ड आर०	वही	वही	175.12	200.00
9.	आफ दी हाई वे टयूबस नायलन 12.00–24/25	वही	वही	217.21	233.44
10.	आफ दी हाई वे टयूबस नायलन 18.00–24/25	वही	वही	653.21	653.21

नियंत्रित कपड़ा योजना पर पुर्नविचार

6611. **श्री के मालान्ना** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नियंत्रित कपड़ा योजना पर पुर्नविचार करने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या स्टैंडर्ड कपड़े में कोई गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं (ख) तथा (ग) मिल क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र में वर्ष 1977-78 के समस्त वर्ष में 4196.3 लाख वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़े के उत्पादन की तुलना में अप्रैल, 1978 से दिसम्बर,

1978 (9 महीने) में लगभग 3376.6 लाख वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ। जनवरी, 1979 से मार्च, 1979 के उत्पादन आंकड़ें अभी उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1978-79 का उत्पादन समय रूप से 1977-78 के उत्पादन स्तर से अधिक रहने की संभावना है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की सूची बनाना

6612. **श्री इस्माइल हुसैन खां:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिवों) की सूची बनाने के लिये सेवा के ग्रेड I के (अवर सचिवों) केवल उन्हीं अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाता है जिनकी गत पांच वर्षों की रिपोर्ट कम से कम "बहुत अच्छा" वर्ग में आती है।

(ख) यदि हां, तो क्या यह कसौटी अन्य सेवाओं के बारे में भी अपनाई जा रही है अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के मामले में ही अपनाई जा रही है;

(ग) क्या जिन अधिकारियों ने अवर सचिव के रूप में काफी अवधि के लिये काम कर लिया है और जो अपने वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुके हैं उनके इस पहलू पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है अथवा उनको विशेष वार्षिक वृद्धियां देकर अथवा विशेष भत्ता देकर उनको क्षतिपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि वे दक्षता और काम में रूचि बनाए रख सकें; और

(घ) क्या ऐसे अधिकारियों को, जिनको अनेक वर्षों से पदोन्नति नहीं दी गई है, छुटी के लिए वेतन की नकद अदायगी, आदि जैसे कुछ सेवानिवृत्ति लाभ देकर समय से पूर्व सेवा से निवृत्त करने का कोई प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क) जी नहीं श्रीमान्। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में रिक्तियां ग्रेड-I के ऐसे स्थायी अधिकारियों को पदोन्नति द्वारा भरनी होती हैं, जिन्होंने उक्त ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो और जिन्हें केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के नियम 12 के उप-नियम 4 तथा उसके अधीन बनाए गए सम्बन्धित विनियमों के अधीन चयन ग्रेड के लिए तैयार की गई प्रवर सूची में शामिल कर लिया गया हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ): केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के पात्र अधिकारियों का चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए चयन गुणवगुण के आधार पर किया जाता है। जिन अधिकारियों को पदोन्नति नहीं दी गई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रिचार्डसन एवं क्रूडास लिमिटेड के कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन

6613. **श्री आर० के० महालगी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की रिचार्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड, बाइकला बम्बई (भारत सरकार का एक उपक्रम) के कर्मचारियों की ओर से दिनांक 20 फरवरी, 1979 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसमें क्या शिकायतें और मागें की गयी हैं; और

(ग) सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा निकट भविष्य में क्या करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड के भायखला आयरन वर्क्स के मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों और चपरासियों ने 7-9-78 से 8-1-79 तक हड़-ताल की थी। हड़ताल की अवधि के दौरान यह देखा गया था कि कुछ कर्मचारी तोड़फोड़ के कार्यों में भाग ले रहे थे और इस प्रकार के कदाचार करने के लिए अन्य हड़ताली कर्म-चारियों को भड़का रहे थे। ऐसे तेरह कर्मचारियों को उनके खिलाफ विभागीय जांच-पड़ताल के पूरा होने तक निलम्बित कर दिया गया था। 20-2-79 के आभ्यावेदन में दो निलम्बित कर्मचारियों ने अनुरोध किया था कि निलम्बन आदेश वापिस ले लिए जाय और उन्हें निलम्बन की अवधि की मंजूरी का भुगतान किया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रबधकों ने इस प्रकार की कार्रवाई कम्पनी के मुलन्द स्थित कारखाने के कर्मचारियों के संबंध में नहीं की थी, जोकि इस अवधि के दौरान हड़ताल पर थे।

(ग) निलम्बित कर्मचारियों द्वारा लिखित में क्षमायाचना प्रस्तुत करने के बाद, जिसमें उन्होंने अपने आचरण के लिए खेद व्यक्त किया था, प्रबंधकों ने निलम्बन आदेश वापिस ले लिए हैं और उन्होंने उनके खिलाफ जांच-पड़ताल भी बन्द कर दी है। इन कर्मचारियों को अपना काम शुरू करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। चूंकि कम्पनी के स्थायी आदेशों में निलम्बन की अवधि के लिए मंजूरी का भुगतान करने की व्यवस्था नहीं है अतः इन कर्मचारियों को उस अवधि की मंजूरी का भुगतान करना कम्पनी के लिए सम्भव नहीं है।

बुलन्द स्थित कारखाने के कर्मचारियों को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया था क्योंकि उनमें से किसी भी कर्मचारी ने हड़ताल के दौरान तोड़फोड़ के या कदाचार के काम नहीं किए थे।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में किसानों के औजारों का जब्त किया जाना

6614. **श्री मनोरंजन भक्त**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में साउथ अण्डमान तहसील के अन्तर्गत मोवाडेरा, तुश्नाबाद पंचायत से सबंधित किसानों के औजारों को सशस्त्र वन रक्षक का उपयोग करने वन अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था :

(ख) क्या यह सच है कि ये कृषक उन्हें अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा आवंटित भूमि पर काम कर रहे थे और यदि हां, तो किसानों को परेशान करने और उनके कृषि औजारों को जब्त करने के क्या कारण हैं और औजारों का ब्यौरा क्या है और उक्त मामले में आगे क्या कार्यवाही हुई; और

(ग) क्या चोलदारी के किसानों से जबकि वे उन्हें आवंटित भूमि पर 10 जनवरी, 1978 को काम कर रहे थे, श्री के० वी० अचैपा, रेंज आफिसर द्वारा कृषि औजारों को इसी प्रकार

जब्त किये जाने के बारे में सरकार को जानकारी है, और यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है और वन विभाग के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अण्डमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार ये किसान उस क्षेत्र के भीतर से वन उपज उठा रहे थे जो वन रिकाडों तथा मानचित्रों के अनुसार संरक्षित वन क्षेत्र था तथा वन अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों के भीतर से वन उपज उठाना निषेध है। उनसे पांच दाह तथा दो काटने वाली कुल्हाड़ियां जब्त की गई थी जो बाद में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा हस्तेक्षप करने पर दे दी गई थी।

(ग) चोलदारी क्षेत्र के किसानों से कृषि औजार जब्त किये गये थे क्योंकि वे संरक्षित क्षेत्र के भीतर से वन ऊपज उठा रहे थे । जब्त किये गये औजार उस समय तक वन विभाग की हिरासत में हैं जब तक कि मामले का फैसला नहीं हो जाता है।

"ट्रिब्यूनल फार गवर्नमेंट एम्प्लाईज" शीर्षक के समाचार

6615. श्री बसन्त साठे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इडियन एक्सप्रैस' दिनांक 21 मार्च, 1979 में "ट्रिब्यून्ल्ज फार गवर्नमेंट एम्प्लाईज" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो जो निर्णय लिये गये कहे जाते हैं अथवा जो विचाराधीन हैं उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? मामले के तथ्य क्या हैं और जिन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है उनके संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है और उनको कार्यान्वित करने के लिए की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) दिनांक 21 मार्च, 1979 के इंडियन एक्सप्रैस में 'ट्रिब्यूनल्ज फार गवर्नमेंट एम्पलाईज' शीर्षक से एक समाचार छपा था।

(ख) सघ के कार्यों के सम्बन्ध में लगे कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक अधिकरण गठित किए जाने के प्रस्ताव के ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

"अब्दुल्ला रेडी फार पार्टीशन आफ स्टेट" शीर्षक से समाचार

6616. श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मार्च, 1979 के 'इडियन एक्सप्रेस' में "अब्दुल्ला रेडी फार पार्टीशन आफ स्टेट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) हमारी सूचना के अनुसार जम्मू व काश्मीर के मुख्य मंत्री ने 21 मार्च, 1979 को विधानसभा में बोलते समय इस आरोप का खंडन किया था कि वे राज्य का बटवारा चाहते हैं।

सरकार, क्षेत्रीय विचारों पर राज्य के विभाजन के लिये किसी सुझाव या प्रस्ताव का विरोध करती है तथा अनुमोदन नहीं करती है।

उड़ीसा में वनस्पति कारखाने की स्थापना

6617. **श्री डी० अभात :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में बोलनमिर जिले के बोलनगिर तथा स्थानों पर एक वनस्पति कारखाना तथा एक कताई मिल स्थापित करने की योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाना तथा मिल कब तक स्थापित हो जायेंगे और इन पर कितनी पूंजी का निवेष करने का विचार है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभापटल पर रख दी जाएगी।

सेंट्रल साइंटिफिक इन्स्ट्रूमट आर्गेनाइजेशन, चंडीगढ़ द्वारा वकील किया जाना

6618. **डा० सरदीश राय :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सेन्ट्रल साइंटिफिक इन्स्ट्रमेंटस आगनाइजेशन, चडीगढ़ ने प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच कुछ औद्योगिक विवादों के मामले में सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) चडीगढ़ और रजिस्ट्रार, ट्रेड यनियन्स, चडीगढ़ के सामने अपना प्रतिनिधित्व कराने के लिये एक वकील किया था ;

(ख) वकील को कितनी फीस दी गई थी और क्या वकील ने दोनों मामलों में प्रबन्धकों का प्रतिनिधित्व किया था : और

(ग) सेन्ट्रल साइंटिफिक इन्स्ट्रमेन्टस आर्गेनाइजेशन के पूर्णकालिक विधि अधिकारी द्वारा यह काम न किये जाने के क्या कारण हैं ताकि खर्च बचाया जा सकता।

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वकील को शुल्क के रूप में रु० 1500/- (एक हजार पांच सौ रुपये केवल) का भुगतान किया गया था। प्रबन्धकों की ओर से दोनों मामलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए

उससे काम लिया गया था। किन्तु सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने वकील को प्रबन्धकों का अपने समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिये आज्ञा प्रदान नहीं की थी।

(ख) सी० एस० आई० आर० में चली आ रही पूर्व प्रथा के अनुसार वकीलों से विभिन्न अदालतों में मामलों को प्रस्तुत करने अथवा बचाव पक्ष में लड़ने के लिये काम में लिया जाता है। प्रस्तुत मामले में श्रम-कानून में अनुभवी वकील की सेवाओं का उपयोग करना आवश्यक समझा गया था और सी० एस० आई० आर० में कार्यरत विधि अधिकारी, जो समस्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं के कानूनी मामलों पर कार्यवाहीं करते हैं, के अतिरिक्त उस वकील को रखा गया था।

स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन बन्द किया जाना

6619. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या गृह मंत्री स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन के बारे में 28 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 के बाद प्रत्येक राज्य में कितने मामलों में स्वाधीनता सेनानियों को दी गई पेंशन सरकार ने बन्द कर दी है ;

(ख) ऐसा करने का क्या कारण है ; और

(ग) इसी अवधि के दौरान कितने अनिर्णीत मामलों में पेंशन देने या न देने का निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ग) 1-4-1977 से 31-3-1979 तक की अवधि में 2028 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है, 1999 मामलों में अस्वीकृत, 2231 मामलों में स्थगित और 550 मामलों में बन्द (रद्द) कर दी गई है। एक राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) निम्नलिखित किसी एक अथवा एक से अधिक आधारों पर पेंशन स्थगित की गई है। बन्द कर दी गई है :—

(i) आवेदक वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी नहीं है।

(ii) यातनाएं छः महीने से कम है।

(iii) यातनाएं स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित नहीं है।

(iv) झूठे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना।

(v) बन्दी बनाए जाने/निष्कासित किए जाने। फरार होने का समर्थन सरकारी अभिलेखों पर आधारित साक्ष्य द्वारा न होना।

(vi) सभी साधनों से वार्षिक आय 5000.00 रु० से अधिक है।

विवरण

1-4-1977 से 31-3-1979 तक की अवधि में उन मामलों की संख्या का राज्यवार विवरण जिनमें पेंशन स्वीकृत, अस्वीकृत, स्थगित और बन्द (रद्द) की गई।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत	अस्वीकृत	स्थगित	बन्द (रद्द)
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	157	286	16	20
2. असम	19	107	—	10
3. बिहार	178	1699	43	44
4. चण्डीगढ़	—	—	1	—
5. दिल्ली	4	20	—	9
6. गोवा	29	25	1	—
7. गुजरात	19	36	8	1
8. हरियाणा	2	32	30	1
9. हिमाचल प्रदेश	2	12	11	1
10. जम्मू व कश्मीर	2	7	4	—
11. केरल	87	495	—	47
12. कर्नाटक	105	365	1241	74
13. मध्य प्रदेश	26	76	—	33
14. महाराष्ट्र	225	437	75	14
15. मणिपुर	—	—	—	7
16. मेघालय	—	—	4	13
17. उड़ीसा	17	35	—	21
18. पांडिचेरी	1	23	—	36
19. पंजाब	29	103	47	15
20. राजस्थान	7	18	16	3
21. तमिलनाडु	52	201	—	36
22. त्रिपुरा	3	77	—	35
23. उत्तर प्रदेश	42	456	402	30
24. पश्चिम बंगाल	551	283	70	93
25. आजाद हिन्द फौज कार्मिक	468	206	312	8
कुल	2028	4999	2281	550

दिल्ली में थाना स्तर की शांति समितियों का गठन

6620. **श्री मही लाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से विभिन्न पुलिस स्टेशनों में थाना स्तर की शांति समितियों के गठन के लिये क्या प्रक्रिया और मानदण्ड अपनाया गया है ;

(ख) इन शांति समितियों के गठन और कृत्यों का ब्यौरा क्या है और ऐसी शांति समितियों का सदस्य बनाने के लिए व्यक्ति की क्या अर्हतायें हैं;

(ग) क्या थाना स्तर की शांति समितियों के सदस्यों की वर्तमान सूची की पुलिस अधिकारियों द्वारा छानबीन की जाती है और किसी विशेष राजनैतिक पार्टी के महानगर पार्षद द्वारा उसे अन्तिम रूप से स्वीकृति दी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो शांति समितियों, जिन्हें पूर्णतः गैर-राजनैतिक संगठन माना जाता है, के उम्मीदवारों की अन्तिम सूची को स्वीकृति देने के लिये केवल एक ही विशेष राजनैतिक दल के सदस्यों को प्राधिकार देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : थाना स्तर की समिति, जिसका अध्यक्ष, क्षेत्र का महानगर पार्षद है, राजधानी में प्रत्येक थाने में कार्य कर रही है। समिति का गठन, इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार किये गये मार्गदर्शी निदेशों (विवरण संलग्न है) के अनुसार किया जाता है।

विवरण

दिल्ली में थाना स्तर की समिति के गठन के सम्बन्ध में मार्गदर्शी निदेश।

1. संघशासित क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक थाने के लिए एक समिति होगी जिसका अध्यक्ष क्षेत्र का महानगर पार्षद होगा। जहां थाने के क्षेत्राधिकार में एक से अधिक महानगर पार्षद हैं तो उन्हें अध्यक्ष के रूप में क्रमावर्तन से प्रत्येक वर्ष के लिये नामांकित किया जायेगा। अध्यक्ष को मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

2. क्षेत्र का पुलिस सहायक आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार के भीतर थाना स्तर की समिति का संयोजक होगा।

3. प्रत्येक समिति में 25 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनमें दो महिलायें होंगी। सदस्यों के नाम अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे। पुलिस आयुक्त तथा अन्य द्वारा सुझाये गये नामों पर भी उनके द्वारा विचार किया जाएगा। उन व्यक्तियों की श्रेणियां निम्नलिखित हैं जिनमें से नामांकन करेंगे:—

   (i) क्षेत्र का नगर निगम पार्षद (पार्षदों) नई दिल्ली नगर पालिका का सदस्य।

   (ii) विख्यात धार्मिक संस्थाओं का प्रधान/सचिव।

   (iii) स्थानीय बाजार संघ का प्रधान/सचिव।

(iv) स्थानीय स्कूल/काजिल का प्रधानाचार्य।

(v) निवासी कल्याण संघ का प्रतिनिधि।

(vi) औद्योगिक श्रमिक का प्रतिनिधि।

आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक श्रेणी से एक या दो सदस्यों से अधिक लेने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु सारी सदस्यता की अधिकतम सीमा 25 होनी चाहिए।

4. उपर्युक्त श्रेणियों से थाना स्तर की समितियों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के नामों के सम्बन्ध में अध्यक्ष का अनुमोदन प्रशासन की समीक्षा पर होगा, जब आवश्यकता होगी।

5. थाना स्तर की समिति की एक महीने में कम से कम एक बार बैठक होगी तथा संयोजक बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड रखेगा तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसकी प्रतियों उप-राज्यपाल, मुख्य कार्यकारी पार्षद, मुख्य सचिव तथा सचिव गृह दिल्ली प्रशासन को प्रेषित करेगा।

6. जिले का पुलिस, उपायुक्त अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर समिति की सभी बैठकों में भाग लेगा।

7. समिति की अवधि एक कलेंडर वर्ष होगी तथा अध्यक्ष/सदस्य पुनः नामांकन के पात्र होंगे।

8. समिति का संयोजक उस वर्ष, जिसके लिये समिति का गठन होना है, के पिछले नवम्बर के महीने तक संबंधित समिति के गठन को अन्तिम रूप देगा।

9. इस समय गठित समिति उस समय तक कार्य करती रहेगी जब तक उनके स्थान पर नई समिति इन मार्गदर्शी निदशों के अनुसार गठित नहीं हो जाती है।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि

6621. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **गृह** मंत्री दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को अप्रैल, 1979 से उनके सामान्य भविष्य निधि के अंशदान के संबंध में पास बुकें जारी करने के बारे में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद के वक्तव्य के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखा नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा वर्ष 1976-77 और 1977-78 के लिये सामान्य भविष्य निधि (जी० पी० एफ०) के अंशदानों के लेखों का विवरण देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि की दर्ज न की गई राशि, जो करोड़ों रुपयों में बैठती है का समायोजन करने के लिये किस हल का सुझाव दिया जा रहा है और इन्हें पास बुकों में किस प्रकार दिखाया जाएगा ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि वर्ष 1976-77 के लिए उनके

कर्मचारियों के बारे में भविष्य निधि लेखों का विवरण जो लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (संगणक कक्ष) द्वारा जारी किये जाने थे, अब तक जारी नहीं किये जा सके क्योंकि दिल्ली में सभी संगणक, जिनमें कार्यक्रम चल सकते हैं, खराब हैं ।

लेखा नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्ष 1977-78 के लिए लेखों के विवरण 31 अक्तूबर, 1979 तक जारी करने की संभावना है ।

(ख) प्रशासन का उन कर्मचारियों के कार्यालयों से जिनकी राशियां दर्ज नहीं की गई हैं, के बारे में आवश्यक समायोजन के लिए अनुषांगिक प्रमाण प्राप्त करने का विचार है तथा इस प्रयोजन के लिए प्रशासन का, संबंधित कार्यालयों में जांच दलों को भेजने का विचार है ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा पास बुक प्रणाली शुरू करने का निर्णय करने के बाद ही पास बुकों में दर्ज न की गई राशियों को दिखाने का प्रश्न उठेगा ।

तदर्थ आधार पर नियुक्त तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित किया जाना

6623. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में तदर्थ कर्मचारियों को वर्षवार (दिसम्बर, 1978 तक) संख्या तथा श्रेणी क्या है ;

(ग) क्या गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 30/10/ई० जी०/1/60 दिनांक 14 दिसम्बर, 1960 में कहा गया है कि ऐसे तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने में कोई आपत्ति नहीं है जिनकी सेवावधि एक वर्ष हो चुकी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी तथा क्या इस आदेश को क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने का है जिनकी सेवावधि एक से तीन वर्ष तक पूरी हो गई है; और

(च) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी पाटिल) : (क) तथा (ख) भर्ती नियमों में यह निर्धारित होता है कि सभी नियुक्तियां नियमित ढंग से की जाएं फिर भी, सेवा की अत्यावश्यकताओं तथा तत्काल आवश्यकताओं के कारण कुछ मामलों में मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वयं ही तदर्थ नियुक्तियों का सहारा लिया जाता है । सरकार ऐसी सूचना मानीटर नहीं करती ।

(ग) तथा (घ) वित्त मंत्रालय से (न कि गृह मंत्रालय से) जारी किए गए दिनांक 14 दिसम्बर, 1960 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 30/10/ई० जी० 1/60 का संबंध क्रमिक पुनरीक्षाओं के बाद अस्थायी

पदों को स्थायी पदों में बदले जाने से है और इसमें तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं और नियमित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ङ) तथा (च) नियुक्तियां केवल निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार की जा सकती हैं। नियमित नियुक्तियां करते समय तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति भी अपने नामों पर अन्य पात्र व्यक्तियों के साथ-साथ विचार कराए जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे भर्ती नियमों में निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों।

(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 4281/79)

निर्धनों की प्रति व्यक्ति आय

6624. **श्री बी० सी० काम्बले :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 85 प्रतिशत भारतीय जनता नितांत बेसहारा और निर्धन है ;

(ख) जनता के यह वर्ग किस-किस सामाजिक समूह के हैं ;

(ग) जनता के उपरोक्त तीनों वर्गों में प्रत्येक वर्ग की प्रति व्यक्ति आय क्या है; और

(घ) सरकार ने इन वर्गों की मुसीबतों को समाप्त करने के लिए क्या विशेष योजनायें बनाई हैं और प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) जी, नहीं। 1978–83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को तैयार करने में योजना आयोग द्वारा अपनाए गए मानक के अनुसार 1977-78 में निराश्रितों सहित गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत 46.33 था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में यह कहा गया था कि जनसंख्या के सबसे अधिक गरीब 10 प्रतिशत लोगों में अधिकांशत: निराश्रित, विकलांग व्यक्ति और अन्य हैं जो आर्थिक कार्यकलाप में अधिक भाग नहीं ले सकते।

(ख) गरीबी के स्तर से नीचे की जनसंख्या के सामाजिक गठन के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि जैसा कि 1978–83 की योजना के प्रारूप में बताया गया है, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां जनसंख्या के सबसे गरीब वर्गों में से है। गरीबों में सर्वाधिक बहुसंख्या भूमिहीन मजदूरों और मझौले किसानों की है। जिन ग्रामीण दस्तकारों के परंपरागत रोजगार उत्तरोत्तर समाप्त हो गए हैं वे इन समूहों में सम्मिलित हैं।

(ग) लोगों की इन श्रेणियों, अर्थात् निराश्रित, गरीब और 'इतने गरीब नहीं' की प्रति व्यक्ति आय के ठीक-ठीक अनुपात उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) अब अपनाई गई विकास कार्यनीति का मुख्य बल एक दशक में गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी करने पर है। इसलिए योजना के प्रारूप (1978-83) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सिंचाई तथा ग्राम और कुटीर उद्योगों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है, जिनमें बेशी श्रमिकों को काम पर लगाने की सबसे अधिक क्षमता है। विस्तारित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है जिससे कि कुछ मूल सुविधाओं की व्यवस्था के जरिए गरीबों के जीवन-स्तर को उन्नत करने में सीधे सहायता की जा सके।

योजना में गरीबों की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उसमें पिछड़े वर्गों के लिए धनराशि की व्यवस्था को सामान्य विकास कार्यक्रमों में एकीकृत करने का प्रस्ताव है जिससे कि इन्हें प्रभावी रूप म कार्यान्वित किया जा सके। उसमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष उप-योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र आयोजना के लिए खंडों का चयन इस तरह से किया जाता है कि वे पिछड़े वर्गों, खेतिहार मजदूरों तथा छोटे और मझौले किसानों के अनुकूल हों।

राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में अंत्योदय योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें सबसे अधिक गरीब लोगों और निराश्रितों की गरीबी को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष प्रयत्न किया गया है।

विसकोस रेशे के अनियंत्रित आयात से रूई उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना

6625. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से विसकोस रेशे के अनियंत्रित आयात से देश के रूई उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो रूई उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1976-77 के कपास मौसम में देश में कपास की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जनवरी, 1977 में सूती वस्त्र मिलों के लिए उनके कुल रेशे की खपत का कम से कम 10 प्रतिशत तक गैर सूती धागे का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है तथा इस प्रयोजन हेतु मानव निर्मित धागों के आयातों को उदार बनाने की अनुमति दी गई थी। (1978-79) के चालू मौसम के दौरान कपास की अनुकूल स्थिति को देखते हुए सरकार ने विसकोस स्टेपल रेशे पर आयात कर लगा दिया है तथा जनवरी, 1979 से स्वदेशी विसकोस स्टेपल फाइबर पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया है एवं फरवरी, 1979 में उक्त कानूनी शर्त भी वापस ले ली है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां

6626. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान इम्पीरियल आर्मी के जनरल फुजीवाड़ा जिसके पास नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां हैं, के भारत सरकार को विधिवत ढंग से सौंप देने सम्बन्धी सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या टोक्यो के निकट रेणुकोजी शराइन के चीफ मोंक मातसुसकी के साथ, जिसकी निगरानी में अस्थियों वाला कलश पड़ा है, इस प्रयोजन के लिये सम्पर्क किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार को अस्थियों का कलश कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के सम्बन्ध में दो जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों की सत्यता पर व्यक्त किए गए संदेह को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि पहले के निष्कर्ष निर्णायक हैं। अतः जनरल फुजीवाड़ा के सुझाव पर इस समय कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और संसद् सदस्यों पर सम्मेलन

6627. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और दिल्ली के संसद सदस्यों का एक उच्च स्तरीय सम्मेलन हाल में उन्होंने आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि राजधानी में कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति के बारे में उक्त सम्मेलन में उन्होंने असन्तोष व्यक्त किया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं और उक्त सम्मेलन में इस बारे में किन उपायों का सुझाव दिया गया था ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख), (ग) और (घ) जी हां, श्रीमान । गृह मंत्री द्वारा 16-3-1979 को दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी । कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

दिल्ली में पुलिस संगठन ने अपनी दक्षता और कार्यकरण में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और उठा रहा है । इनमें पश्चिम दिल्ली नामक एक नए पुलिस जिले का बनाना, 8 नए थाने और 12 पुलिस चौकियों की स्थापना, सी० आर० पी० बटालियनों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 करना, सी० आर० पी० और होम गार्डस की सहायता से गश्त बढ़ाना, बदमाशों (1-8-1978 और 5-3-1979 के बीच 233 व्यक्तियों को निष्कासित किया गया है) के विरुद्ध विशेष अभियान शुरू करना और महत्वपूर्ण मामलों से निपटने और आसूचना पद्धति में सुधार के लिए एक विशेष केन्द्रीकृत दस्ते की स्थापना करना शामिल है । पुलिस आयुक्त अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निकट सम्पर्क रखते हैं और नगर के विभिन्न भागों में स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए उनसे मिलते हैं । उपराज्यपाल भी समय-समय पर स्थिति का पुनरीक्षण करते हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 4282/79]

रेशम उत्पादन उद्योग का विकास

6628. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश मे रेशम उत्पादन उद्योग के व्यापक विकास के लिये निश्चित कार्यक्रम तैयार किये हैं, यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश मे कितने रेशम अनुसंधान केन्द्र चल रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के शहतूत वाले तथा बिना शहतूत वाले पिछड़े क्षेत्रों में रेशम का उत्पादन के विकास को प्रोत्साहन देने का है, यदि हां तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने निम्नलिखित उद्देश्यों से छठी पंचवर्षीय योजनावधि में देश में रेशम उद्योग का विकास करने हेतु कार्यक्रम बनाए हैं :—

(1) देश में कच्चे रेशम का उत्पादन दुगुना करके 75 लाख किलोग्राम तक पहुंचा देना,

(2) रेशमी वस्तुओं के निर्यात को तिगुना करके 100 करोड़ रुपए वार्षिक तक पहुंचाना,

(3) 10 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना।

(ख) इस समय कोई नहीं।

(ग) छठी योजनावधि में मध्य प्रदेश में रेशम के विकास हेतु बनाए गए कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) टसर रेशम के उत्पादन की 51,000 किलोग्राम से 2,34,000 किलोग्राम तक बढ़ाने हेतु 92 टसर उत्पादन केन्द्रों एवं कुछ उत्पादन-सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

(2) मलबरी की खेती के क्षेत्र को बढ़ाकर 1000 एकड़ करना और मलबरी कच्चे रेशम का उत्पादन 20,000 किलोग्राम तक पहुंचाना।

(3) 3700 परिवारों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना।

विम्को मैच फैक्ट्री के श्रमिकों की ओर से अभ्यावेदन

6629. **प्रो० समर गुह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विम्को मैच फैक्टरी के श्रमिकों ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें उन्होंने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि यदि माचिस पर बढ़े हुए उत्पादन शुल्क में कमी नहीं की गई तो इस कम्पनी के पांच कारखाने बन्द हो जाएंगे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) विम्को द्वारा माचिसों के उत्पादन पर करों में कमी करने के बारे में सरकार को दिये गये ज्ञापन तथा की गई विभिन्न अपीलों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :(क), (ख) तथा (ग) विम्को मैच फैक्ट्री के कामगारों ने सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने इस बात की आशंका व्यक्त की कि यदि मशीनी क्षेत्र में उत्पादित माचिसों पर बढ़ा हुआ उत्पादन शुल्क नहीं घटाया गया तो इस कम्पनी की कुछ इकाईयों के बंद होने तथा बड़ी संख्या में इसके कामगारों की छंटनी होने की सम्भावना है। वर्ष 1979-80 के बजट प्रस्तावों में घोषित शुल्क की दरें सरकार के सजग निर्णय पर आधारित हैं और इससे सामान्य रूप से गैर-मशीनी क्षेत्र तथा विशेष रूप में कुटीर एककों के विकास को बढ़ाये जाने की संभावना है। यह आशा की जाती है कि करों के अन्तराल से विम्को को अपनी गतिविधियों का विविधिकरण करने हेतु योजनाओं को शीघ्र तैयार करने की ओर अपनी दयताओं को सन्धोरित करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। इस प्रकार के विविधीकरण तक विम्को द्वारा बढ़े हुए उत्पादन शुल्क के अधिकांश भाग को विलय करना सम्भव होना चाहिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम (संशोधित) के उपबंधों के अनुसार 300 व्यक्तियों से अधिक को रोजगार प्रदान करने वाली इकाईयों को किसी प्रकार की छंटनी करने से पूर्व सरकार की समुचित अनुमति लेनी होगी।

माण्डवी तथा सोनगढ़, गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों की परियोजनाओं पर व्यय

6630. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गुजरात में माण्डवी तथा सोनगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में परियोजनाओं पर जून, 1978 तक किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) (योजनावार) कितनी धनराशि खर्च की गई है और आदिवासी कृषि श्रमिकों के लिये योजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) उक्त योजना के लिये चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार का कितनी सहायता देने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना विवरण में दी गई है ।

(ग) गुजरात में वर्ष 1979-80 के लिए जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए 4.86 करोड़ रुपए की अस्थाई धनराशि निर्धारित की गई है ।

विवरण

खर्च की गई धनराशि (29 मार्च, 1978 को राज्य सरकार द्वारा यथा सूचित) और गुजरात के सोनगढ़ और माण्डवी क्षेत्रों की योजनाओं के ब्यौरों का विवरण :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	खर्च की गई राशि
1.	सोनगढ (जिला सूरत)	49,06,714
2.	माण्डवी (जिला सूरत)	95,90,154

धनराशि निम्नलिखित कार्यक्रमों पर खर्च की गई थी :

1. कृषि
2. भूमि सुधार
3. लघु सिंचाई
4. भूमि तथा जल संरक्षण
5. क्षेत्र विकास
6. डेरी विकास
7. पशु पालन
8. मत्स्य उद्योग
9. वन
10. कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाओं में निवेश
11. सामुदायिक विकास
    (क) सामान्य (पंचायतें)
    (ख) सामुदायिक विकास
    (ग) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम

12. सहकारिता
13. सिंचाई
14. विद्युत
15. बाढ़ नियंत्रण
16. उद्योग
17. ग्रामीण और लघु उद्योग
18. खनन और धातु उद्योग
19. पत्तन प्रकाश गृह और नौवहन
20. सड़कें तथा पुल
21. सड़क यातायात
22. पर्यटन
23. कला और संस्कृति सहित केन्द्रीय शिक्षा
24. तकनीकी शिक्षा
25. चिकित्सा लोक स्वास्थ्य और सफाई
26. मल व्यवस्था और जल पूर्ति
27. आवास
28. शहरी विकास
29. सूचना और प्रचार
30. श्रम तथा श्रम कल्याण
31. समाज कल्याण (मद्य-निषध)
32. पोषण
33. विकास केन्द्र
34. जन जातीय क्षेत्र उप योजना के लिये प्रशासनिक तंत्र
35. तालुक स्थानों पर आवासीय क्वार्टरस ।

कपड़ा मशीनरी निर्माण उद्योग

6631. **डा० पी० वी० पेरियासामी:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मशीनरी निर्माण उद्योग में 250 करोड़ रुपये की अनुज्ञप्त क्षमता तथा 230 करोड़ रुपये की अधिष्ठापित क्षमता में से चालू वर्ष के दौरान केवल 100 करोड़ रुपये का उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कपड़ा मशीनरी निर्माण उद्योग की उत्पादकता को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क), (ख) तथा (ग) कपड़ा उद्योग से मांग कम होने के कारण कपड़ा मशीनरी उद्योग की क्षमता का पर्याप्त उपयोग नहीं हुआ है। इस उद्योग को उत्पादन बढ़ाने, आधुनिकरण तथा नये प्रकार की मशीनों के निर्माण में विविधीकरण करने तथा निर्यात के लिये भी सुविधाएं दी गई हैं। 1978 में लगभग 120 करोड़ रुपये की कपड़ा मशीनों का उत्पादन हुआ जोकि 1977 के उत्पादन का 42% से अधिक है। उत्पादन की वर्तमान प्रणाली विशेषत: 1979 की अंतिम तिमाही के आधार पर यह आशा की जाती है कि 1979 में 150 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन होगा।

ईरान द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के कर्मचारियों की सेवाओं के लिए अनुरोध

6632. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान सरकार ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के इंजीनियरों को और कुशल कर्मचारियों की सेवाओं के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने इंजीनियरों की सेवाओं के लिये अनुरोध किया गया है और उन्हें कब तक भेजा जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां

(ख) ईरान सरकार के एक उद्यम ईरान ट्रांस्फो ने बी० एच० ई० एल० के इंजीनियरों और कुशल कर्मचारियों की सेवाओं के लिये अनुरोध किया था। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार जनवरी, 1979 से जून, 1979 तक दलों में 16 इंजीनियर ईरान पहुंचने थे परन्तु तेहरान में भारतीय दूतावास की सलाह पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

तमिलनाडु में खोई का उपयोग करने वाले एक कागज मिल का स्थापित किया जाना

6633. क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोई के उपयोग से कागज बनाने के काम को प्रोत्साहन देने के लिये क्या नीति अपनाई जाती है और खोई के उपयोग से कितनी मात्रा में कागज पहले ही बनाया जा रहा है,

(ख) क्या तमिलनाडु में खोई का उपयोग करने वाली ऐसी कागज मिलें चलाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित मिलों के नाम क्या हैं और वे कहां कहां पर स्थापित की जायेगी।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) कागज बनाने में खोई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक नीति परक अभ्युपायों पर निर्णय लिया है जिसमें संस्थागत सहायता, प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए कम से कम 75 प्रतिशत खोई से छपाई तथा लिखाई का कागज बनाने पर उत्पादन शुल्क से छूट और रेलवे द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कोयला लाने ले जाने आदि के लिए ऐसी योजनाओं पर विचार करने में प्राथमिकता देना शामिल है।

(ख) तथा (ग) सेलम जिले (तमिलनाडु) में खोई को मुख्य कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके 83,000 मी० टन/प्रतिवर्ष अखबारी कागज बनाने तथा 17000 मी० टन प्रतिवर्ष छपाई तथा लिखाई का कागज बनाने हेतु एक नया एकक स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्ति के लिए तमिलनाडु सरकार से हाल ही में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

इन्पुट्स के वितरण में कदाचार

6634. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "इनपुटस" के वितरण के कदाचार, बहुएजेंसी दृष्टिकोण में असफलता तथा समन्वय के अभाव की जानकारी है जिससे ग्रामीण औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए किस कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) ग्रामीण औद्योगिक विकास का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार को निवेशों के वितरण के हुए कदाचार के बारे में कोई जानकारी या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ग्रामीण औद्योगिक विकास के कार्य में लगे हुए विभिन्न अभिकरणों में निकट समन्वय स्थापित करके बहु-अभिकरण प्रणाली का तरीका व ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न अभिकरणों में कम समन्वय होने से सम्बन्धित समस्याओं पर काबू पाया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण कामगरों की सहायता के बारे में जिला उद्योग केन्द्रों व एकीकृत ग्रामीण विकास खण्डों के बीच परस्पर कार्रवाई करने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए हैं। केन्द्रीय स्तर पर विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के अभिकरणों की एक समन्वय समिति स्थापित कर दी गई है तथा जिसकी बैठकें समान कार्य क्रम वाले अनेक अभिकरणों के क्रियाकलापों व सम्बन्धी की समीक्षा करने हेतु नियमित रूप से होती है। सुपरिभाषित जिला कार्यवाई योजना के अधीन लघु उद्यमियों व ग्रामीण कामगरों को सहायता व समर्थन प्रदान करने हेतु अन्तर अभिकरण प्रयासों में समन्वय स्थापित करने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों को एक प्रशासनिक तन्त्र का रूप देने की अवधारणा है।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना

6635. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य स्तरीय निगमों के माध्यम से पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिले तथा पिछड़े क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए एक योजना आरम्भ करने का विचार कर रही है,

(ख) क्या केन्द्र को राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध अथवा सुझाव प्राप्त हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित एककों का ब्यौरा क्या है और योजना को क्रियान्वित करने के बारे में समय सीमा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने पंचवर्षीय योजना (1978-83) के मसौदे में विभिन्न राज्य स्तरीय निगमों के माध्यम से पहाड़ी/पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल इन्फीस्ट्रक्यट डेवलपमेंट कारपोरेशन ने कल्याणी तथा हल्दिया में विकास केन्द्रों का विस्तार करने तथा सिलिगुड़ी में एक नए केन्द्र का विकास करने का प्रस्ताव किया है।

वेस्ट बंगाल शुगर इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन ने अहमदपुर शुगर मिल्स (बीरभूम जिला) की क्षमता में 690 टी० सी० डी० से 1250 टी० सी० डी० तक विस्तार करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया है।

वेस्ट बंगाल टी डेवलपमैंट कारपोरेशन का विचार अन्य के पहाड़ी क्षेत्रों में नए बागों का विकास करने तथा 18 बाग खरीद कर अपनी गतिविधियों का विस्तार करने का है।

कल्याणी स्पिनिंग मिल्स का विचार आधुनिकीकरण करने के अतिरिक्त पश्चिमी दीनापुर में 25,000 तकुओं की क्षमता वाली एक कताई मिल की स्थापना करने का है।

वेस्ट बंगाल मिनटल डेवलपमैंट एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन इस समय पुरुलिया/बोकुरा में चीनी मिट्टी के कच्चे माल के कम्प्लैक्स तथा भोजलाना सीमेंट की एक परियोजना के लिए नई योजनाएं बनाने का कार्य कर रहा है।

दार्जिलिंग स्थित विभागीय कुनैन कारखाने का आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है तथा बाकरेश्वर में थरमल स्प्रिंग वाटर को बोतलों में भरने के लिए परियोजना पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) : राज्य सरकार के सुझाव पंचवर्षीय योजना के मसौदे के प्रस्तावों में दिए गए हैं जिन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम का आधुनिकीकरण करने पर व्यय

6636. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम का आधुनिकीकरण करने पर बड़ी राशि खर्च करने का विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ग) सरकारी क्षेत्र पर, उसके आधुनिकीकरण और विकास के लिए, अगले वर्ष कितनी राशि व्यय की जायेगी ; और

(घ) सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या विशेष कदम उठाना चाहती है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपने द्वारा संचालित वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए

250 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है, जिसे छठी पंच वार्षिक योजना की समाप्ति तक कार्यान्वित किया जाना है। इस धनराशि में से 1.30 करोड़ रुपये की लागत के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ग) वर्ष 1979-80 के वित्तीय वर्ष में अपने एककों का आधुनिकीकरण तथा विकास करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम का 42 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है।

(घ) इन मिलों के कार्यों में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं तथा/अथवा उठाये जा रहे हैं :–

(1) मशीनरी का आधुनिकीकरण/नवीनीकरण।

(2) केन्द्रीय आधार पर कच्चे माल की अधिक मात्रा में खरीदारी करना।

(3) सुधारी हुई विपणन नीति।

(4) कार्यभार तथा श्रमिक बल का औचित्य स्थापना करना।

(5) भारी हानि वाली मिलों का तकनीकी–आर्थिक सर्वेक्षण करना।

गैर-नियंत्रित कपड़े के मूल्य कम करना

6637. **श्री एम० एम० गोविन्दन नायर :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गैर-नियंत्रित कपड़े के मूल्य कम करने के लिए सूती कपड़ा उद्योग से ठोस प्रस्ताव देने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) जी, हां।

(ख) उद्योग ने निम्नलिखित तीन विकल्पों के साथ जवाब भेजा है :–

(1) दिसम्बर, 1978 के कपड़े के मूल्यों के स्तर को पुनः लाना;
अथवा

(2) सूती कपड़ों के 16 मार्च, 1979 से पहले के मूल्य स्तर पर मूल्य नियंत्रण करना,
अथवा

(3) सूती कपड़ों के मिल से निकलते समय के मूल्यों में 16 मार्च, 1979 से पहले विद्यमान बीजक दरों में दो प्रतिशत तक की कमी करना।

सरकार को इनमें से कोई भी विकल्प मान्य नहीं है। इस समय सरकार एककों को मूल्य उचित स्तर पर लाने के लिए बाध्य करने सम्बन्धी अभ्युपायों पर विचार कर रही है।

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का विरोध

6638. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किए जाने का बड़े व्यापार गृहों ने विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के प्रस्ताव के विरोध में प्रस्तुत बड़े व्यापार गृहों की दलीलों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकार ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है । यह स्वभाविक है कि जिन बड़े व्यवसायिक घरानों पर इन प्रस्तावों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वे इन प्रस्तावों का विरोध करेंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छठी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देना

6639. **श्री के० गोपाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा;

(ख) योजना को अन्तिम रूप दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं हालांकि इसके कार्यान्वयन का एक वर्ष व्यतीत भी हो चुका है; और

(ग) क्या योजना को अन्तिम रूप दिए जाने में एक रुकावट संसाधन जुटाने की समस्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुरहमान) : (क) से (ग) : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया 1978-83 के लिए पंचवर्षीय योजना का प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्मुख मार्च, 1978 में प्रस्तुत किया गया था। परिषद ने इस योजना के प्रारूप में प्रस्तावित उद्देश्यों और कार्यनीति को स्वीकार किया और यह सिफारिश की कि सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार के निर्णय और राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता के वितरण के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में किए जाने वाले निर्णयों को ध्यान में रखते हुए योजना को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। ये अभ्यास पूरे हो चुके हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा फरवरी, 1979 के अन्त में अनुमोदित किए गए हैं। योजना को अन्तिम रूप देने का कार्य चल रहा है। इसलिए योजना को अन्तिम रूप देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है; और न ही उस पर संसाधनों के जुटाए जाने में किन्हीं कठिनाइयों के कारण प्रभाव पड़ा है।

एक पृथक भूमि प्रलेख निकाला जाना

6640. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केवल पर्वतीय तथा पिछड़े राज्यों के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं के विचार से एक पृथक भूमि प्रलेख निकालने का कोई प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस उद्देश्य से किसी पिछड़े और पर्वतीय राज्य ने योजना आयोग से अनुरोध किया है, यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलु रहमान) : (क) और (ख) : 'भूमि दस्तावेज' का अर्थ स्पष्ट नहीं है। संभवतः प्रश्न वास्तव में 'योजना दस्तावेज' से सम्बन्धित है। ऐसा कोई दस्तावेज निकालने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय योजना में विभिन्न राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम दिय गए हैं। जिन राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र आते हैं उन राज्यों की योजनाओं में वहां के पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए धनराशि की व्यवस्था अलग से की जाती है, और इन स्कीमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता निर्धारित कर दी जाती है। पहाड़ी और पिछड़े राज्यों के लिए अलग योजना दस्तावेज प्रकाशित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(घ) किसी भी राज्य ने इस प्रकार के अलग योजना दस्तावेज के लिए सुझाव नहीं दिया है।

तिहाड़ जेल में सुविधाएं

6641. श्री हरि विष्णु कामत : क्या गृह मंत्री 13 दिस्मबर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3662 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिहाड़ जेल में अत्यन्त भीड़भाड़, स्वास्थ्य के लिये हानीकारक परिस्थितियां दूर करने तथा गन्दगी हटाने के लिये क्या उपाय किये गयें हैं ; और

(ख) बावेजा जांच आयोग द्वारा बताये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डो० पाटिल) : (क) से (ख), दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि केन्द्रीय जेल तिहाड़ में अधिक भीड़भाड़ को दूर करने की दृष्टि से 11 अप्रैल, 1978 को 500 विचारणाधीन बन्दियों की क्षमता की एक कैम्प जेल आरम्भ की गई थी। इसी प्रकार सात विशेष जेलें जिसमें प्रत्येक की क्षमता 500 है स्थापित की गई है समस्या का दीर्घावधि समाधान करने के लिए दो जिला जेलों एक शाहदरा में और दूसरी हैदर पुर में, के निर्माण करने का एक प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। अस्वच्छता और अस्वस्थयकर परिस्थितयों को दूर करने के लिये एक नई मल-व्यवस्था लाइन पहले ही डाल दी गई है। कपड़ों और विस्तरों को असंक्रामक करने के लिये रोगाणुनाशक संयत्र लगाया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जल पूर्ति, एक और ट्यूबवैल लगाकर, बढ़ा दी गई है। केन्द्रीय जेल में रोगी क़ैदियों के लिये चार डाक्टरों समेत 28 बिस्तरों का एक अस्पताल है। गम्भीर और आपातकालीन मामले लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल को भेजे जाते है और इन रोगियों को भेजने के लिये एक जेल वैन की व्यवस्था है।

वावेजा जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर, 1975 को केन्द्रीय जेल में लाठी चार्ज के लिये 7 अधिकारी उत्तरदायी पाये गये थे। इनमें से तीन विभिन्न राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर थे। उन को उनके राज्यों को वापिस भेज दिया गया है और उनके सम्बन्ध में आरोप पत्र सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं। शेष 4 अधिकारियों के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुशासनात्म कार्रवाईयां आरम्भ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन ने तत्कालीन उप-महानिरीक्षक जेल जिसके आचरण के विरुद्ध वावेजा आयोग ने कुछ टिप्पणियां की थी, के विरुद्ध विभागीय कार्रवाईयां आरम्भ करने का निर्णय किया है।

असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को जारी किए गए लाइसेंस

6642. श्री वेदव्रत बरूआ : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो पुरे वर्षो के दौरान नये औद्योगिक उद्यमों के लिए कितने लाइसेंस और आशयपत्र जारी किये गये!

(ख) इन लाइसेंन्सों और आशयपत्रों में से कितने मामलों में स्थलों का निश्चित रुप से उल्लेख किया गया था और राज्यवार उनकी स्वीकृति दी गई थी ;

(ग) असम और पुर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने लाइसेंस और आशय-पत्र जारी किये गये है; और

(घ) असम के लिए प्रस्तावित उन औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लिये लाइसेंस और आशय-पत्र जारी किये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये वर्ष 1977 में 211 आशय पत्र तथा 141 औद्योगिक लाइसेंस और वर्ष 1978 में 206 आशयपत्र एवं 93 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

(ख) नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लियें वर्ष 1977 तथा 1978 में जरूरी किये गयें प्रत्येक आशय पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस में राज्यवार स्थापना स्थल साफ तौर से दर्शाया गया है।

(ग) असम में नये उपक्रम स्थापित करने के लिये वर्ष 1977 में एक आशय तथा 2 औद्योगिक लाइसेंस और वर्ष 1978 में 3 आशय पत्र तथा 1 औद्योगिक लाइसेस जारी किया गया था इसी प्रकार उत्तर पुर्वी क्षेत्रों में नये उपक्रम स्थापित करने के लिये वर्ष 1977 में 3 आशय पत्र और 2 औद्योगिक लाइसेंस तथा वर्ष 1978 में 3 आशय पत्र और एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

(घ) असम में उपक्रम स्थापित करने के लियें गत 2 वर्षों में जारी किये गये आशय पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस रसायन उद्योग वनस्पति, चमड़े का सामान, इमारती लकड़ी उत्पादन तथा कागज उत्पादों सहित कागज एवं लुगदी से संबंधित वस्तुओं को बनाने के बारे में है।

परियोजनाओं के लिए जनजातीय व्यक्तियों की भूमि का अभिग्रहण

6643. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में बहुत से बड़े उद्योगों और निर्माण परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं परन्तु जनजातीय लोगों को इनसे लाभ नहीं पहुंचा है ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी आई है कि बहुत से मामलों में जनजातीय लोगों की अच्छी कृषि भूमि का परियोजनाओं के लिये अभिग्रहण किया गया परन्तु विस्थापित जनजातीय व्यक्तियों को कोई वैकल्पिक स्थान नहीं दिया गया ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसे विस्थापित जनजातीय व्यक्तियों के हितों के संरक्षण के लिये क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है कि भावी परियोजनाओं के लिये यदि जनजातीय लोगों की जमीन का अभिग्रहण किया जाये तो उनका उचित पुनर्वास किया जाये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सरकार को मालूम है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को जनजाति क्षेत्रों में स्थापित हुए बड़े उद्योगों तथा परियोजनाओं के निर्माण से अधिक लाभ नहीं पहुंचा है ।

(ख) उसके अतिरिक्त सरकार को यह भी मालूम है कि जनजातियों की उत्तम कृषि भूमि अभिगृहीत की गई थी और उसके बदले में उनके पुनर्वास हेतु वैकल्पिक भूमि नहीं दी गई ।

(ग) केन्द्र ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि जहां कहीं जनजातियों की भूमि ली गई है, वहां उनके पुनर्वास के लिये विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आरम्भ किये जाने चाहियें ।

(घ) ऐसे मार्गदर्शी निदेश जारी किये गये हैं कि उन सभी क्षेत्रों में जहां मध्यम दर्जे के और बड़े उद्योग स्थापित किये गये हैं अथवा आगामी पांच या दस वर्षों में स्थापित करने की संभावना है उनका पता लगाया जाये और उनके विकास के लिये विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किये जायें और कार्यान्वित किये जायें । उसके अतिरिक्त जनजातियों के व्यक्तियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिये अग्रिम कार्रवाई की जाये ताकि उन्हें उन परियोजनाओं में नियुक्त किया जा सके ।

बिहार के जिला भागलपुर में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

6644. **डा० रामजी सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला भागलपुर के कितने स्वतंत्रता सेनानियों को इस समय पेंशन प्राप्त हो रही है और कितनों की पेंशन रोक दी गई है ; और

(ख) क्या बिहार राज्य का गृह विभाग ऐसे मामलों में स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन पत्र, केन्द्र को भेजने अथवा सिफारिश करने में अत्याधिक विलम्ब करता है जिनमें स्पष्टीकरण अपेक्षित होता है और स्पष्टीकरण न मिलने पर केन्द्र को इस बारे में उसे वायरलेस द्वारा जानकारी मांगनी पड़ती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) बिहार के जिला भागलपुर में अब तक स्वतंत्रता सेनानियों के 2564 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है। इनमें से, आगे और जांच होने तक 48 मामलों में पेंशन स्थगित कर दी गई है, 26 मामलों में पेंशन राज्य सरकार द्वारा आवश्यक जांच करने के बाद अंतिम रूप से रद्द कर दी गई है।

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिय बिहार से आवेदन पत्रों की संख्या 47,000 से अधिक हो चुकी है तथा लगभग 12,000 मामलों को पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य और/या राज्य सरकार की विशिष्टि सिफारिश के अभाव में अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजने में निःसन्देह कुछ विलम्ब हुआ है संभवतः इसलिये कि उन्हें हजारों मामलों में जिला प्राधिकारियों से उनकी जांच करवाई गई हो, रिपोर्टों को सामान्य पत्र व्यवहार तथा वायरलैस संदेशों के जरिये सांवधिक अनुस्मारक भेजकर शीघ्र प्राप्त करने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

दिल्ली पुलिस कर्मचारियों का पदोन्नति संबंधी मामला

6645. **श्री सी० आर० महाटा**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस के उन कर्मचारियों के पदोन्नति मामले की स्थिति का पता किया है जिनकी पदोन्नतियां उच्चतम न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले संख्या 86/73 राज्य बनाम विजयपाल के संबंध में दिये गये निर्णय के कारण रुकी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क) और (ख): सरकार ने इस संबंध में स्थिति का पता किया है। आपराधिक मामला संख्या 86/73 राज्य बनाम विजयपाल के संबंध में दिए गए निर्णय के कारण दिल्ली पुलिस के किसी कर्मचारी की कोई पदोन्नति नहीं रुकी हुई है।

उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

6646. **श्री एस० एस० सोमानी**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में ब्यौरा क्या है जो इस समय उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई हैं; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है कि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कम से कम अव्यवस्था हो और वर्तमान रोजगार पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) इसकी जानकारी केन्द्रित रूप में उद्योग मंत्रालय में नहीं रखी जाती है। तथापि, 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली उन विदेशी कंपनियों की, सूची जो कुछेक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, विवरण में दी गई है।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि यहां संदर्भ 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के समक्ष रखी गई सरकार की औद्योगिक नीति से है जिसमें यह प्रावधान है कि जहां बड़े एकक उन वस्तुओं का उत्पादन पहले से कर रहे है जो लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित हैं वहां इन वस्तुओं की कुल क्षमता में इन बड़े एककों के अंश को धीरे-धीरे कम किया जायेगा तथा लघु एवं कुटीर क्षेत्र के अंश को बढ़ाया जायेगा इस नीति के अनुरूप कुछ उपभोक्ता वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उत्पादकों के साथ एक ऐसी कार्रवाई योजना बनाने के लिये वार्ता शुरू की गई है जिससे संगठित क्षेत्र लघु क्षेत्र के हित में अपनी उत्पादन संबंधी गतिविधियां त्याग दे और साथ ही यह सुनिश्चित करे कि इन उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कम से कम अव्यवस्था होती है तथा विद्यमान रोजगार पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ता है।

विवरण

उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी भागीदारी वाली कंपनियों की सूची:—

क्र० सं०	कंपनी का नाम	उत्पादन की वस्तु
(1)	(2)	(3)
1.	मै० ब्रुक बांड इंडिया लि०	चाय, समुद्री खाद्य पदार्थ आदि
2.	मै० लिप्टन टी इण्डिया लि०	चाय
3.	मै० डनलप इण्डिया लि०	साइकल टायर तथा ट्यूब
4.	मै० गुडइयर इण्डिया लि०	—वही—
5.	मै० सीट टायर्स आफ इण्डिया लि०	—वही—
6.	मै० हिन्दुस्तान लीवर लि०	साबुन, टूथपेस्ट आदि
7.	मै० सीबा गैजी आफ इण्डिया लि०	टूथपेस्ट, शृंगार-प्रसाधन आदि
8.	मै० हिन्दुस्तान भितकफूड मैन्यू० लि०	—वही—
9.	मै० ज्योफ्री मेनर्स एण्ड कं० लि०	—वही—
10.	मै० ब्रुरफ्स वैलकम एण्ड कं० (ई०) प्रा०लि०	शृंगार, प्रसाधन सामग्री आदि
11.	मै० ग्लेक्सों लेबोरेटरीज	शृंगार सामग्री खाद्य वस्तुएं आदि
12.	मै० जान्सन एण्ड जान्सन० लि०	शृंगार और प्रसाधान सामग्री
13.	मै० कैडवरी फ्राई (इ०) लि०	चाकलेट कन्फेन्सरी आदि
14.	मै० कार्न प्रोडक्ट्स कं० (इ०) लि०	खाद्य वस्तुएं
15.	मै० गोडफ्रे फिलिप्स (इ०) लि०	सिगरेट
16.	मै० शालीमार पेंट्स लि०	रोगन, इनेमल्स आदि
17.	मै० अल्काली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	—वही—

1	2	3
18.	मै० यूनियन कारबाईड इण्डिया लि०	फ्लेश लाइट केसेस, ड्राई सेल्स
19.	मै० इलैक्ट्रिक लैम्प मैन्यु (इ) प्रा० लि०	इलैक्ट्रिक लैम्प, मिनिएचर लैम्प।
20.	मै० फिलिप्स इण्डिया लि०	—वही—
21.	मै० पोलीदोर इण्डिया लि०	ग्रामोफोन रिकार्ड आदि
22.	मै०जी०ई०सी० इण्डिया लि०	बिजली के पंखे
23.	मै० हुगली इंक क० लि०	स्याही आदि
24.	मै० ट्यूब इन्वेस्टमैंट्स आफ इण्डिया लि०	साइकल और उसके पुर्जे
25.	संसार मशीन्स लि०	सिलाई की मशीनें

टिप्पणी:—इस सूची में वे कंपनियां भी शामिल हैं जिनकी अपनी विदेशी भागीदारी 40 प्रतिशत तक की स्वीकृत सीमा तक कम करने की अपनी योजनाएं हैं।

अविकसित क्षेत्रों की समस्याओं का सर्वेक्षण

6648. **श्री एस० आर० रेड्डी:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अविकसित क्षेत्रों की समस्याओं के सर्वेक्षण और अध्ययन तथा मामले में विभिन्न राज्य सरकारों और जनप्रतिनिधियों के विचार जानने के लिये सरकार ने कोई समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलरहमान): (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई है, जिसके विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:—

(1) वर्तमान नीति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त परिभाषाओं में निहित पिछड़ेपन की विभिन्न संकल्पनाओं की सुसंगति की जांच करना और उन मापदंडों की सिफारिश करना जिनके आधार पर पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(2) निम्नलिखित के कार्यकरण की समीक्षा करना:

(क) पिछड़े क्षेत्रों को सामान्य विकासात्मक समस्यायों को हल करने के लिए जनजातीय उप-योजनाओं, पहाड़ी क्षेत्रों की योजनाओं, आदि जसी वर्तमान योजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा करना; और

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रियायती वित्त निवेश सहायता, परिवहन सहायता, बिक्री कर की रियायतों आदि के लिये स्कीमों जैसी वर्तमान स्कीमों के कार्यकरण की समीक्षा करने,

सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम जैसी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ऐसी ही स्कीमों के कार्यकरण की समीक्षा करना, और गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने के लिए सामान्य उपायों की समीक्षा करना जिससे कि पिछड़ेपन को दूर करने में उनकी प्रभाविकारिता का पता लगाया जा सके; और

(3) पिछड़े क्षेत्रों की समस्या को प्रभावी रुप में हल करने के लिए उपयुक्त कार्यनीति या कार्यनीतियों की सिफारिश करना और यदि आवश्यक हो तो उनको क्षेत्रों के अनुसार, कारणों के अनुसार या निर्धारित उपायों के अनुसार वर्गीकृत किया जाए।

विभिन्न प्रकार की मोटर साईकलों के निर्माण के लिए एस्कोर्ट्स द्वारा जापान की यामहा फर्म के साथ सहयोग

6649. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्ततः मोटर वाहन उद्योग क्षेत्र में विदेशी सहयोग के लिये अनुमति देना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या ऐसे पहले सहयोग की अनुमति 'एस्कोर्टस' की विश्व विख्यात जापानी फर्म यामहा के साथ मिल कर विभिन्न प्रकार की मोटर साइकलों के निर्माण के लिये दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में सहयोग के लिये अनुमति देने के क्या कारण हैं विशेषतया जबकि देश में ही तत्संबंधी तकनीकी जानकारी सुगमता से उपलब्ध है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) विदेशी सहयोगी द्वारा विशेषतः ईंधन क्षमता, बेहतर कार्य, निर्यात जनित्रण, सामग्री परिरक्षण इत्यादि के संबंध में दी गई प्रोन्नत प्रौद्योगिकी तथा उन्नयन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मैरिट के आधार पर विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है।

(ख) तथा (ग) एस्कोर्टस का मोटर साइकिल इंजन के उन्नयन के लिए जापान के यामहा मोटर कम्पनी लिमिटेड को एक मुश्त भुगतान करने की अनुमति दी गई है। यह राशि 3,12,000 अमरीकन डालर है, जिसमें से देय भारतीय कर कम कर दिये जाएंगे। यामहा के साथ प्रबंध को 1977 में मंजूर किया गया था। मोटरगाड़ी उद्योग क्षेत्र में पहले भी विदेशी सहयोग मंजूर किये गये हैं।

(घ) इस मामले में एक मुश्त भुगतान करने से बढ़ी हुई क्षमता कम ईंधन खपत के साथ पर्याप्त सामग्री परिरक्षण के लिए मोटर गाड़ी इंजन को उन्नत बनाया जा सकेगा। इससे नये आकार के इंजन में सम्पूर्ण अंतग्रथिम मोटर साइकिल का भार विद्यमान मोटर साइकिलों की तुलना में काफी कम होगा। निर्यात बाजार में उत्पाद की प्रतियोगिता में भी सुधार होगा।

स्टैण्डर्ड कपड़े का उत्पादन

6650. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में स्टेन्डर्ड कपड़े का राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) चालू वर्ष में बड़े तथा हथकरघा क्षेत्रों में स्टेन्डर्ड कपड़े के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या वर्ष 1977-78 में स्टेन्डर्ड कपड़े के उत्पादन में कोई कमी आयी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रदी जायेगी।

(ख) चालू वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर, 1978) में कंट्रौल के कपड़े का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

	उत्पादन दस लाख मीटर में
मिल क्षेत्र	249.00
हथकरघा क्षेत्र	88.66
योग	337.66

(ग) जी, नहीं।

आयोडीन युक्त नमक की खपत

6651. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तरी बंगाल के लोगों द्वारा केवल आयोडीन युक्त नमक ही प्रयोग में लाया जाता है।

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर बंगाल के लोगों की खपत के लिए आयोडीन युक्त नमक अन्य स्थानों से लाया जाता है चूंकि उस क्षेत्र में इसका कोई उद्योग नहीं है। और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार उत्तरी बंगाल में आयोडीन नमक कारखाना लगाने का है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क), (ख) तथा (ग) उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, पश्चिमी दीनाजपुर, कूच बिहार तथा माल्दा जिलों को जिन्हें गतगंड रोग से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है हावड़ा में अधिष्ठापित किए गए चार आयोडाईजेशन संयंत्रों से आयोडीकृत नमक का संभरण किया जाता है। चूंकि नमक का आयात कलकत्ता के समुद्री रास्ते से किया जाता है, अतः हावड़ा में इन आयोडाईजशन संयंत्रों की स्थापना करने से आयोडाईजेशन के लिए सामान्य नमक का पर्याप्त तथा नियमित सम्भरण

तथा देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के मलेगंड रोग से प्रभावित क्षेत्रों को आयोडीकृत नमक भेजने की सुविधाएं प्रदान करने का सुनिश्चिय हो जाता है। केवल स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए ही उत्तरी बंगाल में आयोडाईजेशन संयंत्र की स्थापना करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पदोन्नति के लिए गोपनीय रिपोर्ट के मानदंड

6652. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को गोपनीय रिपोर्ट बिना किसी आधार के खराब कर दी जाती है तथा कभी-कभी अनु० जा० तथा अनु० जन जा० के कर्मचारियों को बहुत ही छोटी गलतियों को बताने वाला पत्र जारी कर दिए जाते हैं जबकि सामान्य व्यक्तियों को ऐसी ही या बड़ी गलतियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है ;

(ख) ऐसी असमानता दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) सरकार ऐसी नियम बनायेगी जिससे अनु० जा० तथा अनु० जन० जा० के व्यक्तियों को उंचे पदों पर पदोन्नति के लिए विचार करने हेतु गोपनीय रिपोर्टों को ही एकमात्र मानदंड न माना जाये ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की ऐसी स्थितियों की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नियम पहले से ही विद्यमान हैं, जिनके अधीन पदोन्नति के कतिपय वर्गों के लिए गोपनीय रिपोर्ट में दिए गए पिछले कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन मात्र के अलावा, अन्य पद्धतियां तथा मानदण्ड, जैसे-विभागीय परीक्षा, साक्षात्कार आदि का सहारा सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए लिया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए समूह 'क' श्रेणी-) की निम्नतम सीढी (रंग) तक चयन द्वारा पदोन्नति में, और सभी वर्गों के पदों में वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था है और उनके लिए उपयुक्तता तथा मूल्यांकन के शिथिल मानदंड लागू होते हैं—चाहे पदोन्नति की पद्धति, कुछ भी हो, चाहे वह वरिष्ठता हो, अथवा गोपनीय रिपोर्ट, सीमित परीक्षा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से चयन हो।

एम० एच० डी० विद्युत् उत्पादन

6653. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० एच० डी० विद्युत उत्पादन (निम्न तामान तापीय प्लाजमा के माध्यम से विद्युत) के संबंध में कोई अनुसन्धान किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्रालय में और परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिक्स विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस कार्यक्रम के पहले चरण में कुछ सहायक प्रयोगशालाओं तथा 5 मेगावाट (तापीय क्षमता के एक अनुसंधान एवं विकास-कार्य संयंत्र की स्थापना की जा रही है जो कि संभवतः सन् 1982 तक काम करने लगेंगे । इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधान और विकास-कार्यों का परिणाम उसके बाद ही सामने आ सकेगा।

संसद सदस्यों, विधायकों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए बजाज और प्रिया स्कूटरों की बुकिंग

6654. श्री दया राम शाक्य: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिरक्षा कर्मचारियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों की प्राथमिकता के आधार पर प्रिया और बजाज स्कूटरों की सप्लाई करने हेतु उनके लिए बुकिंग की व्यवस्था की गई थी और विधायकों तथा संसद सदस्यों ने अनेक वर्षों से इन स्कूटरों के लिए बुकिंग करा रखी थी तथा क्या उन्हें बुकिंग के आधार पर यह स्कूटर नहीं दिए जा रहे हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार विक्रेताओं को निदेश देगी कि जिनके नाम बुकिंग हो गई है, उन्हें स्कूटर दिए जाएं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) स्कूटरों के वितरण तथा बिक्री पर लगा कानूनी नियंत्रण, जो आखीर में बजाज और प्रिया मेक के स्कूटरों पर लागू था, 1 जनवरी, 1978 से समाप्त कर दिया गया है, ताकि देश में मांगों को कारगर ढंग से पूरा करने हेतु सारे स्कूटर उद्योग की प्रत्युत्तरदायिता और विकास को बढावा मिल सके। बजाज तथा प्रिया मेक के कूटरों का कोई विशेष कोटा किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को आवंटन करने के लिए अब उपलब्ध नहीं है। अनेक दूसरे मेक के स्कूटर उपलब्ध हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्मित स्कूटर भी शामिल हैं। बजाज-प्रिया मेक के स्कूटरों के लिए मांग की पूर्ति अन्य मेक के स्कूटरों, यदि ग्राहक ऐसा चाहे, से की जा सकती है, जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम—स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, द्वारा निर्मित स्कूटर भी शामिल हैं।

कपड़ा मिलों और छपाई कारखानों का बन्द होना

6655. श्री दौलत राम सारण: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी कपड़ा मिलें और कपड़े की छपाई और रंगाई के कितने कारखाने बन्द पड़े हैं तथा कब से बन्द पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं?;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए तथा उन्हें रोजगार दिलाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की कितनी हानि हुई है तथा इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई है;

(घ) सरकार तथा बैंकों ने उनमें कितनी कितनी पूंजी लगाई है तथा इस पूंजी की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ङ) उक्त मिलों के मालिकों तथा निदेशकों ने भी इन मिलों और कारखानों को चलाने में उन्हें हो रही कठिनाईयों को हल करने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिये थे, तथा क्या इस मामले में कोई कार्यवाही न किये जाने पर मिलों को बन्द करना पड़ा।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी साबुन कारखाना बंगलौर को बकरी के मांस की चर्बी का आबंटन

6656. **श्री के० लकप्पा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी साबुन कारखाना बंगलौर को बकरी के मांस की चर्बी का जो कि साबुन के निर्माण में एक आवश्यक अवयव है आबंटन करना बन्द कर दिया है और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार को पता है कि बकरी के मांस की चर्बी की सप्लाई रोक देने का कारखाने के उत्पादन के प्रतिकूल प्रभाव होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) यह नीति है कि संगठित क्षेत्र में एकक जिनके पास हाईड्रोजनीकरण (हाइड्रोग्रोजनेशन) सुविधायें नहीं हैं, उनको इस प्रकार की सुविधायें जल्दी ही स्थापित करनी चाहिए। इस प्रकार की सुविधाओं की शेष स्थापना के लिए, भेड़ की चर्बी का आयात करने के लिए किए गए अनुरोधों पर सरकार विचार कर रही है।

गवर्नमेंट सोप फैक्टरी, बंगलौर हाइड्रोजनीकरण सुविधाओं से रहित एक एकक है तथा इसे ऐसी सुविधायें शीघ्र स्थापित करने के लिए कहा गया है। इस एकक को 1977 तक भेड़ की चर्बी आयात करने हेतु तदर्थ आबंटन किए गये थे। 1978-79 की लाइसेंस अवधि के लिए आयातित भेड़ की चर्बी के आबंटन का प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

लाइसेंस जारी करना

6657. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छः महीनों में सरकार ने कितने लाइसेंस और आशयपत्र जारी किये हैं; और (ख) किन मदों के लिए लाइसेंस और आशय पत्र जारी किये थे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) गत 6 महीनों में अर्थात् 1 सितम्बर, 1978 से 28 फरवरी, 1979 तक उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत कुल 226 आशय पत्र तथा 192 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

(ख) आशयपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस अनुसूचित उद्योगों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं अर्थात् धातुकर्मी उद्योग, विद्युत उपस्कर, परिवहन, औद्योगिक मशीनरी, मशीन टूल्स, रसायन, वस्त्र, कागज व लुगदी के लिए जारी किये गए थे, जिनमें कागज उत्पाद, चीनी, खाद्य परिशोधन

वनस्पति तेल तथा वनस्पति चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं, चीनी मिट्टी का सामान, सीमेंट, इमारती लकड़ी का उत्पाद, आदि भी शामिल हैं। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जारी किये गए इन आशयपत्रों व औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा, जिसम पार्टी का नाम, उत्पादन की वस्तु, क्षमता, एकक का स्थापना स्थल भी शामिल होता है, "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट [लाइसेंस एण्ड इन्डस्ट्रिल लाइसेंस" तथा भारतीय निवेश केन्द्र (इण्डियन इन्वेस्टमेन्टसेन्टर)द्वारा प्रकाशित" मंथली न्यूज लैटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

पुर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करने वाले गैर-भारत-मलक लोगों को पहचान-पत्र जारी करना

6658. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा: क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगला देश वासियों (भूतपूर्व बंगला/पूर्वी पाकिस्तान), नेपाल वासियों तथा अन्य गैर भारत मूलक लोगों के लिये एक राष्ट्रिकता पूंजी तैयार करने तथा उन्हें पहचान पत्र जारी किये जाने के लिए कोई प्रस्ताव हुआ है ताकि पूर्वोत्तर परिषद् के राज्यों में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर परिषद् के राज्यों के सभी निवासियों की राष्ट्रीयता का सुनिश्चिय करने के लिये कोई विशेष जनगणना कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जिला उद्योग केन्द्रों के प्रबन्धकों की नियुक्ति

6659. **श्री कुमारी अनन्तन: क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने जिला उद्योग केन्द्रों के प्रबन्धकों को कोई सांविधिक शक्तियां दिये बिना उनकी नियुक्तियां के औचित्य पर आपत्ति व्यक्त की थी क्योंकि शक्तियों के अभाव में वे जिला उद्योग केन्द्रों के वित्तीय कार्यों का प्रभावशाली ढंग से निष्पादन करने तथा उन्हें महत्वपूर्ण सहायता देने में समर्थ नहीं होंगे;

(छ) क्या यह सच है कि इस योजना के विकास एजेंसियों की बहुतायत होगी तथा ग्रामीण उद्योग विभाग में अनावश्यक भ्रम उत्पन्न होगा;

(ग) क्या इस योजना में आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए उच्चस्तरीय मंत्रालयीय कार्यकारी दल नियुक्त किया गया- है, और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त कार्य कारी दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने तक जिला उद्योग केन्द्रों पर हो रहा व्यय व्यर्थ जा रहा है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। लघु उद्यमियों को प्रभावी सहायता व समर्थन देने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों को समर्थ बनाने की दृष्टि से सभी राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित शक्तियों की एक अनुसूची परिचालित की गई है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों पर प्रभागामी रूप से शक्तियों का प्रत्यायोजन कर रही हैं।

(ख) जी, नहीं। जिला उद्योग केन्द्रों को, लघु तथा ग्रामीण उद्योग की स्थापना के लिए कठिनाईयां दूर करने तथा विभिन्न गतिविधियों व अन्तर अभिकरण आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रशासनिक तन्त्र समझा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुछ वस्तुओं का उत्पादन लघु क्षेत्र के एककों के लिये सुरक्षित करना

6660. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय साबुन, टूथपेस्ट, माचिस,चमड़े के जूते और स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का निर्माण लघु क्षेत्र के एककों के लिए सुरक्षित रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है,

(ख) क्या यह सच है कि वस्त्रोद्योग में भी धोती, तौलिया और आम उपयोग की ऐसी ही वस्तुओं को पावरलूम और हैण्डलुम सेक्टर में सुरक्षित रखा जाना चाहिए, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) कपड़े धोने के साबुन, टूथपेस्ट, सेफटी माचिस तथा चमड़े के जूतों का उत्पादन विकास के लिए केवल लघु क्षेत्र में पहले ही आरक्षित कर दिया गया है। स्टेनलैस स्टील के बर्तनों को अभी तक आरक्षित नहीं किया गया है। आरक्षित वस्तुओं की सरकार द्वारा संवीक्षा की जाती है ताकि लघु क्षेत्र में बनाये जा सकने वाले नये उत्पादों व नई प्रक्रियाओं का पता लगने पर ऐसी वस्तुओं की सूची में निरन्तर विस्तार किया जा सके।

(ख) और (ग) औद्योगिक नीति विवरण के पैरा 14 में यह स्पष्ट किया गया है कि जनता की वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं खादी सहित हथकरघा क्षेत्र जो वस्त्रों के उत्पादन में लगे अनेक लोगों को रोजगार देता है। सरकार संगठित तथा विद्युत्करघा क्षेत्र की बुनाई क्षमता में किसी प्रकार की विस्तार करने की अनुमति नहीं देगी।

रूई के मूल्य में कमी के बारे में जांच

6661. श्री बालासाहेब विच्चो पाटिल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूई के मूल्य में कमी के बारे में जबकि कपड़े के मूल्य में वृद्धि हुई है कोई जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि सम्पूर्ण कपड़ा उद्योग तथा बिचौलिये उपभोक्ताओं को हानि पहुंचा कर अतिरिक्त लाभ न कमाएं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) यद्यपि कोई भी औपचारिक जांच नहीं की गई है, फिर भी, यह पाया गया है कि फरवरी, 1978 और फरवरी 1979 की अवधि के दौरान सूती वस्त्रों के थोक मूल्यों में 2.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है, जबकि रूई के थोक मूल्यों में 9.4 प्रतिशत कमी हुई है । सूती कपड़े के मूल्यों में हुई उक्त वृद्धि 1975, 1976 तथा 1977 ने तीन वर्षों में कपड़े की मांग में कमी समाप्त हो जाने तथा कपड़ा बनाने में काम आने वाली अन्य निविष्टियों की लागत में वृद्धि के कारण हुई है। रूई के मूल्य में जो कमी हुई है उससे ऐसा नहीं प्रतीत होता कि इस उत्पन्न कमी से वस्त्र उद्योग अथवा बिचौलियों द्वारा कोई अतिरिक्त धन कमाया गया हो। हालांकि सूती वस्त्र उद्योग के साथ मूल्य स्थिति पर विचार विमर्श किया गया था जिन्हें सूती कपड़े के मूल्यों में कमी करने के लिए कदम उठाने को कहा गया है ।

मेसर्स पौरिट्स एण्ड स्पेन्सर (एशिया) लिमिटेड

6662. श्री अनन्त दवे : क्या **उद्योग** मंत्री मैसर्स पोरिटस एण्ड स्पैन्सर (एशिया) लिमिटेड, फरीदाबाद के बारे में 16 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4147 में मांगी गई जानकारी देने की कृपा करेंगे?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : मैसर्स पौरिटस एण्ड स्पेन्सर (एशिया) लि० फरीदाबाद के बारे में 16 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4147 के लिये मांगी गई सूचना इस प्रकार है :—

(क) और (ख) मैसर्स पारिट्स एण्ड स्पेंसर (एशिया) लि० को उसकी मूल विदेशी कम्पनी के सहयोग से फैल्ट बनाने वाले एक एकक की स्थापना करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था सरकार द्वारा अप्रैल, 1968 में अनुमोदित सहयोग करार में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्था की गई थी:—

(*i*) फरीदाबाद (हरियाणा राज्य) में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 2.5 करोड़ रुपये होगी जिसमें बराबरी के दस दस रुपये के इक्विटी शेयरों की प्रारम्भिक चुकता पूंजी एक करोड़ रुपये होगी।

(*ii*) एक करोड़ रुपये की प्रारम्भिक चुकता पूंजी का 60 प्रतिशत मैसर्स पारिटस एण्ड स्पेंसर, ग्रेटब्रिटेन को अलाट किया जायगा जिसमें से तकनीकी जानकार की सप्लाई के लिये 10 लाख रुपये की चुकता पूंजी शेयर अलाट किये जायेंगे तथा शेष 50 लाख रुपये के शेयर पूंजीगत उपकरणों की सप्लाई के लिये अलाट किये जायेंगे भारतीयों की इक्विटी पूंजी धारिता 60 प्रतिशत से अधिक नही होगी।

(*iii*) विदेशी सहयोगी को रायल्टी देने की कोई अनुमति नहीं होगी। फर्म को 44,08,300 रुपये मूल्य के संयंत्र एवं मशीनों पर आयात करने के लिये

26 अगस्त, 1968 को एक आयात लाइसेंस दिया गया था। अधिकांश भाग पुरानी मशीनों के आयात के लिये था । बाद में, जुलाई, 1971 में आयात लाइसेंस के मूल्य को बढ़ाकर 47,98,300 रुपये कर दिया गया था।

(ग) जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है विदेशी सहयोगी के लिये पूंजीगत उपकरणों के आयात के स्थान पर 50 लाख रुपये की शेयर पूंजी अलाट की गई थी। इस इक्विटी से संबंधित लाभांश की वापिसी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन 1973 जिसका प्रशासन आर्थिक कार्य विभाग करता है, के उपबन्धों के अन्तर्गत अधिशासित होगी ।

मोम लघु उद्योग, कोट कपूर पंजाब में संकट

6663. **श्री बलवन्त सिंह रामवालिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग क्षेत्र में मोम के निर्माताओं को पंजाब में विशेष रूप में कोट कपूर में संकट का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) क्या कोट कपूर के व्यापारियों के पास मोम के परमिट तो हैं परन्तु उन्हें अब तक एक किलोग्राम मोम भी नहीं मिला है, और

(ग) क्या मोम प्राप्त करने की तारीखें भी दो तीन बार समाप्त हो चुकी हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) देश भर में एककों की आवश्यकताओं के मुकाबिले मांग की पूर्ति की सामान्य तौर पर कमी रही है।

(ख) पंजाब के निदेशक उद्योग के जानकारी में कोई विशिष्ट मामला नहीं आया है।

(ग) मोम के नये बिक्री मूल्य के निर्धारण और अन्तिम रूप देने तक के लिये फरवरी, 1979 के प्रथम सप्ताह में जारी किये गये सभी परमिटों की वैधता अवधि को डीलरों के स्टाक फ्रीज को ध्यान में रखते हुए पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा उनके परिपत्र सं० 19023 दिनांक 31 जनवरी, 1979 के अन्तर्गत केवल एक बार बढ़ाई गई थी। मार्च, 1979 के प्रथम सप्ताह में से, भारत पैट्रोलियम से संशोधित दरों की सूचना मिलने पर परमिटों की वैधता को तदनुसार 25 मार्च तक के लिये बढ़ा दिया गया था।

भारत का मानचित्र

6664. **श्री लालजी भाई**: क्या **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत का मानचित्र सर्वप्रथम कब तैयार किया गया था, और

(ख) इसे कब पुनरीक्षित किया गया था और क्या सभी त्रुटियां दूर कर दी गई है?

रक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) भारतीय सर्वेक्षण में भारत का पहला मानचित्र 1881 में तैयार किया गया था।

(ख) भारतीय सर्वेक्षण भारत के मानचित्र में निरन्तर संशोधन करता रहा है, नवीनतम संस्करण, जिसे छठा संस्करण कहा जाता है, 1972 में प्रकाशित किया गया था।

रोड मैप आफ इण्डिया (भारत का सड़क मानचित्र) (छठा संस्करण) और रेलवे मप आफ इण्डिया (भारत का रेल मानचित्र) (नवा संस्करण) का प्रकाशन 1977 में किया गया।

एक मानचित्र, सर्वेक्षण के समय में विद्यमान सांस्कृतिक (मानव निर्मित) विवरण और भौतिक विशेषताओं को चित्रित करता है। प्रत्येक अनुवर्ती सर्वेक्षण से मानचित्रों की परिशुद्धता और सूचना अन्तर्वस्तु में निरन्तर सुधार किया जा रहा है।

मोटर वाहन उद्योग एकक

6665. श्री गणनाथ प्रधान: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में मोटर वाहन उद्योग के कारखानों की संख्या कितनी है और उनमें से प्रत्येक कारखाने की निर्माण क्षमता कितनी है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): देश में वाहन बनाने वाले उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	एकक का नाम	1-4-1979 को अधिष्ठापित क्षमता (नग)
	क. वाणिज्यिक वाहन	
1.	मै० टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई-पूना	36,000
2.	मै० अशोक लेलैंड लिमिटेड, मद्रास	13,000
3.	मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तरपारा (पश्चिम बंगाल)	15,000
4.	मै० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई	6,000
5.	मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, बम्बई	3,000
6.	मै० बजाज टैम्पो लिमिटेड, पूना	8,000
7.	मै० स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास	3,000
	ख. जीप	
1.	मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, बम्बई	13,000
	ग. यात्री कार	
1.	मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तरपारा (पश्चिम बंगाल)	30,00
2.	मै० प्रीमियर आटोमोबाइल लिमिटेड, बम्बई	18,000
3.	मै० स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास	34,000
4.	मै० सनराइज आटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर	1,000

जूट भण्डार का उपयोग

6666. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रति वर्ष बहुतायत से उत्पन्न होने वाले जूट स्टाक का उपयोग करने की कोई योजना है जो उपयोग न किये जाने से बरबाद हो जाता है,

(ख) यदि हां, तो देश में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में जूट का उत्पादन होता है,

(ग) कितने जूट का उपयोग नहीं होता है, और

(घ) उपयोग न किये जाने का क्या कारण है,

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) जूट का सामान्य वार्षिक उत्पादन 30 लाख मी० टन होने का अनुमान है। इस समय जूट का अधिकतर उपयोग ईंधन तथा छप्पर छाने और बाड़ा बनाने के कामों में किया जाता है। जूट प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान प्रयोगशालाओं में जूट स्टाक का औद्योगिक कार्यों के लिये उपयोग करने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए अनुसन्धान कार्य कर रही है तथा उन्होंने सूचित किया है कि वे पहले से ही एक वर्ष के सहयोग से जूट से पार्टीकल बोर्ड का उत्पादन कर रही है। मैसर्स इंडिया पेपर एण्ड पल्प लि० तथा कागज बनाने वाली कुछ छोटी मिलें अन्य कच्ची सामग्री के साथ-साथ जूट का भी उपयोग कर रही हैं किन्तु, इस तरह से प्रयोग लायी जा रही जूट की सही-सही मात्रा के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अन्य बातों के साथ साथ औद्योगिक कार्यों के लिये जो जूट का इस्तेमाल करने में जो रुकावटें आती हैं उसके मुख्य कारण जूट को इकट्ठा करने, परिवहन, भण्डारण तथा इसके साल भर उपलब्ध न होने के बारे में है?

आसूचना ब्यूरो के उप निदेशक की संयुक्त निदेशक के रूप में पदोनति

6667. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या आसूचना ब्यूरो के एक उप निदेशक को, उनसे वरिष्ठ सात अन्य अधिकारियों का अतिलंघन करके संयुक्त निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने एक कनिष्ठ अधिकारी को उनसे वरिष्ठ अधिकारियों का अतिलंघन करके किन परिस्थितियों में पदोन्नीत किया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोरापुट जिले को पहाड़ी तथा दूरस्थ क्षेत्र घोषित करना

6668. **श्री बैरागी जैना :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि कोरापुट जिले के देश का एक पहाड़ी तथा दूरस्थ क्षेत्र घोषित किया जाये ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : योजना आयोग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सीमेंट ना उठाए जाने के कारण सीमेंट कारखानों को हानि

6669. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कारखानों को, सीमेंट के न उठाये जाने के कारण तथा फलस्वरूप भण्डारण क्षमता पूरी हो जाने के कारण अपना उत्पादन कम करना पड़ा था ।

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के नाम क्या है तथा गत नौ महीनों के दौरान प्रत्येक कारखाने को प्रतिमास कुल कितने टन सीमेंट का उत्पादन कम हुआ, और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि भण्डारण क्षमता की कमी के कारण सीमेंट कारखानों को उत्पादन कम न करना पड़े, और उक्त कार्यवाही के क्या फल निकलें,

(घ) क्या सरकार ऐसे सीमेंट कारखाने को, जिन्हें उत्पादन की हानि हो रही है, उन व्यक्तियों अथवा व्यापारियों को सीमेंट बेचने की अनुमति देने का है जो पूरी मात्रा में कारखाने से सीमेंट तुरन्त उठाने को तैयार हैं ताकि पूरा उत्पादन करने हेतु पर्याप्त भण्डारण क्षमता पैदा हो सके, और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यवाही को कैसे क्रियान्वित किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) और (ख) कुछ सीमेंट उत्पादक एककों ने वर्ष 1978–79 में बताया था कि रेल वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धि तथा ढुलाई पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण उनके सीमेंट के खत्ते भरे रहे गये थे व इसके परिणामस्वरूप उत्पादन प्रभावित हुआ था । चूंकि अन्य अनेक कारकों यथा विद्युत प्रतिबन्ध, कोयले की कमी श्रमिक विवाद आदि के कारण क्षमता के उपयोग पर भी असर पड़ा था खत्तों के भरे रह जाने के कारण ही सीमेंट की मात्रा की हानि निश्चित कर पाना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) सरकार ने सीमेंट की सड़क द्वारा ढुलाई करने के लिये गाड़ी भाड़े की प्रतिपूर्ति हेतु नियमों को उदार बनाने, तथा राज्य सरकारों को जिनके क्षेत्राधिकार में संबंधित उत्पादन एकक स्थित होना है उसे अपने एकक में खत्तों के भरे हुए होने की स्थिति में तुरन्त ही सीमेंट उठा लेने के लिये ये आम अनुमति देने सहित अनेक कदम उठाये हैं। ऐसे मामलों में रेलवे से भी अनुरोध किया गया है कि वे यथासंभव प्राथमिकता के आधार पर बैगनें देने की व्यवस्था करें।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) सीमेंट उत्पादक एककों को किसी व्यक्ति अथवा अपनी रुचि के डीलर को सीमेंट बेचने की आमतौर पर अनुमति दे देना कदाचार को प्रश्रय देगा तथा यह सरकार की सीमेंट के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण रखने की नीति के अनुरूप नहीं होगा।

सरकारी क्षेत्र गैर सरकारी क्षेत्र तथा लघ उद्योग क्षेत्र के उद्योगों की तुलनात्मक विकास दर

6670. **श्री राम सागर : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 से 1978-79 तक वित्तीय तथा कलेण्डर वर्षों में कुल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर क्या है,

(ख) उक्त वर्षों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दरें क्या हैं,

(ग) व्यापार तथा विकास महानिदेशक के अन्तर्गत आने वाले कारखानों और लघु क्षेत्र के कारखानों में उक्त अवधि में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर क्या थी और

(घ) लघु क्षेत्र के उद्योगों के बारे में आंकड़ों के आधार पर क्या है और उसमें कितनी छूट दी गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के माप (1970-100) के अनुसार वित्तीय वर्ष 1976-77, 1977-78, तथा 1978-79 के (अप्रैल से दिसम्बर) की विकास दर क्रमश: 9.5 प्रतिशत, 3.9 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत थी तथा केलेन्डर (पंचांग) वर्ष 1976,-1977 तथा 1978 की विकास दर क्रमश: 9.8 प्रतिशत 5.2 प्रतिशत तथा 6.8 प्रतिशत थी । सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के विकास दर विषयक तुलनात्मक सूचकांक अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ) तकनीकी विकास के महानिदेशालय की संवीक्षा के अंतर्गत आने वाले एककों के बारे में लगाये गये अनुमानों के अनुसार उत्पादन की विकास दर 1976-77 में 11.5 प्रतिशत, 1977-78 में 6 प्रतिशत तथा 1978-79 में 10 प्रतिशत बतायी गई है । तकनीकी विकास का महानिदेशालय (डी० जी० टी० डी०) क्षेत्र के लिये तीन केलेन्डर वर्षों के आंकड़े क्रमश: 12 प्रतिशत 8.5 प्रतिशत तथा 8.6 प्रतिशत है । लघु क्षेत्र के संबंध में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय पंजीयित एककों के 2 प्रतिशत के लघु नमूने के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाता रहा है । इस नमूने के आधार पर लगाया गया अनुमान 1977-78 तथा 1978-79 में लगभग 12 प्रतिशत की विकास दर बताता है । इन आंकड़ों को और भी ठीक करने तथा लघु क्षेत्र को समाविष्ट कर उसमें और भी सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

उत्पादकता सेवाओं के विकास के लिए प्रस्ताव

6671. **श्री बागुन सुम्बई :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा विचार विमर्श किये गये उत्पादकता सेवाओं के विकास सम्बन्धी नए प्रस्ताव क्या हैं, और

(ख) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने अपनी 15 मार्च 1979 को हुई बैठक में अपनी गतिविधियों को सरकार की आर्थिक एवं

औद्योगिक नीति विषयक उद्देश्यों के अनुरूप बनाने का निश्चय किया है। परिषद ने तत्काल ही कार्यवाही करने के लिये निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया है :—

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योगों के विकास आयुक्त तथा अन्यों के सहयोग से साबुन तथा दियासलाई उद्योगों का विकास करना।

(2) विद्यमान एककों में लघु क्षेत्र उत्पादकता सुधार का विकास तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के सहयोग से आरक्षित वस्तुओं के लिये लघु एककों का विकास संवर्द्धन करना।

(3) सरकारी क्षेत्र के संगठनों में जहां उत्पादकता कम है अथवा रुग्न समझी जाती है, उत्पादकता में सुधार। तत्काल ही अध्ययन के लिये पता लगाये गये कुछ एककों/क्षेत्रों में राज्य विद्युत मंडल, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के रुग्ण एकक तथा इंजीनियरी उद्योग बम्बई बंदरगाह, तथा मुगलसराय की रेलवे यार्ड आदि हैं।

(4) मजदूर संघों की रुचि जाग्रत करने हेत उपयुक्त योजनाओं का संवर्धन करना ताकि वे उत्पादिकता को अपने आन्दोलन का एक अविभाज्य अंग बनाते हैं।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् साबुन तथा दियासलाई उद्योगों का कुटीर/लघु क्षेत्र में विकास करने हेतु विस्तार से प्रस्ताव बना चुकी है। अन्य क्षेत्रों के बारे में परिषद् प्रस्ताव बना रही है।

आदिवासियों की भूमि को वापिस लौटाने के लिए संथाल परगना में आंदोलन

6672. **श्री बटेश्वर हेमराम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के परगना संथाल परगना जिले में आदिवासियों की भूमि को, जिसे अन्य व्यक्तियों के नाम कर दिया गया है और वह उनके कब्जे में चली गयी है, उन्हें वापिस दिलाने के लिये कई महीनों से आन्दोलन चला रही है और इस संबंध में हत्यायें और आगजनी की घटनायें हो रही हैं ;

(ख) क्या 2 दिसम्बर से 8 दिसम्बर तक संथाल परगना के मुख्यालय दुमका की आन्दोलनकारियों ने नाकाबन्दी की थी और राष्ट्रीय ध्वज को भी मुख्यालय से उतारने का प्रयास किया था; और

(ग) क्या इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप धमनीबाजार, थाना सुन्दर पहाड़ी में तीन व्यक्तियों की हत्यायें हुई और ग्राम पकुड़िया, थाना पथट गामा, में हत्यायें और आगजनी की घटनायें हुई और ग्राम मकरमपुर, थाना मसलियां, जिला संथाल में हत्यायें हुई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना बिहार सरकार से मांगी गई है और जब प्राप्त होगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

डायरेक्टर, इलेक्ट्रानिक्स, टैस्टिंग एण्ड डेवेलपमेंट सेंटर के विरुद्ध जांच

6673. **श्री भगत राम :** क्या गृह मंत्री डायरेक्टर, इलैक्ट्रानिक्स टैस्टिंग एण्ड डेवलपमेंट सेंटर के विरुद्ध जांच के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 8259 दिनांक 26 अप्रैल, 1978 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) जांच अधिकारी के निष्कर्ष क्या हैं और उस प्रतिवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या उन्हीं आरोपों को पुनः जांच करने के लिये एक समिति फिर से गठित की गई है; और

(घ) उक्त समिति का औचित्य क्या है और जांच अधिकारी के निष्कर्षों के अनुसार दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध अब तक कार्रवाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख), (ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. डायरेक्टर, इलैक्ट्रानिक्स टैस्टिंग एण्ड डेवेलपमेंट सेन्टर, चंडीगढ़ के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच की गई थी । जांच अधिकारी ने प्रतिवेदन में निम्नलिखित आरोप ठीक पाये :—

(i) इलैक्ट्रानिक्स टैस्टिंग एंड डेवेलपमेंट कारपोरेशन के आक्सीजन गैस सिलेंडरों का उसकी पत्नी के उद्योग को लाभान्वित करने के लिये दुरुपयोग ।

(ii) मैसर्स डिसेन्ट फनीचर्स को आर्थिक लाभ देने के लिये उसकी निविदाओं के आंकड़ों में हेरफेर करना और इसके जरिये कमीशन प्राप्त करना ।

(iii) झूठे यात्रा भत्ते का दावा करना ।

(iv) एक वर्कशाप मैकेनिक की ज्वाइनिंग रिपोर्ट को अपराह्न से पूर्वाह्न में बदलना ।

(v) एक सफाई कर्मचारी-व-चौकीदार को जब वह छुटियों पर था, की अवधि की दैनिक मजदूरी का भुगतान करना ।

(vi) एक ग्लास ब्लोवर, श्रेणी III कर्मचारी को सफाई कर्मचारी-व-चौकीदार की ड्यूटी देने के लिए मजबूर करना ।

(vii) अनेक कर्मचारियों की उसके निजी कार्य करने के आदेश को मानने से इंकार करने पर दो वर्षों की अवधि में सेवाएं समाप्त करना ।

(viii) अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति प्रतिशोधात्मक व्यवहार ।

2. चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रतिवेदन नियोक्ता प्राधिकारियों, निदेशक बोर्ड, चंडीगढ़ लघु उद्योग विकास निगम के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । निदेशक बोर्ड ने निर्णय किया था कि जांच प्रतिवेदन की आगे संवीक्षा किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण की कमी है और निदेशक, इलैक्ट्रानिक्स टैस्टिंग डेवेलेंपमेंट कार्पोरेशन को जांच अधिकारी द्वारा प्रत्येक आरोप के संबंध में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया । अतः जांच प्रतिवेदन का विश्लेषण करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की गई थी । उप-समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

कपड़े के मूल्यों में वृद्धि

6674. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत वर्ष सूती कपड़े के मूल्यों में हुई वृद्धि रूई के, मूल्यों में हुई कमी के अनुपात में नहीं हुई थी,

(ख) क्या मूल्यों में वृद्धि 'इनपुर' की लागत में हुई वृद्धि के कारण है,

(ग) यदि नहीं तो क्या यह सच है कि 'इनपुर' की लागत में एक से दस प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई थी जबकि उपभोक्ताओं के लिये उक्त वृद्धि 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत थी, और

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए सूती कपड़े के मूल्यों में वृद्धि को कम करने हेतु क्या शीघ्र कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) फरवरी, 1978 तथा फरवरी 1979 के बीच सूती वस्त्रों की थोक कीमतों में 2.9 प्रतिशत की ममूली सी वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि में रूई की थोक कीमतों में 9.4 प्रतिशत की गिरावट आई है । 2.9 प्रतिशत की वृद्धि 1975, 1976 तथा 1977 के तीन वर्षों में कपड़े की कम मांग की समाप्ति तथा कपड़ा बनाने में प्रयोग आने वाले अन्य पदार्थों की लागत में वृद्धि होने के कारण हुई है ।

अन्य निवेशों की लागत में दिसम्बर, 1977 की अपेक्षा दिसम्बर, 1978 में 223 प्रतिशत से 14.6 प्रतिशत तक अलग-अलग वृद्धि हुई है । उपभोक्ता स्तर पर कपड़े की कीमतों में वृद्धि होने के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

हाल ही में उद्योग मंत्री ने इस विषय में उद्योगों के मालिकों से बात-चीत की थी और उन्हें सूती कपड़े की कीमतों में कमी करने के लिए अभ्युपायों का पता लगाने के लिए कहा गया था और इस संबंध में उद्योग ने कुछ सुझाव दिये हैं जो सरकार के विचराधीन है ।

महाराष्ट्र के जिला उद्योग केन्द्रों के लिए राज सहायता

6675. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांड :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के जितने जिलों में 15 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान योजना क्रियान्वित की जा रही है और उसका आकार क्या है, और

(ख) क्या सरकार की महाराष्ट्र सरकार की ओर से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं यदि हां; तो उसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) महाराष्ट्र के 3 जिलों अर्थात् रत्नागरि और औरंगाबाद तथा चन्द्रपुर में केन्द्रीय निवेश योजना कार्यान्वित की जा रही है । केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के पात्र बनने बनाने हेतु जिलों/क्षेत्रों का चयन करने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति के निर्णय के अनुसरण में यह विशेष निर्णय लिया गया था कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पाए गए नए प्रत्येक राज्य के 6 जिले/क्षेत्र तथा महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों 3 जिले/क्षेत्र रियायती वित्त सुविधाओं के पात्र बनने के लिये तथा केन्द्रीय निवेश राज सहायता

योजना के भी पात्र बनने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गए जिलों में से चुने जाएं। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव के आधार पर इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त 3 जिले चुने गये हैं।

(ख) योजना आयोग ने जो निवेश राजसहायता क्षेत्रों का पुनः सीमा निर्धारण करता है बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल, 1974 में केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया था कि निवेश राज सहायता योजना के पात्र बनने के लिए चुने गए 3 जिलों के स्थान पर रियायती वित्त सुविधा के लिए राज्य के चुने गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 13 जिलों में से 13 विकास केन्द्रों वाले 53 पंचायत समिति प्रखंडों का (13 जिलों में से प्रत्येक में एक केन्द्र के हिसाब से) चुना जाना चाहिए। चूंकि यह प्रस्ताव राज्यके मुख्य मंत्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद समिति के निर्णय के अनुरूप नहीं पाया गया था अतएव इस प्रस्ताव के लिए सहमति देने संबंधी योजना आयोग की असमर्थता के बारे में महाराष्ट्र सरकार को 16-5-1974 को सूचित कर दिया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने निवेश राजसहायता के क्षेत्रों का पुनः सीमा निर्धारण करने के लिए अप्रैल, 1974 के अपने पहले प्रस्ताव के लिए स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मई, 1975 में योजना आयोग से दोबारा अनुरोध किया था। विस्तार से विचार करने के बाद योजना आयोग ने 31 जुलाई, 1975 को राज्य को सूचना दी थी कि चूंकि विद्यमान राजसहायता योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत की गई थी, अतः इस नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए उसी समिति द्वारा सावधानीपूर्वक संवीक्षा की जानी चाहिए तथा स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

श्री बी० शिवारामन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों की एक राष्ट्रीय समिति का हाल ही में गठन किया गया है। इस समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की विद्यमान योजनाओं, जैसे रियायती वित्त, निवेश राज सहायता, परिवहन राजसहायता, बिक्रीकर में रियायत आदि, कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों की इसी प्रकार की योजनाएं जैसे डी० पी० ए० पी० तथा पिछड़ेपन दूर करने के लिए गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए किए जाने वाले सामान्य उपायों की योजना के संचालन की संवीक्षा करना है। केन्द्रीय राजसहायता योजनाओं में यदि कोई संशोधन करने पड़े तो उस पर इस समिति की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

मंडी में सेंधा नमक के भंडार

6676. **श्री गंगा सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडी (हिमाचल) स्थित नमक की खानों में सेंधा नमक कितने क्षेत्र में होता है तथा उसका अनुमानतः कितना भंडार है,

(ख) मंडी नमक खानों के पास से होकर बहने वाले द्वारा, मंगल तथा गुमां नालों से प्रतिदिन कितना लवणीय जल छोड़ा जाता है,

(ग) क्या गत दस वर्षों के दौरान उपरोक्त नमक संसाधनों में जानवरों द्वारा खाये जाने वाले नमक तथा पेय नमक दोनों के उत्पादन में कमी हुई है, और

(घ) क्या सरकार उपरोक्त संसाधनों से नमक का तथा उप-उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना चाहती है, यदि हां, तो कैसे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारतीय खान ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, मण्डी स्थित नमक की खानों में सेंधा नमक का क्षेत्र अनुमानित आरक्षित भण्डार क्रमशः 29,465 वर्ग मीटर व 85.20 लाख मी० टन है।

(ख) अगम, मैंगल तथा गुमा नदियों से प्रतिदिन निकलने वाले नवगीय जल के बारे में किसी प्रकार के अधिप्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तथापि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में प्रतिघंटा 22.5 घन मीटर 9 डिग्री (बी) का खारी जल निकलने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) और (घ) गत दस वर्षों में सेंधा नमक (पशुओं द्वारा खाये जाने वाला नमक) (केटल लिक) का उत्पादन लगभग 4,000 मी० टन बना रहा। किन्तु थोड़ी मात्रा में बनाये जाने वाले पेय नमक तथा शोधित नमक के उत्पादन में मौसम अनुकूल न होने तथा कोयले की कमी होने के कारण गिरावट आ गई है।

इस समय, बाजार में सेंधा नमक की सीमित मांग होने के कारण इसका उत्पादन भी सीमित मात्रा में किया जाता है तथा यदि इसकी मांग बढ़ जाती है तो इसका उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। मण्डी में बनाए जाने वाले नमक में कोई ऐसा महत्वपूर्ण उपोत्पादन नहीं होता है जिससे लाभपूर्ण वस्तु निकाली जा सके।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के इंजीनियरी एकक के बारे में इंजीनियरों तथा वास्तुविदों द्वारा अनुसंधान

6677. **श्री टी० एस० नेगी**
डा० रामजी सिंह } : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के इंजीनियरी एकक के बारे में इंजीनियरी तथा वास्तुविदों द्वारा अनुसंधान के बारे में 7 मार्च, 1979 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2326 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के इंजीनियरी एकक के इंजीनियर तथा वास्तुविद एस० ई० आर० सी० तथा सी० वी० आर० आई० के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हुए शोध कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या अपने कार्य के स्वरूप तथा तकनीकी अर्हताओं की दृष्टि से ये इंजीनियर तथा वास्तुविद मूलतः तकनीकी व्यक्ति नहीं हैं ;

(ग) क्या उनके अधीन कार्य करने वाले नालसाज, राज, मालिम, पालिश करने वाले आदि को तकनीकी कर्मचारियों के वर्ग में रखा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस वर्गीकरण पर पुनः विचार करने तथा इंजीनियरों एवं वास्तुविदों को तकनीकी वर्ग में शामिल करने में कितना समय लगेगा ?

रक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इंजीनियरी एकक CSIR के इंजीनियर और वास्तुविद मुख्य रूप से योजना और भवन निर्माण और उनके रख-रखाव सम्बन्धी सेवाओं के कार्य में लगे हुए हैं। इन कार्यों को करते समय, वे SERC और C.B.R.I. द्वारा विकसित कुछ उपादों एवं तकनीकों का योग करते हैं। वे स्वयं कोई अनुसंधान कार्य नहीं करते।

(ख) चुंकि, CSIR के इंजीनियर और वास्तुविद अनुसंधान कार्य में कोई योगदान नहीं कर रहे हैं, इसलिये CSIR की शासी सभा ने यह अनुभव किया है कि उनको "प्रशासनिक" रूप से वर्गीकृत किया जाये। फिर भी, वे जिस कार्य को करते हैं, वह तकनीकी है और उनकी योग्यताएं भी तकनीकी हैं।

(ग) सी० एस० आई० आर० की शासी सभा ने अब उन्हें फिर से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। पूर्व निर्धारित वैज्ञानिक, तकनीकी, सहायक तकनीकी और प्रशासनिक इन चार श्रेणियों के बजाय उब उन्हें तीन श्रेणियों—वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जायेगा। नलसाज़ों, राज मिस्त्रियों, मालियों और पोलिश करने वालों के जो पद पहिले "सहायक तकनीकी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था उनको अब "तकनीकी" के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

(घ) कुछ हद तक स्थिति नियम-विरुद्ध है। अतः मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है। इस स्तर पर कोई निश्चित समावधि नहीं बतायी जा सकती।

पुलिस कर्मचारियों द्वारा दिल्ली में अपराध के मामले निपटाए जाना

6678. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बढ़ती हुई अपराध संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या के बारे में सर्वेक्षण किया है ;

(ख) इस समय विभिन्न अपराधों के (एक) एक वर्ष, (दो) तीन वर्ष, (तीन) पांच वर्ष, (चार) आठ वर्ष और (पांच) दस वर्ष से अधिक समय से दिल्ली पुलिस के जांचाधीन मामलों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) कुल कितने कर्मचारी ऐसे मामलों पर कार्य कर रहे हैं और एक जांच अधिकारी द्वारा औसतन कितने मामलों की जांच की जा रही है ; और

(घ) क्या मामलों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य हे पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख), (ग) और (घ) दिल्ली पुलिस की आवश्यकताओं का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है और वित्तीय प्रतिबंधों के अधीन उनकी कुशलता को बढ़ाने के

लिये आवश्यक उपाय किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस की जनशक्ति, परिवहन और संचार संबंधी आवश्यकताओं के लिए मापदंड तैयार करने के हेतु एक विशेषज्ञ समिति भी स्थापित की गई है।

इस समय अन्वेषण के लिये दिल्ली पुलिस के अधीन विभिन्न अपराधों के मामलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं —

अवधि	अन्वेक्षण के लिये लम्बित मामलों की संख्या
एक वर्ष	12105
तीन वर्ष	650
पांच वर्ष	38
आठ वर्ष	2
दस वर्ष	शून्य
कुल	12795

उक्त मामलों में 394 अन्वेषण अधिकारी कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक अन्वेषण अधिकारी के पास लगभग 32 मामले हैं।

टी० आई० साईकल्स आफ इण्डिया मद्रास में असन्तोष

6679. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० आई० साइकल्स आफ इंडिया, मद्रास में व्याप्त असंतोष के कारणों का गहराई से अध्ययन किया गया है ;

(ख) इस असन्तोष के क्या कारण हैं और वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही करने का प्रस्ताव है कि देश के हित में छटनी किये गये कर्मचारियों को बहाल किया जाए और उत्पादन पूरी गति से आरम्भ किया जाए ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) मैसर्स टी० आई० साईकल्स आफ इंडिया लि०, मद्रास के प्रबन्धकों ने श्रमिक असन्तोष के कारण जनवरी, 1978 में कारखाने की गतिविधियां रोक दीं। प्रबन्धक वर्ग ने बात-चीत की और तमिलनाडु राज्य सरकार के सहयोग से श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता हुआ कारखाना पुनः चालू किया गया और अक्तूबर, 1978 में उत्पादन शुरू हुआ।

(ग) तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुछ कामगारों ने जिन्हें बरखास्त किया गया था, औद्योगिक विकास विवाद खड़े कर दिये हैं जिनका निपटान किया जाना है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि कारखाने के पुनः चालू होने के बाद उत्पादिता में बढ़ोतरी हुई है।

दियासलाई के उत्पादन के संबंध में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा योजना बनाया जाना

6680. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सरकार के कहने पर बनाई गई इस योजना का ब्यौरा क्या है जिससे लघु तथा कुटीर उद्योग देश में दियासलाई के समूचे उत्पादन को अपने अधिकार में ले सकेगा, और

(ख) आयोग ने 2700 कुटीर दियासलाई एककों में सहायता देने के लिए कच्चे माल के 13 बैंक किन स्थानों पर खोले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कुटीर दियासलाई उद्योग के तीव्र विकास सम्बन्धी कार्यक्रम में निम्नलिखित परिव्ययों (संस्थागत वित्त के अलावा), उत्पादन तथा रोजगार लक्ष्यों की प्रकल्पना की गई है :—

वर्ष	परिव्यय (अनुदान एवं ऋण करोड़ रु० में)	उत्पादन (करोड़ रु० में)	रोजगार (लाख व्यक्तियों में)
1978–79 . .	6.88	11.50	0.27
1979–80 . .	14.61	21.64	0.54
1980–81 . .	18.66	39.34	0.94
1981–82 . .	11.50	60.23	1.49
1982–83 . .	14.45	76.92	1.88

(ख) अयोग ने कच्चे माल के निम्नलिखित 16 बैंक/डिपों स्थापित किये हैं :—

राज्य	स्थान, जहां कच्चे माल के बैंक/डिपो स्थापित किये गए हैं	स्थापित किये गए कच्चे माल के बैंकों/डिपुओं की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश . .	हैदराबाद	2
2. हरियाणा . .	अम्बाला	2
3. महाराष्ट्र .	बम्बई	3
	दहानु	1
4. त्रिपुरा . .	अगरतला	1
5. तमिलनाडु . .	सेत्तुर	1
	कोविल पट्टी	1
	श्री विलीपुत्तुर	1
6. उत्तर प्रदेश .	कानपुर	1
	वाराणसी	1
	मेरठ	1
	चन्द्रावल	1

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कारपोरेशन का कार्यकरण

6681. श्री श्याम सुन्दर गुप्त
श्री जी० एम० बनातवाला
डा० विजय मण्डल
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कारपोरेशन की स्थापना के समय से अब तक उसके कार्यकरण के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें कोई अनियमिताएं पाई गई हैं और यदि हां, तो किस प्रकार की, और

(ग) क्या इस निगम के कार्य में सुधार करने के प्रयोजन से कोई कार्यवाही की गई हैं; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बीर प्रसाद यादव): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समिति जिसने वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु० कं० लि० (एच० पी० एफ०) के कार्यकरण की समीक्षा की थी, की 55वीं तथा 79वीं, रिपोर्टों में समाविष्ट सिफारिशों के आधार पर सरकार ने दो जांच समितियों की नियुक्ति की थी :—

(1) श्री बाजले करीम सरकारी उद्यम ब्यूरो के सलाहकार की अध्यक्षता में गठित समिति को काचू (70वीं, रिपोर्ट) द्वारा निर्देशित एच० पी० एफ० के प्रबन्धकों द्वारा की गई विभिन्न चूकों की जांच करने तथा उनकी जिम्मेदारी नियम करने का काम सौंपा गया था। समिति से प्रशासनिक प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने का अनुरोध भी किया गया था ताकि आगे इसी प्रकार की चूकें न हो सकें।

(2) प्रोफेसर के० वी० सुब्रमण्यम्, अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक, भारत गोल्ड माइन्स की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति का समस्तचांदी की नुकसानी की जांच करने एच० पी० एफ० के प्रबन्धकों तथा अन्य संबंधितों पर चूक के लिये जिम्मेवारी नियत करने (काचू की 70वीं रिपोर्ट की शर्तों के अनुसार) का काम सौंपा गया था।

दोनों समितियों की रिपोर्टें मिल चुकी हैं। बाजले करीम समिति (सारांश संलग्न है) के निष्कर्ष तथा सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट की अभी जांच की जा रही है।

(ग) अपने 8 वर्षों के प्रारम्भिक कार्यकाल में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स हानियां उठाता रहा है और अपनी 61.5 लाख वर्ग मीटर की निर्धारित क्षमता प्राप्त नहीं कर सका फिर भी प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधकीय कौशल में सुधार किये जाने से कम्पनी ने पासा पलट दिया है तथा 1975–76 में पहली बार निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन किया है और 16.06 लाख का लाभ कमाया है। तभी से कम्पनी में जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है, स्थिर रूप से प्रगति हो रही है।

उत्पादन	1975–76	70.17 लाख वर्ग मीटर
	1976–77	91.80 लाख वर्ग मीटर
	1977–78	92.23 लाख वर्ग मीटर
बिक्री	1975–76	222.80 लाख रुपये
	1976–77	312.00 लाख रुपये
	1977–78	356.70 लाख रुपये
लाभ . .	1975–76	16.06 लाख रुपये
	1976–77	142.63 लाख रुपये
	1977–78	164.10 लाख रुपये

वर्ष 1978–79 में कम्पनी द्वारा 94 लाख वर्ग मीटर का उत्पादन प्राप्त करने 394 लाख रुपये की बिक्री होने तथा 210 लाख रुपये का लाभ होने की आशा है।

श्री बाजले करोम, सलाहकार सरकारी उद्यम ब्यूरो की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों/निष्कर्षों का सारांश।

निष्कर्ष

वर्तमान स्थल तथा स्थान का चयन पर्याप्त सावधानी पूर्वक किया गया था। सर्वोत्कृष्ट वातावरण, शुद्ध जल की उपलब्धि तथा अन्य अनुकूल कारकों की उपस्थिति से ऊटकमंड एक अत्यधिक उपयुक्त स्थल रहा है। स्थान का चयन करने के पूर्व उपयुक्त एजेन्सियों द्वारा भूमि तथा जल का विश्लेषण तथा परीक्षण बोरिंग करने का काम सम्पन्न किया गया था।

अनेक कारणों से परियोजना को चालू करने में देरी हुई थी। निर्माण में विलम्ब निर्माण हेतु विदेशी सहयोगी से प्रतिपूर्ति का दावा, सहयोगी फर्म के प्रबन्धकों में परिवर्तन, लम्बा पत्राचार वाले सहयोग करार की अपर्याप्तता की कठिनाइयों के कारण हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कारपोरेशन का प्रबन्ध अत्यधिक विषम स्थिति में कार्य करता रहा है। प्रबन्ध अनेक कारणों से कुछेक दायित्वों के विदेशी कंपनी द्वारा पूरे न किये जाने के लिये दण्ड संबंधी धारा का उपयोग नहीं कर सका। दांडिक धारा लागू करने से मुकदमेबाजी बढ़ जाती जिसे फ्रांस के न्यायालय में चलाना पड़ता तथा जिससे और भी विलम्ब तथा अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो जाती।

सहयोग करार टर्न की के स्वरूप का नहीं था जिससे कि सहयोगियों पर जिम्मेवारी डाली जा सकती।

5 कंम्पनी प्रबंधक वर्ग निरन्तर विलम्ब की समस्या के प्रति सजग रहा है तथा इन कठिनाइयों से निपटने के लिए समय समय पर निदेशक मंडल से निदेश लेता रहा है।

6. सहयोग के पास कोई प्रबन्धकीय नियंत्रण विद्यमान नहीं था तथा उन्हें कुछ सीमा तक उत्पादन स्तर प्राप्त न कर लेने पर उत्तरदायी ठहराना कोई अर्थ नहीं रखता था। विशेष कर उस स्थिति में जबकि यह एक अत्यधिक जटिल किस्म की फोटो फिल्मों का निर्माण करने की बात थी फोटो फिल्म्स की किस्मों की मांग में तेजी से परिवर्तन होने के कारण क्षमता विषयक धारा लागू करने से हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के प्रबन्धकों को प्रगति देखने हेतु कोई उपयोग मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सकता था।

7. एम० ए० सी० सी० तथा हि० का० फिल्म्स के बीच फोटो फिल्म्स बनाने हेतु सेल्यूलोज ट्रायसीटेट की सप्लाई करने के लिए एक स्पष्ट समझौता रहा है । एम० ए० सी० सी० मैसूर सुगर कं० (कर्नाटक राज्य की सरकारी कं०) द्वारा सम्बधित एक अर्ध सरकारी कम्पनी है, जिसका अध्यक्ष कर्नाटक राज्य संवर्ग का एक आई० ए० एस० वरिष्ठ अधिकारी रहा है। एम० ए० सी० सी० के लिये मुआवजा लेने के प्रश्न पर हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के निदेशक मंडल द्वारा विचार किया गया था जिसने यह निर्णय लिया था कि इस विषय को छोड़ ही दिया जाये।

एम० एम० सी० सी० के उत्पादों की कम बिक्री के कारण एम० एम० सी० सी० स्वयं कठिन वित्तीय स्थिति में थी तथा इसी वजह से वह आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० आदि के साथ किए गए ऋण संबंध वायदों को पूरा नहीं कर सकी थी। ऐसी परिस्थितियों संशोधन लागत के एक भाग की वसूली से कोई सहायता नहीं मिलती।

8. विलेयकों में होने वाली हानि की समस्या व उनकी पुनः प्राप्ति में सुधार लाने की प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर एच० पी० एफ० के प्रबन्धकों का ध्यान बहुत पहले चला गया था। प्रबंधकों ने अन्य बातों के साथ-साथ विलायकों की पुनः प्राप्ति प्रणाली का अध्ययन करने हेतु अप्रैल, 1970 में एक भारतीय परामर्शदात्री फर्म (दास्तुरको) की सेवाएं प्राप्त की गई थीं। प्रबन्धकों ने नवम्बर, 1971 में विश्व व्यापी निविदाएं आमन्त्रित की थी और उनके उत्तर में एक डच फर्म से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे वर्ष 1972 में स्वीकार कर लिया गया और जून, 1973 में प्राप्त संयंत्र ने अगस्त, 1973 में कार्य करना शुरू कर दिया था। प्रबन्धकों से इस मामले में कोई चूक नहीं हुई है।

9. एच० पी० एफ० ने अपने प्रयासों से विदेशी सहयोगकर्ताओं को लाभ दिए बिना एच० पी० एफ० ने सिल्वर नाइट्रेट का उत्पादन करने हेतु प्रक्रिया औद्योगिकी विकसित करके एक उल्लेखनीय प्रयास किया है। एच० पी० एफ० के तकनीशियनों ने संयंत्र का डिजाईन बनाया है और यह संयंत्र पूर्णतया भारत में बनाया गया है तथा यह कुछ संशोधनों के साथ वर्ष 1969–70 से कार्य कर रहा है।

10. सिल्वर नाइट्रेट संयंत्र की स्थापना करते समय यह धारणा कि प्रक्रिया में प्रयोग में लाई गई समस्त चांदी पुनः प्राप्त की जा सकती है, एक यार्थवादी अनुमान था, बुनेक एंड कं० के अनुसार, पुनः प्राप्त की गई कुल चांदी का औसत बढाने वाले अनुभाग में प्रयोग की गई चांदी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं था।

11. केवल ऐसा विभाग ही चांदी की नुकसानी का हिसाब लगा सकता है, किंतु सिद्धान्त इमनशम तथा कोटिंग अनुभाग में चांदी की कोई हानि नहीं होनी चाहिए क्योंकि समस्त छीडन सामग्री सिलवर रिवरी सिस्टम में ही भेज बी जाती है फिर भी यर्थाथतः नुकसान हो ही जाता है।

12. गुणवत्ता नियंत्रण के लिए हासिल किये गये नमूनों तथा स्लज को चांदी में परिवर्तन करते समय निर्मित स्लैग को छोड़कर, समस्त चांदी वाली सामग्री में से चांदी, फोटोग्राफिक क्लियरिंग तथा रद्दी कागज नियमित आधार पर जनवरी, 1971 से ही प्राप्त किया

जाता रहा है। वर्ष 1968–69 को संयंत्र के संचालन का प्रथम वर्ष मान लेने पर दिसम्बर, 1970 तक प्राप्त चांदी का परिणाम लगभग 1000 किलोग्राम था।

13. इस अवधि से पहले, स्लैग इकट्ठी करने की अनुकत इस आशा से दी गई थी कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के तकनीशियन स्वंय ही कोई हल निकाल लेंगे।

14. ऊटी से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तक इकट्ठी मात्रा में स्लैग ले जाने तथा कम इस्तेमाल में आने वाली सड़क से सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय करके उतनी ही दूरी से प्राप्त चांदी का भेजा जाना अधिक संतोषजनक व्यवस्था नहीं है।

15. वर्ष 1968–69 से 1971–72 के बीच मुख्य फिल्म उत्पादों को अस्वीकृत किये जाने के स्तर की सीमा बहुत अधिक अर्थात सिने फिल्म (पोजिटिव) के लिए 65 प्रतिशत से 152 प्रतिशत तक तथा एक्सरे फिल्म के लिए 176 प्रतिशत से 444 प्रतिशत तक थी। ऐसी स्थिति में, प्रबन्धक वर्ग की स्वाभाविक चिन्ता इन अस्वीकृतियों को रोकना तथा स्वीकार्य किस्म के उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगी। छीजन को पुनः काम में लाने का प्रश्न दूसरे नम्बर के महत्व का है। इतना ही नहीं प्रबन्धक वर्ग द्वारा उपलब्ध जानकारी की रुकावटों के होते हुए चांदी प्राप्त करने के पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था। किन्तु इसमें सुधार की गुंजाइश थी।

16. उत्पादन के क्षत्रों में चांदी रिकवरी संयंत्र में जानकारी की परिपक्वता उत्पादन का सुस्थिरीकरण पुंजी की बढ़ोत्तरी से और सुधरी प्रबन्ध व्यवस्था से 1971–72 की अपेक्षा अब चांदी रिकवरी में सुधार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से फोटो सेन्सीटाइज्ड सामग्री के उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है।

सिफारिशें

1. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स की स्थिति अनोखी है, जापान को छोड़कर पूरे एशिया में फोटोग्राफी का सामान बनाने में इसका एकाधिकार है। इस पर यह एक विशेष उत्तरदायित्व है कि यह फोटोग्राफी उत्पादों के निर्माता प्रमुख देशों में हुए सुधारों/विकासों/तकनीकों/जानकारी आदि पर सुजग होकर निगाह रखे ताकि नई सहयोग योजनाओं द्वारा सुधरी सुविधाओं का लाभ लिया जा सके।

2. विदेशी सहयोगी की भूमिका स्पष्ट लिखी होनी चाहिए ताकि विदेशी पार्टी द्वारा करार की अस्पष्टता की अन्य व्याख्या न की जाये।

3. फोटोग्राफी के सामान के प्रमुख उपत्पादक विभिन्न उत्पादों (एक्सरे रोल फिल्में, कलर फिल्में आदि) में विशेषज्ञता प्राप्त हैं। आगामी करार अलग–अलग उत्पादों की योजनाओं में विभक्त हों ताकि सहयोग के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त सहयोगी चुना जा सके। इन करारों में ऐसी धाराएं भी हों जिनमें विदेशी पार्टी को सविवरण डिजाइन शीटों और विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशनों) को यथा समय उपलब्ध कराये जाने पर बाध्य किया जा सके।

4. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स फैक्टरी में उपयोग के लिये उपकरण और सामान जलपोतों में चढ़ाने से पूर्व उनका लदान पूर्व निरीक्षण/परीक्षण स्वतन्त्र निरीक्षण अभिकरणों द्वारा किया जाये यह व्यवस्था आगे किये जाने वाले करारों में हो।

5. आगामी करारों में यह सुनिश्चय भी किया जाना चाहिए कि विदेशों से कोई उपकरण या प्रक्रिया प्राप्त करने से पूर्व इसकी क्षमता, गुण प्राकर तथा प्रक्रिया की उपयुक्तता का पूर्णतः परीक्षण किया जाना चाहिए। कार्य निष्पादन गारंटी में काफी लम्बी अवधि का ठीक कार्य निष्पादन आना चाहिए।

6. सहयोग करारों में भारतीय पार्टी और विदेशी पार्टी के बीच झगड़ा होने की स्थिति मेंउसे तय करने हेतु पंचाट के लिए यथासंभव भारत ही स्थान रखा जाना चाहिए।

7. स्लज को चांदी में बदलने की प्रक्रिया में आने वाले स्लैग को 250 कि० मी० की दूरी पर स्थिति भारत गोल्ड माइन्स को पुनर्प्रक्रिया के लिए सभी सुरक्षा जोखिम के साथ भेंजा जाता है। हि० फो० फिल्म्स के पास फोटोग्राफी पेपर क्लिनिंग और छीजन से सिलबर रिकबरी की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रयोगशाला हेतु व्यर्थ जल से सिलवर (चांदी) निकालने का काम भी नहीं हो पाता है। अतः एव हि० फो० फि० के प्रबन्धक वर्ग को उपर्युक्त क्षेत्रों में अन्यत्र क्या किया जाता है इसका अध्ययन करें और सरकार के सामने स्पष्ट प्रस्ताव रखें।

8. चांदी की हानि का हिसाब उपयोग और उत्पादन के सम्बन्धों की रिकवरी की विभिन्न दशाओं में माल शेष के रूप में स्थापना करके बताई जाये।

9. उत्पादों के सुस्थिरीकरण, जानकारी की परिपक्व अवस्था और सुधरी हुई प्रबन्ध व्यवस्था के साथ हि० फो० फि० संयंत्र में अब उत्पादन विविधीकरण की स्थिति है। फोटोग्राफी के संयंत्र अनेक परिवर्तनक्षम हैं। हि० फो० फि० के वैज्ञानिकों और इजीनियरों ने अपने प्रयत्नों से अनेक समस्याओं को हल किया है। हमारे अध्ययन से ज्ञान के और तकनीकी के निरन्तर उच्चस्तरीयकरण (अपग्रेंडेशन) की आवश्यकता है।

बजाज और प्रिया स्कूटरों की बिक्री

6682. **श्री कृष्ण सिंह:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसर्स बजाज आटो लिमिटेंड ने देश में और विशेषकर दिल्ली/नई दिल्ली में सरकार द्वारा स्कूटरों का नियत्रण समाप्त करने के पूर्व एक वर्ष में (महीनेवार) सामान्य सूची और सरकारी कोटे में पंजीकृत व्यक्तियों को बजाज 150 और प्रिया आदि जैसे विभिन्न प्रकार के स्कूटरों की कुल कितनी बिक्री की और उसके बाद के महीनों में सामान्य सूची और अन्य सूचियों से अलग अलग कितने स्कूटरों की बिक्री की;

(ख) क्या विनियंत्रण के बाद स्कूटरों की बिक्री की संख्या में कमी हुई है; यदि हां, तो उनकी निर्माण क्षमता के संदर्भ में इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बजाज 150 और प्रिया स्कूटर के लिये सामान्य प्रतीक्षा सूची में कुल कितने व्यक्ति हैं और उनकी आवश्यकता पूरी होने में लगभग कितना समय लगेगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईती): (क) मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड, पूना बजाज सुपर और बजाज चेतक स्कूटरों का निर्माण कर रहे हैं। मै० बजाज

आटो लिमिटेड के साथ उप-लाइसेंसिंग प्रबन्धों के अन्तर्गत मैं० महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड, सतारा द्वारा "प्रिया" स्कूटरों का निर्माण किया जा रहा है। बजाज चेतक स्कूटरों को देश में विदेशी मुद्रा भेजने पर आवंटित किया जा रहा है। सभी मेकों के स्कूटरों की बिक्री तथा वितरण पर से कानूनी नियंत्रण, जो अंतिम बार केवल बजाज और प्रिया मेक के स्कूटरों पर लागू था, को 1 जनवरी, 1978 से समाप्त कर दिया गया था। अतः सरकारी प्राधिकरणों के पास स्कूटरों के आवंटन के लिए अब कोई कोटा नहीं है । किन्तु 1978 में डिलीवरियां नियंत्रण की अवधि के कोटें पर की गई थी। बताई गई जानकारी के आधार पर (जो मासवार उपलब्ध नहीं है) वर्ष 1977 और वर्ष 1978 में स्कूटरों की बिक्री के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये जाते हैं।

(ख) 1977 की तुलना में 1978 में की गई सप्लाई कम थी, जिसका मुख्य कारण यह था कि मैं० बजाज आटो लिमिटेड के एकक में लगभग 1-1/2 महीने तक हड़ताल की वजह से उत्पादन में रुकावट आ गई थी।

(ग) 1 जनवरी, 1979 तक देश में विभिन्न विक्रेताओं के पास बजाज-150/बजाज सुपर और प्रिया स्कटरों के लिए बुक किए क्रयादेशों की कुल संख्या क्रमशः 3.70 लाख और 1.14 लाख थी। मैं० बजाज आटो लिमिटेंड की निर्माण क्षमता बढ़ाई जा रही है। सरकारी क्षेत्र के संगठन, स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेंड सहित सम्पूर्ण उद्योग का विकास भी किया जा रहा है ताकि स्कूटरों के लिए ग्राहकों की मांग मात्रा तथा क्वालिटी दोनों ही दृष्टि से पूरी की जा सके। आशा है कि उद्योग में इस विकास के होने से एक विशेष प्रकार के स्कूटर के लिए असंतुलित वरीयतायें शीघ्रता से ठीक कर दी जायेंगी।

विवरण

बजाज/चेतक/प्रिया	1977		1978	
	कोटे में से	पब्लिक बुकिंग/ विदेशी मुद्रा	नियंत्रण हटाने से पूर्व के कोटे में से	पब्लिक बुकिंग/ विदेशी मुद्रा
दिल्ली . . .	3,026	14,809	1,086	11,485
दिल्ली के अलावा .	11,385	60,687	2,511	59,973
योग . . .	14,411	75,496	3,597	71,458

सीमेंट कम्पनियों में हड़ताल

6683. **श्री निहार लास्कर**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेशनल सीमेंट एण्ड इलाइड वर्कर्स फेडरेशन के साथ 1977–78 के लिए बोनस वार्ता सफल न होने के बाद एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी को 20 मार्च से श्चित काल के लिए हड़ताल का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हड़ताल के कारण भारी हानि होगी, और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क), (ख) तथा (ग) इंडियन नेशनल सीमेंट एण्ड एलाइड वर्कर्स फेडरेशन ने एसोसिटिड सीमेंट कम्पनी को बोनस के मामले पर 20 मार्च, 1979 से हड़ताल करने का नोटिस दिया था। चूंकि 19 मार्च, 1979 को दोनों पार्टियों में एक समझौता हो गया था, अतः हड़ताल टल गई थी। फलस्वरूप हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया गया था।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को लक्षद्वीप में रियायतें

6684. **श्री पी० एम० सईद:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को लक्षद्वीप में दी गई रियायतें अब तक संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा कार्यान्वित नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, मंत्रिमडल सचिवालय द्वारा लक्षद्वीप प्रशासन को इन रियायतों एवं सुविधाओं को तेजी से कार्यान्वित करने के अनुदेशों का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ;

(ग) यदि हां, तो संघ रज्य क्षेत्र में अब तक कौन कौन सी रियायत कार्यान्वित की जा चुकी हैं और उनका ब्यौरा क्या है और कितनी अभी कार्यान्वित की जानी हें; और

(घ) अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कौन कौन सी योजनाएं एवं रियायतें कार्यान्वित की जानी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) लक्षद्वीप में कोई अनुसूचित जातियां नहीं हैं। अनुसूचित जन-जातियों की सेवाओं में रियायतें देने से संबंधित सभी आदेशों को लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्षेत्र की योजना की समस्त धनराशियां स्थानीय निवासियों के लाभ के लिए हैं जो अनुसूचित जनजातियां हैं। चालू वार्षिक योजना के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण रियायतें/योजनाएं जो कार्यान्वित की जा रही हैं इस प्रकार हैं:—

1. बाढ़ से ग्रस्त किसानों को मुफ्त नारियल की पौध बांटना।

2. 50 प्रतिशत की राज सहायता पर उर्वरक वितरित करना।

3. 50 प्रतिशत की राज सहायता पर पावर टिलर वितरित करना।

4. 50 प्रतिशत राज सहायता पर दुधारू गायों का वितरण।

5. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राज सहायता पर बीज और पौधों, कृषिक उपकरण, चारा, सिलाई की मशीनें आदि देना।

6. यांत्रिक मत्स्य नावें, इंजन पर 50 प्रतिशत राज सहायता तथा ईंधन पर 25 प्रतिशत राज सहायता देना।

7. 33 प्रतिशत राजसहायता पर फिशिंग गेयर देना।

8. प्रत्येक मकान के लिए 1875/- रुपये की दर से राज सहायता देना।

बेरोजगारी दूर करना

6685. श्री राम कंवार बेरवा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश से बेरोजगारी दूर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उससे राजस्थान को किस सीमा तक लाभ मिला है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुरहमान) : (क) योजना के प्रारूप (1978–83) में यह बताया गया है कि योजना के प्रधान उद्देश्यों में से एक उद्देश्य होना चाहिए 10 वर्ष की अवधि में बेरोजगारी और पर्याप्त अल्प-रोजगार को दूर करना।

(ख) यह अनुमान लगाना इस समय संभव नहीं है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए वर्तमान योजना में परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा राजस्थान को कहां तक लाभ हुआ है।

छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप से तैयार करना

6686. श्री केशव राव घोंडगे : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना इस बीच अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी है;

(ख) दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के बारे में तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फज़लुरहमान) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है और जल्दी ही पूरा हो जाने की आशा है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने, जिसकी बैठक नई दिल्ली में 24–25 फरवरी, 1979 को हुई थी, सरकारी क्षेत्र की योजना के कुल आकार को अनुमोदित किया और योजना के अगले चार वर्षों के लिए राज्यों को दी जानेवाली केन्द्रीय योजना सहायता की मात्रा के संबंध में भी निर्णय किया।

परिषद का निर्णय यह था कि अगले चार वर्षों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध होने वाली संभावित कुल धनराशि में से 1800 करोड़ रु० विशेष श्रेणी के राज्यों

के लिए और 600 करोड़ रु० राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए; तथा 4200 करोड़ रु० विशेष श्रेणी से इतर 14 राज्यों के बीच में, विशेष समस्याओं से संबंधित मापदंड के अलावा फार्मूले में निर्धारित किए गए विभिन्न मापदंडों के आधार पर वितरित किए जाने चाहिए। इनके अलावा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में कुल आशोधनों को करके अगले चार वर्षों में दी जाने वाली 2000 करोड़ रु० की राशि को हरेक राज्य की आय समायोजित कुल जनसंख्या के आधार पर, अर्थात् जनसंख्या द्वारा गुणित राज्य की प्रति व्यक्ति आय के विलोम के आधार पर, विशेष श्रेणी से इतर 14 राज्यों के बीच में वितरित किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय पुलिस संगठन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अधिकारियों की संख्या

6687. श्री आर० एल० कुरील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा संघ राज्य क्षेत्र में, अलग अलग, निम्नलिखित श्रेणियों के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है, (एक) महानिदेशक, (दो) पुलिस महा-निदेशक, (तीन) पुलिस उप-महानिदेशक, (चार) पुलिस अधीक्षक, (पांच) कमांडेंट्स, (छः) उप अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक/सहायक कमांडेट्स, (सात) केन्द्रीय सचिवालय अथवा अन्य सम्बद्ध संगठनों में उपरोक्त ओहदों पर नियुक्त अधिकारी; और

(ख) प्रत्येक ओहदे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारिता संघ लिमिटेड के लिये मंजूर की गई राशि

6688. श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों के दौरान समय समय पर आपके मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारिता संघ लिमिटेड को भारी धन राशि मंजूर की गई हैं;

(ख) क्या अनुदान में निर्धारित उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारिता संघ लिमिटेड का वेतन, किरायों और अध्यक्ष के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर अनुरक्षण व्यय कितना है;

(घ) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारिता संघ लिमिटेड गत कई वर्षों में मंजर किये गये अनुदान की शर्तों के अनुसार भारत के महालेखाकार के लेखा परीक्षित प्रतिवेदनों को प्रस्तुत नहीं कर सका; और

(ङ) यदि हां—तो इस संगठन को सौंपी गई सरकारी धनराशि पर सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक किस प्रकार उचित तरीके से निगरानी रखते हैं और इसे और धनराशि किस प्रकार रिलीज की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारिता संघ को विभिन्न स्वीकृत योजनाओं के लिए गत चार वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशियां (अंश पूंजी विनियोजन तथा अनुदान) स्वीकृत की गई :—

वर्ष	अनुदान (लाख रु० में)	अंश पूंजी विनियोजन (लाख रु० में)
1975–76 .	3.62	—
1976–77	5.76	6.00
1977–78 . .	4.07	5.00
1978–79 . .	2.22	—

(ख) औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा जो समाज के कमजोर वर्गों से मिलकर बना है, उत्पादित वस्तुओं के विपणन में संघ ने सहायता दी है ।

(ग) वर्षवार ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

शीर्ष	1975–76	1976–77	1977–78
1. वेतन	3,43,979.54	4,52,344.69	5,23,164.46
2. किराया	74,235.40	2,33,630.23	3,09,934.71
3. अध्यक्ष को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता	11,310.00	3,774.00	12,212.95

(घ) कानूनी लेखा परीक्षकों ने 1974–75 वर्ष की लेखा परीक्षा पूरी कर ली है लेकिन लेखा परीक्षा की रिपोर्ट अभी आनी है। उसके बाद के वर्षों की लेखा परीक्षा करने के लिए कानूनी लेखा परीक्षक की नियुक्ति अभी की जानी है।

(ङ) संघ के कार्य संचालन की जांच की गई थी। संघ द्वारा कार्यान्वयन के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया जा रहा है ताकि इसे फिर से सुदृढ़ बनाया जा सके और उन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके जिनके लिए इसे स्थापित किया गया है। फिलहाल निर्धारित खर्च पूरे करने के लिए ही निधियां प्रदान की गई हैं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो अमरीकी सैल में कारें

6689. **श्री राज नारायण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (आसूचना ब्यूरो) के अमरीकी सैल में 6 कारें हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कारों का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि आसूचना ब्यूरो की एक कार की शैफर के निवास स्थान से चोरी हो गई थी; और

(घ) यदि हां, तो स्टाफ कारों के गैरिज में खड़ी करने के बजाय यह कार ड्राइवर के घर ले जाए जाने के कारण क्या थे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) इस विषय पर कोई सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) और (घ) एक कार 10-9-1978 को एक ड्राइवर के निवास स्थान से चुराई गई थी और पांचवें दिन के पश्चात् बरामद की गई थी। ड्राइवर के विरुद्ध, उसकी गलती के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई है।

उच्च श्रेणी के कलर्कों के लिए पदोन्नति के अवसर

6690. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कुछ क्लर्कों की पदोन्नति के अवसर न उपलब्ध होने के कारण कई वर्षों से पदोन्नति नहीं हो रही है;

(ख) क्या इस तथ्य के बावजूद उनको सेवा करते 25 वर्ष हो गये हैं, उनकी पदोन्नति नहीं की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों में उच्च श्रेणी लिपिकों को असिस्टेंट्स के ग्रेड में पदोन्नति की प्रतिशतता बहुत कम है; और

(घ) (एक) प्रोत्साहन देने और (दो) पदोन्नति के अवसर जुटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा एक विकेन्द्रीकृत सेवा है और प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने-अपने संवर्ग का नियंत्रण करता है। फिर भी, संवर्गों के बीच पदोन्नति में असंतुलन को दूर करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग वार्षिक क्षेत्र (जोन), अर्थात् उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड से सहायक के ग्रेड में पदोन्नति

के लिए वरिष्ठता का क्षेत्र (रेंज), निश्चित करता है। अब निर्धारित किए गए जोनों के अनुसार, उस ग्रेड में लगभग 9 वर्षों की सेवा वाले उच्च श्रणी लिपिक पदोन्नति के जोन में आते हैं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के अनुसार उक्त ग्रेंड में 5 वर्षों की अनुमोदित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक सहायक ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र हैं। शायद ही कोई ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक होगा जिसकी उक्त ग्रेड में 25 वर्षों की सेवा के बाद भी सहायक ग्रेड में पदोन्नति नहीं हुई है।

(ग) उच्च श्रेणी लिपिकों की सहायक ग्रेड में पदोन्नति के लिए पदों की प्रतिशतता थोड़ी नहीं है, क्योंकि 50 प्रतिशत स्थायी रिक्तियां और सभी अस्थायी रिक्तियां उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति के लिए उपलब्ध हैं।

(घ) ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रोत्साहन देने और प्रगतिरोध को दूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलगाड़ियों द्वारा सीमेंट सप्लाई करने में कठिनाइयां

6691. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों में रेलगाड़ियों द्वारा सीमेंट सप्लाई करने के सम्बन्ध में कठिनाई अनुभव की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) अपर्याप्त रेल डिब्बों तथा रेलवे द्वारा समय-समय पर कुछ दिशाओं में लगाये गये ढुलाई संबंधी प्रतिबन्धों से सीमेंट की ढुलाई पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसका सुनिश्चय करने की दृष्टि से मांगकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे यथासंभव सड़क के द्वारा सीमेंट उठायें तथा इस प्रयोजन के लिये सड़क भाड़े की प्रतिपूर्ति को उदार बना दिया गया है। रेलवे बोर्ड से भी सीमेंट की ढुलाई करने के लिये रेल के माल डिब्बों की सप्लाई पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया गया है।

'हिन्दुस्तान लीवर्स' के लाइफबाय को कार्बोलिक वर्ग में रखना

6692. **डा० बापू कालदाते** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में साबुनों को तीन वर्गों में बांटा गया है;

(ख) क्या लाइफबाय, जोकि हिन्दुस्तान लीवर्स का एक सहयोगी उत्पाद है, को "कार्बोलिक" वर्ग में रखा गया है;

(ग) 'लाइफबाय' जैसे सख्त धुलाई साबुन को "कार्बोलिक" वर्ग में रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि हिन्दुस्तान लीवर्स ने "कार्बोलिक वर्ग" में लाने के अनुरूप उसके रासायनिक मिश्रण में परिवर्तन कर दिया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) कार्बोलिक साबुन के लिए कोई अलग भारतीय मानक विशिष्ट नहीं है। यदि कार्बोलिक साबन को कपड़े धोने के साबुन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो इसे कपड़े धोने के साबुन की विशिष्टताओं के अनुरूप होना चाहिए अथवा यदि इसे नहाने के साबुन के रूप में इस्तेमाल किया जाना है तो इसे नहाने के साबुन की विशिष्टताओं के अनुरूप होना चाहिए।

(घ) तथा (ङ) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० ने अपने कार्बोलिक साबुन के ब्रां के लिए लाइसेंस लेने हेतु भारतीय मानक संस्थान को आवेदन-पत्र नहीं भेजा है। अतः सरकार को कम्पनी द्वारा लाइफबाय के रासायनिक मिश्रण में परिवर्तन किये जाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि

6693. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77, 1977–78 और 1978–79 के दौरान प्रचलित मूल्यों के आधार पर इन तीन वर्षों में वर्ष-वार राष्ट्रीय आय कितनी थी; और

(ख) इस वर्ष कितनी राष्ट्रीय आय होने का अनुमान है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर रहमान) : (क) और (ख) वर्ष 1976–77 व 1977–78 के लिए प्रचलित मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय क्रमशः 66561 करोड़ रुपये तथा 73157 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। वर्ष 1978–79 के लिए ऐसे ही अनुमान अभी तैयार किये जाने हैं।

सिंथेटिक डिटर्जेन्ट

6694. **डा० बापू कालवाते** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को आरम्भिक अवस्था में कोर क्षेत्र उद्योग वर्गीकृत किया गया था।

(ख) क्या सिंथेटिक डिटर्जेंट को लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित घोषित करने और सिंथटिक डिटर्जेंट्स को कोर क्षेत्र से निकाल लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सिंथेटिक प्रक्षालक (डिटर्जेंट्) 2-2-1973 के औद्योगिक नीति विवरण के परिशिष्ट-1 में शामिल है।

(ख) और (ग) लघु क्षेत्र के लिए प्रक्षालकों के उत्पादन के आरक्षण का प्रश्न विचाराधीन है।

नागरिक संघर्ष समिति, गंगटोक से प्राप्त ज्ञापन

6695. श्री अमर राय प्रधान
श्री हुकम चन्द कछवाय } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को सिक्किम में 1977 में भारतीयों को नागरिकता के पूरे अधिकार न दिए जाने के बारे में नागरिक संघर्ष समिति, गंगटोक से कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : भाग (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) समिति ने कहा था कि सिक्किम की 32 सदस्यीय विधान सभा के सभी स्थान भूटिया लेप्चा जातियों, सिक्किम मूल के नेपालियों, अनुसूचित जातियों, मठों के संघों के लिए आरक्षित किये गये थे तथा भारतीय नागरिक जो उपरोक्त चार श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं उन्हें विधान सभा के चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। समिति की मांग यह थी कि सिक्किम के प्रत्येक भारतीय नागरिक को जिसे मत देने का अधिकार है, विधान सभा के चुनाव लड़ने का अधिकार भी होना चाहिए।

मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इस संबंध में उपयुक्त विधान संसद में विचार हेतु शीघ्र पुरःस्थापित करने की संभावना है।

बंगाल-नागपुर काटन मिल्स

6696. **श्री हुकम चन्द कछवाय**: क्या **उद्योग** मंत्री 16 अगस्त, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बंगाल-नागपुर काटन मिल्स पर जनवरी, 1976 से अक्तूबर, 1978 के अवधि से सम्बन्धित राशि बकाया है और अब तक कितनी राशि जमा कराई

गई है तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत जमा करवानी है और क्या इन दोनों राशियों को वसूल करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या उक्त मिल में ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके व्यापार सम्बन्धी अन्य बहुत से हित भी हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। इस समय जनवरी, 1976 से अक्टूबर 1978 की अवधि विषयक कर्मचारी राज्य बीमा (ई० एस० आई०) की कोई भी देय बकाया राशि बंगाल-नागपुर काटन मिल्स की ओर नहीं निकलती है।

(ख) जी नहीं।

होशियारपुर में कागज मिल की स्थापना

6697. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशियारपुर जिले में दो कागज मिल इस बीच मंजूर किय गये हैं;

(ख) इन मिलों द्वारा प्रति मास कुल कितना उत्पादन किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) ये मिलें कागज का उत्पादन कब आरम्भ करेंगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) होशियारपुर जिले में कागज मिलें स्थापित करने के लिए तीन एककों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ख) उन एककों की कुल अधिष्ठापित क्षमता प्रतिमास लगभग 2800 मी० टन है।

(ग) इनमें से एक एकक में 1979 के मध्य तक उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है। अन्य दो एककों में 1980 में उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

पंजाब क्षेत्र में पटसन मिलों को घाटा

6698. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब क्षेत्र में लगभग सभी पटसन मिलें बहुत समय से घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978–79 में देश में सभी पटसन मिलों को कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) घाटा पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और घाटे को पूरा करने के लिए भविष्य के लिये क्या योजना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकारी क्षेत्र में अभी तक कोई जूट मिल चालू नहीं की गई है।

(ख) चुंकि वर्ष अभी समाप्त हुआ है अत: 1978–79 में देश की सभी जूट मिलों के लाभ/हानि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जूट उद्योग की जीव्यता सुधारने के लिए उठाये गये महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :--

(1) निर्यात जो काफी कम हो गया है उसका सम्बर्द्धन करने के लिए सभी जूट उत्पादों पर से निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(2) चुनी हुई जूट वस्तुओं के निर्यात पर नगद क्षतिपूर्ति सहायता दी गई है।

(3) जूट उद्योग के लिए गठित विकास परिषद के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप का वित्तीयन करने के लिए जूट की वस्तुओं पर उपकर लगाया गया है।

(4) संयंत्रों तथा मशीनरी को आधुनिक बनाने के लिए उद्योग को सक्षम बनाने हेतु ब्याज की रियायती दर पर आसान शर्तों पर ऋण दिये जाने की एक योजना चालू की गई है ताकि उद्योग उत्पादिता सुधार सके व अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मिक बना सके।

वर्मा से नागालैंड आने वाले चीन में प्रशिक्षण प्राप्त नागाओं द्वारा तोड़-फोड़ की गतिविधियां

6699. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन में प्रशिक्षण प्राप्त नागाओं ने, जो बड़ी संख्या में बर्मा-सीमा से चोरी छिपे नागालैण्ड में आ गये हैं, एक बिजलीघर को उड़ा दिया है और तोड़-फोड़ के अन्य गंभीर कार्य किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) हाल ही में नागालैण्ड के मोन और टुएनसांग जिलों में कुछ हिंसक घटनाएं हुई हैं। इन में, कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा मोन में एक बिजलीघर पर आक्रमण शामिल है। बिजलीघर को कोई क्षति नहीं हुई थी। यद्यपि आक्रमण में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों की पहचान करना अभी तक नहीं हुआ है किन्तु यह सन्देह किया जाता है कि चीन से लौटे गिरोह के सदस्य जो कि सीमा पार ठहरे हुए हैं इन घटनाओं के पीछे हो सकते हैं। इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारियां नहीं की गयी हैं।

केन्द्रीय योजना सहायता में वृद्धि

6700. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय योजना सहायता में वृद्धि करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य के लिये कितनी अतिरिक्त धनराशि मांगी गयी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर रहमान) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद ने 24 और 25 फरवरी, 1979 को हुई अपनी बैठक में 1979-83 के लिये राज्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता की मात्रा निर्धारित की है और वे सिद्धान्त निश्चित किए हैं जिनके आधार पर इस सहायता को राज्यों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। राज्य-वार आवंटनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसलिए किसी राज्य के केन्द्रीय योजना सहायता में वृद्धि करने की मांग करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिल्ली में हत्या तथा बलात्कार के मामले

6701. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में **1978 के** दौरान हत्या तथा बलात्कार **के** कितने मामलों की रिपोर्ट की गई ; और

(ख) कितने मामले हल किए जा चुके हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) दिल्ली में 1978 के दौरान हत्या और बलात्कार के सूचित किए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	सूचित किए गए	रद्द किए गए	स्वीकार किए गये	हल किए गए
हत्या .	185	4	181	135
बलात्कार . . .	80	4	76	71

केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं में कनिष्ठ पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की भर्ती

6702. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं में कनिष्ठ पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा करने के लिये मार्च, 1979 के अंतिम सप्ताह में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय और उनके मंत्रालय के अधिकारियों का एक तो दिवसीय सम्मेलन होना था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 24 तथा 26 मार्च, 1979 को राज्य लोक सेवा आयोगों जैसी भर्ती एजेंसियों का एक दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन अनेक सिफारिशों के साथ समाप्त हुआ। सम्मेलन की कुछ मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(i) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती में हुई कमी को पूरा करना अनन्य रूप से उनके लिए ही विशेष भर्ती का आयोजन किया जाए।

(ii) जहां कहीं आवश्यक हो और सम्भव हो, ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र स्थापित किए जाएं, जहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की घनी आबादी हो।

(iii) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं।

(iv) छात्रावास, टाईपराइटर आदि जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(v) ऐसी परीक्षाओं तथा भर्तीयों के बारे में व्यापक प्रचार किया जाए जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण विद्यमान हैं।

(vi) भर्ती एजेंसियों को, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित विभिन्न पदों और सेवाओं में भर्ती के लिए निर्धारित अनुभव से संबंधित अर्हताओं में आवश्यक सीमा तक छूट देने का विवेक प्रदान किया जाए।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की बैठक

6703. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परिषद को परामर्श दिया है कि वह अपनी गतिविधियों को नई आर्थिक तथा औद्योगिक नीति के अनुकूल बनाये ;

(ग) यदि हां, तो उसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने नई दिल्ली में अपनी 15 मार्च, 1979 को हुई बैठक में तत्काल कार्यवाही करने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया है :—

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योग के विकास आयुक्त तथा अन्यों के सहयोग से साबुन तथा दियासिलाई उद्योगों का विकास करना

(2) विद्यमान एककों में लघु क्षेत्र उत्पादकता सुधार का विकास तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के सहयोग से आरक्षित वस्तुओं के लिये लघु एककों का विकास संवर्धन करना ।

(3) सरकारी क्षेत्र के संगठनों में जहां उत्पादकता कम है अथवा रुग्ण समझी जाती है, उत्पादकता में सुधार तत्काल ही अध्ययन के लिये पता लगाये गये कुछ एककों/क्षेत्रों में राज्य विद्युत मंडल, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के रुग्ण एकक तथा इंजीनियरी उद्योग बंबई बंदरगाह तथा मुगलसराय का रेलवे यार्ड आदि हैं ।

(4) मजदूर संघों की रुचि जाग्रत करने हेतु उपयुक्त योजनाओं का संवर्धन करना ताकि वे उत्पादिकता को अपने आन्दोलन का एक अविभाज्य अंग बना लें ।

(घ) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् साबुन तथा दियासिलाई उद्योगों का कुटीर/लघु क्षेत्र में विकास करने हेतु विस्तार से प्रस्ताव बना चुकी है । अन्य क्षेत्रों के बारे में परिषद् प्रस्ताव बना रही है ।

कल्याण मिल द्वारा वस्तुओं की बिक्री

6704. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **उद्योग** मंत्री 16 अगस्त, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याणमल मिल जनवरी, 1976 से अक्तूबर, 1978 के बीच कुछ पार्टियों को मिल में बने धागे, कपड़ों कटपीसों कतरनों तथा अन्य छोजनों एवं अवशिष्टों आदि जैसे अनेक वस्तुओं की बिक्री करता रहा था ; यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य की ऐसी वस्तुएं बेची गई और किन-किन पार्टियों को बेची गईं ?

(ख) किन किन पार्टियों को बेचे गए माल की कितनी राशि की अदायगी अभी प्राप्त नहीं हुई है, कब तक ऐसे वसूल कर लिया जायेगा और उक्त सामान सामान्यतः किन शर्तों पर बेचा जाता है ; और

(ग) क्या अदायगी प्राप्त करने के लिए भुगतान न करने की दोषी फर्मों को कोई नोटिस जारी किये गये हैं और यदि हां, तो उन्हें कितनी बार नोटिस दिये गये, इस प्रयोजन के लिये कितनी फर्मों के विरुद्ध मुकद्दमें दायर किये गये और कितने मुकद्दमे दायर किये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस): (क) से (ग) अधिकांश जानकारी उन जिल्दों में प्राप्त है जो दिनांक 19-4-78 और 10-5-78 को पूछे गये प्रश्न क्रमशः 7460 और 9827 संबंधी आश्वासनों को पूरा करने हेतु संसद पुस्तकालय में रखी जायेगी । यह समझा जाता है कि इस जानकारी को एकत्र करने में लगने वाले परिश्रम के अनुकूल फल नहीं निकलेगा ।

पोर्ट ब्लेयर में स्वाधीनता सेनानी स्वागत समितियों का गठन

6705. **श्री मनोरंजन भक्त**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रधान मंत्री द्वारा पोर्ट ब्लेयर में सुलुलर जेल का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उदघाटन करते समय, जबकि बड़ी संख्या में स्वाधीनता सेनानी

वहां उपस्थित थे स्वाधीनता सेनानियों के स्वागत के लिये दो स्वागत समितियां एक सरकारी समिति और एक अन्य नागरिक समिति का गठन किया गया था, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त श्री एस० एम० कृष्णामूर्ति ने भूतपूर्व अंडमान राजनैतिक बन्दी भ्रातृत्व मंडल द्वारा अनुरोध किये जाने के बावजूद सरकारी और गैर सरकारी संयुक्त स्वागत समितियों के गठन के लिए गैर सरकारी व्यक्तियों को अलग रखने की दृष्टि से विशेष आदेश जारी किये थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर जेल स्मारक के फरवरी, 1979 में हुए उदघाटन समारोह के बारे में अंडमान और निकोबार प्रशासन ने स्वागत समिति का गठन किया था जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्ति थे। यह मालूम हुआ है कि स्थानीय राजनैतिक दलों, सांस्कृतिक संस्थाओं तथा अन्य संघों ने भी एक नागरिक समिति का गठन किया था जिसका ब्यौरा अंडमान और निकोबार प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये थे।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं

6706. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की छठी पंचवर्षीय योजनाओं के ब्यौरे का योजना आयोग ने अध्ययन किया है ; यदि हां, तो ग्रामीण विकास की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और योजना परिव्यय की कुल प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण सड़क क्षेत्र में भारी कटौती की गई है, जिससे बाहरी और दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण विकास पिछड़ जाएगा; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की अवलम्बनीय आवश्यकता के प्रश्न पर योजना आयोग पुनर्विचार करेगा और यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण मामले की जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेजेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फज़लुर रहमान) : (क) से (ग) तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 1978–83 की छठी पंच वर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

हिन्दी टाइपराइटरों के लिए कुंजी पटल का निर्माण

6707. **श्री बसन्त साठे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों में हिन्दी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम के एक अंग के रूप में देश में स्वदेशी हिन्दी टाइपराइटरों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश में हिन्दी टाइपराइटरों के वर्तमान वार्षिक उत्पादन का एकक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देवनागरी लिपि के अपने सुधरे हुए कुंजी-पटल के बारे में विश्व टाइप-राईटिंग जादूगर और शोध विद्वान, अकोला के श्री एस० एन० निलाखे से कुछ समय पहले सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के एक माध्यम के रूप में अपने कुंजी पटल का निर्माण करने के लिए उनके प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बड़े पैमाने पर अपने कुंजी पटल का निर्माण करने के लिये श्री निलाखे जैसे उपरोक्त विद्वान और लघु उद्यमी को प्रोत्साहन देने के मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके द्वारा निकाले गये कुंजी पटल के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि देवनागरी टाइपराइटरों का आवश्यकतानुसार अधिक निर्माण हो। पिछले तीन वर्षों में विभिन्न कम्पनियों ने देवनागरी टाइपराइटर निम्नलिखित संख्या में तैयार किए हैं :—

	1976	1977	1978
गोदरेज, बम्बई	2723	2260	3104
रैमिंग्टन रैण्ड, कलकत्ता	3019	5311	4720
रैमिंग्टन रैण्ड, फरीदाबाद	—	1059	1302
रायला, मद्रास	1115	732	1066
कुल	6857	9362	10192

(ग) और (घ) कुछ समय पहले श्री निलाखे ने रोमन लिपि के टाइपराइटरों के कुंजीपटल पर आधारित देवनागरी लिपि के टाइपराइटर के लिए कुंजीपटल बनाने का सुझाव दिया था। उनसे अनुरोध किया गया था कि वे परीक्षण के लिए अपनी मशीन कुछ समय के लिए उपलब्ध कराएं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस परिस्थिति में, भली-भांति परीक्षण किए बिना, कथित कुंजीपटल के बारे में कोई राय निर्धारित करना सरकार के लिए संभव नहीं है।

श्रम प्रधान किस्म की योजनाओं का अध्ययन

6708. श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवी योजनावधि में केन्द्र द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय क्षेत्र की श्रम प्रधान किस्म की योजनाओं के बारे मे अध्ययन किया है तथा कार्यक्रम योजना, कार्यक्रम की रूपरेखा, परियोजना क्षेत्रों में केन्द्रीय/राज्य तथा क्षेत्रस्तर पर की गई प्रशासनिक तथा अन्य व्यवस्था, निष्पादित योजनाओं की तकनीकी सहायता के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है तथा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में योजनाओं के पूरा होने पर प्राप्त परिणामों की क्या स्थिति है; और

(ख) यदि हां, तो उसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं और नई योजनाएं बनाते समय इन बातों/निष्कर्षों को कहां तक ध्यान में रखा गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर रहमान) : (क) और (ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने पांचवीं योजना की अवधि में कार्यान्वित की गई ग्रामीण रोजगार के लिए पुरजोर स्कीम और शिक्षित बेरोजगारों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्षों के सारांश संलग्न हैं। इस समय ऐसी कोई स्कीम न तो चल रही है और न ही सरकार के विचाराधीन है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4283/79)

दस्तकारों और लघु उद्योगों को विशेष सहायता

6709. श्री नाथू सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस्तकारों, ग्राम तथा उद्योगों तथा लघु उद्योगों को विशेष सहायता देने और पिछड़े जिलों में ब्याज की दर कम करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी, हां।

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा 12 दिसम्बर, 1978 को सभी वाणिज्यिक बैंकों को जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, कारीगरों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों और अत्यन्त लघु क्षेत्र के लघु उद्योगों के लिए 25,000 रु० तक के बैंक ऋण को उपस्कर वित्त के लिए मिला जुला सावधि ऋण अथवा कार्यकारी पूंजी अथवा दोनों ही माना जाएगा। कारीगरों, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों तथा अत्यन्त छोटे क्षेत्र में लघु उद्योगों को 25,000 रु० से अधिक अथवा 1 लाख रु० से कम दी गई कार्यकारी पुंजी के लिए बैंक 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ब्याज नहीं लेंगे। लघु बैंकों को छोड़ कर जिनकी कुल मांग नथा समयबद्ध देनदारियां 25 करोड़ रु० से कम हैं 13-1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिक ब्याज नहीं लेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 दिसम्बर, 1977 को सभी अधिसूचित बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किये हैं और बैंकों को सलाह दी हैं कि ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु एककों तथा लघु क्षेत्र में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु तकनीकी उद्यमियों द्वारा बढ़ावा दिये गये एककों से 11 प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज न लें।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज की कम दर लेने की योजना जारी रहेगी और उस क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं के बारे में ऋण की अवधि बढ़ा देने की सुविधाएं देना भी जारी रहेगा। जिला उद्योग केन्द्र, जिनमें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गये सभी भूतपूर्व क्षेत्र शामिल हैं, इन योजनाओं को चलायेंगे । पिछड़े हुए क्षेत्रों में प्रारम्भिक ऋण दाताओं के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनः वित्तीय किये गये ऋणों पर ब्याज की अधिकतम दर 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

उड़ीसा में सीमेंट का एक छोटा कारखाना स्थापित किया जाना

6710. श्री डी० अमात : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि औद्योगिक विकास निगम के विस्तार कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में सीमेंट का एक छोटा कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा और निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) राज्य औद्योगिक विकास निगम उड़ीसा लिमिटेड भुवनेश्वर की एक योजना किरींगशेरा जिला सुन्दरगढ़ में (अनुमानित) 172 लाख रु० की लागत से 33000 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 23 अगस्त, 1978 को तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत की गई है। निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा यह बताना अभी समय पूर्व होगी।

सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेन्टस आर्गेनाइजेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पद

6711. डा० सरदीश राय : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर्गेनाइजेशन में श्रेणीवार, कितने पद भरे गये हैं और कितने नये पद बनाये गये हैं;

(ख) इनमें से कितने पद अनूसुचित जातियों तथा अनूसुचित जन-जातियों के लिये आरक्षित थे;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कितने उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र भेजे थे और उनमें से कितने उम्मीदवारों को चयन किया गया है; और

(घ) इस समय सेन्ट्रल साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स आर्गेनाइजेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी श्रेणी-1, श्रेणी-II, श्रेणी-III और श्रेणी चार के पदों पर काम कर रहे हैं और प्रत्येक श्रेणी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के इंजीनियरों और आर्कीटैक्टों के अधीन कार्यरत व्यक्ति

712. श्री रामविलास पासवान
श्री श्याम लाल धर्वे : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री 7 मार्च 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2326 और 2346 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के इंजीनियरों और आर्कीटैक्टों के सीधे अधीन कार्यरत प्लम्बर, मैसन वैल्डर आदि जैसे व्यक्तियों को "टैक्नीकल" घोषित किया गया है तथा इंजीनियरों और आर्कीटैक्टों को छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनकी योग्यता और कार्य के स्वरूप की दृष्टि से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के इंजीनियर और आर्कीटैक्ट टैक्नीकल व्यक्ति हैं;

(घ) क्या यह सच है कि मुख्यालय के इंजीनियर और आर्कीटैक्ट आयोजना और निष्पादन में सी० बी० आर० आई० और एस० ई० आर० सी० के अनुसंधान कार्य को क्रियान्वित कर रहे हैं और इस प्रकार के समन्वय स्थापित करते हैं;

(ङ) क्या कर्मचारियों का श्रेणी संबंधी वर्धाराजन समिति का प्रतिवेदन भवन निर्माण और इंजीनियरी सेवा के कर्मचारियों को पांच वर्ष एसेसमेंट और सेवा निवृत्ति आयु जैसे कुछ लाभों से वंचित करने के लिए निहित पूर्वाग्रहों पर आधारित था; और

(च) यदि हां, तो इन विषमताओं को कब तक दूर किये जाने की संभावना है;

रक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क), (ख) और (ग) सी० एस० आई० आर० के कर्मचारियों के पूर्वनिर्धारित चार श्रेणियों—वैज्ञानिक, तकनीकी, सहायक तकनीकी और प्रशासनिक के स्थान पर अब—"वैज्ञानिक", "तकनीकी" और "प्रशासनिक" तीन श्रेणियों में पुनः वर्गीकृत करने के लिये सी० एस० आई० आर० का शासी सभा ने एक निर्णय लिया है नलसाज, राज मिस्त्री, और वैल्डरों के पदों को पहिले "सहायक तकनीकी" के रूप में वर्गीकृत किया गया था अब उन्हें "तकनीकी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहले सी० एस० आई० आर० की शासी सभा ने यह अनुभव किया था कि चूंकि—सी० एस० आई० आर० के इंजीनियरी एकक के इंजीनियर और वास्तविक अनुसंधान कार्यों में कोई योगदान नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें "प्रशासनिक" के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह सत्य है कि सी० एस० आई० आर० के इंजीनियर और वास्तविक तकनीकी कार्य में संलग्न हैं और उनकी योग्यताएं तकनीकी हैं।

(घ) सी० एस० आई० आर० के इंजीनियरी एकक के इंजीनियर और वास्तविक मुख्य रूप से योजना और भवन निर्माण कार्य की सेवाओं में कार्यरत हैं। इन कार्यों को करते समय, वे एस० ई० आर० सी० और सी० बी० आर० आई० द्वारा विकसित कुछ उत्पादों और तकनीकों का प्रयोग करते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) कुछ हद तक स्थिति नियम विरुद्ध है और इसलिए मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है। इस स्तर पर कोई निश्चित समयावधि नहीं बतायी जा सकती।

ग्लेक्सो इंडस्ट्रीज द्वारा कम्पयूटर का आयात

6713. **श्री ए० के० राय :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बहुराष्ट्रीय भेषज कम्पनी ग्लेक्सो लेबोरेट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई को एक बड़े कम्पयूटर आयात करने की अनुमति दी गई है जिससे देश की रोजगार की सम्भावनाओं को खतरा पैदा हो गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सरकार द्वारा घोषित देश की रोजगार उन्मुखी औद्योगीकीकरण की नीति के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अनुमति को वापस लेने का है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सेवा निवृत्ति के पश्चात और गैर-सरकारी उद्यमों में काम करने वाले केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी

6714. **श्री ए० के० राय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार के कितने वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी उद्यमों में काम कर रहे हैं?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इस सूचना को मानीटर नहीं किया जाता है।

अध्ययन दल के निष्कर्ष

6715. **श्री ए० के० राय :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उद्योग मंत्रालय के अध्ययन दल के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है कि सरकारी तंत्र से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये ऐसे कर्मचारियों के पुराने सम्पर्कों का अक्सर उपयोग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विनियमन तथा प्रक्रिया संबंधी अध्ययन दल ने अनेक सिफारिफ की हैं। किन्तु, इस दल ने निजी उद्यमों द्वारा सेवा निवृत्ति के उपरान्त केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधि-

कारियों को रोजगार दिये जाने व अनुचित लाभ उठाने के बारे में उनके पुराने सम्पर्क का उपयोग करने संबंधी कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

पटसन उत्पादों के विकास के लिए पूर्णिया जिला (बिहार) में व्यापार मेला

6716. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटसन और पटसन उत्पादों के विकास के लिये बिहार के पूर्णिया जिले में कोई व्यापार मेला लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा वहां पटसन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) पटसन और पटसन उत्पादों के विकास के लिए बिहार के पूर्णिया जिले में व्यापार मेला लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। किन्तु, एकक की क्षमता तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1972–73 में गहन जूट जिला कार्यक्रम की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना उस जिले में शुरू की गई थी। यह योजना वर्ष 1979–80 में भी चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत, पूर्णिया जिले में जूट के विकास के लिए भारत सरकार शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। गहन जूट जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले की 80,000 हेक्टेयर भूमि शामिल की गई है तथा बिहार में जूट का उत्पादन वर्ष 1974–75 में 546,000 गांठें था उससे बढ़कर वर्ष 1978–79 में 881000 गांठें हो गया है।

वाई बोल्टाइन रेशम का आयात

6717. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने 100 टन वाई बोल्टाईन रेशम का आयात करने का निर्णय किया है जो लगभग कर्नाटक में बाई बोल्टान के समूचे उत्पादन के बराबर है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बाई बोल्टाइन रेशम के आयात से कर्नाटक के बाई रेशम के मूल्यों में कमी होगी;

(ग) यदि हां, मूल्य किस सीमा तक कम होंगे;

(घ) क्या इसके मूल्यों में कमी के परिणामस्वरूप कर्नाटक के उत्पादन घटिया किस्म के केवल मल्टी बोल्टाइन का ही उत्पादन करते रहेंगे ।

(ङ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक के उत्पादकों ने 100 टन वाई बोल्टाइन रेशम रेशम के आयात पर आपत्ति की है; और

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं । किन्तु प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत निर्यात संवर्द्धन के एक उपाय के रूप में प्राकृतिक रेशम वस्तुओं के निर्यात के बदले बोल्टाइन कच्चे रेशम के आयात की अनुमति दी जाती है । मलबरी के मूल्य स्थिर करने की योजना को चलाने के लिए कच्चे रेशम की बहुत थोड़ी मात्रा का आयात करने का भी प्रावधान किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत मैक्सफैक्टर ट्रेडमार्क का प्रयोग

6718. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में मैक्सफैक्टर ट्रेडमार्क का प्रयोग किया जाता है;

(ख) किस आधार पर इस ट्रेडमार्क का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि कोई अप्रत्यक्ष धारणा है तो क्या सरकार ने उसे रोका है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स मैक्स फैक्टर एण्ड कम्पनी, अमेरिका के साथ पंजीयित उपयोगकर्ता अनुबंध के आधार पर मैसर्स स्वास्तिक हाऊसहोल्ड एण्ड इण्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स (अम्बालाल साराभाई एन्टरप्राईसेस लिमिटेड का एक प्रभाग) भारत में "मैक्स फैक्टर" ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने मैक्स फैक्टर ट्रेड मार्क के उपयोग का अप्रत्यक्ष प्रभाव मालूम करने के लिए एक जांच की है।

राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये योजना

6719. **श्री नाथू सिंह**
श्री चतुर्भुज } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्योरा क्या है और चालू छटी पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों की स्थिति में सुधार करने के लिए किए जाने वाले उपायों का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या इसके लिए क्षेत्रों का चयन कर लिया गया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) एक उप-योजना, 50 प्रतिशत या उससे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। ये अनुलग्नक में दिए गए हैं।

इन क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं में विकास के सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं अर्थात :—

1. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र।
2. सहकारिता।

3. जल और बिजली विकास।
4. उद्योग।
5. संचार।
6. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं।
7. आर्थिक सेवाएं और
8. केन्द्रीय सेवाएं।

विभिन्न प्रकार के शोषण अर्थात् भूमि हस्तांतरण, ऋणग्रस्तता आदि को रोकने के लिए भी उपाय किए गए हैं।

मध्यम-अवधि योजना 1978–83 में इन योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं०एल०टी०4284-79]

परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोगों के लिये यूगोस्लाविया के साथ सहयोग करार

6720. **श्री नाथू सिंह :**
श्री शंकर सिंह जी० वाघेला
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री जी० एम० बनातवाला
डा० विजय मंगल
श्री बागुन सुम्बरूई } : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया और भारत ने शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग में सहयोग देने के लिए एक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान और औद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए करने के सबंध में सहयोग करने के बारे में 16 मार्च, 1979 को, भारत और यूगोस्लाविया के बीच एक करार बम्बई में हुआ। इस करार में वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण हेतु शिक्षावृत्ति देने, अवर्गीकृत सूचना का आदान-प्रदान करने, एक दूसरे के यहां वैज्ञानिक भेजने, सामग्री और उपस्करों को पट्टे पर देने या बेचने और समय-समय पर पारस्परिक सहमति से सहयोगात्मक कार्यक्रमों को मूर्तरूप देने की व्यवस्था की गई है। इस करार के अन्तर्गत संयुक्त रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

विभिन्न उद्योगों की विकास दर

6721. **श्री धर्म वीर वशिष्ट :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978–79 में भारी उद्योगों तथा इजीनियरिंग उद्योगों का समूचे रूप में कार्यनिष्पादन क्या रहा है;

(ख) औद्योगिक मशीनरी, वायलर, सीमेंट मशीनरी, ट्रैक्टर, क्रेन, मशीन टूल्स, मोटर कार, वाणिज्यिक वाहन, मोटर साईकिल, बिजली के उपकरणों और ड्राई सैलों का उत्पादन तथा उनकी वद्धि दर क्या रही है; और

(ग) यदि निर्यात हेतु इनका अतिरिक्त उत्पादन हुआ है तो वह कितना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित किए गए सामान्य सूचकांक के अनुसार "इंजीनियरिंग उद्योगों' (जिसमें मूल धातु उद्योग, धातु उत्पाद गैर विद्युतीय मशीनरी, विद्युतीय मशीनरी, परिवहन उपस्कर आदि जैसे उद्योगों के ग्रुप शामिल हैं) के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले उद्योगों की विकास दर 1978–79 के प्रथम नौ महीनों (अप्रैल-दिसम्बर) में 7.2 प्रतिशत थी। "भारी उद्योगों" के तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अधिकांश इंजीनियरिंग उद्योगों के निर्यात लक्ष्य निर्यात संवर्द्धन परिषदों/वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अतः निर्यात योग्य अधिशेष माल के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

अप्रैल, 1978 से जनवरी, 1979 में चुने हुए इंजीनियरी उद्योगों में उत्पादन तथा विकास दर:

उद्योग	गणना की इकाई	अप्रैल, 1977 जनवरी, 78	अप्रैल, 1978 जनवरी 79	विकास दर (प्रतिशत)
1. बायलर	करोड़ रुपए	156.6	170.8	+ 9.1
2. सीमेंट मशीनरी	––वही––	16.88	31.69	87.7
3. ट्रैक्टर	हजार संख्या	31.8	44.9	41.2
4. क्रेन	ह० मी० टन	14.6	15.1	3.4
5. मशीन यंत्र	करोड़ रुपए	81.3	100.9	+ 24.1
6. कारें	हजार	30.2	29.8	—1.3
7. वाणिज्यिक गाड़ियां	––वही––	32.7	45.8	+ 40.1
8. मोटर साइकिल	––वही––	55.2	74.9	+35.7
9. शुष्क सेल	दस लाख	522	684	+31.0

नोट :––आंकड़ें अनन्तिम हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विस्तार पर प्रतिबन्ध

6722. **श्री धर्म वीर वशिष्ठ :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़े औद्योगिक गृहों के क्रियाकलापों को सीमित करने और उनको देश के सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों के अनुसार बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) बड़े औद्योगिक गृहों को किन विशिष्ट क्षेत्रों में विस्तार करने से रोका गया है तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) तथा (ख) सरकार ने दिसम्बर, 1977 के औद्योगिक नीति विवरण में यह बताया है कि जो बड़े एकक लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुएं पहले से ही बना रहे हैं उन्हें अपनी क्षमता का विस्तार नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी ओर कुल क्षमता में इन एककों के अंश को धीरे-धीरे कम किया जाएगा और लघु क्षेत्र तथा कुटीर क्षेत्र के अंश को बढ़ाया जाएगा। यह नीति दृढ़ता से लागू की जा रही है।

चमड़ा-रसायन तथा जूतों सम्बन्धी अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी

6723. **श्री धर्म वीर वशिष्ठ**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय चमड़ा-रसायनों तथा जूतों संबंधी अन्य वस्तुओं के आयात शुल्क में कमी करने से उसके लिए अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ख) इस संबंध में निश्चित किए गए रसायनों की विस्तृत सूची क्या है; और

(ग) चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए छठी योजना में क्या लक्ष्य अपेक्षित हैं?

उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) चूंकि कुछ चमड़ा रसायनों व जूते के सहायक सामान/हिस्सों पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती 10 फरवरी, 1979 को ही अधिसूचित की गई है, अतः अभी यह नहीं बताया जा सकता कि इससे वांछित उद्देश्य प्राप्त हुआ है या नहीं।

(ख) चमड़ा उद्योग के जिन रसायनों एंव जूता उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्सों/सहायक सामान के आयात शुल्क में कमी की गई है उनकी सूची संलग्न है।

(ग) वर्ष 1982–83 तक तैयार चमड़े व चमड़े की वस्तुओं का निर्यात चालू मूल्यों पर 423 करोड़ तक पहुंच जाने की आशा है।

विवरण

क्र० सं०	विवरण
(1)	(2)
1.	सल्फोनेम्टेड कोड तेल या सल्फेटेड काड तेल या आक्सीडाइज्ड काड तेल या सल्फोनेटेड नीट्स फूट तेल या ओक्सीडाइज्ड नीट्स फूट तेल या सल्फेटेड नीट्स फूट तेल या ओक्सीडाइज्ड नीट्स फूट तेल या क्लोरीनेटेड नीट्स फूट तेल या सल्फोनेटेड फिश तेल या सल्फेटेड फिश तेल या ओक्सीडाइज्ड फिश तेल या क्लोरीनेटेड फिश तेल या उनके मिक्सचर।
2.	सिनयन्स।
3.	चमड़े के लिए पिगमेंट फिनिशेज।

(1)	(2)

4. सिन्थैटिक फैट लीकर्स (हाइड्रोकार्बन सहित या रहित)।
5. सेल्फ बेसीफाइंग क्रोम टैनिंग पदार्थ, अल्युमिनियम टैनिंग पदार्थ, आयल टैनिंग एजेन्ट्स, रेसिन टैनिंग एजेन्ट्स, जिर्कोनियम टैनिंग एजेन्ट्स।
6. भैंस की खाल से बना सोल का चमड़ा व कटे हुए सोल तथा उसके हिस्से।
7. आकारों में कटे हुए पोतीयुरथीन सोल।
8. सोल में रिइन्फोर्सड स्टील।
9. चमड़े व प्लास्टिक की एड़ियां।
10. थर्माप्लास्टिक के अंगूठे और एड़ियां।
11. चमड़े व प्लास्टिक की पेटियां।
12. बक्कल व जूतों की अन्य वस्तुएं।
13. शू आइलेटस।
14. द्रवण या ब्लाक में शू-फिनिशिंग पालिश।
15. निम्नलिखित घुलनशील रंगने के पदार्थ ।

संख्या	रंगाई के पदार्थ	ह्यू नं०	रंग सूचकांक
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	डाइरेक्ट ब्राउन	214	–
2.	एसिड ब्राउन	150	–
3.	एसिड ब्राउन	52	–
4.	एसिड ब्राउन	238	–
5.	एसिड ब्राउन	151	–
6.	एसिड ब्राउन	239	–
7.	एसिड ब्राउन	147	–
8.	एसिड ब्राउन	188	–
9.	एसिड ब्राउन	189	–
10.	एसिड ब्राउन	314	–
11.	एसिड ब्राउन	235	–
12.	एसिड ब्राउन	191	–
13.	एसिड ब्राउन	192	–
14.	एसिड ब्लैक	162	–
15.	एसिड ब्लैक	67	–
16.	एसिड ब्लैक	169	–
17.	एसिड ब्राउन	143	–
18.	डाइरेक्ट ब्ल्यू	59	–
19.	एसिड ब्राउन	321	–
20.	एसिड ब्राउन	290	–
21.	एसिड ब्राउन	322	–
22.	एसिड ग्रीन	93	–

(1) (2)	(3)	(4)
23. एसिड ब्राउन	127	—
24. एसिड ब्लैक	82	20265
25. एसिड ब्राउन	145	20260
26. एसिड ब्राउन	265	13280
27. एसिड ग्रीन	49	—
28. एसिड ब्लैक	83	—
29. एसिड ब्राउन	144	14295
30. एसिड ब्राउन	146	26531
31. एसिड यलो	86	23310
32. एसिड ब्ल्यू	133	—
33. एसिड रेड	234	—
34. एसिड रेड	235	—
35. एसिड रेड	236	—
36. एसिड ब्राउन	159	—
37. एसिड ब्राउन	160	—
38. एसिड ब्राउन	161	—
39. एसिड ब्राउन	162	—
40. एसिड ब्राउन	163	—
41. एसिड ब्राउन	48	—
42. एसिड ब्राउन	311	—
43. एसिड ब्राउन	126	—
44. एसिड ब्राउन	236	—
45. एसिड ब्राउन	276	—
46. एसिड ब्राउन	188	—
47. एसिड ब्राउन	277	—
48. एसिड ब्राउन	130	—
49. एसिड ब्राउन	303	—
50. एसिड ब्राउन	237	—
51. एसिड ब्लैक	76	—
52. एसिड ब्लैक	194	30336
53. एसिड ब्राउन	279	—
54. एसिड ब्राउन	165	—
55. एसिड ब्ल्यू	134	—
56. एसिड ग्रीन	26	—
57. एसिड ओरेन्ज	78	—
58. एसिड भायलेट	80	—
59. एसिड यलो	96	—

(1)	(2)	(3)	(4)
60.	एसिड ब्राउन	206	25010
61.	एसिड ब्लैक	84	17560
62.	एसिड ब्राउन	103	10415
63.	एसिड ब्राउन	75	34905
64.	एसिड ब्राउन	85	34900
65.	एसिड ब्राउन	84	20255
66.	एसिड ब्राउन	325	–
67.	एसिड ब्लैक	173	–
68.	एसिड ब्राउन	92	36020
69.	एसिड ब्राउन	324	–
70.	एसिड ब्राउन	86	17595
71.	एसिड ब्राउन	87	17596
72.	एसिड ब्राउन	92	36020
73.	एसिड ब्राउन	86	34900
74.	एसिड ब्लैक	69	30260
75.	एसिड ब्ल्यू	36	29115

निर्धनों की प्रति व्यक्ति आय

6724. **श्री बी० सी० काम्बले :**

(क) क्या यह सच है कि लगभग 85 प्रतिशत भारतीय जनता नितांत बेसहारा और निर्धन है;

(ख) जनता के यह वर्ग किस-किस सामाजिक समूह के हैं;

(ग) जनता के उपरोक्त तीनों वर्गों में प्रत्येक वर्ग की प्रति व्यक्ति आय क्या है; और

(घ) सरकार ने इन वर्गों की मुसीबतों को समाप्त करने के लिए क्या विशेष योजनाएं बनाई हैं और प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर रहमान) : (क) जी नहीं। 1978–83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को तैयार करने में योजना आयोग द्वारा अपनाए गए मानक के अनुसार 1977–78 में निराश्रितों सहित गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत 46.33 था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में यह कहा गया था कि जनसंख्या के सबसे अधिक गरीब 10 प्रतिशत लोगों में अधिकांशतः निराश्रित, विकलांग व्यक्ति और अन्य हैं जो आर्थिक कार्यकलाप में अधिक भाग नहीं ले सकते।

(ख) गरीबी के स्तर से नीचे की जनसंख्या के सामाजिक गठन के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि जैसा कि 1978–83 की योजना के प्रारूप में बताया गया

है अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां जनसंख्या के सबसे गरीब वर्गों में से हैं। गरीबों में सर्वाधिक बहुसंख्या भूमिहीन मजदूरों और मझौले किसानों की है। जिन ग्रामीण दस्तकारों के परंपरागत रोजगार उत्तरोत्तर समाप्त हो गए हैं वे इन समूहों में सम्मिलित हैं।

(ग) लोगों की इन श्रेणियों अर्थात् निराश्रित, गरीब और इतने गरीब नहीं की प्रति व्यक्ति आय के ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(घ) अब अपनाई गई विकास कार्यनीति का मुख्य बल एक दशक में गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी करने पर है। इसलिए योजना के प्रारूप (1978–83) में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों, सिंचाई तथा ग्राम और कुटीर उद्योगों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है, जिनमें बेशी श्रमिकों को काम पर लगाने की सबसे अधिक क्षमता है। विस्तारित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है जिससे कि कुछ मूल सुविधाओं की व्यवस्था के जरिए गरीबों के जीवन-स्तर को उन्नत करने में सीधे सहायता की जा सके।

योजना में गरीबों की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उसमें पिछड़े वर्गों के लिए धनराशि की व्यवस्था को सामान्य विकास कार्यक्रमों में एकीकृत करने का प्रस्ताव है जिससे कि इन्हें प्रभावी रूप में कार्यान्वित किया जा सके। उसमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष उप-योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र आयोजना के लिए खंडों का चयन इस तरह से किया जाता है कि वे पिछड़े वर्गों, खेतिहर मजदूरों तथा छोटे और मझौले किसानों के अनुकूल हों।

राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में अंत्योदय योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें सबसे अधिक गरीब लोगों और निराश्रितों की गरीबी को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष प्रयत्न किया गया है।

दुकानदारों द्वारा कागज के अधिक मूल्य लिया जाना

6725. **श्री शंकर सिंह जी० वाछेला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
डा० विजय मण्डल
} क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मिलों द्वारा दुकानदारों को विभिन्न किस्म का कागज किस मूल्य पर सप्लाई किया जाता है;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित दरों से 150 रुपए से 200 रुपए प्रति क्विंटल अधिक दरों पर कागज बेच रहे है और इसके लिए वे रसीद नहीं देते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में एक जांच समिति गठित करने अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस बात की जांच कराने का है कि कागज इस ढंग से काला बाजार में क्यों बेचा जाता है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) कागज व्यापार में बिचौलियों की एक कड़ी है तथा फुटकर मूल्य में मिल से निकलते समय का मूल्य, उत्पादन

शुल्क, भाड़ा स्थानीय कर तथा वितरक का लाभ शामिल होता है। चूंकि कागज की विभिन्न किस्में हैं, इसलिए उनका मूल्य एक समान नहीं होते हैं।

(ख) और (ग) चूंकि कागज के मूल्यों पर कोई भी कानूनी नियंत्रण नहीं है, अतः कानूनी कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि मांग तथा संभरण के बीच मामूली असंतुलन कीमतों में वृद्धि का कारण न बने, सरकार कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है तथा कागज को आयात करने की भी योजना बना रही है।

व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान सम्बन्धी प्रतिवेदन

6726. **श्री शंकर सिंह जी बघेला**
श्री जी० एम० बनातवाला
डा० विजय मंडल : } : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, इस बीच, व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान के बारे में प्रो० पी० आर० सेनगुप्ता का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई हैं।

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, इस बीच कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिक्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) जी हां। यह रिपोर्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च (व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान) द्वारा तैयार की गई है।

(ख) सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) रिपोर्टों का अध्ययन किया जा रहा है।

रिपोर्ट में रोजगार के प्रतिमान विवरण और वैज्ञानिक जनशक्ति की विशेषताओं को प्रकट किया गया है और इसमें प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान और विकास के लिए जनशक्ति की भावी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए मानदण्ड भी दिए गए हैं।

यद्यपि, यह रिपोर्ट मुख्यतः एक वर्तमान स्थिति रिपोर्ट के रूप में है, तथापि इसमें कुछ सामान्य सिफारिशें भी की गई हैं। इस रिपोर्ट के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं—(1) सांस्थानिक क्षेत्र जिसमें सी० एस० आई० आर० श्रंखला और एफ० सी० आई० जैसे कुछ बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी शामिल हैं, (2) औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें प्रतिदर्शी आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं शामिल हैं, और

(3) विश्वविद्यालय क्षेत्र, (कुछ विश्वविद्यालयों और आई० आई० टी० संस्थाओं के) परन्तु मुख्यतः आई० आई० टी० प्रणाली पर आधारित।

मुख्य सिफारिशें हैं :

1. औद्योगिक क्षेत्र

(1) एक निर्बाध बाजार परिस्थिति में, प्रत्येक उद्योगों को मशीनों के अप्रचलन के विरुद्ध पर्याप्त पुर्वोपाय करने पड़ते हैं, जिससे कि अधिक परिष्कृत प्रौद्योगिकी या और अधिक आकर्षक उत्पदन के बाजार में आने पर ये, औद्योगिक प्रतियोगिता में पीछे न रह जाएं ।

(2) जहां तक कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध कार्मिकों के प्रकार्यात्मक वितरण का सम्बन्ध है, इसमें कहा गया है कि, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य का प्रयोजन विपणन योग्य (बिक्री योग्य) प्रौद्योगिकी और तकनीकी नवोन्मेष का विकास करना है, अतः उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम अभिकल्प और विकासोन्मुख होने चाहिए। अनुसंधान और विकास कार्मिकों और सहायक कार्मिकों के बीच 1 : 1 का कुल प्रकार्यात्मक अनुपात पर्याप्त न्याय संगत है।

(3) उद्योग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य में विज्ञान और प्रौद्योगिक के स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त कार्मिकों के उपयोगीकरण का अनुपयुक्त प्रतिमान चिन्तय विषय है और इसके लिए उत्तरदायी कारणों को सुनिश्चित करने के लिए गहन अध्ययन किया जाना चाहिए।

(4) औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य में मुख्यतः (क) अभिकल्पन और विकास और (ख) विपणन को शामिल किया जाना चाहिए।

अनुसंधान और विकास के अंश पर व्यय किए गए प्रत्येक रुपए के लिए, उत्पादन के सफलतापूर्वक विपणन और नवोन्मेष के लिए उद्योग की किस्म के अनुसार इससे पांच से 10 गुना तक धन लगाने के लिए अर्थव्यवस्था को तत्पर किया जाना चाहिए।

(5) विनिर्माण उद्योगों को विकासात्मक या तकनीकी अनुसंधान और विकास कार्य पर विभिन्न संस्थाओं के अनुसंधान और विकास परिणामों का उपयोग करने के लिए समतुल्य राशि व्यय करनी चाहिए । उद्योग को प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से औद्योगिक संवृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

2. सांस्थानिक क्षेत्र

(1) प्रौद्योगिकी और व्यावसायिकों के बेहतर उपयोगीकरण के बारे में एक अंतः विषयशास्त्रीय उपागम होना चाहिए।

(2) वेतनवार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के वितरण के प्रतिमान की पूर्ण रूप से जांच परीक्षा करने की आवश्यकता है जिससे कि अनुसंधान और विकास को अधिक उत्पादक बनाया जा सके और अधिक युवा प्रतिभावान विद्यार्थियों को इसकी ओर आकृष्ट किया जा सके। इस दृष्टि से पिरामिडीय प्रतिमान की अपेक्षा सिलिन्डरीय प्रतिमान को तरजीह दी जानी चाहिए।

(3) प्रशासनिक और लिपिकीय कार्यों की अपेक्षा तकनीकी सेवाओं को अनुसंधान और विकास का अधिक महत्वपूर्ण स्कन्ध होना चाहिए।

कपड़े के मूल्य में वृद्धि

6727. श्री शंकर सिंह जी बाघेला } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त बजट पेश किए जाने के बाद देश में कपड़े के मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई है; यदि हां, तो कितनी;

(ख) क्या यह भी सच है कि रूई के मूल्यों में गत वर्ष की तुलना में इस समय 13.8 प्रतशित की कमी हो गई है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में कपड़े के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं। और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। वास्तव में, सूती कपड़े का थोक मूल्य सूचकांक 24-2-79 को समाप्त हुए सप्ताह के 185.7 से गिरकर 24-3-1979 को समाप्त हुए सप्ताह में 185.4 तक रह गया है।

(ख) कपास के थोक मूल्य फ़रवरी, 1978 तथा फरवरी, 1979 के बीच लगभग 9.4 प्रतिशत तक कम हो गए थे।

(ग) कपड़े के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। मूल्यों का उतार-चढ़ाव अनेक कारणों पर निर्भर करता है, जिनमें उत्पादन लागत और मांग तथा पूर्ति महत्वपूर्ण हैं। इतना ही नहीं उद्योग मंत्री ने इस मामले पर उद्योगपतियों से हाल ही में बातचीत की है, जिनसे सूती कपड़े के मूल्य कम करने के लिए उचित कदम उठाने को कहा गया है।

अनियन्त्रित कपड़े का निर्माण और उसके मूल्य में वृद्धि

6728. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1979 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन संचालित मिलों द्वारा गैर-नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में वृद्धि की गई थी, जबकि ऐसी अवधि के दौरान रूई की कीमतों में कमी हुई थी;

(ख) वर्ष 1978 के दौरान उपर्युक्त मिलों द्वारा अनियन्त्रित कपड़े का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया और ऐसे कपड़े के मूल्यों में प्रत्येक मिल द्वारा कितनी औसत वृद्धि की गई; और

(ग) क्या वर्ष 1978 और 1979 की प्रथम तिमाहियों के दौरान इन मिलों को अपनी मूल्य निर्धारण नीति के बारे में सरकार ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। रूई के मूल्य में कमी होने के बावजूद, वर्ष 1978–79 के दौरान अन्य निविष्टियों की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा उत्पादित अनियंत्रित किस्म के कपड़े के मिल से निकलते समय के लागत मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) 1978 के कलैण्डर वर्ष में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों ने लगभग 7771.70 लाख मीटर गैर-नियंत्रित कपड़े का उत्पादन किया। उत्पादित कपड़े की मिल से निकलते समय की कीमत में औसत 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) जी, नहीं। कपड़े की गैर-नियंत्रित किस्मों के मूल्यों पर कोई भी कानूनी नियंत्रण नहीं है।

बसों और ट्रकों का आयात

6729. श्री रामविलास पासवान : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसों, ट्रकों अथवा उनके चेसिस का आयात करने से रोजगार के अवसर प्रदान करने में और वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी;

(ख) क्या वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके उनके उत्पादन में तत्काल वृद्धि नहीं की जा सकती; और

(ग) इनके स्वदेशी उत्पादन और इनके आयात के पक्ष और विपक्ष में क्या आर्थिक कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) पब्लिक परिवहन और माल का परिवहन, जिसमें बसों और ट्रकों का परिचालन अन्तर्ग्रस्त है, एक प्राथमिकता प्राप्त उद्योग है, जिसकी रोजगार क्षमता भी पर्याप्त है ।

(ख) 1979–80 में मांग में प्रत्याशित वृद्धि के अनुरूप वाणिज्यिक गाड़ियों के स्वदेशी निर्माण में वृद्धि करने के लिये अनेक उपाय जारी हैं । इन उपायों के परिणामस्वरूप पहले ही इस वर्ष 1978–79 में देश में निर्मित वाणिज्यिक गाड़ियों की संख्या गत वर्ष 1977–78 की अवधि में 41,244 की तुलना में 58,255 हो गई है। अतः मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए इस वर्ष उत्पादन में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है ।

(ग) ट्रक/बस चेसिसों का वास्तव में कोई आयात नहीं हो रहा है । आयात के विपक्ष में मुख्य कठिनाई यह है कि आयातित गाड़ियों जिनकी तुलना भारत में निर्मित वाणिज्यिक गाड़ियों की विशिष्टियों और काम से की जा सकती है, की कीमतें सीमाशुल्क जोड़े बिना भी काफी अधिक हैं ।

कर्नाटक में हथकरघा गहन विकास परियोजनाओं को सहायता

6730. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में हथकरघा गहन विकास परियोजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्योरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सहायता परियोजनाओं के निर्धारित पद्धति अनुसार ही दी जाती है) इत्कल गदन हथकरघा विकास परियोजना (जिसमें बिदार गुलबर्गा, बीजापुर जिलों के कुछ भाग शामिल हैं। के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 1978–79 में 22.50 लाख रुपए की राशि दी गई थी ।

फास्ट न्यूट्रोन ब्रीडर्स के मामले में भारत-सोवियत सहयोग

6731. **श्री एडुआर्डो पैलीरो** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु विद्युत् संयंत्रों के अगले जेनरेटर चलाने के लिए "फास्ट न्यूट्रो ब्रीडर्स" के क्षेत्र में भारत-सोवियत सहयोग के बारे में कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) भारत तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच 22 जनवरी, 1979 को एक नया करार हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के क्षेत्र में सहयोग करना भी शामिल है। इस नए करार के अनुसार संयुक्त रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं ।

नागा विद्रोहियों के साथ पुनः वार्ता आरम्भ करना

6732. **श्री चित्त बसु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नागा विद्रोहियों के साथ निकट भविष्य में पुनः वार्ता आरंभ होने की कोई संभावना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार तथा नागा विद्रोहियों के बीच नए सिरे से वार्ता का आयोजन कराने की दिशा में कोई प्रयास हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया तथा रवैया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) सरकार समन्वय की नीति का अनुसरण करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इस नीति के अनुसरण में भूतपूर्व छिपे नागाओं के साथ वार्ता हुई थी और नवम्बर 1975 में एक समझौता हुआ था। भूतपूर्व छिपे नागाओं के प्रतिनिधि जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे छिपे नागाओं से जो कि हमारी सीमा के उस पार बर्मा में ठहरे हुए हैं शिलांग समझौते को स्वीकार करने के लिए उनसे आग्रह करने के इरादे से सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं। उनके बीच वार्ता जारी है। इसके अतिरिक्त इस समय सरकार और छिपे नागाओं के बीच कोई बातचीत करने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में पुलिस उप महानिरीक्षकों की बैठक

6733 **श्री के० ए० राज्न** : क्य गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 मार्च, 1979 को दिल्ली में पुलिस उप-महानिरीक्षकों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और बैठक कहां हुई थी;

(ग) बैठक पर कुल कितना खर्च किया गया;

(घ) क्या यह सच है कि रात्रि-भोजन पर 6600 रुपए खर्च किए गए थे जिसमें 120 उपमहानिरीक्षक उपस्थित थे; और

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सरकार की नीति के अनुरूप है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यह एक वार्षिक सम्मेलन है जो नई दिल्ली में किया जाता है और इसमें सभी राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के उप-महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित हुए थे।

(ग) सम्मेलन के सम्बन्ध में 33,124.70 रुपए की धनराशि खर्च की गई थी।

(घ) 12,358 रुपए रात्रिभोज पर खर्च किए गए थे जिसमें ये प्रतिनिधि और कुछ अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

(ङ) विस्तृत अनौपचारिक विचार-विमर्श के लिए प्रतिनिधियों को अवसर प्रदान करने के लिए ऐसे अवसरों पर रात्रि भोज देने की सामान्य प्रथा है।

शिमला समझौते के विरुद्ध आयोजित प्रदर्शनों के लिये दायर किये गये आपराधिक मामले

6734. **श्री रशीद मासूद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ व्यक्तियों ने जब पाकिस्तान के साथ हुए शिमला समझौते के विरुद्ध दिल्ली में प्रदर्शन किया था तो उनके विरुद्ध कुछ आपराधिक मामले दायर किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उन मामलों का क्या हुआ

गृह मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सहित किया है कि शिमला समझौते के विरुद्ध दिल्ली में प्रदर्शन के सम्बन्ध में 8 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 5 मामलों में न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया था। इन मामलों में से चार में अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक की सजा दी गई थी और पांचवें में छोड़ दिया गया था। अन्य मामले दिल्ली प्रशासन द्वारा वापस ले लिए गए थे।

मध्य प्रदेश के आदिवासियों के जीवन यापन की पद्धति का सर्वेक्षण

6735. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासियों (प्राचीन जातियों) के जीवन यापन की पद्धति और उनकी संख्या के बारे में पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण या गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मडल) : (क) और (ख) संभवत: सदस्य का आशय उन आदिम जनजातियों समुदायों से है जो पूर्व कृषि स्तर तकनीक के अनुसार रह रहे हैं। इन वर्गों को पहचानने के लिए तीन महत्वपूर्ण अभिलक्षण लिए गए हैं, अर्थात् :

(i) वर्ग पूर्व कृषि स्तर तकनीक का होना चाहिए, स्थानान्तरित खेती विभाजन रेखा के रूप में मानी जा रही है।

(ii) वर्ग पूर्व-साक्षरता या 5 प्रतिशत साक्षरता से कम का होना चाहिए, तथा

(iii) वर्ग के विकास की दर स्थिरता के निकट या केवल सीमांत की होनी चाहिए।

उपरोक्त आधार पर, मध्य प्रदेश सरकार ने अभुजमारियाज, बेगस, मरियास, पहाड़ी कोरबास तथा साहारियास आदिम जनजाति समुदायों का पता लगाया है।

इन समुदायों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार प्रत्येक समुदाय के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है। इन रिपोर्टों को, विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद तैयार करने की आवश्यकता है।

मोटरगाड़ी उद्योग पर कार्यकारी दल की सिफारिशें

6736. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी**
श्री के० राममूर्ति } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा मोटरगाड़ी उद्योग के लिए नियुक्त उच्च स्तरीय कार्यकारी दल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन की जांच कर ली है और सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार किया है तथा उन्हें क्रियान्वित किया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) 1978—83 की पंचवर्षीय योजना अवधि में विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए गठित किए गए परिवहन, मिट्टी हटाने के उपकरणों तथा कृषि मशीनों संबंधी कार्यकारी दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सिफारिशों में वाणिज्यिक गाड़ियों, जीपों, कारों, दो पहिए वाली गाड़ियों, कृषि ट्रैक्टरों, मिट्टी हटाने के उपकरणों, डीजल इजनों, मोटरगाड़ी के सहायक सामान तथा रेल उपकरण सहित मोटरगाड़ी उद्योग के प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं। मुख्य सिफारिशें मांग को पूरा करने के लिए देश में उत्पादक क्षमताओं और योग्यताओं को, जहां आवश्यक हो, बढ़ाने तथा उन्नत करने से संबंधित है, विशेष रूप से बढ़े हुए रोजगार अवसरों, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, खनन, ग्रामीण विकास आदि से संबंधित परियोजनाओं के लिए माल ढोने तथा पूंजी निवेश से संबंधित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में हैं। उद्योग की स्थिति तथा मोटरगाड़ी उद्योग के इन प्रत्येक क्षेत्रों के भावी रुखों की रूपरेखा तैयार करने के अतिरिक्त

कार्यकारी दल की रिपोर्ट में उत्पादन के दीर्घावधि अनुमान, अनुमानित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित निवेश, रोजगार-संभावना, मुक्तिकरण तथा प्रौद्योगिकी के उन्नयन के बारे में भी बताया गया है।

(ग) रिपोर्ट की मुख्य बातें सरकार ने मान ली हैं। कार्यान्वयन की रीतिविधियां, दिशा तथा प्रगति उद्योग की प्रतिक्रिया, वास्तविक मांग-वृद्धि तथा उपलब्ध संसाधनों सहित विभिन्न बातों पर निर्भर करेगी।

मुजफ्फरनगर में हरिजनों पर कथित अत्याचारों के बारे में जांच

6737. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग ने हाल ही में हरिजनों पर मुजफ्फरनगर में किए गए अत्याचारों के बारे में जांच की है;

(ख) क्या आयोग ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो आयोग के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और इस विशेष मामले पर उसके विशिष्ट सिफारिशें क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'लो कास्ट स्माल कार" शीर्षक से समाचार

6738. **श्री हुकमचन्द कछवाय**
श्री दयाराम शाक्य } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मार्च, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कम कीमत पर छोटी कार के बारे में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त छोटी कार का निर्माण करने के लिए किस कम्पनी का आशय पत्र जारी किया गया है और देश में इस कार का निर्माण किस स्थान पर होगा और इसकी लागत निर्माण आदि का पूर्ण ब्योरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) 6 मार्च, 1979 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित रिपोर्ट में मोटरगाड़ी उद्योग के उन्नयन के प्रस्तावों का उल्लेख है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में विद्यमान यात्री कारों की तुलना में ईंधन क्षमता आदि की दृष्टि से एक और अच्छी कार के निर्माण की व्यवस्था है। इन प्रस्तावों का अध्ययन किया जा रहा है और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्रस्तावित कार के निर्माण के संबंध में समय और मूल्य के बारे में बताना संभव नहीं है। इस परियोजना के लिए किसी कम्पनी को आशय पत्र नहीं दिया गया है।

राजस्थान में एच० एम० टी० की घड़ी बनाने का कारखाना स्थापित किया जाना

6739. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में एच० एम० टी० की घड़ी बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की स्थापना कब तक की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :(क) तथा (ख) राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा अजमेर में एच० एम० टी० सहायता प्राप्त राजस्थान की वाच असेम्बली यूनिट की स्थापना की जा रही है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। चालू वर्ष में एकक के कार्य शुरू कर देने की आशा है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता देना

6740. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को डाक्टरी उपचार तथा चिकित्सा की उदार व पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। कम्पनी के भोपाल स्थित एकक में कर्मचारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत भी डाक्टरी इलाज पाने के हकदार हैं। सरकारी नीति के अनुरूप अन्य प्रभागों में भी देशी चिकित्सा पद्धतियों के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाएं शुरू करने के सवाल पर बी० एच० ई० एल० विचार कर रहा है।

राजस्थान में सीमेंट उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन पत्र

6741. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सीमेंट उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए गए आवेदन-पत्रों की संख्या अलग-अलग कितनी है; और

(ग) आवेदनों को अस्वीकार करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) राजस्थान में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 1 अप्रैल, 1977 से औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों के लिए 22 आवेदन तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण हेतु 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15 प्रस्ताव स्वीकार कर दिए गए हैं । 8 प्रस्ताव रद्द कर दिए गए हैं तथा 11 प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ग) राजस्थान में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना संबंधी आवेदन रद्द होने के मुख्य कारण रेल परिवहन की अपर्याप्त सुविधा का होना तथा जिन क्षेत्रों के लिए आवेदन किया गया है, उनमें सीमेंट ग्रेड के चूने पत्थर का न होना है।

कोयम्बटूर में नारियल जटा उत्पादन

6742. **श्री आर० कोलनथाई बलु :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के कोयम्बतूर और सेलम जिलों में नारियल जटा रेशों का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने तमिलनाडु में उपलब्ध नारियल जटा रेशों की अत्याधिक मात्रा का उपयोग करके एक रबड़ मुक्त नारियल जटा एकक आरम्भ करने की व्यवहार्यता का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले और उद्योग का विकास करने के लिए अग्रेतर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तमिलनाडु के कोयम्बतूर तथा सेलम जिलों में 1977–78 के दौरान क्रमश: 880 मी० टन तथा 350 मी० टन फाइबर का अनुमानित उत्पादन हुआ है।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने कॅयर बोर्ड के विचार करने हेतु तंजौर जिले में रबड़युक्त कॅयर का एक एकक स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई है। विचार करने के पश्चात् कॅयर बोर्ड, रबड़युक्त कॅयर बनाने वाले एककों की विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार को जीव्यता रिपोर्ट भेज देगा। अपनी-अपनी आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत कॅयर उद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों का वास्तविक कार्यान्वयन करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

जिओ सिन्क्रोनस उपग्रह छोड़ा जाना

6743. **श्री आर० कोलनथाइ बलु :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1981 में जिओ सिन्क्रोनस उपग्रह छोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त उपग्रह तमिलनाडु के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा जिसे अधिकांशत: मानसून वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है ?

रक्षा मंत्रालय तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट–1) नामक भू-तुल्यकालिक उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान के लिए एक बहु-प्रयोजनीय घरेलू उपग्रह प्रणाली है। इसके दूरसंचार और दूरदर्शन के क्षेत्र का अभिकल्प राष्ट्र-व्यापी है। फिर भी, इसके मौसम विज्ञान संबंधी भू-विम्बावली के लिए जो अत्यंत उच्च विभेदक रेडियोमीटर (वी० एच० आर० आर०) है, उसका अभिकल्प उपग्रह के सीधे नीचे विश्व क्षेत्र के लगभग 25 प्रतिशत भाग को आवृत करने के लिए है।

(ग) यह उपग्रह सारे देश के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन्सेट–1 प्रणाली का मौसम विज्ञान संबंधी घटक देश में मौसम के बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार करेगा, जो विशेषकर कृषि कार्यों, विमानन, पत्तन और नौपरिवहन, प्रचालनों, जलविद्युत् शक्ति के उत्पादन की आयोजना और चक्रवात तथा बाढ़ संकट की चेतावनी प्रदान करने में लाभदायक रहेगा।

लघु उद्योगों के लिये आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये लाइसेंस दिया जाना

6744. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में इस आधार पर नए लाइसेंस जारी किए हैं अथवा उत्पादन बढाने की अनुमति दी है कि वर्ष के दौरान सतत आधार पर 100 प्रतिशत निर्यात किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कम्पनियों को इस बारे में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति दी गई अथवा नए लाइसेंस जारी किए गए; और

(ग) किन-किन वस्तुओं के लिए नए लाइसेंस जारी किये गए अथवा उत्पादन क्षमता में वृद्धि की अनुमति दी गई?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क)जी, हां ।

(ख) और (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन के लिए 1978 में 2 औद्योगिक लाइसेंस और 5 आशय पत्र इस शर्त पर जारी किए गए थे कि वे निरन्तर आधार पर अपने शतप्रतिशत उत्पादन का निर्यात करते रहेंगे।

कम्पनी का नाम और उपक्रम का स्थापना स्थल	उत्पादन की वस्तु
(क) औद्योगिक लाइसेंस :	
1. मैसर्स हन्सपा-निट (प्रा०) लि० कांदला फ्रीट्रेड जोन गांधीधाम कछ (गुजरात)	पुलओवर कार्डीगन स्त्रियों के ब्लाउज (नया उपक्रम)
2. मेसर्स पेन्टायन स्क्रू एण्ड फास्टनर्स	लकड़ी के स्क्रू आदि (नया उपक्रम)
(ख) आशय पत्र :	
1. श्री दरशन जीत सिंह (गाजियाबाद उ० प्र०)	एम० एस० स्क्रू लकड़ी के स्क्रू आदि (नया उपक्रम)
2. मेसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कं० लिमिटेड	चमड़े के जूते (नई वस्तु)
3. (नादिया पं० बं०)	मेसर्स सईद मोहम्मद ––तमिल) शू उपर (नया उप)
4. मै० फरीदा शूज प्रा० लि० (नार्थ अर्काट–तमिलनाडु)	लेदर शू अपर्स चमड़े के जूते (न० उ०)
5. मेसर्स गेडोर टूल्स इंडिया लिमि० प्रा० (महाराष्ट्र)	ढले औजार विभिन्न आकारों की वाइसें (न० व०)

लघु उद्योगों के लिये आरक्षित वस्तुएं बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की क्षमता में कटौती करना

6745. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के दौरान ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के संबंध में, जो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उपभोक्ता वस्तुएं बना रही हैं, सी० ओ० वी० लाइसेंसों में क्षमताएं निर्धारित करते समय उत्पादन क्षमता में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों और वस्तुओं के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) कार्य चालू रखने के लिए दिए जाने वाले लाइसेंसों के संबंध में क्षमता निश्चित करते समय निम्नलिखित मापदण्ड को ध्यान में रखा जाता है: (1) जहां उत्पादन शुरू हो गया है और निर्दिष्ट तारीख से पहले के एक वर्ष से अधिक समय में हुए उत्पादन की जानकारी मिल चुकी हो उन मामलों में अधिकतम वार्षिक उत्पादन या संबंधित उद्योगों/उत्पादों के बारे में निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम लाभप्रद क्षमता, दोनों में से जो भी अधिक हो, के स्तर पर क्षमता निश्चित की जानी चाहिए तथापि, ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें न्यूनतम लाभप्रद क्षमता निश्चित करना व्यावहारिक न हो। ऐसे मामलों में पिछले किसी वर्ष के अधिकतम उत्पादन के आधार पर क्षमता का अनन्तिम निर्धारण किया जाएगा। (2) जहां निर्दिष्ट तारीख से पहले के एक वर्ष से कम समय के भीतर उत्पादन शुरू हुआ हो या उपक्रम ने अभी उत्पादन करना शुरू न किया हो ऐसे मामलों में न्यूनतम लाभप्रद क्षमता के आधार पर क्षमता का अनन्तिम निर्धारण किया जाएगा। लेकिन जिन मामलों में न्यूनतम लाभप्रद क्षमता का निर्धारण संभव न हो उन मामलों में बताई गई क्षमता या लगाए गए संयंत्र व मशीनों के आधार पर क्षमता का अनन्तिम निर्धारण किया जाएगा।

(3) जहां न्यूनतम लाभप्रद क्षमता या अनन्तिम क्षमता निश्चित की जा चुकी हो उन मामलों में एकक द्वारा उत्पादन शुरू करने के तीन वर्षों के अधिकतम वार्षिक उत्पादन के आधार पर क्षमता का अंतिम निर्धारण करना होगा।

बहु-राष्ट्रीय कंपनियों सहित उपर्युक्त मानदण्ड सभी मामलों में समान रूप से लागू किए जाते हैं।

पूंजी निदेश तथा विदेशी उद्यमकर्ता प्रतिभा को आकर्षित करने की नीति

6747. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में उद्योगों को स्थापित करने की इच्छा वाले नान-रेजिडेन्ट उद्योगपतियों से पूंजी निवेश तथा विदेशी उद्यमकर्ता प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए एक नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने आवेदन पत्र मिले हैं और किस प्रकार के उद्योगों के लिए मिले हैं तथा उनमें से कितनों का निपटान किया गया है;

(ग) निर्माण करने वाली (टैक्सचुराइजिंग) और झालर बनाने वाली (क्रिम्पिंग) मशीनों के आयात के लिए कितने आवेदनपत्र निलम्बित पड़े हैं; और

(घ) उपरोक्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

साबुन के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सोडा और तेल के लिये परमिट

6748. **श्री जी० वाई० कृष्णन**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साबुन के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले तथा विदेशों से आयात किये गये सोडे और तेल के लिए बड़े उद्योगों को दिए गए बड़े कोटों और परमिट का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके परिणामस्वरूप छोटे साबुन कारखानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) छोटे साबुन कारखानों को सहायता देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) साबुन तैयार करने के लिए सोडा एवं तेल के लिए किसी भी बड़े औद्योगिक घराने को कोई कोटा और लाइसेंस स्वीकृत करने की सिफारिश नहीं की गई थी। साबुन के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली फैंटी एसिड के उत्पादन हेतु तकनीकी विकास के महा निदेशालय में पंजीयित एककों को वर्ष 1978 में लगभग 10000 मी० टन भेजु बकरी की चर्बी देने के लिए आर्डर जारी किए गए थे। इस समय सोडे का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन होता है तथा तेल का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कराया जाता है। आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किए जाने वाले साप्ताहिक बुलेटिनों से स्वीकृत लाइसेंसों के ब्योरे प्रकाशित किए जाते हैं तथा जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) वर्ष 1978 के कैलेण्डर वर्ष में 20158 मी० टन भेड़ बकरी की चर्बी/फैंटी एसिड के आवंटन की तुलना में केवल 12416 मी० टन मात्रा उठाई गई थी। अतः इससे यह पता चलता है कि लघु एककों को साबुन का उत्पादन करने के लिए उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार तेल मिल रहा है। साबुन का उत्पादन करने हेतु कुछ मात्रा में सोडा ऐश का उपयोग किया जाता है। फिर भी, देशी सोडा ऐश की कमी की वजह से कुछ एककों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।

(ग) कुछ ऐसे एककों से सोडा ऐश के संभरण के बारे में शिकायत प्राप्त हुई ह जो रसायन एव उर्वरक विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में कहा गया है कि वर्ष 1977 में की गई सोडा ऐश की मात्रा के आधार पर ही देशी सोड़ा का सभरण किया जाएगा।

(घ) यह निर्णय किया गया है कि वर्ष 1979 में राज्य सरकारों के माध्यम से साबुन बनाने वाले लघु उद्योगों को 16000 मी० टन भेड़ बकरी की चर्बी/फैंटी एसिड का संभरण किया जाएगा। वर्ष 1978 के कार्य निष्पादन को देखते हुए यह विचार है कि यह मात्रा पूर्वानुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

सरकार ने हाल ही में प्रत्येक एकक को उसके द्वारा उठाई गई सोड़ा ऐश की मात्रा के आधार पर सोडा ऐश का सभरण करने हेतु सभी उत्पादकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए हैं। इसके अलावा खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन सोडा ऐश का आयात करने की अनुमति दे दी गई है और आयात शुल्क को भी कम कर दिया गया है।

उद्योग में लगी जनसंख्या की प्रतिशतता

6749. **श्री दुर्गा चन्द**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस समय देश में उद्योग में लगी जनसंख्या की प्रतिशतता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिशतता कितनी है;

(ग) प्रत्येक राज्य में उद्योग में लगी जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने लोगों को कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में भेजने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(च) क्या इस बारे में राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों से परामर्श किया जाता है यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों और स्वयंसेवी एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) तथा (ख) फक्टरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले कारखानों के रोजगार संबंधी व्यापक आंकड़े उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रति वर्ष के उपलब्ध हैं किन्तु गैर फैक्टरी मैन्यु० क्षेत्र के समग्र आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। नेशनल सेम्पिल सर्वे आर्गेनाइजेशन ने जुलाई, 1974 से जून, 1975 की अवधि के अपने 29वें क्रम (राउंड) में गैर कृषि उद्यमों में स्वयं रोजगार की घरेलू जांच की है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गैर कारखाना मैन्यु-फैक्चरिंग क्षेत्र भी शामिल है। किन्तु गैर घरेलू गैर-फैक्टरी सूचनादाता एककों का सेम्पिल नम्बर इतना कम था कि इन आंकड़ों का कोई भी विश्लेषण नहीं किया जा सका। केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन ने वर्ष, 1977 में अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्र जिसमें अन्य के साथ-साथ मैन्यु० क्षेत्र भी शामिल है, में उचित नियमित आधार पर कम से कम एक व्यक्ति को नियुक्त करने वाले सभी संस्थानों की आर्थिक गणना की थी। गणना के दौरान इकट्ठे किए गए आंकड़ों का सारणीकरण किया जा रहा है। उपर्युक्त के अलावा इस समय नेशनल सेम्पिल सर्वे आर्गेनाइजेशन तथा केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन गैर फैक्टरी मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र संबंधी सर्वेक्षण भी कर रहा है। सर्वेक्षण चल रहा है।

(ग) अपने मुख्य कामों के कारण जिन्हें मजदूर समझा गया है उनकी 1971 की जनगणना के अनुसार 9 मुख्य औद्योगिक वर्गों में वर्गीकृत की गई जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुसरण में नए उपक्रमों के लिए अथवा पर्याप्त विस्तार के लिए महानगरीय शहरों के मानक शहरी क्षेत्र में और 5 लाख अथवा उससे अधिक जनसंख्या के शहरों की नगर पालिका की सीमाओं में उद्योगों के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। अपावद केवल ऐसे रुग्ण एककों मामलों में ही हो सकता है जिनको केवल विस्तार अथवा विवधीकरण द्वारा ही पुनर्जीवित किया जा सकता है अथवा ऐसे अलाभकारी एककों के मामलों में हो सकता है जिन्हें रुग्णता को दूर करने के लिए विस्तार अथवा विविधीकरण करना आवश्यक है,

जिला उद्योग कार्यक्रम उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ले जाने तथा ग्रामीण उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल ही एक नया प्रयास है। कार्यक्रम को तेजी से लागू करने और अड़चनों को दूर करने, संदेहों को दूर करने हेतु राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4284/79]

कार का कारखाना-बाह्य मूल्य

6750. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्मित प्रत्येक ब्राण्ड की कार का पृथक-पृथक कारखाना बाह्य मूल्य कितना है;

(ख) प्रत्येक ब्राण्ड की कार पर उत्पादन शुल्क और अन्य करों की राशि का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है;

(ग) छोटी कार के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) छोटी कार कब तक बाजार में आ जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें निर्माताओं द्वारा बताए गए मूल्य दिए गए हैं।

(ग) तथा (घ) विकसित देशों में निर्मित यात्री कारों के विशद ढांचे की तुलना में भारत में निर्मित यात्री कारों को छोटी कार समझा जाता है। उद्देश्य यह है कि मोटर गाड़ी उद्योग को विशेष रूप से अंतिम उपयोक्ताओं के लिए विश्वसनीयता और ईंधन में सुधार लाने के हित में उन्नत बनाया जाए। यात्री कार उद्योग के उन्नयन के लिए सरकार इस समय विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है, जिनमें सहकारी क्षेत्र की सहभागिता भी शामिल है।

विवरण

क्र०सं०	निर्माता का नाम	कार का मेक	कार का कारखाना बाह्य/शुद्ध विक्रेता मूल्य (रुपए)	उत्पादन शुल्क (रुपए)
1.	मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लि० उत्तरपाड़ा, (पं० बंगाल)	(क) अम्बेसेडर मार्क-4 (पेट्रोल)	30,362.00	7,590.00
		(ख) अम्बेसेडर मार्क-4 (डीजल)	41,362.00	10,341.00
2.	मै० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई।	प्रीमियर	26,991.00	6,747.75
3.	मै० स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया, मद्रास	स्टैंडर्ड गज़ल	19,727.00 (फरवरी, 1979 में)	3,744.78
4.	मै० सनराइज आटो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर	बादल	15,500.00	3,100.00

टिप्पण :— ग्राहक द्वारा दिए जाने वाले वास्तविक मूल्य में डीलर का मुनाफा शामिल होगा। इसमें बिक्री कर, चुंगी, परिवहन व्यय आदि भी शामिल होंगे, जो प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हैं।

मंत्रालय और उसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कारों की संख्या

6751. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग मंत्रालय उससे सम्बद्ध, एवं अधीनस्थ कार्यालयों और मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों में पृथक-पृथक प्रत्येक ब्राण्ड की कारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या मंत्रालय और अन्य कार्यालयों में कारों की संख्या में कमी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन कारों के रख-रखाव पर हुए व्यय का वर्ष-वार ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में परमाणु विद्युत संयंत्र

6752. **प्रो० समर गुह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में एक परमाणु संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रश्न पिछली सरकार के विचाराधीन था;

(ख) क्या इस विषय पर पहले कई बार पश्चिम बंगाल सरकार और परमाणु उर्जा आयोग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई है; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में परमाणु विद्युत् संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी योजना को अंतिम रूप देने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) जी, हां। पूर्वी क्षेत्र में एक परमाणु बिजलीघर लगाने का प्रश्न नवम्बर, 1974 में पश्चिम बंगाल राज्य योजना बोर्ड के साथ हुई बातचीत के दौरान उठा था। बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत अध्ययन करने का परामर्श दिया गया था कि ऊर्जा संबधी समग्र क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में इस क्षेत्र की बिजली संबंधी मांग को पूरा करने के लिए ताप-विद्युत् पन-बिजली और परमाणु बिजली की किस प्रकार की मिली-जुली व्यवस्था सबसे उपयुक्त एवं सर्वोत्तम रहेगी तथा यदि ऐसे अध्ययन का निष्कर्ष यह निकले कि पूर्वी क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर लगाना व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहार्य है तो इस बारे में ऊर्जा मंत्रालय से आगे बातचीत की जाए।

अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए यूरेनियम की सप्लाई

6753. **प्रो० समर गुह**: क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए यूरेनियम सप्लाई करने के मामले को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में अमरीका सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) समृद्ध यूरेनियम के निर्यात लाइसेंस के बकाया आवेदनों में से एक आवेदन, जो कि तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक 16.8 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम के बारे में था, अमेरिका के न्यूक्लीयर रेगुलेटरी कमीशन द्वारा 23 मार्च, 1979 को अनुमोदित कर दिया गया।

(ख) तथा (ग) तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए 19.8 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम के निर्यात लाइसेंस के बकाया आवेदन के संबंध में अमरीकी सरकार की कार्यपालिका ने जो सिफारिश अमरीकी न्यूक्लीयर रेगुलेटरी कमीशन से की है, उसकी जानकारी अमेरिकी अधिकारियों ने भारत सरकार को दे दी है। यह आवेदन इस समय अमरीकी न्यूक्लीयर रेगुलेटरी कमीशन के विचाराधीन है।

बोकाजन सीमेंट फैक्टरी असम में सीमेंट का उत्पादन

6754. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम को एक साल में सीमेंट का कुल कितना कोटा आवंटित किया जाता है;

(ख) बोकाजन सीमेंट फैक्टरी, असम में कुल कितने सीमेंट का उत्पादन किया जाता है;

(ग) बोकाजन फैक्टरी की पूरी क्षमता कितनी है; और

(घ) बोकाजन फैक्टरी द्वारा पूरी क्षमता से उत्पादन न किए जाने के कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) वर्ष 1978 में आसाम राज्य को 2.35 लाख मी० टन सीमेंट का आवंटन किया गया था।

(ख) वर्ष 1978–79 में बोकाजन सीमेंट कारखाने का उत्पादन 1.23 लाख मी० टन था।

(ग) बोकाजन सीमेंट कारखाने की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 2 लाख मी० टन है।

(घ) वर्ष 1978–79 में बोकाजन स्थित कारखाने की क्षमता का इस्तेमाल लगभग 61.5 प्रतिशत था, जिसके मुख्य कारण चूने के पत्थर को निकालने तथा उसके परिवहन संबंधी कठिनाइयां थीं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के लिये केन्द्रीय सहायता

6755. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण सड़क/ग्रामीण सड़क बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता/ ऋण/अनुदान दिए गए और वर्ष 1979–80 के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई;

(ख) क्या आसाम में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत करने तथा बनाने/सम्पर्क सड़क बनाने में सहायता करने हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आसाम सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़जलुर रहमान) : (क) राज्य योजना परिव्ययों के लिए केन्द्रीय सहायता सामान्य ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह विशिष्ट परियोजनाओं से सम्बद्ध नहीं होती। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र ग्रामीण सड़कों के लिए 1974–79 के लिए निर्धारित आवंटन और 1979–80 के लिए प्रस्तावित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता के लिए असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तरपूर्वी परिषद् के क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के लिये आवंटन

(लाख रु०)

राज्य	1974 −75	1975 −76	1976 −77	1977 −78	1978 −79	1979 −80 (अनन्तिम)
असम	110	190	252	350	535	460
मणिपुर	50	80	88	100	130	200
मेघालय	30	55	35	50	55	60
नागालैंड	45	60	70	71	95	130
त्रिपुरा	40	40	50	75	130	180
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	25
मिजोरम	10	30	35	42	46	125

बम्बई का नाम बदल कर मुंबई करना

6756. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई का नाम बदल कर मुंबई करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को ऐसा प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था और क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिसम्बर, 1977 में महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। यह अभी विचाराधीन है।

सरकारी उपक्रमों में प्रचार के लिये खर्च की गई धनराशि

6757. **श्री सचीन्द्र लाल सिंधा**
श्री एम० ए० हनान अलहाज } : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) एककों के एककवार प्रचार ढांचे का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, एककवार कितनी धनराशि प्रचार पर खर्च की गई;

(ग) गत तीन वर्षों में इन एककों द्वारा एककवार, वर्षवार विज्ञापन किन-किन दैनिकों को दिये गए;

(घ) इन एककों का छोटे और मध्यम दर्जे के भाषायी दैनिकों के प्रति सत्र का खर्च का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) (1) नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया (एन० आर० डी० सी०) नई दिल्ली, और

(2) सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सी० ई० एल०), साहिबाबाद (उ० प्र०)।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) अपेक्षित जानकारी संलग्न वक्तव्य में दी गई है।

विवरण-एक

1. नेशनल रिसर्च डिवलपमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया (एन० आर० डी० सी०)

भाग (ख): एन० आर० डी० सी० के प्रचारक एकक में एक औद्योगिक सम्पर्क और सूचना अधिकारी, एक सूचना और प्रचार अधिकारी, एक उच्च श्रेणी लिपिक और एक कनिष्ठ आशु-लिपिक शामिल हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान एन० आर० डी० सी० के प्रचार पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है :—

1975-76	1,30,138/- रु०
1976-77	1,65,210/- रु०
1977-78	1,75,582/- रु०

भाग (ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान एन० आर० डी० सी० द्वारा निर्मुक्त विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त दैनिक समाचार पत्रों की सूची अनुबन्ध-1 में दी गई है।

भाग (घ) और (ङ) : जहां कहीं भी संभव होता है, विज्ञापन छोटे और मध्यम दर्जे के भारतीय भाषाओं के दैनिकों को दिए जाते हैं और यथासंभव ऐसे समाचार पत्रों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

2. सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सी० ई० एल०)

भाग (ख) : सी० ई० एल० नई कम्पनी है जो कि अभी निर्माण की अवस्था में है और सी० ई० एल० के लिए पृथक रूप से इस प्रकार की कोई प्रचार संरचना नहीं है। विपणन

ग्रुप भावी उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन देता है। विगत तीन वर्षों के दौरान किया गया वर्ष-वार व्यय नीचे दिया गया है :—

1975-76	30,386/- रु०
1976-77	39,710/- रु०
1977-78	33,462/- रु०

भाग (ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान दिए गए विज्ञापन अधिकांशत: उन तकनीकी पत्रिकाओं और प्रकाशनों तक ही सीमित थे जिनका इलैक्ट्रानिकी ट्रेड में परिचालन किया जाता है यथा :

1. इलैक्ट्रानिक्स फार यू
2. इलैक्ट्रानिक्स रिव्य
3. जर्नल आफ इन्स्टीट्यूशन आफ इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन इंजीनियर्स।
4. इलैक्ट्रानिक्स टुडे
5. सांइस टुडे, और
6. साइस रिपोर्टर

भाग (घ) और (ङ) : कम्पनी मुख्यत: परिष्कृत इलैक्ट्रानिक संघटकों और प्रणालियों का निर्माण करती है और इनके बारे में विज्ञापन इलैक्ट्रानिकी से सम्बद्ध तकनीकी पत्रिकाओं और प्रकाशनों में दिए जाने होते हैं ताकि प्रचार का इस प्रकार के इलैक्ट्रानिक संघटकों और प्रणालियों में रुचि रखने वाले उपभोक्ताओं, नामत: इलैक्ट्रानिकी उद्योगों, अनुसंधान और विकास संगठनों, आदि तक पहुंच सके। फिलहाल इस प्रकार के उत्पादों के लिए लघु और मध्यम दर्जे के विभिन्न भारतीय भाषाओं के दैनिकों को विज्ञापन देने की बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है।

विवरण-दो

नेशनल रिसर्च डिवेलवपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा निर्मुक्त विज्ञापनों के लिये प्रयोग में लाए जाने वाले दैनिक समाचार पत्रों की सूची

1. इण्डियन एक्सप्रैस	नई दिल्ली
2. इंडियन एक्सप्रैस	बम्बई/अहमदाबाद
3. इंडियन एक्सप्रैस	दक्षिणी संस्करण, मद्रास
4. अमृत बाज़ार पत्रिका	कलकत्ता/इलाहाबाद
5. ट्रिव्यून	चंडीगढ़
6. फाइनेंशियल एक्सप्रैस	दिल्ली/बंबई
7. हिन्दू	मद्रास
8. इकानोमिक टाइम्स	बम्बई/दिल्ली
9. दक्खन क्रोनिकल	सिकन्दराबाद
10. इंडियन हैराल्ड	हैदराबाद
11. नवभारत टाइम्स (हिन्दी)	दिल्ली/बम्बई
12. दि मेल	मद्रास

13. हिन्दुस्तान (हिन्दी)	नई दिल्ली
14. नवज्योति (हिन्दी)	जयपुर/अजमेर
15. टाइम्स आफ इंडिया	दिल्ली/बम्बई/अहमदाबाद
16. बिजनस स्टैण्डर्ड	कलकत्ता
17. स्टेट्समन	दिल्ली/कलकत्ता
18. इंजीनियरिंग टाइम्स	कलकत्ता
19. आसाम ट्रिब्यून	गौहाटी
20. फ्री प्रैस जरनल	बम्बई
21. नागपुर टाइम्स	नागपुर
22. इंडियन नेशनल	पटना
23. दैनिक आज (हिन्दी)	वाराणसी/कानपुर
24. राजस्थान पत्रिका	जयपुर
25. आनन्द बाज़ार पत्रिका	कलकत्ता
26. इम्प्लायमेंट न्यूज	नई दिल्ली
27. पैट्रियाट	नई दिल्ली
28. दीनमनी (तमिल)	मद्रास/मदुरै
29. आन्ध्र प्रभा (तेलुगु)	विजयवाड़ा/बंगलौर/हैदराबाद
30. मातृभूमि (मलयालम)	कालीकट/कोचीन
31. रोज़ाना अजीत (पंजाबी)	जालंधर
32. दैनिक जागरण (हिन्दी)	कानपुर/गोरखपुर
33. संडे स्टैडर्ण्ड	नई दिल्ली

सहगल पेपर्स लिमिटेड द्वारा कागज बनाया जाना

6758. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार के कागज बनाने का काम करने वाली एक नई कम्पनी सहगल पेपर्स लिमिटेड 5 फरवरी, 1979 को पूंजी मार्कीट में आई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या इस कम्पनी को दो अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग करार करने की अनुमति दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो करारों की शर्तें क्या हैं ; और

(ङ) कागज उद्योग में विदेशी सहयोग की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी हां। मैसर्स सहगल पेपर्स लिमिटेड को 10-10 रुपए के इक्विटी शेयरों के रूप में 565 लाख रुपए की पूंजी जारी करने के लिए पूंजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत 13-7-1977 को सहमति प्रदान की गई थी। इसमें से 339 लाख रुपए मूल्य के शेयर विवरण-पत्र द्वारा जनता को बेचे जाने थे तथा 226 लाख रुपए के शेष शेयर प्रवर्तकों

कम्पनी के निदेशकों, उनके मित्रों तथा सम्बन्धियों को जारी किये जाने थे। कम्पनी 5-2-79 को 339 लाख रुपए मूल्य के शेयरों को जनता में बेचने के लिए पूंजी बाजार में प्रविष्टि हुई तथा निर्गम 12 फरवरी, 1979 को बन्द हो गया था।

(ग) से (ङ) मैसर्स सहगल पैपर्स को कार्बनलैस कोपीइंग पेपर बनाने के लिए अमरीका की एक फर्म के साथ तकनीकी सहयोग करने की अनुमति दी गई है। सहयोग की स्वीकृति की अवधि पांच वर्ष है तथा इस सहयोग में 400,000 अमरीकी डालर तकनीकी शुल्क कारखाने से निकलते समय के निव्रल मूल्य की 3 प्रतिशत की दर पर देशी बिक्री के रॉयल्टी तथा निर्यात करने पर कारखाने से निकलते समय के निबल बिक्री मूल्य का 5 प्रतिशत भुगतान करना निहित है। विशेष किस्म के कागज के उत्पाद के लिए विदेशी तकनीकी सहयोग पर गुणावगुणों के आधार पर अनुमति दी जाती है।

राजस्थान के झालावाड़ जिले को राजसहायता

6759. **श्री चतुर्भुज :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के अत्यधिक पिछड़े जिले झालावाड़ का तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए एक निश्चित अल्पकालीन योजना तैयार करने का है जिसमें भारी पूंजी परिव्यय न हो;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसी योजना के लिए ऋण तथा राजसहायता सहित सभी सुविधाएं प्रदान करने का है और राज्य सरकार को भी ऐसा ही करने की सलाह दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) उद्योग मंत्रालय के पास राजस्थान में झालावाड़ जिले का तीव्र आर्थिक विकास करने की अलग योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु लघु तथा ग्रामीण उद्यमियों द्वारा अपेक्षित एक ही स्थान पर सभी सेवाएं व सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने की एक राष्ट्रीय योजना के अंग के रूप में झालवाड़ में एक ऐसा ही जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किया गया है। केन्द्र ने अब तक 334 उद्यमियों का पता लगाया है तथा 148 कारीगरों/लघु एककों को सहायता प्रदान की है।

(ख) और (ग) झालावाड़ जिला पहले ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला पाया गया है जिससे जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए यह जिला हकदार और वहां उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाले उद्यमियों के लिए यह जिला निम्नलिखित प्रोत्साहन पाने का पात्र बन गया है:—

(1) अखिल भारतीय सावधि उधार देने वाले संस्थानों द्वारा रियायती दर पर वित्त देने की सुविधाएं।

(2) कर में रियायतें।

(3) लघु एककों की मशीनों को किराया खरीद के आधार पर खरीदना।

(4) तकनीकी सेवाओं हेतु परामर्शदायी सेवा।

(5) ब्याज में राजसहायता ।

(6) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं देना।

यह योजना राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जाती है।

गरीबों के लिये कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन

6760. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा नियंत्रित मिलों में उत्पादित गरीबों के लिए कंट्रोल के कपड़े की मात्रा और मूल्य संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कपड़े के उत्पादन में **कमी** के क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्धाधीन मिलों में बनाये गये नियंत्रित कपड़े का उत्पादन तथा मूल्य इस प्रकार है:—

वर्ष	मात्रा (दस लाख वर्ग मीटर)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1	2	3
1977-78	64.02	11.84*
1978-79	204.00	37.74*

*इनकी गणना उपभोक्ता स्तर पर मिल से निकलते समय के मूल्य के आधार पर की जाती है।

(ख) चालू वर्ष में उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है।

तारापुर किलिंग साफ्टली शीर्षक से समाचार

6761. **श्री वसन्त साठे :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान तारापुर परमाणु संयंत्र के सभी पहलुओं में अन्तर्ग्रस्त पूरे दोष के बारे में पूर्णतया जांच-पड़ताल सम्बन्धी कहानी की ओर दिलाया गया है जिसके बारे में दिनांक 8 मार्च—21 मार्च, 1979 की "दिस फोर्टनाइट" समाचार पत्रिका में तारापुर "किलिंग साफ्टली" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई गंभीर टिप्पणियों के प्रति टिप्पणीवार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) लेख में लगाया गया यह मुख्य आरोप की तारापुर में कार्मिकों को विकिरण की अनुमेय से अधिक तथा खतरनाक सिद्ध हो सकने वाली मात्रा की स्थिति में काम करना पड़ता है, सही नहीं है । यद्यपि इस रिएक्टर में, जो चालू करके सौंपने की स्थिति तक तैयार करके दिया गया था और सन् 1969 में चालू किया गया था, ऐसे ही डिजायन वाले तथा इसी तरह के पुराने अन्य रिएक्टरों की भांति ही समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तथापि उन सभी समस्याओं का समाधान करने में सफलता मिली है और रिएक्टर को पूर्ण रूप से सुरक्षा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार चलाया गया है। तारापुर में काम करने वाले कर्मचारियों का विकिरण से व्यापक स्तर पर बचाव करने की समाकलित व्यवस्था है । यह व्यवस्था स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है तथा इस समाकलित व्यवस्था के अन्तर्गत ही तारापर से बाहर के कर्मचारियों की सेवा का उपयोग कभी-कभार के कार्यों के लिए तारपुर में किया जाता है। तथापि, सभी कर्मचारियों के मामले में, जिनमें नैमित्तिक कर्मचारी भी शामिल हैं, विकिरण के प्रभावों का समुचित रिकार्ड रख गया है तथा विकरिण के परिणामस्वरूप रोगी होने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

कृत्रिम अंग निर्माता निगम का कार्यकरण

6762. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृत्रिम अंग निर्माता निगम, कानपुर कार्य कर रहा है; और

(ख) उसने अब तक क्या कार्य किया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया, कानपुर को नवम्बर, 1972 में निगमति किया गया था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के अर्थाटिक्सों, संयुक्तांगों और पुनः स्थापन साधनों का उत्पादन करने के लिए एक आधुनिक संयंत्र की स्थापना करना था।

आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया में काम शुरू हो जाने से विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अवयवों, इत्यादि को भारतीय बाजार में प्रथम बार लाया गया है।

निगम का अभी तक का उत्पादन तथा बिक्री निम्न प्रकार है :—

	उत्पादन	बिक्री
		(आंकड़े लाख रुपयों में)
(i) 1976-77 (छह महीने का कार्य)	13.58	4.98
(ii) 1977-78	40.98	16.36
(iii) 1978-79 (जनवरी, 1979 तक)	37.93	16.97

इस पर विचार करते हुए कि उत्पाद इस प्रकार के हैं कि मरीज स्वयं न तो उत्पाद खरीद सकता है और न ही वह स्वयं उनका रोपण कर सकता है, आर्टिफिशियल लिम्बस

मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया ने राज्य सरकारों के सहयोग से देश में 5 क्षेत्रीय अवयव रोपण केन्द्र तथा 12 परिसरीय अवयव रोपण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में लोक-तान्त्रिक व्यवस्था के लिए मांग

6763. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश के ढ़ांचे की तरह अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था की उन्हें देने के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों द्वारा निरन्तर मांग किये जाने के बारे में भारत सरकार को जानकारी है और क्या इसके लिए संघ क्षेत्र में कोई आन्दोलन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वहां निकट भविष्य में लोकतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए सरकार सहमत हो गई है और यदि हां, तो कब, और

(घ) नई प्रणाली में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रशासन का क्या ढ़ांचा होगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख). (ग), और (घ) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की मांग संसद और संसद के बाहर दोनों जगह की जाती रही है। इन मांगों के समर्थन में सभाएं और जलूसों का आयोजन फरवरी, 1979 के महीने के दौरान किया गया था। सरकार ने इन द्वीप समूहों में प्रदेश परिषद स्थापित करने तथा परिषद् के सदस्यों में से तीन सदस्य नियुक्त करने का निर्णय किया है। जिन से प्रसाशक किसी विषय पर सलाह मिश्वरा कर सकता है। यह प्रतिरूप उसी के समान है जो अरुणाचल प्रदेश में उस संघ शासित क्षेत्र के लिए विधान सभा गठित करने से पहले प्राप्त किया गया था। प्रस्ताव के ब्यौरों की गृह मंत्री द्वारा 6-4-1979 को लोक सभा में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों की बहस के दौरान उत्तर देते हुए घोषणा की गई थी। इस निर्णय को कार्यरूप देने के लिए एक विनियम संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन उद्घोषत किया जाएगा।

तमिलनाडू आन्ध्र प्रदेश, और कर्नाटक में औद्योगिक रूप से पिछड़े ताल्लुक

6764. **श्री के० लकप्पा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औद्योगिक रूप से पिछड़े पूरे जिले पर विचार करने की बजाय औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए विशेष ताल्लुकों को घोषित करने के लिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ताकि उद्योगों को फैलाने का उद्देश्य बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है और इन ताल्लुकों में स्थापित किये जाने वाले नये उद्योगों की स्थापना के लिए अनुदान/राजसहायता दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग के परामर्श से इन प्रस्तावों पर विचार किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा संबधित राज्य सरकारों के परामर्श से रियायती वित्त तथा पूंजीगत निर्देश राज सहायता दोनों के लिए पिछड़े क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनाई गई थीं तथा उन जिलों/क्षेत्रों के चयन को अंतिम रूप दिया गया था। चूंकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य सरकारों से मिले प्रस्ताव उन जिलों/क्षेत्रों के बारे में थे जिन्हें स्वीकृत मानदण्डों के अंतर्गत पहले नहीं चुना गया था, अत: उनके अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है।

सरकार ने मौजूदा नीति के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली परिभाषाओं में अंतर्निहित पिछड़ेपन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने तथा पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने वाली कसौटी की सिफारिश करने के लिए श्री बी० शिरामन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों के बारे में हाल ही में एक राष्ट्रीय समिति गठित की है। समिति से आशा की जाती है कि वह अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1979 तक प्रस्तुत कर देगी।

इस समिति की सिफारिश प्राप्त हो जाने के बाद ही विद्यमान राजसहायता योजना में संशोधन पर विचार किया जाएगा।

सीमेंट उद्योगों के लिय लाइसेंस दिया जाना

6765. श्री के० लकप्पा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 से लेकर मार्च, 1977 तक नए सीमेंट उद्योगों की स्थापना हेतु अथवा उनके विस्तार हेतु कितने आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गए थें और किस क्षमता के लिए ; और

(ख) अप्रैल, 1977 से कितने आशय पत्र और औद्योगिक लाइसस जारी किए गए हैं और किस क्षमता के लिए?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1977 तक 84.60 लाख मी० टन की कुल क्षमता हेतु 7 आशय पत्र व 11 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे।

(ख) 1 अप्रैल, 1977 से 7 अप्रैल, 1979 तक 150.50 लाख० मी० टन की कुल क्षमता हेतु 35 आशय-पत्र व 7 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे।

छोटे सीमेंट संयंत्रों की पूंजी लागत और कर्मचारियों की संख्या

6766. श्री के० लकप्पा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) एक बड़े सीमेंट संयंत्र की तुलना में छोटे सीमेंट संयंत्र की प्रतिटन पूंजी लागत कितनी है ; और

(ख) छोटे सीमेंट संयंत्रों और बड़े सीमेंट संयंत्रों में एक से पूंजी निवेश के लिए कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सीमेंट अनुसंधान संस्थान के अनुसार 12,00 मी० टन प्रति दिन की क्षमता वाले बड़े एकक आकार के सीमेंट

संयंत्र की 650 रुपए प्रति मी० टन की मानक लागत की तुलना में वर्टिकल शाफ्ट क्लिन प्रौद्योगिकी पर आधारित 100 मी० टन प्रति दिन की क्षमता वाले मिनी सीमेंट संयंत्र की अचल पूंजीगत लागत अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता के 420/- रुपए के लगभग होगी।

(ख) विभिन्न आकार के सीमेंट संयंत्रों की अनुमानित रोजगार क्षमता निम्नलिखित है :—

संयंत्र का आकार (मी० टन प्रतिदिन)	(प्रति मी० टन सीमेंट) के लिए मानव शक्ति
100 तक	4–4.54
101—300	1–4.5
301–1,000	0.29–2.32
1000 से ऊपर	0.18–2.26

विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों की सेवाओं का उपयोग करने की योजनाएं

6767. **प्रो० पी० जी० मावलंकर**
श्री चित्त बसु } क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन युवा भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभाओं का उपयोग करने के लिए एक अथवा अधिक योजनाएं बनाई हैं जिन्हें कुछ वर्ष तक विदेशों में प्रशिक्षण तथा प्रयोगशाला कार्य का अनुभव प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन युवा वैज्ञानिकों को किस प्रकार आकर्षित किया जाता है तथा देश में विभिन्न विभागों/प्रयोगशालाओं में नियुक्त तथा खपा लिया जाता है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक उठाये गये कदम पर्याप्त तथा सहायक सिद्ध हुए हैं और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विदेशों में प्रशिक्षित युवा भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा का उपयोग करने और उन्हें आकृष्ट करने और देश में नियोजित करने के उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के पंजीकरण के लिए 'राष्ट्रीय रजिस्टर' के अनुभाग में "विदेशों में भारतीय" नामक विशेष अनुभाग की स्थापना की गई है जो कि सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघीय और राज्य लोक सेवा आयोगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्यों और निजी क्षेत्र की बड़ी स्थापनाओं को परिचालित करता है । इन लोगों के विवरण "टैक्नीकल मैनपावर" (सी० एस० आई० आर०) बुलेटिन में भी प्रकाशित किये जाते हैं। जिसे सारे भारत में 2500 संगठनों को निशुल्क वितरित किया जाता है।

(2) संघीय लोक सेवा आयोग और कुछ राज्य लोक सेवा आयोगों ने यह मान लिया है कि जिन भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी कार्मिकों के विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर

के "विदेशों में भारतीय" अनुभाग में उपलब्ध हैं उन्हें उनके द्वारा विज्ञापित पदों के लिए 'व्यक्तिगत सम्पक' उम्मीदवार समझा जाएगा।

(3) सी० एस० आई० आर० द्वारा प्रचालित 'वैज्ञानिक पूल' ऐसे सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी कार्मिकों को अस्थायी रुप से आजीविका का साधन प्रदान करता है जो कि बिना किसी आश्वस्त नौकरी के विदेश से लौटते हैं।

(4) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिवार्षिकी पदों का सृजन किया जा सकता है जिन पर विदेशों में काम करने वाले और अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों में से शीघ्र ही अस्थायी तौर पर नियुक्तियां की जा सकती हैं ।

(5) विदेशों में उत्पादन एककों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को आकृष्ट करने के लिए एक पैकज योजना का अनुमोदन किया गया है ताकि वे वापस आकर इस देश में ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और श्री गणेश करें जिसके उत्पादन व प्रौद्योगिकी में उन्होंने विशेष कुशलता प्राप्त कर ली है ।

(6) सी० एस० आई० आर० ने "रिसर्च एसोसिएट्स" और "विजिटिंग सांइटिस्ट्स" की योजना का समारम्भ किया है जिसके अधीन थोड़े समय के लिए भारत आने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को ऐसे मामलों में सी० एस० आई० आर० के संगठनों में नियुक्तियां प्रदान की जा सकें जिनमें उनकी पृष्ठभूमि संगठनों की अपेक्षाओं के अनुरूप है ।

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक योजना को आरम्भ किया है जिसके अधीन विदेशों में स्थित भारतीय विद्ववानों को उनके विश्राम अवकाश के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों में अल्पकालीन नियुक्तियों की पेशकश की जा सके ।

(8) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के विकास कार्यक्रम के लिए विदेशों में बसे प्रतिभावान भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों की सेवाओं का लाभ उठाने की एक योजना आरम्भ की थी ।

(घ) सरकार द्वारा किए गए उपाय (जिन्हें जिस रुप में ऊपर सूची बद्ध किया गया है) पर्याप्त समझे गए हैं और कई प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुए हैं । हमारी शिक्षा पद्धति द्वारा बहुत बड़ी संख्या में तैयार किए जा रहे भारतीय वैज्ञानिकों और विदेशों से लौटने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को आत्मसात करने के लिए पर्याप्त (उपयुक्त और सन्तोषजनक) रोजगार के अवसर प्रदान करने की एक सीमा है । विदेशों में स्थित भारतीय वैज्ञानिकों को भारत लौटने के लिए आग्रह वैज्ञानिक समुदाय में उनके अपने ही मित्रों द्वारा करना पड़ा है, जो कि यहां पहले से ही कार्य कर रहे हैं, उसमें उन्हें कुछ मात्रा में सफलता और सन्तोष प्राप्त हुआ है ।

कोरापुट जिले को पहाड़ी तथा दूरस्थ क्षेत्र घोषित करना

6668. श्री बैरागी जैना : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि कोरापुट जिले को देश का एक पहाड़ी तथा दूरस्थ क्षेत्र घोषित किया जाये ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर रहमान) : योजना आयोग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये जारी किये गये लाइसेंस

6769. श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब तक कितने लाइसेंस दिये गये हैं तथा कितने लाख टन की क्षमता के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) इस समय सीमेंट उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा 1979 और 1980 में इस क्षमता में कितनी वृद्धि होगी;

(ग) इस समय कितने लाख टन की क्षमता के लिए आशय-पत्र दिये गये हैं तथा कितने लाख टन सीमेंट के उत्पदान के लिए आवेदन-पत्रों की जांच की जा रही है ;

(घ) सीमेंट के मामले में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा; और

(ङ) इस समय देश में कुल कितने टन सीमेंट की आवश्यकता है तथा देश में कितने टन सीमेंट का उत्पादन होता है त था इसमें कित नी सीमेंट का आयात किया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ग) 1 अप्रैल, 1977 से लेकर 31 मार्च, 1979 की अवधि में 24.73 लाख मी० टन की क्षमता के लिये 7 औद्योगिक लाइसेंस तथा 115.47 लाख मी० टन की क्षमता के लिए 33 आशयपत्र जारी किये गये हैं । इस समय कुल मिलाकर 116.42 लाख मी० टन की क्षमता के लिये औद्योगिक लाइसेंसों 1 आशयपत्रों के 29 आवेदनों की जांच की जा रही है।

(ख) इस समय सीमेंट उद्योग की कुल अधिष्ठापित क्षमता 230 लाख मी० टन है । 1979-80 तथा 1980-81 में क्रमश: 46.5 लाख मी० टन तथा 21.6 लाख मी० टन की अनुमानित अतिरिक्त क्षमता उत्पन हो जाने की आशा है ।

(घ) देश के लगभग 3 वर्षो में सीमेंट के मामले में आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है ।

(ङ) देश की सीमेंट की विद्यमान अनुमानित मांग 240 लाख मी० टन है । वर्ष 1978-79 की अवधि में सीमेंट का उत्पादन लगभग 196 लाख मी० टन हुआ है तथा अप्रैल, 1978 से मार्च, 1979 (19 मार्च, 1979 तक) में 15.5 लाख मी० टन सीमेंट का आयात किया गया है ।

पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग से प्राप्त अनुरोध

6770. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार से पटसन उद्योग में अनुसंधान और विकास कार्यों पर अधिक ध्यान देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकार के सुझाव क्या हैं उन सुझावों पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में कुछ ही हाथों में बड़े-बड़े उद्योग गृह

6772. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 मार्च, 1979 के 'इकानामिक टाइम्स' नई दिल्ली में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, क्या यह सच है कि देश के बड़े-बड़े उद्योग गृह, देश में कुछ ही हाथों में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण की अनुमति न देने की 'जनता सरकार' की घोषणा के प्रतिक्रियास्वरूप, विभाजन होकर छोटे-छोटे उद्योग-गृहों का रूप लेते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से बड़े उद्योग-गृह विभाजित होकर कई ग्रुपों में परिणित हो गये हैं तथा कैसे, और

(ग) क्या बड़े उद्योग-गृहों का इस प्रकार विभाजित हो जाना इनके प्रबन्ध सम्बन्धी कई समस्यायें खड़ी कर देगा अथवा सामान्य स्थिति बनी रहेगी, और क्या सरकार बड़े उद्योग-गृहों की ऐसी गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) 10 मार्च, 1979 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार में जयपुरिया, मफतलाल तथा रोहित औद्योगिक गृहों के अलग-अलग हो जाने का उल्लेख है । एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के संदर्भ में किसी बड़े औद्योगिक गृह के बट जाने की सूचना कम्पनी कार्य विभाग की जानकारी में तभी आ सकती है जबकि एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवाहर अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पहले ही पंजीकृत उपक्रम जिस पर अधिनियम की धारा 20 (क) लागू होती है, इस आधार पर पंजीकरण को रद्द कराये जाने के लिए आवेदन देता है कि संबंधित गृह का बटवारा हो गया है और जिसके फलस्वरुप उस उपक्रम पर धारा 20 (क) के उपबंध लागू न किये जायें ।

कम्पनी कार्य विभाग में हाल ही के महीनों में प्राप्त आवेदन पत्र में रद्द करने के संबंध में इस प्रकार का कोई भी संकेत नहीं मिलता है ।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

6773. श्री लालजी भाई : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में राज्यवार, कितने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजर की गई; और

(ख) चालू वर्ष में कितने व्यक्तियों को पेंशन देने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है ।

(ख) यह सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि चालू वर्ष के दौरान अगली स्वीकृतियां आवेदकों द्वारा स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आधारित होंगी जिन के मामलों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथा/अथवा जिन के मामलों में राज्य सरकारों की विशिष्ट सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान उन व्यक्तियों की संख्या जिनको पेंशन मंजूर की गई, का विवरण राज्यवार :—

राज्य	1976-77	1977-78	1978-79
अन्डमान और निकोबार	—	—	—
आन्ध्र प्रदेश	38	1007	723
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
असम	8	11	35
बिहार	49	129	670
चंडीगढ़	—	—	2
दिल्ली	1	3	20
गोवा	1	28	30
गुजरात	1	18	184
हरियाणा	—	2	7
हिमाचल प्रदेश	—	2	13
जम्मू व काश्मीर	—	2	45
केरल	31	56	205
कर्नाटक	6	99	290
मध्य प्रदेश	8	18	35
महाराष्ट्र	23	202	587
मणिपुर	—	—	1
मेघालय	—	—	—
मिजोरम	—	—	—
नागालैंड	—	—	—
उड़ीसा	11	6	22
पांडिचेरी	—	4	21
पंजाब	13	16	120
राजस्थान	—	7	12
तमिलनाडु	22	30	83
त्रिपुरा	1	2	15
उत्तर प्रदेश	8	34	245
पश्चिम बंगाल	181	370	870
कुल स्वतंत्रता सेनानी	402	2046	4235
भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के जवान	297	171	1374
कुल जोड़	699	2217	5609

होशियारपुर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एकक की स्थापना करना

6774. चौधरी बलबीर सिंह : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की जनता की बहुत पुरानी मांग है कि होशियारपुर (पंजाब) के पिछड़े जिले में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एक एकक की स्थापना की जाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वहां पर उपलब्ध सस्ते श्रम और अन्य सुविधाओं को देखते हुए क्या सरकार वहां पर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का एक एकक स्थापित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (घ) एच० एम० टी० के लिए देश के अनेक पिछड़े जिलों में एककों की स्थापना करना सम्भव नहीं है । किन्तु एच० एम० टी० के सीमित वित्त और उत्पादन श्रेणियों के अन्दर एच० एम० टी० देश के अनेक भागों में सम्बद्ध उत्पादन श्रेणियों का सम्भव सीमा तक विकास कर रहा है । जहां तक पंजाब का संबंध है, पंजाब सरकार के परामर्श से निश्चित किए गए स्थान पर एक वाच असेम्बली यूनिट की स्थापना में एच० एम० टी० सहायता कर रहा है । यह स्थान चण्डीगढ़ के निकट साहिबजादा अजीत सिंह नगर में है ।

हिन्दी टाईपिस्ट और स्टेनोग्राफरों की भर्ती

6775. श्री रामानन्द तिवारी : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा विभाग को पता है कि देश में हिन्दी टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों की बहुत कमी है;

(ख) क्या केन्द्रीय हिन्दी समिति हिन्दी स्टेनोग्राफरों तथा हिन्दी टाइपिस्टों की सीधी भर्ती करने के लिए सहमत है परन्तु मंत्रालय ने अभी तक कोई औपचारिक आदेश नहीं दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार हिन्दी टाइपिस्ट और हिन्दी स्टेनोग्राफर सीधे भर्ती करना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तो कब तक और यदि नहीं, तो सीधी भर्ती करने में क्या कठिनाईयां हैं ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख), (ग) और (घ) देश में हिन्दी टाइपिस्टों और आशुलिपिकों की कमी के बारे में सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है । जहां तक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में स्टेनोग्राफरों और टाइपिस्टों का प्रश्न है, हिन्दी टाइपिस्टों और हिन्दी स्टेनोग्राफरों के कोई अलग पद नहीं हैं और प्रत्याशी हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम से परीक्षा देकर सेवा में आ सकते हैं । भर्ती के बाद स्टेनोग्राफरों को दूसरी भाषा की आशुलिपि का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है ।

केन्द्रीय हिन्दी समिति ने हिन्दी आशुलिपिकों और टाइपिस्टों की भर्ती के लिए केवल हिन्दी आशुलिपि और टाईपिंग की परीक्षा लिए जाने की संस्तुति की थी और यह भी कहा था कि जो उम्मीदवार इसके अतिरिक्त अंग्रेजी आशुलिपि और टाईपिंग का ज्ञान रखते हों उन्हें प्राथमिकता दी जाए । इस पर आगे विचार किया जा रहा है ।

भोजपुर में गत्ता (दफ्ती) कारखाना स्थापित किया जाना

6776. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के भोजपुर जिले में कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या यह सच है कि भोजपुर जिले में धान के पुराल का गत्ता (दफ्ती) बनाने का कारखाना स्थापित किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस पर कौन से कदम उठाने जा रही है जिससे अविलम्ब कार्य प्रारम्भ हो ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) बिहार राज्य के भोजपुर जिले को 1977-78 तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम की योजना में शामिल कर लिया गया था । कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास को व्यापक रुप से प्रोत्साहन देने सम्बन्धी सरकार की नीति के अनुसरण में भोजपुर जिले को 1978-79 में केन्द्र द्वारा प्रयोजित जिला उद्योग केन्द्रों की और अधिक व्यापक योजना के अन्तर्गत लाया गया है ।

(ख) और (ग) चूंकि क्षेत्र में धान की भूसी उपलब्ध है, अत: धान की भूसी से कार्ड बोर्ड बनाने के लिए एक कारखाने की स्थापना व्यवहारिक हो सकती है । जिला उद्योग केन्द्र भोजपुर द्वारा विस्तृत कार्रवाई योजनाएं तैयार की जा रही है तथा इन योजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगा ।

वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य पर खर्च की गई धनराशि

6777. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान वर्षवार, वैज्ञानिक अनुसंधान-कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) क्या सरकार सन्तुष्ट है कि यह धनराशि राष्ट्रीय विकास के कार्य के लिये उचित तरीके से उपयोग में लाई गई है ?

रक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1977-78 को सामाप्य वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य पर व्यय की गई राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपयों में)
1968-69	107.56
1969-70	116.62
1970-71	139.74
1971-72	151.64
1972-73	194.67
1973-74	216.01
1974-75	291.60
1975-76	356.69
1976-77	420.25
1977-78	460.00 (अनुमान)

उपयोक्त व्यय मुख्यत: 8 प्रमुख वैज्ञानिक अभिकरणों, यथा, परमाणु ऊर्जा विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, अन्तरिक्ष विभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया था ।* इन अभिकरणों को आर्द्ध-व्यावसायिक और प्रायोगिक संयंत्र परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के साथ-साथ अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले समय-बद्ध कार्यक्रमों का निष्पादन करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है । सही शीर्षों के अनुसार, जिसके अन्तर्गत व्यय की विभिन्न मदें शामिल की गई हैं, दिए गए आंकड़ों में कुछ भिन्नता हो सकती है ।

(ख) जी, हां ।

योजना परिव्यय में कमी

6778. श्री के० टी० कोसलराम : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिसमें वर्ष 1977-78 के लिये योजना परिव्यय में 230 करोड़ रुपये की कमी आयी है जैसाकि राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने अपने हाल के अध्ययन में बताया है; और

(ख) कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि भविष्य योजना परिव्यय का पूरा उपयोग किया जाये ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर रहमान) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् के अध्ययन में 1977-78 के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय के लिए परिशोधित अनुमानों में उक्त वर्ष के लिए बजट अनुमानों की तुलना में 230 करोड़ रु० की कमी का उल्लेख किया गया है । संलग्न विवरण में 1977-78 के लिए योजना परिव्यय के बजट अनुमान और परिशोधित अनुमान मंत्रालयवार बताए गए हैं । वित्त मन्त्री ने 28 फरवरी, 1978 को 1978-79 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय इस

*अकेले इन्हीं अभिकरणों के हिसाब में कुल व्यय का लगभग 65 प्रतिशत आता है ।

कमी का उल्लेख किया था और यह बताया था कि मुख्य रुप से मशीनों और उपस्कर के दिए जाने के समय अनुसूची और सिविल निर्माण-कार्य में व्यतिक्रम हो जाने के कारण पैट्रोरियम, उर्वरक, इस्पात और दूर-संचार परियोजना व्यय काफी कम होगा । इसके अलावा कुछ सरकारी उद्यम पहले प्रत्याशित की अपेक्षा अतिरिक्त अधिक आंतरिक संसाधन उत्पन्न कर सके थे और इसलिए उनके योजना परिव्ययों की वित्त-व्यवस्था करने के लिए कम बजट-समर्थन की आवश्यकता थी ।

सभी स्तरों पर योजनागत स्कीमों की प्रबोधन प्रणाली में सुधार करने के लिए, कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों, मंत्रालयों और योजना आयोग द्वारा उपाय किए गए हैं ।

विवरण

मंत्रालय/विभागों द्वारा केन्द्रीय योजना के लिए बजट समर्थन

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	मन्त्रालय/विभाग	बजट अनुमान 1977-78	परिशोधित अनुमान 1977-78
1	2	3	4
1.	कृषि	198.26	159.92
2.	खाद्य	45.76	40.53
3.	ग्रामीण विकास	168.47	198.44
4.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	36.74	38.60
5.	सिंचाई	24.16	21.82
6.	वाणिज्य	8.14	7.69
7.	नागरिक पूर्ति और सहकारिता	31.96	29.58
8.	संचार (डाक-तार को छोड़कर)	20.57	20.39
9.	डाक-तार	42.35	25.71
10.	शिक्षा	85.67	82.01
11.	समाज कल्याण	12.87	12.84
12.	विद्युत	130.58	113.91
13.	कोयला	226.66	240.05
14.	आर्थिक कार्य	119.91	135.24
15.	राजस्व	0.62	0.20
16.	स्वास्थ्य	83.14	96.02
17.	परिवार कल्याण	98.61	90.38
18.	गृह	24.88	24.79
19.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार	0.20	0.20
20.	औद्योगिक विकास	232.32	226.72
21.	भारी उद्योग	56.81	61.10

(करोड़ रु०)

1	2	3	4
22.	सूचना और प्रसारण	24.62	21.07
23.	श्रम	4.65	3.64
24.	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	713.30	590.08
25.	योजना	7.39	6.10
26.	नौवहन और परिवहन	301.73	297.58
27.	इस्पात	510.85	453.04
28.	खान	79.63	84.05
29.	पूर्ति	0.60	0.28
30.	पुनर्वास	21.23	25.64
31.	पर्यटन और नागर विमानन	36.04	30.77
32.	निर्माण और आवास	115.14	110.91
33.	परमाणु उर्जा	129.79	121.55
34.	संस्कृति	5.97	4.45
35.	इलेक्ट्रानिक्स	10.64	10.49
36.	अन्तरिक्ष	30.20	28.65
37.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	35.00	33.63
38.	रेलवे	302.15	300.10
	जोड़	3,977.61	3,748.17

नमक उत्पादन की योजना

6779. **श्री के० वी० कोसलराम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाले शीतक जल समुद्र में बहजाने देने की बजाय, उसका उपयोग नमक बनाने के लिए करने की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या अब इसे क्रियान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसको क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने कलपक्कम में परमाणु उर्जा संयंत्र से निकलने वाले ठंडे पानी के 50 क्यूजेक पानी को बुकिंगम नहर में मिलाने के लिए एक योजना बनाई है ताकि नमक बनाने के लिए नहर में पर्याप्त खारापन मिलते रहने का सुनिश्चय किया जा सके । नमक उपकर आय में से सहायता देने हेतु नमक के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनी आगामी बैठक में इस योजना पर विचार किया जाएगा ।

कोरापुट, उड़ीसा में, सीमेंट कारखाने की स्थापना

6780. **श्री बैरागी जेना :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सीमेंट निगम ने उड़ीसा के कोरापुट जिले में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना के संबंध में जिसको भारत सीमेंट निगम तथा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उड़ीसा की एक संयुक्त उद्यम परियोजना के रुप में स्थापित होना था; पुनर्विलोकन किया है; और

(ख) तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) भारतीय सीमेंट निगम लि० ने जिला कोरापुट, उड़ीसा में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यता की जांच की थी । यह स्थान कोट्टावालसा-केरन्डूल ब्राड गेज रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है तथा बेलाडीला से विशाखापतनम तक केवल लौह अयस्क के परिवहन के लिये ही आरक्षित कर दिया गया है दूसरे किस्म के माल के लिये खुला हुआ नहीं है । अत: जब तक कि दांतेवाला सुखमा-राजभुंद्री रेल लाइन नहीं बन जाती है अथवा कोट्टावालसा केरुन्डल रेलवे लाइन सामान्य किस्म के माल के लिये खोल नहीं दी जाती है, इस परियोजना के बनाये जाने की कोई संभावना नहीं है ।

ताड़ गुड़ उद्योग में पदोन्नतियां

6781. **श्री के० ए० राजन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के अधीन ताडगुड़ उद्योग में पदोन्नतियों के कुछ एक मामलों को छोड़कर गत दस वर्षो से कर्मचारियों की कोई पदोन्नतियां नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन पदों का ब्यौरा क्या है जो वर्ष 1967 के बाद त्याग दिये गये हैं । अथवा उन्हें व्यपगत हो जाने दिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय ताड़गुड़ तथा ताड़उत्पाद संस्थान, मद्रास के कृत्य

6782. **श्री के० ए० राजन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग के केन्द्रीय ताड़गुड़ तथा ताड़ उत्पाद संस्थान, मद्रास के उद्देश्य तथा कृत्य क्या हैं ;

(ख) यदि इस संस्थान की कुछ उपलब्धियां हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान के आगामी कार्यक्रम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सैन्ट्रल पाम गुड़ एण्ड पाम प्राडक्ट्स इंस्टीट्यूट, मद्रास के उद्देश्य तथा कार्य निम्नलिखित है :—

(1) उद्योग के विकास कार्यक्रम में आने वाली तकनीकी कठिनाइयों के लिये तथा उत्पादन बढ़ाने के औजारों में सुधार करने के लिये क्षेत्री परीक्षण कराना, तथा अनुसंधान और प्रयोग करना।

(2) विस्तार कार्यक्रम को लाना, विभिन्न खजूर उत्पादों के लागत ढ़ांचे का अध्ययन करना, तकनीकी तथा संगठनात्मक प्रगति की जानकारी देने के लिये प्रदर्शन तथा नुमाइश की व्यवस्था करना, एजेंसियों को चलाने के लिये स्थापना स्थल पर तकनीकी मार्गदर्शन देना तथा जब कभी आवश्यकता हो विकास योजनाओं के बारे में उनके कार्य की मानिटरिंग करना।

(3) पर्यवेक्षणकारी तथा तकनीकी कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देना।

(4) योजनाओं/परियोजनाओं की आर्थिक जीव्यता का अनुमान लगाने के लिये आदर्श व्यवसायिक कार्यकलाप के कार्य को हाथ में लेना।

(ख) (1) संस्थान अपने अनुसंधान तथा प्रयोगात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ खजूर की मिठाइयां व अन्य खाद्य उत्पादों को बनाने के तरीके तथा फार्मूले को मानकीकृत करने की स्थिति में है।

(2) एक साधारण समुपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग कराके खजूर से चीनी बनाने की एक प्रक्रिया का विकास कर लिया गया है।

(3) खजूर की पत्तियों को काटने तथा उनकी बुनने करने के लिये हाथ से चलाने वाले एक हल्के उपरकण का विकास कर लिया गया है।

(4) खजूर के पत्तों के लिये नई डिजाइनों तथा उनके रेशों से बनाई गई वस्तुओं की उपयोगिता का पता लगा लिया गया है।

(5) खजूर के पेड़ पर सुगमता से चढ़ने के काम में आने वाले औजारों का परीक्षण किया गया है तथा उनकी इष्ठतम स्थिति का पता लगा लिया गया है।

(6) संस्थान में एन० सी० एस० टी० कार्यक्रम के अन्तर्गत खजूर कैंडी का उत्पादन करने की एक योजना चल रही है।

(7) विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों के भिन्न-भिन्न खजूर उत्पादों का अध्ययन किया गया है, आदर्श प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे हैं, चुनी हुई समितियों में उन्नत किस्म की भट्टी व कढ़ाई इस्तेमाल करना चालू किया गया है।

(8) चीनी बनाने का एक विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है।

(9) संस्थान विभिन्न किस्म के खाद्य और अखाद्य उत्पादों का आदर्श ट्रेडिंग कार्यक्रम चलाता है।

(ग) संस्थान के भावी कार्यक्रम में निम्नलिखित प्राक्कलपना की गई है :—

(1) प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विस्तार क्रिया कलाप को गहन बनाना।

(2) कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के अन्तर्गत पर्यवेक्षण कारी कर्मचारियों के लाभ के लिए खजूर से गुड़ बनाने की प्रौद्योगिकी में नियमित पाठ्यक्रम चलाना।

(3) कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के स्थल पर आंकड़ों की सम्वर्द्धनकारी सहायता देना।

(4) एन० सी० एस० टी० कार्यक्रम के अधीन अनुसंधान तथा प्रयोग संबंधी कार्य को गहन बनाना ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में सेलक्शन ग्रेड शुरू करना

6783. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग ने सभी पदों के लिये सेलेक्शन ग्रेड शुरू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रस्तावित सेलेक्शन ग्रेड प्रणाली के कब तक क्रियान्वित तथा पूरा हो जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 1 अप्रैल, 1978 से ग्रुप 'घ' के पदों में प्रवरण ग्रेड शुरु कर दिया है। आदेश जारी किया जा रहे हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गठित समिति ने अन्य श्रेणीयों को पदों के बारे में सिफारिश की है जिन पदों पर अत्यधिक गतिरोध है उन पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत पदों को प्रवरण ग्रेड पदों में बदल दिया जाए। समिति की सिफारिशों पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

सोयाबीन उद्योग में बहुराष्ट्रीय फर्मों का प्रवेश

6784. **श्री विजय कुमार एन० पटिल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोयाबीन प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय फर्मों/बड़े उद्योग गृहों के कथित अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश के बारे में स्माल सोया प्रोसेसर्स एसोशिएशन, नागपुर से एक ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन का प्रमुख ब्यौरा क्या है और उसमें क्या आरोप लगाये गये हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) (क) और (ख) : भारत सरकार को स्माल सोया प्रोसेसर्स एशोसियेशन नागपुर की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिस में कहा गया है कि वर्तमान लघु उद्योग एकक बड़े औद्योगिक गृहों/बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर सकते हैं। अतः सोयाबीन परिशोधन के क्षेत्र में बड़े औद्योगिक गृहों और बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश को रोका जाये। ज्ञापन में बताया गया है कि सोयाबीन उत्पादों के लिये विदेशी सहयोग और/अथवा पूंजीगत माल के मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) सरकार ने सोयाबीन उद्योग में बड़े औद्योगिक गृहों के प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है। क्योंकि टैक्सचर्ड प्रोटीन प्रोटीन आईसोलेटस और कन्सटेंट्स का उत्पादन लघु क्षेत्र में लाभप्रद नहीं हो सकता है और मध्यम क्षेत्र के अधिकतर उद्यमी उनको दिये गये आशय पत्रों को कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। इस क्षेत्र में बड़े औद्योगिक गृहों के प्रवेश को रोकने से सोयाबीन पैदा करने वालों को काफी परेशानी होगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा

6785. **श्री राम सागर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा/पुलिस/वन सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोटा केवल परीक्षा के समय ही भरा जाता है तथा उच्च पदों पर नहीं ;

(ख) क्या भारत वर्ष अर्थ सेवा में उच्च दो (1500-1800-2000) में कोटा रखा गया है तथा भरा गया है ;

(ग) क्या संविधान के उपबन्धों के अधीन यह भेदभाव की नीति है; यदि हां, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा में उप सचिव तथा उससे ऊपर के पदों में आरक्षित कोटा न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था केवल प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से इन सेवाओं में सीधी भर्ती के स्टेज पर ही है।

(ख) सीधी भर्ती से भरी जाने वाली भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड-I (रु० 1800-2000) और ग्रेड-II (रु० 1500-1800) की रिक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जन जातियों के लिए ग्रेड-I में आरक्षित एक अतिरिक्त तथा ग्रेड-II में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित एक रिक्ति को उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने के कारण नहीं भरा जा सका। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन रिक्तियों को पुनः विज्ञापित किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं श्रीमान।

(घ) चूंकि उप सचिव और उससे ऊपर के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये योजना

6786. **श्री बागुन सुम्बरुई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में आदिवासियों की स्थिति में सुधार तथा आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने के लिये बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन-कौन क्षेत्र आएंगे और उन पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) एक उप योजना 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक जनजाति जन संख्या वाले क्षेत्रों के लिये बनाई गई है। बिहार राज्य में जन जाति उपयोजना में आने वाले क्षेत्र अनुलग्नक में दिये गये हैं ।

इन क्षेत्रों की परियोजनाओं में विकास के सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं अर्थात् :—

1. कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र
2. सहकारिता
3. जल तथा विद्युत विकास
4. उद्योग तथा खनन
5. संचार
6. सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं
7. आर्थिक सेवाएं तथा
8. सामान्य सेवाएं

मध्यम अवधि योजना (1978-83) को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

बिहार में जन जाति उपयोजना के अन्तर्गत क्षेत्रों का विवरण

1. रांची ।
2. जिला सिंहभूम ।
3. जिला पलामाऊ में लतेहार उप मण्डल तथा गढवा उप मण्डल का भांडरिया ब्लाक।
4. जिला संथाल परगना में डुमका, पाकुर, राजमहल और जमतारा उप मण्डल, और सुन्दर पहाड़ी तथा गोड्डा उप मण्डल के बोरीजोर खण्ड ।

गुजरात से नमक उपकर के रूप में आय

6787. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने नमक उपकर के रूप में गुजरात से कितनी राशि एकत्र की है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस निधि में गुजरात से अधिक राशि प्राप्त होती है ;

(ग) यदि हां, तो इस समय इस निधि का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि गुजरात वाणिज्यिक मण्डल ने नमक जांच समिति के समक्ष यह शिकायत की है कि इस निधि का नमक उद्योग के विकास के लिये उपयोग करने या श्रमिकों के कल्याण के लिये उपयोग करने के लिये कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :(क) विगत तीन वर्षों में गुजरात राज्य से एकत्रित की गयी नमक उपकर की राशि इस प्रकार है :—

	(रुपये लाखों में)
1975-76	78.20
1976-77	75.99
1977-78 .	83.97

(ख) जी, हां ।

(ग) इकट्ठा करने में आई लागत को घटाकर नमक आय का उपयोग सभी अथवा नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 4 में दिये गये किन्हीं निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जाना है :—

(1) केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले नमक संगठन पर किये जाने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये;

(2) संघ की एजेन्सियों द्वारा नमक के उत्पादन सप्लाई एवं वितरण से संबंधित अभ्युपायों पर नमक के उत्पादन सप्लाई एवं वितरण को विनियमित करने तथा नियन्त्रित करने हेतु किये अभ्युपायों के खर्च को पूरा करने के लिये :—

(1) अनुसंधान केन्द्रों तथा नमूने के नमक फार्मों की स्थापना तथा रख रखाव;
(2) नमक कारखानों की स्थापना, रख रखाव तथा विस्तार करना;
(3) नमक की कोटि नियत करना ;
(4) नमक उत्पादकों के बीच सहकारी प्रयासों का संवर्धन तथा उत्साहवर्धन करना;
(5) नमक उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण कार्य का संवर्धन करना ।

(घ) और (ङ) गुजरात वाणिज्य मंडल ने नमक उपकर आय का बेहतर उपयोग करने, नमक उद्योग का विकास करने तथा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण विषयक अनेक सुझाव देते हुए नमक जांच समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था । नमक जांच समिति द्वारा इन सुझावों पर विचार किया जायेगा ।

लघु उद्योगों की प्रगति के बारे में ज्ञापन

6788. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु उद्योगों की प्रगति के बारे में प्रेजिडेंट, स्माल एण्ड डेवेलपमेंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ इंडिया, पी० ओ० बाक्स, 1542, बम्बई से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन में उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम की प्रथम अनुसूची में समाविष्ट सभी उद्योगों के संबंध में पंजीयन प्रमाण पत्र में क्षमता के पृष्ठांकन के बारे में 3 और 5

जनवरी, 1979 के प्रेस नोट के जरिये घोषित किये गये मानदण्ड का उल्लेख किया गया है। अभ्यावेदन में यह भी तर्क दिया गया है कि जिन लघु एककों ने संयंत्र तथा मशीनों पर 10 लाख की निवेश सीमा से अधिक निवेश किया है उन्हें 3 करोड़ रुपये की निवेश सीमा तक जो औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में सामान्य छूट का वर्तमान स्तर है बढ़ाने की अनुमति दे दी जाये ।

(ग) उपर्युक्त प्रेस नोट में सरकार ने यह शर्त रखी है कि लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित वस्तुओं के बारे में इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले गैर लघु एककों की उत्पादन क्षमता का निर्धारण इन वस्तुओं के लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिये आरक्षित किये जाने की तारीख से पहले के तीन वर्षों में हुए सर्वाधिक उत्पादन के आधार पर अथवा कुछ अतिरिक्त शर्तों के अधीन 29 अगस्त, 1973 को विद्यमान उत्पादन स्तर, जो भी पहले हो, के आधार पर किया जायेगा। यह शर्त उन सभी एककों पर लागू की गई है जो लघु क्षेत्र के नहीं हैं। यद्यपि यह शर्त तो लगा दी गई है कि कोई भी उपक्रम 31-12-1978 से पूर्व हुए अधिकतम उत्पादन स्तर से अधिक उत्पादन नहीं करेगा तो भी यह व्यवस्था कर दी गई है कि उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार जहां कोई उपक्रम क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहा है, उसे 1-1-1979 से दो वर्षों की अवधि के अन्दर पंजीयन प्रमाण पत्र में पृष्ठांकित पंजीयित क्षमता तक अपने उत्पादन स्तर को कम करना पड़ेगा। फिर भी, यदि कोई उपक्रम वही वस्तु अथवा इसी प्रकार का लघु उद्योग के उत्पादों को खरीदने तथा विपणन करने के लिये अपनी सहमति देता है तो उपर्युक्त मानदण्ड के अनुसार उसकी क्षमता का निर्धारण उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा। तथापि, अभ्यावेदन पर और आगे ध्यान दिया जा रहा है।

डबल रोटी और बिस्कुट उद्योगों का उत्पादन

6789. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को डबलरोटी और बिस्कुट उत्पादन की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का स्वच्छतापूर्वक उत्पादन, जैसाकि ब्रिटानियां अथवा माडर्न बेकरीज में किया जाता है, को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। डबल रोटी तथा बिस्कुटों का बनाया जाना बहुत समय से लघु क्षेत्र में चला आ रहा है । दिसम्बर, 1977 से डबलरोटी तथा बिस्कुटों सहित बेकरी के उत्पादन केवल लघु क्षेत्र में ही उत्पादन के लिए आरक्षित कर दिये गये थे।

(ख) डबलरोटी तथा बिस्कुटों के उत्पादन में कार्यरत लघु उद्योगों पर स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वे सभी मानदण्ड उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार वे संगठित क्षेत्र के एककों पर लागू हैं।

महाराष्ट्र में सीमेंट का जिलावार आवंटन

6790. **श्री गंगाधर अप्पा बूरांडे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मार्च, 1979 तक की अवधि में महाराष्ट्र के लिये सीमेंट का कितना कोटा जिलावार, दिया गया और सीमेंट एजेंसियों के नाम क्या हैं ;

(ख) 15 मार्च तक उन जिलों को वास्तव में कितनी मात्रा में सीमेंट सप्लाई किया गया; और

(ग) क्या उनकी मांगें पूरी करने के लिये सप्लाई पर्याप्त है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सीमेंट के वितरण की विद्यमान प्रणाली के अनुसार सीमेंट का इकट्ठा आवंटन प्रत्येक तिमाही के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के अधीन विभिन्न श्रेणियों जैसे सरकारी उपभोक्ताओं, गैर-सरकारी इकट्ठे खपत वाले उपभोक्ताओं तथा आम जनता में बिक्री के लिये किया जाता है। जनवरी-मार्च, 1979 की तिमाही के लिये माहाराष्ट्र को किया गया इकट्ठा आवंटन 50,000 मी० टन के अतिरिक्त तदर्थ आवंटन को मिलाकर 5.45 लाख मी० टन है। सीमेंट का जिलेवार आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । जनवरी-मार्च, 1979 की तिमाही के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न जिलों को दी गई सीमेंट की मात्रा प्रत्येक जिले को सीमेंट संभरण कर रही सीमेंट फैक्टरियों के नाम तथा फरवरी, के अंत तक भेजी गई सीमेंट की मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकार ने 34.95 लाख मी० टन के मूल आवंटन के अलावा प्रति तिमाही में 1.00 लाख मी० टन के अतिरिक्त आवंटन के लिये अनुरोध किया था। महाराष्ट्र राज्य की सम्पूर्ण मांग पूरी करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि देश में सीमेंट की उपलब्धता सारे राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों की कुल मांग से कम है।

विवरण

जनवरी-मार्च, 1979 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न जिलों को किये गये सीमेंट का आवंटन तथा भेजी गई मात्रा

क्र० सं०	जिले का नाम	सीमेंट फैक्टरियों के नाम जिनसे आवंटन तथा प्रेषण किया जाता है	जनवरी-मार्च, 1979 की तिमाही के लिए आवंटन	जनवरी और फरवरी, 1979 में किये गये प्रेषण
1	2	3	4	5
1.	अहमद नगर	केसोराम, शाहाबाद, वाडी, (डम्प)*	5304	686
2.	अकोला	शाहाबाद वाडी, चांदा, केसोराम	4170	1914
3.	अमरावती	चांदा (डम्प)*	4364	1888
4.	औरंगाबाद	वाड़ी, चांदा, पण्यम, अम्मनासानद्रा, केसोराम	4314	430

1	2	3	4	5
5.	भण्डारा	चांदा, केसोराम	2808	905
6.	बुलडाना	चांदा , केसोराम (डम्प)*	3300	526
7.	भीर	शाहाबाद, वाडी, पण्यम, अम्मासान्द्रा, (डम्प)*	2560	575
8.	चन्द्रपुर	चांदा	2485	1233
9.	धूलियां	चांदा, केसोराम, (डम्प)*	3860	934
10.	जलगांव	चांदा, केसोराम, (डम्प)*	5012	782
11.	कोल्हापुर	वाडी, बगलकोट, अम्मासान्द्रा, (डम्प) *	6880	2162
12.	कोलाबा	शाहाबाद, वाडी, कुरकुन्ता (डम्प)*	3188	1592
13.	नांडेड	पन्या, अम्मासान्द्रा , (डम्प)*	2832	414
14.	नागपुर	चांदा, केसोराम	12892	4488
15.	नासिक	चांदा, केसोराम (डम्प)*	5368	1678
16.	उस्मानाबाद	शाहाबाद, वाडी, कुरकुन्ता, (डम्प)*	2962	702
17.	परभनी	वाडी, पण्यम, अम्मासान्द्रा, (डम्प)*	3100	240
18.	पुणे	शाहाबाद, वाडी, (डम्प)*	20715	8477
19.	रत्नागिरि	शाहाबाद, वाडी, बगलकोट, अम्मासान्द्रा कुर-कुन्ता (डम्प)*	3308	1342
20.	सतारा	शाहाबाद, बाडी, बगलकोट, कुरकुन्ता (डम्प)	4360	1441
21.	सांगली	वाडी, बगलकोट, (अम्मासान्द्रा) (डम्प)	4796	1034
22.	शोलापुर	शाहाबाद, वाडी, कुरकुन्ता (डम्प)	6220	2621
23.	थाना	शाहाबाद, वाडी, कुरकुन्ता (डम्प)	11984	7020
24.	वर्धा	चांदा, केसोराम	3204	1220
25.	यवतमाल	चांदा, पण्यम, केसोराम	3480	2165
26.	बृहत् बम्बई	शाहाबाद, वाडी, चांदा, सेवरिया तथा आयातित सीमेंट	66050	33183
			200294	79657

*डम्प-महाराष्ट्रा में मै० ए० सी० सी० द्वारा अपनी शाहाबाद तथा वाडी सीमेंट फैक्टरियों में भण्डारों (डम्पों) को चलाया जा रहा है।

'जाइन्टस थरैट', शीर्षक समाचार

6791. **श्री वसन्त साठे**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 21 मार्च, 1979 के 'इकानामिक टाइम्स' के पृष्ठ 4 में जाइन्टस थ्रैट शीर्षक समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें व्यक्त गम्भीर किस्म के अभिमतों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : सोयाबीन प्रोसेसिंग उद्योग में बड़े एककों को प्रवेश करने हेतु लिया गया निर्णय मुख्यत: निम्नलिखित विचारों पर आधारित है :—

(1) मझोले स्तर के ऐसे उद्यमियों ने जिन्हें पिछल दिनों में आशय पत्र दिये गये थ, अधिकांश ने इन आशय पत्रों को कार्यान्वित नहीं किया है।

(2) लघु क्षेत्र में टेक्सचर्ड प्रोटीन, प्रोटीन आइसोलेट्स तथा सान्द्रणों को अक्सर लाभकारी रूप में प्रोसेस नहीं किया जा सकता।

(3) इसके लिये बड़े स्तर पर विपणन संवर्धन प्रयास की आवश्यकता भी होती है। इसमें बड़े एककों के संस्थापित विपणन बिक्री केन्द्र बड़े लाभकारी होते हैं।

(4) लघु तथा मझौले स्तर के उद्यमियों के कम उत्पादन और साथ ही बड़े एककों पर लगाई गई रोक से सोयाबीन के उत्पादकों को काफी परेशानी उपस्थित होती। जिन राज्यों में यह फसल काफी बड़े स्तर पर उत्पादित की जाती है वे किसानों को लाभकारी कीमतें देना सुनिश्चित करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं भारतीय खुराक में प्रोटीन के तत्व को बढ़ावा देने के लिए इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था।

(5) उद्योग मंत्रालय के 29 जनवरी, 1979 के प्रेस टिप्पण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गैर एम० आर० टी० पी० तथा गैर एफ० ई० आर० ए० (फेरा) कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी। बड़े एककों को अनुमति देने संबंधी निर्णय लघु एककों के हितों को संरक्षण देने को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों के परामर्श से लिया गया है जिसमें विकास आयुक्त, लघु उद्योग तथा बी० एस० आई० आर० शामिल हैं।

विदेशी सहयोग के लिये किये गये अनुरोधों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा और आमतौर पर जहां पर देशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी किन्तु विदेशी सहयोग को बिल्कुल ही अनुमति न देना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि इसकी अधिक आधुनिक (सोफिस्टीकेटेड) उत्पाद बनाने में आवश्यकता पड़ सकती है। इसी प्रकार जहां देशी मशीनरी उपलब्ध है, उस दशा में विदेशी मशीनरी आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मैसर्स मोदी पान लि० मोदी नगर को 30 जून, 1977 को निम्नलिखित वस्तुओं को बनाने हेतु उनके सामने दी गई क्षमता से बनाने के लिये एक आशय पत्र जारी किया गया है :—

तैयार की जाने वाली वस्तु	वार्षिक क्षमता (मी० टन)
1. खाद्यसोया आटा	45,000
2. सोया टेक्सचर्ड प्रोटीन	30,000
3. सोया प्रोटीन आइसोलेट्स तथा सांन्द्रण	3,000
4. सोयाबीन तेल (सह उत्पाद)	16,540

मैसर्स मोदी पोन लिमिटेड के प्रस्ताव में 4.34 करोड़ रुपये के संयंत्र और उपकरण का आयात निहित है इस पर देश में उपलब्धता की दृष्टि से मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है। यह एकाधिकार प्रति बन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, के अधीन आने वाला उपक्रम नहीं है। सोयाबीन परिशोधन एकक स्थापित करने के लिये मैसर्स केडबरी इण्डिया लिमिटेड से मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मै० फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड भी जिनका प्रस्ताव पहले अस्वीकृत कर दिया गया था मंत्रालय के दिनांक 29 जनवरी, 1979 के प्रेसनोट के अनुसार आवेदन देने के पात्र हैं।

इस्पात 'वायर' तथा 'राड' उपलब्ध न होने के कारण लघु उद्योगों का बन्द होना

6792. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात वायर तथा राड उपलब्ध न होने के कारण कितने लघु उद्योग बन्द हो गये हैं; अथवा अपयुक्त क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में तार बनाने वाले छोटे कारखानों की क्षमता 26 लाख टन थी ;

(ग) इस समय इनमें से कितने कारखाने लौह तथा इस्पात नियन्त्रण की सूची में हैं और और ऐसे कारखानों की नर्म इस्पात काला अथवा जस्तीदार की पंजीकृत लाइसेंस प्राप्त करना तथा वर्तमान क्षमता कितनी है; और

(घ) पश्चिम बंगाल में तथा अन्य राज्यों में कच्चा माल न मिलने के कारण कितनी क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकार को तार खींचने वाले एककों की सामान्य रूप से बढ़ी हुई मांग के मुकाबले हाल ही के महीनों में पर्याप्त मात्रा में तार व छड़ों के मिलने में उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके बारे में पता है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में तार खींचने के कार्य में लगे एककों की संख्या 125 है तथा उनको मिली जुली क्षमता 1,25,000 मी० टन प्रति वर्ष है।

(ग) लघु उद्योगों को लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक के पास पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है। केवल बड़े एककों को ही लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक के अन्तर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है।

(घ) हाल ही में देश में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार एम० एस० और जी० आई० तारों को बनाने वाले लघु एककों की क्षमता और उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	क्षमता	उत्पादन
	(18 एम० डब्ल्यू० जी० से ठोस) लाख मी० टन	
1977-78	4.5	3.5

पश्चिम बंगाल के 125 एककों पर उनकी कुल 125,000 मी० टन, क्षमता में से वर्ष 1977-78 के दौरान उनका मिला जुला उत्पादन 82,350 मी० टन हुआ था।

हिप्पियों का गोआ के समुद्री तटों पर आगमन

6793. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और विशेष रूप से गोआ के समुद्री तटों पर हिप्पियों का भारी संख्या में आगमन हो रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें अनेक अन्तर्राष्ट्रीय गुण्डे हैं, जिनकी खोज अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस द्वारा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) हिप्पी की कोई निश्चित परिभाषा न होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को एक वर्ग के रूप में अन्य पर्यटकों से भिन्न करना कठिन है। अतः ऐसे विदेशियों के देश अथवा गोवा में आगमन के बारे में कोई विश्वस्नीय सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः यह भी कहना संभव नहीं है कि क्या ऐसे व्यक्तियों में अन्तर्राष्ट्रीय गुण्डे शामिल हैं। फिर भी यदि कोई विदेशी प्रतिकूल गतिविधि के लिए ध्यान में आता है तो उसके विरुद्ध सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाही की जाती है।

(ग) किन्तु ऐसे विदेशियों जिनके मादक वस्तुओं का सेवन, अभद्र व्यवहार, अवारागर्दी, भीख मांगने आदि के कारण सामाजिक बुराई होने की संभावना हो, के भारत में प्रवेश को सीमित करने के उद्देश्य से विदेशों में भारतीय मिशनों को ऐसे व्यक्तियों को पर्यटक वीसा स्वीकृत करने में विशेष रूप से सतर्कता बरतने के लिये उपयुक्त आदेश दिये गये हैं। राज्य सरकारों को भी यथोचित सलाह दी गई है कि ऐसे विदेशियों की गतिविधियों पर पूरी तरह निगरानी रखें और कानून के किसी भी उल्लंघन के लिये तुरन्त कानूनी कार्रवाई करें।

ग्राम स्तर पर पंचवर्षीय योजना लागू करना

6794. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम स्तर पर पंच वर्षीय योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के नगरीय रूप में परिवर्तन करने और उसे ग्रामोन्मुख बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर रहमान) : (क) जी, नहीं। एकीकृत आयोजना के लिये उपयुक्त समझा गया क्षेत्र विकास खंड है। इसलिये देश में खंड स्तर आयोजना शुरू की गई है। इन योजनाओं को तैयार करने में खंड में आने वाले गांव और गांवों के समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में कृषि और एकीकृत ग्रामीण विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है और इस लिए इसे नगरोन्मुख नहीं कहा जा सकता।

विदेशी अभिदाय अधिनियम, 1976 का क्रियान्वयन

6795. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी अभिदाय अधिनियम 1976 को क्रियान्वित करने के लिये कोई प्राधिकारी नियुक्त किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या विदेशी अभिदाय अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये कार्य कर रहे अधिकारियों ने नियम केअन्तर्गत किसी मामले का पता लगाया है और जांच की है; और

(ग) यदि हाँ, तो कितने मामले की जांच की जा रही है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।

(ख) और (ग) : अधिनियम के लागू होने के पश्चात विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 की दण्डात्मक धाराओं के अधीन अभियोजन अभी तक किसी मामले में स्वीकृत नहीं किया गया है। कुछ मामलों में विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, के उपबन्धों के कथित उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच की जा रही है। इस अवस्था में उनके ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

सामाजिक-आर्थिक आधार पर लोगों का वर्गीकरण

6796. **श्री के० मालन्ना**
श्री एस० एस० सोमानी } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक आधार के बजाये सामाजिक-आर्थिक आधार पर लोगों का बहुमत और अल्प संख्यक समुदायों में वर्गीकरण करने और उसके आधार पर प्रगति में विभिन्न वर्गों को अनुमति देकर उनको समान स्तर पर उठाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर रहमान) : (क) और (ख) : योजना और आर्थिक नीति के प्रयोजन के लिये लोगों को समुदायों में वर्गीकृत करने का कोई प्रश्न नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, वर्तमान पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उद्देश्य अधिक रोजगार के अवसरों, कृषि और उद्योग में अधिक आय तथा सामाजिक सेवाओं की अधिक सहज उपलब्धता के जरिए समुदाय के गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे वर्गों की आय में वृद्धि करना और उनका कल्याण करना है। इस अर्थ में उसमें गरीबों, जो बहुसंख्या में हैं, और गरीबों से इतर लोगों, जो अल्प संख्या में हैं, के बीच अन्तर किया गया माना जा सकता है। योजना की सफलता का अर्थ होगा इन दोनों समूहों जीवन-स्तरों में वर्तमान अंतर में पर्याप्त कमी करना।

राज्यों में रूई का उत्पादन

6797. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में रूई का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) इस वर्ष इन तीनों राज्यों से रूई निगम की ओर से कुल कितनी रूई खरीदी जायेगी, 31 मार्च, तक राज्यवार कितनी रूई खरीदी गई और किस दर पर;

(ग) राज्य रूई निगम द्वारा महाराष्ट्र में जोनवार किस दर पर रूई खरीदी गई;

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय रूई निगम और महाराष्ट्र रूई निगम से किस दर पर रूई खरीदी जायेगी? और

(ङ) क्या भारतीय रूई निगम की तुलना में महाराष्ट्र रूई निगम ने ऊंचे दरों की पेशकश की है; यदि हां, तो भारतीय रूई निगम द्वारा कपास उत्पादकों को ऊँचे दरों की पेशकश न किये जाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) चालू कपास वर्ष 1978-79 के रूई उत्पादन के अन्तिम राज्य वार अनुमान अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं तथापि वर्ष 1977-78 के पिछले वर्ष में गुजरात, पंजाब व महाराष्ट्र में रूई का निम्नलिखित अनुमानित उत्पादन हुआ था:—

राज्य	उत्पादन (170 किलोग्राम वाली लाख गांठों में)
गुजरात . .	19.42
पंजाब .	12.24
महाराष्ट्र	12.63

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ गारन्टी मूल्यों पर कपास की खरीद करता है जो सरकार द्वारा वर्ष 1978-79 के कपास मौसम के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत अधिक होते हैं और जो रूई की किस्म व ग्रेड पर निर्भर करते हैं।

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम भारतीय रूई निगम व महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ से बातचीत करके उस समय के समय की बाजार की स्थितियों के अनुसार समय-समय पर रूई की खरीद करता है।

(ङ) जहां तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है, चूंकि 16 दिसम्बर, 1978 से केवल महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ही रूई की खरीद की जाती है, अतः भारतीय रूई निगम द्वारा लगाए गए मूल्यों से महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ के मूल्यों की तुलना करने का कोई आधार नहीं है।

विवरण

गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में भारतीय रूई निगम द्वारा खरीदी जाने वाली रूई की कुल निर्धारित मात्रा तथा इन राज्यों में खरीदी गई रूई की मात्रा व निगम द्वारा व लगाए गए मल्यों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(170 किलोग्राम वाली लाख गांठों में मात्रा)

राज्य	खरीद लक्ष्य	अब तक की गई खरीद	मार्च, 1979 की दूसरी तिमाही में भारतीय रूई निगम द्वारा ली गई खरीद के मूल्य	
			किस्म	मूल्य (प्रति क्विंटल मूल्य) उच्च/निम्न
गुजरात	5.00	1.44	एस-4	516/445
			दिग्विजय	458/425
			कं०-2	482/355
			बी-797	347/324
पंजाब	2.50	1.99	जे-34	394/267
महाराष्ट्र	*	0.61	—	—

*महाराष्ट्र में 16 सितम्बर, 1978 से राज्य कपास वसूली योजना पुनः शुरू हो जाने से भारतीय रूई निगम अब महाराष्ट्र राज्य में काम नहीं कर रहा है। तथापि भारतीय निगम ने महाराष्ट्र में 15 दिसम्बर, 1978 तक लगभग 61,278 रूई की गांठें खरीदी थीं।

पश्चिम बंगाल में नमक उद्योग की स्थापना

6798. **प्रो० समर गुह :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, कंटाई क्षेत्र में उप-उत्पाद उद्योगों के साथ-साथ अतिरिक्त नमक उद्योग की स्थापना करने का है ;

(ख) क्या राज्य मंत्री ने कई अवसरों पर इस क्षेत्र का दौरा किया है और उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार तथा स्थानीय प्रशासन के साथ परामर्श किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की स्थापना करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति : आभा माईति) (क) मिदनापुर जिले के कोन्ताई सी बोर्ड क्षेत्र में नमक का एक कारखाना लगाने का एक प्रस्ताव है और उस भूमि की लम्बाई-चौड़ाई लगभग 1,900 एकड़ है जिसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस क्षेत्र में नमक बनाने के लिए हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० (जो भारत सरकार का एक उपक्रम है) को सौंपा जाना है।

(ख) उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती आभा माईति ने 5 जनवरी, 1979 को कोन्तई क्षेत्र का दौरा किया था तथा पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग मंत्री तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ इस मामले में चर्चा की थी।

(ग) इस भूमि पर अनधिकृत रूप से नमक बनाने वाले कुछ व्यक्तियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से मैं० हिन्दुस्तान साल्टस लि० को इस भूमि का आवंटन किये जाने के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त कर लिये हैं। इस परियोजना पर आगे की कार्रवाई मैसर्स हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० को इस भूमि का हस्तान्नतरण हो जाने के बाद ही की जायेगी, जिसके लिये राज्य सरकार उपयुक्त कदम उठा रही है।

मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

6799. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार की नवीनतम योजना क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश के कृत्रिम रबड़ उत्पादक उद्योग का रबड़ निगम बनाने के लिए राष्ट्रीयकरण करने का है क्योंकि यह एक एकाधिकार उद्योग है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) उद्योग मंत्री ने तथा विभिन्न अवसरों पर 12 फरवरी, 1979 के संवाददाता सम्मेलन में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण पर हुई बहस के संदर्भ में तथा आर्थिक नीति पर जनता पार्टी के संकल्प को कार्यान्वित करने के कार्यक्रम के एक अंग के रूप में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर चर्चा की है। पत्र-प्रतिनिधियों द्वारा उद्योग मंत्री के साथ हुई बैठकों में भी इन मसलों को उठाया गया है। उद्योग मंत्री ने 12 फरवरी, 1979 के अभी हाल के संवाददाता सम्मेलन में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा इन्हें हाथ में लिये जाने संबंधी मानदण्डों का जिक्र किया है—अर्थात् बड़े गृहों द्वारा आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण की सीमा, समूचे औद्योगिक उत्पादन तथा विपणन को सरकार द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता सम्बन्धी सीमा एवं वे क्षेत्र जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी मौजूदगी महसूस करानी है, की जानकारी दी है। संसद में 23 दिसम्बर, 1977 को रखे गये औद्योगिक नीति विवरण में भी इन विषयों पर ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को जनहित के मामले के रूप में विभिन्न मंचों पर उठाया गया है सरकार ने इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सेना का गठन

6800. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सेना की स्थापना की संभावना की जांच करने के लिये गठित दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस योजना पर विचार किया है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि प्रतिवेदन नहीं दिया गया है तो उसके किस तारीख तक दिये जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

(घ) रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिये कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की गई है। कार्यकारी दल से यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ।

मंत्रालयों में अनुवाद तथा पुनरीक्षण कार्य के बारे में 20-12-78 को पूछे गये प्रश्न संख्या 4343 के उत्तर में शुद्धी करने वाला विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल): 30 दिसम्बर, 1978 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4343 के उत्तर में यह कहा गया था कि :—

"विधायी विभाग के लिये अनुवाद का कोटा 1800 शब्द प्रति अनुवादक प्रति दिन तथा पुनरीक्षण का कोटा इसका लगभग दुगना निर्धारित किया गया है।"

कृपया उपरोक्त वाक्य को निम्नलिखित रूप में पढ़ें :—

"विधायी विभाग के लिये अनुवाद का कोटा 1300 शब्द प्रति अनुवादक प्रति दिन तथा पुनरीक्षण का कोटा इसका लगभग दुगना निर्धारित किया गया है।"

इसी प्रकार अनुलग्नक "सी" (हिन्दी संस्करण) में "1380 शब्द प्रति दिन" के स्थान पर "1300 शब्द प्रति दिन" पढ़ा जाए ।

टाइप की गलती के कारण यह संशोधन करने की आवश्यकता हुई है। यह गलती प्रश्न के उत्तर के उस भाग में हुई जिसमें अन्य मंत्रालय की जानकारी दी गई थी, इसलिये जल्दी ध्यान में नहीं आई ।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अमेरिका से बहुत सारा पैसा लिया है।... **(व्यवधान)** इट इज डाइरेक्ट इन्टरफीरेन्स इन इन्डियन पालीटिक्स। यह देश के बेचने का कार्य किया है।... **(व्यवधान)**..ये पहले कहती रही हैं कि जे० पी० अमेरिका से पैसा ले रहे हैं... **(व्यवधान)**...क्या यह हिन्दुस्तान की राजनीति में इन्टरफीरेन्स नहीं है ?

(व्यवधान)

मैंने काल-एटेंशन दिया है, आप उसे स्वीकार कीजिए।.. **(व्यवधान)**..

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) मैंने 377 का नोटिस दिया है, आप ने उस पर क्या फैसला किया है।..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी प्राप्त किया गया है, मैं नियमों के अनुसार चल रहा हूं। **(व्यवधान)** ऐसा कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया है। यह आज ही प्राप्त हुआ है। ध्यानाकर्षण की सभी सूचनाओं पर विचार किया जायेगा। जहां तक कल का सम्बन्ध है, मैंने बंगाल में बिजली के फेल हो जाने के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं कल के लिए कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं चुन सकता। इस पर अगले सप्ताह विचार किया जायेगा। **(व्यवधान)** मैं इस पर अगले सप्ताह अवश्य विचार करुंगा। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

श्री नाथू सिंह : यह पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। यह बड़ा गंभीर मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : नियम 58 के अन्तर्गत मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आज मेरे समक्ष मामले के बारे में है ?

श्री वयालार रवि : हां **(व्यवधान)**

श्री वयालार रवि : मैं यह मामला नियम 58 के अन्तर्गत उठा रहा हूं। अब सरकार ने अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भाग लेने की अनुमति दे दी है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित मत कीजिए। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री वयालार रवि : * * *

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : मैं वर्ष 1979-80 के लिये वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4261/79]

वर्ष 1979-80 की उद्योग मंत्रालय की ब्यौरेवार मांगें

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : मैं वर्ष 1979-80 के लिये उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी तथा संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4262/79]

***कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सिख गुरूद्वारा निर्वाचन जांच [(संशोधन) नियम, 1979]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : मैं सिख गुरुद्वारा अधिनिमय, 1925 की धारा 146 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सिख गुरुद्वारा निर्वाचन जांच (संशोधन) नियम, 1979 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 2 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 328 (ङ) में प्रकाशित हुए थे की प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 4263/79]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के अन्तगर्त अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० वि० नि० 435 जो दिनांक 24 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 3 फरवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 160 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(दो) सा० सां० नि० 436 जो दिनांक 24 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 3 फरवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 159 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1979 जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 471 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 472 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4264/79]

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स कलकत्ता के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्रों (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : मैं कम्पनी अधिनयम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) तथा रेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 4265/79]

वर्ष 1971-72 से 1975-76 के लिए दिल्ली वित्त निगम के लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और विलम्ब का कारण बताने वाला एक विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अन्तर्गत वर्ष 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के लिये दिल्ली वित्त निगम के लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा लपटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय रखा में गया देखिए संख्या एल० टी० 4266/79]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : कृपया हमारी वात सुनिये । आपके समक्ष स्थगन प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : आपने इसकी अनुमति नही दी है । किन्तु एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है । सदस्य पूछ रहे हैं···· **(व्यवधान)** जब नियम 60 के अन्तर्गत आपके पास कोई स्थगन प्रस्ताव आता है तो आपके पास तीन ही तरीके रह जाते हैं । आप या तो उसे अस्वीकार कर सकते हैं और इसके कारण बता सकते है या आप सदस्य को अधिक जानकारी देने के लिए कह सकते है या फिर आप सम्बन्धित मन्त्री से स्पष्टीकरण मांग सकते है और यह इस आधार पर है ····· **(व्यवधान)** अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तो को नियमति करना है ···· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री वयालार रवि द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव सरकार के सेवा शर्तों में परिवर्तन करने के निर्णय के बारे में है, ताकि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जो कि एक साम्प्रदायिक संगठन है, भाग ले सकें । यह संगठन भारतीय संविधान के धर्म निरपेक्ष स्वरूप के विरुद्ध है और इसके कारण खतरनाक परिणाम हो सकते हैं । मैंने यह कहकर कि "यह विधान कार्य को स्थगित करने का मामला नहीं है इसे अस्वीकार कर दिया है आपके पास कई और भी तरीके है । स्थागन प्रस्ताव ही एक मात्र तरीका नहीं है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह एक ऐसा मामला है, जिससे समूचा देश विक्षुब्ध है ... **(व्यवधान)** नियम 309 के अधीन ···· **(व्यवधान)** नियमों में सांविधिक शक्ति है । यह समा····· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न कदापि नहीं है । आप ध्यानार्कष्ण पूर्ण प्रस्ताव पेश कर सकते है किन्तु यह स्थगन प्रस्ताव नहीं हो सकता । आप इस मामले को अनुदानों की मांगों पर होने वाली चर्चा के दौरान उठा सकते हैं

श्री सी० एम० स्टीफन : हम जिम्मेदार लोग हैं । कृपया जब हम इसे उठा रहे हैं तो आप हमारी बात सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला स्थगन प्रस्ताव के लिए नहीं हो सकता ।

श्री सी० एम० स्टीफन : समाचार पत्रों में विशेष रुप से कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है । यह खतरनाक बात है । यह सांविधिक मामला है । हमने आपका विनिर्णय सुन लिया है । कृपया अब हमारी बात भी सुनिए । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव का मामला है

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : क्या विपक्ष आपको विनिर्णय को चुनौती दे रहा है ? यह एक उदाहरण बन जायेगा इसलिए आपको इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को उठाने के और भी तरीके हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह एक प्रचलित प्रक्रिया है कि स्थगन प्रस्ताव पर आपका विनिर्णय अंतिम नहीं है । सभी दलों ने एक प्रक्रिया तैयार की है कि जब आप स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं तो हम इसे आपके समक्ष रख सकते है .....

अध्यक्ष महोदय : मेरे पूर्व उत्तराधिकारी ने यह प्रथा निर्धारित की हुई है कि बजट सत्र के दौरान, जब अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही हो, जब तक कोई मामला नितान्त आवश्यक न हो, अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव की अनुमाति नहीं देगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन : गृह मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हो चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को उठाने के कई और तरीके भी है। हमें कुछ जिम्मेदारी समझनी चाहिए ।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह एक सांविधिक मामला है, जिस पर सभा को पूरा अधिकार है । आपको यह बात समझनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना दीजिए

श्री सी० एम० स्टीफन : इस मामले से देश के लोगों में रोष व्याप्त है ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : दुर्भाग्य की बात है कि आपके विनिर्णय पर चर्चा करने की अनुमति मांगी जा रही है । फिर भी में सभा को बता दूं कि समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, वह सब गलत है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है वह गलत है। आप और अधिक क्या चाहते हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या यह सही नहीं है कि आचरण नियमों का संशोधन नहीं किया गया है या क्या संशोधन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देता । इसमें निराधार क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर उनके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं उनसे जानना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यह बिल्कुल निराधार है . (**व्यवधान**) सभा में नई प्रथाएं बनाई जा रही हैं । **श्री** पासवान

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

31वां प्रतिवेदन

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 31वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति

15वां प्रतिवेदन

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : यें सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं उनसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके साथ सभा में इस तरह जिरह नहीं कर सकते । मुझे आश्चर्य होता है कि विपक्ष के नेता इस ढंग से अपनी बात पर जोर दे रहे हैं । मुझे विपक्ष के नेता से बेहतर सहयोग की अपेक्षा थी । प्रधान मंत्री ने कह दिया है कि यह बात निराधार है । यदि कोई और बात है तो आप उनके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : जब प्रधान मंत्री द्वारा सभा में वक्तव्य दिया गया है तो विपक्ष के नेता के रूप में मुझे यह पूछने का अधिकार है कि उनका उससे क्या मतलब है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता ।

श्री सी० एम० स्टीफन : आपको उन्हें बाध्य करने की जरूरत नहीं है । यदि वह उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं तो वह ऐसा कह दें ।

मुझे अपना प्रश्न पूछने दीजिए । समाचार पत्रों में समाचार छपा है कि आचरण नियमों का संशोधन किया गया है । क्या यह समाचार सही है अथवा नहीं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आचरण नियमों का संशोधन किया गया है, अथवा नहीं ? मैंने उन्हें यही प्रश्न पूछा है, वह कहते हैं कि यह समाचार निराधार है । मैं जानना चाहता हूं कि यह निराधार कैसे है । (व्यव)मैं चिल्ला नहीं रहा हूं । मैं तो एक प्रश्न पूछ रहा हूं । निराधार क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह आपको उत्तर नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं । मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता--(**व्यवधान**) ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) हमारा आपके प्राधिकार को चुनौती देने का इरादा नहीं है । किन्त कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर सभा के सदस्य हीं नहीं बल्कि बाहर देशवासी भी सोचते रहते हैं । (**व्यवधान**) यहां तक कि जनता पार्टी में भी यह मामला विवादास्पद बन गया है कि क्या जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ के सदस्य बन सकते

हैं। (व्यवधान) एक समाचार निकला है कि सरकार ने आचरण नियमों का संशोधन कर लिया है ताकि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ के सदस्य बन सकें ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री कहते हैं कि यह समाचार निराधार है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस तरह की चर्चा की अनुमति न देकर तथा उसे संसद बाहर रखकर आप संसद को संकुचित बना रहे हैं .. (व्यवधान) आपको सच्ची संसदय भावना से कार्य करना चाहिए और ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने की अनुमति दे देनी चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों के कारण देश के लोगों में उतेजना है।

श्री सी० एम० स्टीफन : प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह समाचार निराधार है। स समाचार के दो पहलू हैं। पहला यह कि क्या आचरण नियमों का संशोधन किया गया है और दूसरा यह कि इसकी व्याख्या क्या है। यह तो एक साधारण शिष्टाचार है कि जब प्रधान मंत्री वक्तव्य देते हैं और विपक्ष स्पष्टीकरण मांगता है तो संदेह दूर किया जाना चाहिए। उन्हें यह बताने की औपचारिकता तो दिखानी ही चाहिए कि उनका निराधार से क्या तात्पर्य है। मैं उनकी बात समझ नहीं पाया हूं। कृपया इससे उनका क्या तात्पर्य है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। आपने कहा है कि समाचार निराधार है । क्या आपको कहने का मतलब यह है कि आचरण नियमों का संशोधन नहीं कया गया है और क्या आप यह कहना चाहते हैं कि संशोधन का आशय यह नहीं है कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है। इस बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री मोरारजी देसाई : विपक्ष के नेता प्रारम्भिक शिष्टाचार चाहते हैं। क्या मेरे पर इस तरह चिल्लाना कोई शिष्टाचार है ? ऐसे में वह मुझसे शिष्टाचार निभाने की कैसे उम्मीद करते हैं ? (व्यवधान) मैं उन्हें बता दूं कि बिना जाने बूझे मैंने अपना वक्तव्य नहीं दिया है

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं समझा नहीं। इसीलिए मैंने पूछा है।

श्री मोरारजी देसाई : आप पर दया आती है। आप इतना भी नहीं समझ पाये । सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती। इसका मतलब यह नहीं होता कि..

एक माननीय सदस्य : इसका अर्थ यह नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरि विष्णु कामत (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : वह फिर सभा को गुमराह कर रहे हैं। वह इसकी पुष्टि कर रहे हैं। वह कहते हैं "जो कुछ मैंने कहा है उसका अर्थ यह नहीं है कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भाग नहीं ले सकते। उन्होंने यही कहा है। कृपया सभा को अन्धेरे में मत रखिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें संशोधन सभा पटल पर रखने के लिए कह दूंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मझे आदेश नहीं दे सकते। विपक्ष के नेता को मुझे आदेश देने का अधिकार नहीं है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं आदेश नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें संशोधन सभा पटल पर रखने के लिए कहुंगा और यदि आवश्यक हो तो मैं इस पर वाद-विवाद की अनुमति दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है? किस मामले के बारे में है?

श्री कंवर लाम गुप्त : नियम 184 के अन्तर्गत श्रीमान आपने उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर चर्चा करने की अनुमति दी है। मुझे कुछ नहीं कहना है। यह आपकी अपनी मर्जी है। किन्तु दूसरा महत्वपूर्ण विषय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्राप्त की गई धनराशि के बारे में है इससे श्री चव्हाण भी सहमत हैं। (व्यवधान) वह बहुत ही गंभीर मामला है। समूचा देश इस बारे में उत्तेजित है। ...

अध्यक्ष महोदय : सभी गंभीर मामलों पर एक ही दिन में चर्चा नहीं हो सकती। इसके लिए हमें समय निकालना है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे रहा हूं। आप इसे व्यवस्था के प्रश्न के रूप में नहीं उठा सकते। मैं आपको और अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित मत कीजिए

श्री सी० एम० स्टीफन : श्रीमान जी मैं अपने दल तथा अपने दल की अध्यक्षा, श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर से यह स्पष्ट कर दूं कि यह समाचार बिल्कुल निराधार है उन्होंने वहां से एक पाई भी नहीं ली है। मैं यह स्पष्ट कर दूं। मैं चुनौती देता हूं कि और हम किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। यह झूठी बात है।

अध्यक्ष महोदय: मैं चर्चा के लिए अवसर दे रहा हूं। (व्यवधान) मैंने कहा है कि इसके लिए अवसर दे रहा हूं मैं और कुछ नहीं।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : भारतीय संसद में सी० आई० ए० के एजेन्ट बैठे हुए हैं। यह हमारे देश का अपमान है।

श्री सी० एम० स्टीफन : सी० आई० ए० के तो आप हैं। सी० आई० ए० का आदमी तो आपका ही है—डा० सुब्रहमण्यम स्वामी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से आप अब इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इंदरा गांधी के दल ने सबसे पैसा लिया है।

चौधीर बलवीरसिंह (होशियार पुर) : स्टीफन साहब के बयान के बाद इस बात पर एक बहस यहां पर होनी चाहिए **।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित मत कीजिए।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरि विष्णु कामत
चौधरी बलबीर सिंह* :

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं कया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत :

याचिका समिति

9 वां प्रतिवेदन

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी अनुमति से छठी लोक सभा की याचिका समिति का नौवां प्रतिबेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

लोग लेखा समिति

12 वां प्रतिवेदन

श्री अशोक कृष्ण दत्त (दम दम) : मैं वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित सीमा-शुल्क प्राप्तियों पर समिति के 15वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 12 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उप-क्रमों सम्बन्धी समिति

32वां तथा 33 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारतीय पटसन निगिम लिमिटेड कच्चे पटसन के लिये सरकार की अनुचित मूल्य निर्धारण नीति के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 8वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 32वां प्रति वेदन ।

(2) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड—पटसन और पटसन उत्पादकों के शोषण के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के तीसर प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 33वां प्रतिवेदन ।

कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मृत्यु दण्ड के उत्सादन की आवश्यकता

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, विश्व के विभिन्न भागों में राजनीतिक हत्या से भारत को चिंतित होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र का जीवन विरोध पक्ष है। यदि विरोध पक्ष मर जाए तो लोकतंत्र स्वतः समाप्त हो जाएगा। महात्मा गांधी तथा डा० राम मनोहर लोहिया के अनुसार अच्छे साध्य के लिए उत्तम साधन की आवश्यकता है। जहां सत्ता जनमत पर जबर्दस्ती काबू पाकर कायम की जाती है वहां लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाता। लोकतंत्र का आधार विरोध का आदर तथा जीवन के प्रति सम्मान है।

आज एशिया एवं अफ्रीका के अधिकांश देशों में हत्या की राजनीति तथा अधिनायकवादी प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। ईरान में शाह ने अपने विरोधियों को अंधाधुंध मरवा डाला और अब इस्लामी गणतंत्र के दावेदार शाह का साथ देने वालों की हत्या करवा रहे हैं। आज भुट्टो की हत्या ने सारे विश्व को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। विगत 6 अप्रैल; 1979 को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय अपील के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी श्री सोलोमन महालंगू को फांसी दे दी। उनके अलावा और चार व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। इसके पूर्व भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र से अपील की थी कि वे दक्षिण अफ्रीका के अश्वैत नेता की जिन्दगी को बचाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करें।

राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने भी दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों से अपील की थी कि वे सोलोमन महालंगू को फांसी पर न लटकायें। समाचार के अनुसार पिछले वर्ष दक्षिण अफ्रीका में 132 व्यक्तियों को फांसी पर लटकाया गया था। इनमें एक श्वैत, 26 मिश्रित नस्ल तथा 105 अफ्रीकी थे।

इसके पहले नेपाल में दो नेपाली कांग्रेस के नेताओं को फांसी दी गई और इन सारी राजनीतिक हत्याओं का प्रभाव भारत के जनजीवन पर पड़ता है। नेपाली कांग्रेस, भुट्टो तथा दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक हत्या ने भारत के शांतिप्रिय आत्मा को झकझोर दिया है और सब ओर से हत्या के विरोध में प्रदर्शन एवं आवाज़ उठा रहे हैं। स्वयं भारत में भी कुछ वर्ष पहले यहां के प्रबल विरोध के बावजूद आंध्र के दो नक्सलपंथी किसान नेताओं को फांसी दी गई।

अब पाकिस्तान और बंगलादेश के भीतर से भारत बंगलादेश एवं पाक एकीकरण की मांग जोर पकड़ रही है। भारत सरकार को निश्चित रूप से भारत, पाकिस्तान एवं बंगलादेश के महासंघ की बात चलानी चाहिए।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि किसी देश के आंतरिक मामले के नाम पर अपनी आत्मा को नहीं बेचना चाहिए। यह चुप्पी भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतिकूल है तथा इससे भारत सरकार की कमजोरी झलकती है। भारत सरकार को अपने देश से फांसी की सजा को समाप्त करना चाहिए तथा विश्व के किसी भी कोने में राजनीतिक हत्या की जाये तो बिना किसी भेद भाव के उसकी तीव्र भर्त्सना करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० पी० जी० मावलंकर——यहां नहीं हैं। श्री राजगोपाल नायडू।

(दो) मंडी गोविन्दगढ़, पंजाब में स्टील यार्ड के श्रमिकों को सुविधाएं देने के बारे में

श्री पी० राज गोपाल नायडू (चित्तूर) : श्रीमान्, पंजाब में मंडी गोविन्द नाथ गढ़ में इस्पात यार्ड का प्रबन्ध पंजाब लघु उद्योग निगम द्वारा किया जाता है। यह हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड का परेषण ऐजेन्ट है। पी० एस० एस० आई० सी० ने स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड से मंडी गोविन्द गढ़ रेलवे स्टेशन पर आने वाले इस्पात को चढ़ाने तथा उतारने का ठेका लिया है। साथ ही यह उसी शहर में इस्पात रोलिंग मिलों को इस्पात भी पहुंचायेगा। इस निगम को स्टील अथारिटी से 26 रुपये प्रति टन मिल रहा है।

यह निगम बजाय मजदूरों को नौकरी पर लगाने के बिचौलिए ठेकेदार से यह काम करवा रहा है जो कि मजदूरों को 6 रुपये प्रति टन के हिसाब से देता है। उसने मजदूरों को कोई सुविधा भी नहीं दी है जो कि उसे संविद श्रमिक (विनियम तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत देनी चाहिए।

उस अधिनियम के अनुसार प्रतिष्ठान में कैंटीन, विश्राम गृह, प्रथम उपचार सहायता, पीने का पानी, शौचालय आदि की सुविधाएं दी जानी चाहिएं। इस्पात यार्ड में इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। यहां तक कि वहां पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है।

जब श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने श्रमिकों की इस दशा के बारे में केन्द्रीय सरकार से कहा तो राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया कि इस्पात यार्ड में श्रमिकों को सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। यह बात बिल्कुल झूठ है।

मैं वहां स्वयं गया हूं और मैंने देखा कि श्रमिक जो कुछ कर रहे थे वह सही था। मैंने इस बारे में इस्पात तथा खान मंत्री से कहा किन्तु वह श्रमिकों के लिए कुछ नहीं कर पाये।

उपरोक्त अधिनियम के अनुसार पी० एस० एस० आई० सी० को, जो परेषण का एजेन्ट है, अपने आपको प्रमुख नियोजक के रूप में पंजीकृत करवाना पड़ता है और बिचौलिया ठेकेदार को लाइसेंस लेना पड़ता है। उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। नियमों का इस तरह उल्लंघन करने के लिए उन्हें दंड दिया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है और उन्हें अपने आपको पंजीकृत करने तथा लाइसेंस लेने के लिए भी नहीं कहा गया है। अतः श्रम विभाग उस निगम पर श्रम कानून लागू नहीं कर पा रहा है। इसी कारण कोई भी उस निगम के श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है।

श्रमिकों की इच्छा है कि लघु उद्योग निगम को बिचौलिया ठेकेदार के साथ करार रद्द कर देना चाहिए और वह सीधे श्रमिकों की भर्ती करे।

अन्य इस्पात यार्डों में श्रमिकों की सीधी भर्ती की जाती है और उन्हें 14 रुपये से 16 रुपये तक प्रति टन मिल रहे हैं जबकि इन श्रमिकों को केवल 6 रुपये प्रति टन ही मिल पा रहे हैं। यह बहुत ही अन्याय है और उन लोगों का शोषण है। यह प्रणाली श्रमिकों के समुचित मजूरी प्राप्त करने के मार्ग में बाधक बन रही है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पंजाब लघु उद्योग निगम प्रमुख नियोजक को अपने आपको पंजीकृत करने के लिए बाध्य करे और श्रमिकों की सीधी भर्ती करे। साथ ही

श्रमिकों को सभी सुविधाएं देने के लिए भी सरकार निगम को बाध्य करे। अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें 15 रुपये प्रति टन से कम नहीं दिया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि मंत्री जी राजनीतिक दवाव में नहीं आयेंगे और श्रमिकों के साथ न्याय करेंगे।

(तीन) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, में नियम 377 के अन्तर्गत सभा में निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं

"भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के सहायक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल और आन्दोलन"

कृषि मंत्रालय एवं भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के निम्न आय वाले कर्मचारियों के प्रति बहुत निर्मम रवैया अपना रही है। 5 मार्च, 1979 से पूसा के 2600 सहायक कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। उनमें से अधिकांश अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के सभी शांतिपूर्ण तरीकों, जिसमें बड़ी संख्या में धरना, कैम्प में रात को मशाल लेकर जलूस निकालना इत्यादि भी शामिल है, को अपना कर देख लिया है पिछले सप्ताह से वह कृषि सदन के समक्ष अपने को गिरफ्तार करा रहे हैं और 500 कर्मचारी पुलिस द्वारा अब तक हिरासत में ले लिए गए हैं कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं। उनकी मांगे यह हैं :

(1) तकनीकी कर्मचारियों की तरह हर वर्ष 5 वर्ष बाद उनकी पदोन्नति की जाए।

(2) सहायक कर्मचारियों का वेतन 200–250 रुपये से बढ़ाकर 210–290 कर दिया जाए।

(3) सहायक कर्मचारियों को 260–430 का सलैक्शन ग्रेड दिया जाए।

(4) नौकरी से हटाए गए दैनिक मजदूरों को बहाल किया जाए।

सरकार उनकी न्यायसंगत मांगों का समाधान करके पूसा स्थित संस्थान में सामान्य स्थिति कायम करें।

(चार) पश्चिम बंगाल में विद्युत संकट का समाचार

प्रो० समर गुह (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल में बिजली के संकट के कारण भयंकर स्थिति पैदा हो गई है जिसके फलस्वरूप औद्योगिक तथा इंजीनियरी प्रतिष्ठान, शिक्षा संस्थाएं और व्यापार तथा कारोबार मंड़ियां बन्द हो गई हैं। इस अत्यधिक गंभीर संकट के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल का आर्थिक और सामाजिक विनाश के कगार पर है। इस संकट से श्रमिक समस्याएं पैदा होंगी और राज्य में असंतोष फैलेगा जिसके फलस्वरूप कानून तथा व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी।

इस आंतक से पश्चिम बंगाल सरकार को बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा उन्हें इस संकट से उबारने के लिए हर संभव सहायता देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर कल के लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय जैसा कि सदन जानता है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से अनुदानों की मांगों पर चर्चा के संबंध हम निर्धारित समय से बहुत पिछड़ गए हैं और कयामत का दिन 23 अप्रैल भी निकट आता जा रहा जबकि सभी मंत्रालयों की मांगे गिलोटीन कर दी जाएंगी। संबद्ध मंत्री तो इससे बहुत खुश होंगे लेकिन सभा इससे खुश नहीं होगी इसलिए मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर केवल 40 घंटे से भी कम समय रह गया है ...

अध्यक्ष महोदय : 40 घंटे नहीं केवल 25 घंटे और 15 मिनट का समय रह गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : उस अवस्था में तो समय और कम रह गया है। इसलिए मेरा सुझाव है सभा का समय रोज 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए और शनिवार को भी सभा की बैठक रखी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका सुझाव कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा :

श्री हरि विष्णु कामत : हमारे जैसे संसदीय लोकतंत्र देश में श्रम मंत्रालय का महत्व कुछ कम नहीं। मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि वित्त विधेयक के पास होने तक वित्तीय कार्यवाही के लिए जो समय रखा गया है उसे किसी अन्य विधायी कार्य के लिए नहीं लिया जाएगा।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : अध्यक्ष महोदय आपने कहा है कि आप माननीय सदस्य के सुझाव को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखेंगे। दूसरा वह मुझसे यह आश्वासन चाहते हैं कि जब तक वित्त विधेयक पारित नहीं होता तब तक कोई अन्य विधायी कार्य नहीं किया जाएगा। अनुदानों की मांगों के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उसमें कोई कमी करने या उस समय को किसी अन्य विधायी कार्य के लिए उपयोग करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

अनुदानों की मांगें, 1979-80

कृषि और सिचाई मंत्रालय (जारी)

श्री नाथू सिंह (दौसा) : परसों जब मैं कृषि पर बोल रहा था तो मैंने सिंचाई और बिजली की कमी की चर्चा की थी जिस के अभाव में कृषि क्षेत्र में उन्नति नहीं हो सकती है और किसान की दशा सुधर नहीं सकती है। मैं उदाहरण देता हूं। पूरे देश में जितनी बिजली पैदा होती है उसका केवल साढ़े चौदह प्रतिशत किसानों को दिया जाता है, कृषि पर खर्च की जाती है और बाकी सारी उद्योगों और शहरों पर खर्च कर दी जाती है। किसानों से रेट भी तीस पैसे फी यूनिट चार्ज किया जाता है जबकि टाटा और बिड़ला की फैक्टरीज को तीन

पैसे और पांच पैसे के हिसाब से बिजली दी जाती है। किसानों को क्यों यह महंगी दी जाती है, उन्होंने कौन सा पाप किया है जिस का खमियाज़ा उनको भुगतने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान का इलाका हिन्दुस्तान के गुलिस्तान पर एक धब्बा है, काला धब्बा है, फोड़ा है। हिन्दुस्तान को गुलिस्तान कहा जाता है लेकिन उसका जो एक बहुत बड़ा भाग राजस्थान का रेगिस्तान है उसकी तरफ पिछले तीस साल में ध्यान नहीं दिया गया है, वहां न बिजली की ओर न इरिगेशन की कोई व्यवस्था की गई है। तीसरी लोक सभा में कामत साहब बैठे हुए हैं एक मामला उठाया गया था और उस समय डैजर्ट डिवेलेपमैंट बोर्ड बनाया गया था। उसने आज तक क्या किया है मुझे मालूम नहीं है। उस समय सुब्रह्मण्यम साहब मिनिस्टर थे। तब उन्होंने इस सवाल को टाल दिया था। कामत साब ने इस पर जोर दिया था। उस में कोई प्रगति नहीं हुई है। जितना रेगिस्तान उस समय था आज वह ओर भी ज्यादा बढ़ गया है। छोटे से देश इजराइल को आप लें। वहां भी भयंकर रेगिस्तान था जिस को नैगेव कहा जाता था। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उस पर काबू पाया और उसको गुलिस्तान बना कर रख दिया। अब इजराइल में रेगिस्तान नाम की चीज नहीं है। दुनिया भर में रेगिस्तान के एक्सपर्ट वहां हैं। क्या भारत सरकार बने कभी उनको बुलाने की कोशिश की है और उनको हिन्दुस्तान का रेगिस्तान दिखाया है और उन से पूछा है कि किस तरह से इसको दूर दिया जा सकता है। 1965 में इजराइल के कुछ एक्सपर्ट वर्धा आए थे और वहां तीन साल तक रुक कर उस इलाके की उन्होंने कायापलट कर दी थी। तब से आज तक इजराइल के एक्सपर्टस से कभी सम्बन्ध स्थापित नहीं किया और न ही उनको बुलाया। समय आ गया है कि वहां से विशेषज्ञों को बुला कर उनकी सलाह ले कर राजस्थान के रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाया जाए, उसकी कायापलट की जाए।

तीस साल तक सरकार कृषि के प्रति उदासीन रही है उसने इसको निगलैक्ट किया है। यह चीज देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है। पचास प्रतिशत आय कृषि से होती है, अस्सी प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं उसके बावजूद सरकार कृषि पर ध्यान नहीं देर है। परिणाम यह हो रहा है कि कभी महंगाई बढ़ती है, कभी कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है। महंगाई रोकने के लिए सरकार दूसरे उपाय करती है। किसानों के बारे में बातें बहुत ऊंची ऊंची की जाती हैं। यह कहा जाता है कि उन्हें सुविधायें दी जा रही हैं फूड फार वर्क उनके लिए चला रहे हैं, गरीब लोगों के लिए चला रहे हैं, अन्त्योदय योजना चल रही है। काम के बदले अनाज देने की जो योजना आपने चला रखी है इसके अन्दर किसानों और मजदूरों को सड़ा हुआ अनाज दिया गया है। कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में जो अनाज भर कर रख लिया गया था और जो सड़ गया है और जिस को पशु भी नहीं खाते हैं, वह उनको दिया जा रहा है आप इसकी जांच करें और देखें कि कहीं आपके अधिकारी आपको धोखे में तो नहीं रख रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत तो काम हो रहा है, कच्चा हो रहा है, पांच सौ का काम कराते हैं तो एक हजार का काम हुआ है, यह दिखा दिया जाता है। जो कच्चा काम करवाया जा रहा है बारिशें शुरु होते ही यह साफ हो जाएगा। सड़कें रास्ते जो कच्चे बनाए जा रहे हैं इनको पक्का बनाया जाना चाहिये।

जहां तक किसानों को लोन देने का सम्बन्ध है केवल ग्यारह प्रतिशत लोन ही बैंकों से किसानों को दिया जाता है, कृषि कार्यों के लिए दिया जाता है। किसान को सब्सीडी बहुत कम दी जाती है। अगर कोई इंडस्ट्री लगाई जाये तो गवर्नमेंट 75 से 90 परसेंट तक लोन और सब्सीडी देती है, 75 परसैंट लोन दिया जाता है, लेकिन किसान अगर लोन ले तो उसे आसानी से लोन नहीं मिलता है। आज किसान कृषि का काम मजबूरी में कर रहा है, उसे आपने कृषि के लायक नहीं छोड़ा है। अगर कृषि का इंडस्ट्री की तरह विकास किया जाये, तो काफी उन्नति हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी कोई सर्वेक्षण कराया है कि गांवों की दशा कैसे सुधारी जा सकती है? मेरा निवेदन है कि गांव को इंडीपैंडेंट बनाइये। गांव में जूट, अनाज, रूई, तेल पैदा होता है, वहां आप छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज लगाइये। किसानों का सामान खेतों में उपजे और वहीं छोटी-छोटी इंडस्ट्री हों जिनमें उस कच्चे माल को पक्के माल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाये। उसमें से किसानों की आवश्यकता के अनुसार उनको दिया जाये और बाकी को शहरों में भेज दिया जाये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। भगवान श्रीकृष्ण ने एक मटकी फोड़ आन्दोलन चलाया था और उनका वह आन्दोलन शहरों के विरोध में था। उसका रूप ऐसा था जैसे सत्याग्रह करते हैं। उनका वह आन्दोलन इसलिये था कि शहर वाले किसानों का शोषण करते हैं। शहर वाले गांव वालों का घी-दूध, मक्खन खरीदते थे, लेकिन गांव वालों को उचित मूल्य नहीं देते थे। इसीलिये भगवान कृष्ण को मटकीफोड़ आन्दोलन की जरूरत पड़ी। इसलिये आज आवश्यकता है कि किसानों की दशा सुधारी जाये, उनको गांवों में इंडीपैंडेंट बनाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री नाथू सिंह : एग्रीकल्चरल एजुकेशन के बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान में केवल एक कृषि विश्वविद्यालय है। वहां राजस्थान में बारबार फसलों का नुकसान होता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। राजस्थान में बहुत ओला पड़ा है, क्या सैंट्रल गवर्नमैंट ने कोई ऐसी टीम भेजी है कि वह देखे कि इस से वहां कितना नुकसान हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र दौसा में तहसील हैडक्वार्टर में ओले से फसल चौपट हो गयी है, लेकिन आज तक उनको कोई सहायता नहीं मिली। उनसे जो लगान लिया जाता है, राजस्थान सरकार ने केवल उसे आगे के लिये बढ़ा दिया है। क्या आप केन्द्र से कोई इंतजाम करेंगे कि उनका जो नुकसान हुआ है उसका कोई मुआवजा उनको मिल सके?

एग्रीकल्चर एजूकेशन के बारे में एक समिति श्री रन्धावा के नेतृत्व में बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी। लेकिन उस रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि उसको राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है। राज्य सरकारें क्या जवाब देंगीं? कई राज्य सरकारें तो ऐसी हैं कि सेंटर से जो कई योजनाएं जाती हैं, उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं देतीं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की सरकार हमारे ऊपर है। मैं जानना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के बारे में सरकार की क्या नीति है, और आप कब तक उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने जा रहे हैं? इसके बारे में कृषि मंत्री बताने की कृपा करें।

कृषि के काम आने वाले औजारों और जो कृषि पैदा करते हैं, उनके बारे में कई बातें कही गई हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आलू का भाव 5 रुपये क्विंटल

वहां पर है, मैं ने नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस भी दिया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। वहां आलू इतना पड़ा है कि 5 रुपये क्विन्टल पर बिक रहा है और यहां दिल्ली के मार्केट में, आप तो शायद लेने नहीं जाते होंगे, डेढ़ रुपये किलो आलू मिल रहा है। वहां कोई खरीदने वाला नहीं है, यह कैसा मजाक किसान के साथ है। मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब कृषि के मामले में सबसे आगे बढ़ा हुआ प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश सब से बड़ा है। कृषि तथा सिंचाई मंत्री पंजाब के हैं और राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। इसी समय मौका है कि वे किसानों का कुछ भला कर सकते हैं। अगर उन्होंने यह मौका खो दिया, तो मुझे किसानों का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। वे दोनों कृषि के एक्सपर्ड हैं, योग्य हैं और किसान हैं। इस लिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे किसानों के लिए कुछ करें और उनकी समस्याओं को हल करें।

श्री के० सूर्यनारायण (एलरू) : कृषि मंत्रालय की अनुमानों की मांगों के संबंध में हो रही चर्चा में भाग लेते हुए मुझे प्रसन्नता है। मैं सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

मद्रास में 1965 में जब भारतीय खाद्य निगम की शुरूआत की गई, तो हमने यह सोचा था कि वह जनता की अच्छी सेवा करेगा। लेकिन बहुत निराशा की बात है कि उसी वर्ष से हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं हलांकि हम उप्पादन भी अधिक करते हैं। किसानों के द्वारा अधिक उत्पादन के बावजूद भी भारत खाद्य निगम की नीतियों के कारण उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। यद्यपि भूतपूर्व सरकार का रवैया भी किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था और इस सरकार का भी रवैया सहानुभूतिपूर्ण है फिर भी अधिकारियों का रवैया और उनकी नीतियों पहले जैसी ही हैं। भूतपूर्व सरकार के शासन में जो कुछ हुआ हम उससे भी सन्तुष्ट नहीं थे। मैं केवल इसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा। जहां तक किसानों का संबंध है मूल्य निर्धारण और वसूली के मामले में उनके साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया जा रहा है।

जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है मुझे यह बताया गया है कि हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कोकालूर तालुक से भारतीय खाद्य निगम को 100 तारें भेजी गई हैं जो उनके द्वारा वसूली न किए जाने के बारे में हैं। मूल्य की तो बात ही नही की गई है और मूल्य भी तभी निर्धारित नहीं किए गए हैं। हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि-कार्य में लगी हुई है हम उनके लिये केवल नारे लगा रहे हैं या सहानुभूति पूर्ण शब्द कह रहे हैं। हम व्यवहारिक रूप में उनकी कुछ सहायता नहीं कर रहे। यदि आप अन्य देशों को देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां के कृषि समुदायों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। जो कुछ हमारे माननीय मित्र ने कहा है वह ठीक है। आप गांवों से माल वसूल करते हो लेकिन पैसा गाजियाबाद और दिल्ली स्थित उद्योगों पर व्यय करते हो क्योंकि अधिकारी यहां हैं वह अपने बच्चों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे ना कि ग्रामवासियों को।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बैंक भी मिल मालिकों को ही ऋण देते हैं और किसानों को ऋण नहीं देते। पिछले 15 वर्षों से एक नियम बना हुआ है। अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है रिजर्व बैंक को किसानों को पाद ऋण के रूप में एक रुपया भी ऋण

देने की अनुमति नहीं है। किसानों को उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है और खेतिहरों को अन्य सुविधाएं भी प्राप्त नहीं।

हाल ही मैंने श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र को पढ़ा उसके बारे में मैंने श्रम मंत्री से भी पूछा था और जवाब दिया कि उसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं। कहा गया है यदि ग्रामीण विकास अधिक होगा तो खेतिहर श्रमिकों को हानि होगी। लेकिन खेतीहर श्रमिकों को केवल शहरी लोगों द्वारा नुकसान होगा क्योंकि आप लोग कृषि उत्पाद का उचित मूल्य नहीं दे रहे हो। आप केवल शहरी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास कर रहे हो। जैसाकि सरकार की तरफ से मेरे माननीय मित्र ने कहा कि सरकार गन्ने का मूल्य नियत करने में असमर्थ रही। और उन्होंने नुकसान की जिम्मेदारी भी किसी पर नहीं डाली है। केवल औद्योगिक वस्तुओं, निर्मित माल की कीमत निर्धारित करने के संबंध में यह निर्माण लागत को ध्यान में रखते हैं।

आप कोरिया या जापान जाइए आपको पता लगेगा कि वह उद्योग केवल शहरों में ही केन्द्रित नहीं हैं जैसा कि हमारे यहां दिल्ली, मद्रास या बम्बई में हैं।

डा० सुशीलानायर पीठासीन हुईं

फरीदाबाद जैसे स्थान में उद्योगों का होना समुचित नहीं है मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे निर्मित वस्तुओं के मामले में निर्माण लागत को ध्यान में रखा जाता है उसी प्रकार चावल का मूल्य भी उत्पादन लागत के आधार पर निश्चित किया जाए। कुछ भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा भारतीय पुलिस अधिकारियों को कृषि के बारे में कुछ चिन्ता नहीं उन्हें केवल निशुल्क शिक्षा, निशुल्क परिवहन, निशुल्क अतिथि गृह और अपने आराम की ही चिन्ता है। मैंने आज कृषि उद्योग निगम का प्रतिवेदन देखा है जो कि आज ही आया है। इसमें 10 लाख रुपये के आंकड़े दिखाए गए हैं लोगों ने आंकड़ों में हेराफेरी की है। आयातित माल के संबंध में भी हेरा फेरी की जाती है। सभी आयातित वस्तुओं को रख लिया जाता और बाजार में एकदम नहीं लाया जाता। गत दो महीनों में मैंने कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और उन्होंने उर्वरक के स्टाक दिलवाए। सभी उच्च अधिकारी यहां है। इस सबके लिए कौन जिम्मेदार है। 1975 में उन्होंने रसायनिक उर्वरक आयात किए पिछले चार वर्षों से यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एकत्र करके रखे हुए हैं। इनका दाम केवल 1500 रुपये प्रति टन है लेकिन चोर बाजार में इसके दाम अधिक है 1800 या 2000 टन उर्वरक एक प्राइवेट गोदाम में पड़ा है। 6000 रुपए किराया प्रतिमाह दिया जा रहा है। सभी मंत्री यहां है और उनके विभागों द्वारा ऐसी कार्यवाहियां की जा रही हैं। 6 वर्षों में केवल उन्होंने केवल 300 टन माल बेचा जब गोदाम के मालिक ने उन्हें गोदाम खाली करने के लिए कहा तो उसे कहा गया कि वह स्वयं अपने खर्चे पर माल दूसरी जगह डलवाए। यदि मंत्रालय आदेश भी दे देता है तो दो महीने तो केवल पत्राचार चलता रहता है। चार दिन पहले मुझे बताया गया कि बिल्डिंग के मालिक ने अपने खर्चे पर लगभग 200 एम० टन स्टाक कहीं अन्य स्थान पर डलवा दिया है यह कोई तरीका है। अच्छे उर्वरकों को आयातित उर्वरकों की मांग है। मेरे जिले में तथा आंध्र प्रदेश में जहांकि पंजाब और हरियाणा की भांति उत्पादन भी सबसे अधिक है और उर्वरकों की खपत भी सबसे अधिक है। समूचा कृषि समुदाय सरकार से संतुष्ट नहीं है यद्यपि दोनों मंत्रियों

ने कई आश्वासन दिए हैं फिर भी हम संतुष्ट नहीं है हम चाहते हैं किसानों को उनकी मेहनत का फल प्राप्त हो खेतिहरों को आप वास्तविक सुविधाऐं प्रदान करिए। आखिर कृषि का क्या अर्थ है। भूमि सुधारों के बावजूद भी आपके 10,000 और 5000 रुपये कमाने वाले अधिकारी कहते हैं कि कोक लोगों के पास 10 या 15 एकड़ भूमि है। हम कुलाकों का पक्ष नहीं लेना चाहते। हम उन लोगों के साथ हैं जिनका कृषि के अतिरिक्त कोई अन्य जिविकोपार्जन का साधन नहीं है। हम आपसे अधिक धान पैदा करने के लिए कोई करार नहीं करा रहे हम लोग किसी करार के बिना उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन उद्योगों की क्या स्थिति है केवल 10 या 15 प्रतिशत शेयर पूंजी के रूप में एकत्र किया जाता है वे लगभग 80 प्रतिशत धन सरकार से उधार ले रहे हैं। लेकिन जब तक निर्माण समाप्त होता है उनके पास 20 प्रतिशत राशि होती है लेकिन खेतीहर मजदूर का क्या हाल है। जब तक उनका विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। आप मुझे बताइये गांव में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं। शहरों में इतने भिखारी हैं, जो आपको अपने कार्यालय के आस-पास घूमते दिखाई देंगें, जिन्हें कि खाना नसीब नहीं। यह विरासत में मिला हुआ समाजवाद अथवा साम्राज्यवाद है हम ऐसे लोगों का निर्माण बेझिझक कर रहे हैं। हम इतना बलिदान कर रहे हैं। अब यह परिपत्र जारी किया गया है जोकि खेतिहरों तथा खेतिहर श्रमिकों में विवाद पैदा करने वाला है। वह ऐसा प्रभाव डालना चाहते हैं जैसा कि उनकी सारी सहानुभूति खेतिहर श्रमिकों के साथ है।

अन्य देशों की तुलना में हमारे देशों में मूल्यों की क्या स्थिति है इस संबध में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कोरिया जैसे छोटे से देश में 1970 में शहरी परिवार की 1112 डालर आय की तुलना में कृषि परिवार की आय 747 डालर प्रतिवर्ष थी। आठ वर्षों के दौरान उनकी आय धीरे धीरे बढ़कर 2876 डालर प्रतिवर्ष तक पहुंच गई है जबकि शहरी श्रमिक की आय केवल 2379 डालर प्रतिवर्ष है। दक्षिण कोरिया में 1970 में 80 किलोग्राम चावल का मूल्य 7000 वान था। धीरे-धीरे चावल के मूल्य में वृद्धि हुई लेकिन इससे उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता भी बढ़ी है। 1977 में 80 किलो चावल का मूल्य 26,260 वान था। कृषि परिवारों की आय शहरी परिवारों की आय के बराबर हो गई है लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ।

जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है खाद्य निगम वहां बिल्कुल असफल रहा है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चेन्ना रेड्डी ने खाद्य निगम पर आरोप लगाया है। मेरे ही पश्चिम गोदावरी जिले में रबी फसल का 3.37 लाख टन अतिरिक्त अनाज किसानों के पास पड़ा हुआ है। किसानों की अपनी उपज पर ऋण नहीं दिया जाता केवल व्यापारियों और मिल मालिकों को ऋण दिया जाता है। इस का फायदा उठाकर वे किसानों से उनकी फसल कम मूल्यों पर खरीद लेते हैं किसानों के पास तो इतना भी धन नहीं होता कि लगान भी दे सकें। अतः नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि किसानों को अपनी उपज पर ऋण मिल सके।

जहां तक चीनी कारखानों का संबंध है कुछ कारखाने तो भारी मुनाफा उठा रहे हैं और कुछ को नुकसान हो रहा है। पिछली बार भी मैंने इस संबंध में प्रश्न किया था। मैंने श्री चरण सिंह को एक ज्ञापन दिया था कि चीनी उद्योग की जांच के लिए एक आयोग

नियुक्त किया जाय उन्होंने मुझे बताया कि आगे ही इतने आयोगों की नियुक्ति करने के लिए उन पर आरोप लगाया जा रहा है इसलिए वह मेरी शिकायत कृषि मंत्री को भेजना चाहते थे। कोई भी मामले की जांच करने के लिए तैयार नहीं। यदि कोई जांच हो तो मैं साक्ष्य देने को तैयार हूं यदि आप चीनी उद्योग का पूरा राष्ट्रीयकरण कर दो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं सरकार रूग्ण मिलों को करोड़ों रुपये का ऋण दे रही है। आप किसका धन उन्हें दे रहे हो। आपने लोगों को धोखा दिया है। कई चीनी के कारखाने घाटे पर चल रहे हैं। भीमाडोर में मेरा अपना सहकारी चीनी कारखाना घाटे पर चल रहा है। कलक्टर वहां का प्रबंध निदेशक है कारखाने को 2 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है और गत पांच सीजन से एक भी पैसे का लाभांश घोषित नहीं किया गया है। हमने इन पांच सीजन के दौरान भारत सरकार को 3 करोड़ रुपये का उप· शुल्क दे दिया है। यदि यही स्थिति बनी रही तो किसान गन्ने का उत्पदन नहीं करेगा और करीब 1000 कारखाने बन्द कर दिए जाऐंगे। सरकार को तत्काल ही इस मसले पर गौर करना चाहिए और इस दिशा में कोई रचनात्मक कदम उठाना चाहिए।

श्री मुख्तयार सिंह मलिक (सोनीपत) : मैडम चेअरमैन, आज कृषि विभाग की मांगें हमारे सामने जेरे-बहस है। इस में कोई शक नहीं कि किसी भी देश की जिन्दगी और सेहत के लिये कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कृषि के साथ जो सलूक हो रहा है, वह कुछ नाजेबा है इन मांगों का हमें समर्थन तो करना ही है और खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो दो मिनिस्टर इस काम को देख रहे हैं, उन का कृषि से तल्लूक रहा है, वे खूद किसान है, इस लिये किसान की जो समस्यायें है, उन से वे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन उन की भी कुछ मजबूरियां हैं, लाचारी है। वे करना तो बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते और एक दफा इसी हाउस में हमारे भानुप्रताप सिंह जी ने साफ अल्फाज में कहा भी था। इसके बारे मे मेरे व्यूज स्पष्ट हैं, लेकिन मेरी मजबूरियां भी इस के साथ हैं।

मैडेम, 7--8 रोजी की बात है। किसी सवाल के जवाब में हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने किसी मेम्बरे को कहा था--अगर आप मेरी जगह यहाँ पर होते, तो आप को भी ऐसा ही जवाब देना पड़ता। अफ़सोस यह है कि उस कुर्सी पर कोई भी बैठ जाय, चाहे कोई किसान बैठ जाय या कोई दूसरा आदमी बैठ जाय--उस का वही जवाब आयेगा। पिछले 30 सालों में हम ने पिछली कांग्रेस हुकूमत के जमालो कमाल को कृषि के बारे में देखा और अब अपने जनता पार्टी के अन्दाज को भी देख रहे हैं, मुझे तो कोई नुमांया फर्क मालूम नहीं दिया। हमारी हुकूमत कहती है कि हम को एक सब से बड़ा श्रेय यह है कि हम ने देश से एमर्जेंसी को खत्म कराया--यह बात ठीक ही है, लेकिन मैं अपने वुजरा-साहबान से पूछना चाहता हूं--किसान के ऊपर तो आज भी एमर्जेंसी लगी हुई है, आज उस की क्या हालत हो गई है, उस के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है ? यहां पर कुछ वेरटेड इन्ट-रेस्ट्स है--मुझे बडा अफ़सोस होता है-- जब कृषि के बारे में यहां पर बोलते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हों, यही कहेंगे कि हमें किसानों का भला करना चाहिये, लेकिन जब किसानों को कोई सहुलियत देने की बात आती है, तो वे उस का विरोध करते ह। एक तरफ़ कहेंगे कि रिम्यूनरेटिव प्राइस दी जाय, लेकिन जब रिम्यूनरेटिव प्राइस देने का वक्त आता है तो सब खड़े हो कर कहते हैं कि सब मारे जायेंगे। महंगाई हो जाएगी

और इस से लो इन्कम ग्रूप वाले, मिडिल इन्कम-ग्रुप वाले और कन्ज्यूमर, सारे के सारे मर जायेंगे । इस किस्म की बात हाऊस के अन्दर करने लगेंगे । अगर किसानों को ज्यादा कीमत दी जाएगी, तो ये सब मर जायेंगे लेकिन हम ने देखा है कि आज तक कोई मरा नहीं । अफ़सोस की बात यह है कि कोई मरता नहीं लेकिन उन की लोबी जो है वह बहुत मजबूत है और किसान की लोबी जो है वह बंटी हुई है । इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के सहारे स्पोक्समैन ऊपर से कुछ बोलते हैं और होता कुछ और है, बगल में छूरी और मुंह में राम-राम वाली बात है । किसानों के बारे में इस किस्म की बातें करते हैं । कभी कभी यह भी कहते हैं कि एग्री-कल्चर जो है, कृषि जो है, उस पर देश की एकोनोमी, देश की खुशहाली निर्भर है और साथ में यह भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है लेकिन हमारे वज़रा साहबान जरा इस तरफ तवज्जह दें कि इंडस्ट्री को जहां इतना प्रोटेक्शन मिल रहा है, वहां एग्रीकल्चर को क्या मिलता है । पावर के चार्जेज इन्डस्ट्रीज के लिए हरियाणा और पंजाब में बहुत मीगर हैं । वहां पर 9 पैसे प्रति यूनिट बिजली इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को, कारखानेदारों को मिलती है जबकि किसानों को 31 पैसे प्रति यूनिट दी जाती है । यह हालत आज है । इतने मीगर चार्जेज इन्डस्ट्रीज वालों के लिए और इतने हाई चार्जेज किसानों के लिए । इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स के लिए इन्श्योरेंस भी होता है और किसानों के लिए क्या होता है । इन्डस्ट्रियलस्ट्स को हर तरह का प्रोटेक्शन दिया जाता है । किसानों की क्या स्थिति है उन्हें राजनीतिज्ञों की, मध्यस्थों की, चोरों की, कीटों की, ओलों, बाढ़ों, सूखे, पशु-पक्षियों की दया पर छोड़ दिया गया है उन्हें भण्डारण की असुविधा परिवहन की असुविधा तथा कई अन्य बातों का सामना करना पड़ता है किसान के दुश्मन-ही-दुश्मन खड़े हुए हैं । आप ने देखा कि पिछले दिनों ओले गिरने लगे और पिछली बरसात के अन्दर यू० पी० बंगाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और देहली आदि जगहों पर फ्लड्स से सारी फ़सल बर्बाद हो गई । अभी जो ओले गिरे उस का असर हरियाणा, दिल्ली और यू० पी० के अन्दर हुआ और शायद पंजाब के अन्दर भी उस का असर हुआ । म यह पूछना चाहता हूं कि जिस किसान की दोनों फ़सलें, रबी की फसल और खरीफ़ की फ़सल खराब हो जाए, तो क्या वह जिंदा रहेगा । कोई सवाल उसके जिन्दा रहने का पैदा नहीं होता । तो आज किसान की यह हालत है । वह जिन्दा रहता है और अनाज की कमी तो वह बर्दाश्त कर लेता है लेकिन चारे की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता । चारा न हो, तो किसान की तबाही ही तबाही है । इसके साथ ही दो तीन दिन से आलूओं का जिक्र किया जा रहा है । नाथू सिंह जी ने बताया कि राजस्थान में आलू 5 रु० क्वींटल है और कपास का क्या भाव है । इस के लिए लोग नारे लगाते थे, पिछले कपास के सीजन में हरियाणा के अन्दर सरसे में मैंने सुना कि लोग यह नारा लगाते थे "देखा जनता राज का ठाठ, नरमा बिकता 260" । पहले कपास का दाम 400, 500 रुपये था और जब 260 रुपये हो गया । जनता पार्टी के राज में नरमा का यह भाव हो गया और फिर भी कपड़े के भाव को आप देखिये । गन्ने के पिछले साल क्या हाल हुआ । यू० पी० के अन्दर उस को जलाना पड़ा और हरियाणा के अन्दर भी बुरी हालत हुई । गन्ने का क्या दाम किसान को मिला और आज क्या हालत आलू की है, प्याज की है । जिस चीज़ की तरफ़ भी देखो, किसान की मदद किसी वक्त पर हुकूमत करने आई ? गन्ना, कपास आदि जो किसान पैदा करता है उन सब की कीमतें इतनी नीचे चली गई लेकिन किसान की मदद किसी ने नहीं की । मुझे एक शेर याद आता है :

कश्ती तूफान में डूब गई मगर किसी ने मदद न की

अल्लाह भी था मल्ला भी था लंगर को सहारा मिल न सका ।

हकूमत भी थी, हमारे वजीर साहिबान भी बैठे हुए थे, जनता पार्टी भी यहां पर थी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, उनके नुमाइंदे भी यहां पर थे लेकिन किसान जो आलू गन्ने, कपास, प्याज, आदि की कीमतों की गिरावट की वजह से तबाह होता चला जा रहा था तो किसी ने मदद नहीं की, कोई उसको सहारा देने के लिए नहीं आया । में चाहता हूं कि आप जा कर किसान की हालत को तब देखें जब वह खेत में काम कर रहा होता है । एक दिन एक शहरी आदमी जब मैं खेती कर रहा था तो मेरे खेत में आ गया । मेरी हालत को देख कर वह मजार में कहने लगा गया कि अगर किसान न होता तो शायद खेती इंसान को करनी पड़ती । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस किसान को सजा किस चीज की दी जा रही है । बड़े फख्र के साथ हाउस में कहा जाता है, हिन्दुस्तान में एलान किया जाता है है कि हमने इतना अनाज पैदा कर दिया है और इतना अनाज पैदा हो जाएगा । किसान का खून, पसीना निकल चुका है, वह सारा जोर लगा रहा है अनाज पैदा करने के लिए, यह सब इसलिए कर रहा है ताकि आपको खिला सके । अगर आप उसको कुछ सहूलियतें दे तो शायद वह एक्सपोर्ट करके भी आपको दिखा दे और बहुत जल्दी दिखा दे । आप आलू का एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं । श्री मोहन धारिया ने एक दिन कहा था कि पच्चीस हजार क्विंटल हम एक्सपोर्ट करेंगे । उसी दिन मैंने कहा था कि इससे क्या होगा ? आलू की फसल इतनी ज्यादा होने वाली है, आप ज्यादा क्यों नहीं करते हैं ? लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । मैं पूछता हूं कि किस चीज की सजा किसान को आप दे रहे हैं।

नहर के किनारे तीन मेंढक बैठे हुए थे, एक के ऊपर एक । सब से ऊपर वाला मेंढक जो था उसने आवाज दी टर-टर । इस पर खुशी के साथ दूसरे ने कहा जो उसके नीचे बैठा हुआ था, दबा बैठा था, खुशी न गम । सब से ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट था और उसके नीचे हकूमत थी । हकूमत ने कहा खुशी न गम । हकूमत ने कहा कि मेरे नीचे भी तो एक दबा बैठा है और वह किसान था । इस पर तीसरे ने कहा मर बै हया । ऊपर वाला इंडस्ट्रियलिस्ट बीच वाली हकूमत और तीसरे किसान । किसान सब से नीचे था और सब का बोझ किसान के ऊपर था । यही हालत आज किसान की है । किसान को सभी दबाए बैठे हैं। यह नकटों वाली बात हो जाती है । बजट में किसान को क्या मिला है ? पांच रुपए यूरिया के अन्दर कम हुए हैं, डीजल के अन्दर कुछ कम किया गया है । बाकी चीजों पर जो टैक्स बढ़ा दिए गए हैं क्या उसका सारा बोझ किसान पर नहीं पड़ेगा ? यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट्स की लाबी बनी हुई है । यह तो नकटे और लम्बी नाक वालों की बात है । जिस की छोटी नाक होती है और उसके ऊपर यह नकटे एतराज करते हैं । दूसरों को कहते हैं नाकू आए नाकू आए । इंडस्ट्रिलिस्ट्स की जो लाबी है इसने कहना शुरू कर दिया मर गए मर गए, सारा बोझ मिलमैन के ऊपर आ कर पड़ गया । जब से मैंने जन्म लिया या सियासत में 45 साल पहले से आया हूं मुझे यह पता नहीं चल सका है कि एम्प्लायीज की जो डिमांड्ज हैं क्या ये कभी खत्म होंगी भी या नहीं ? टीचर्ज की आज तक खत्म नहीं हुई, रेहड़ीवालों की नहीं हुई, ड्राइवर्ज की, डेसू वालों की खत्म नहीं हुई । एक के बाद दूसरी निकलती चली आती है, एक को मान लिया जाता है तो दूसरे साल चार और निकल आती हैं, उनको खड़ा कर दिया जाता है । लेकिन किसान की एक ही डिमांड है, आप कम-से-कम या तो उसकी

बेहतरी के लिये उसे प्रोटैक्शन दें, उसकी फसल तबाह हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, पानी की कमी की वजह से, बरसात की वजह से नुक्सान हो जाता है, उसकी कितने दिनों से यह डिमांड चली आ रही है कि उसकी फसल का इंश्योरेंस किया जाये । आपने उसकी फसल का इंश्योरेंस करने का कोई इंतजाम नहीं किया है। यह सरकार जिन्दा को तो चिपके हुए है, लेकिन अगर किसान मर जाये तो भी उसके पीछे लग जाती है । उस पर ऐस्टेट ड्यूटी और वैल्थ टैक्स लगा दिया । एक तरफ तो किसान की जमीन को एक्वायर करते हैं और दूसरी तरफ जब मर जाता है तो ऐस्टेट ड्यूटी के लिये यम के दूत और उसके घर पहुंच जाते हैं कि उसकी जायदाद की कीमत क्या थी । यह ऐस्टेट ड्यूटी के लिये मरे हुए आदमी को भी चिपटना चाहते हैं । में यह भी बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसान के जिस्म पर आज कपड़ा नहीं है, सिर्फ लंगोट उसके जिस्म पर है और ये वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग इंडस्ट्रियलिस्ट्स उस किसान के लंगोट पर भी चिपटे हुए हैं । अगर यह लंगोट टूट गया तो फिर वह क्या करेंगे ?

मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस किसान ने हिन्दुस्तान में आज आपका सिर ऊंचा किया, आपको हजारों, करोड़ों रूपये का अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था, उससे बचाया जिसके कारण आज आप दूसरे मुल्कों के सामने फख्र के साथ अपना सिर ऊंचा कर के खड़े हो सकते हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी में यह कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान आज अनाज के बारे में आत्मनिर्भर है, उस किसान के साथ इस किस्म का सलूक आप न करें ।

मैं श्री बरनाला साहब से नम्र निवेदन करना चाहता हूं, मेरा उनमें बहुत अन्ध विश्वास है, मैं जानता हूं कि वह बहुत काबिल हैं, कि वह एग्रीकल्चरल पालिसी, कृषि नीति निर्धारित करने के लिये कृषि का इसके साथ योग करें। आप स्केंडेनेवियन कंट्रीज, आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में जायें, वहां एग्रीकल्चरल पालिसी किसान की कंसल्टेशन से की जाती है, बल्कि किसान उसे डोमिनेट करता है । लेकिन हिन्दुस्तान में किसान के साथ क्या सलूक किया जाता है कि उसको पूछा तक नहीं जाता । किसान के नुमाइन्दे क्या हैं, उनको भेड़-बकरी की तरह ट्रीट करते हैं । नीति निर्धारित करते समय ऐसे लोगों का योग करते हैं जो ठंडे कमरों में बैठकर, शिमले में या कहीं और बैठकर किसान की कृषि पालिसी को निर्धारित करते हैं । इससे काम नहीं चलेगा ।

श्री पलाश बर्मन (बेलूरघाट) : जनता सरकार, विशेषकर इस उपप्रधान मन्त्री और वित्त मंत्री ग्रामीण जनता की स्थिति के बारे में बहुत चिन्तित लगते हैं ऐसे देश में जहांकि तीन चौथाई जनसंख्या गांवों में रहती है उनका ध्यान रखना भी चाहिए । प्रश्न यह है कि यह ग्रामीण जनता कौनसी है जिनके बारे में सरकार या वित्त मंत्री वास्तव में ही चिन्तित हैं ? गत दो वर्षों के जनता शासन में ग्रामीण निर्धनों, भूमिहीन निर्धन कृषकों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की विशाल सेना की स्थिति क्या रही है । इस अवधि के दौरान कितने भूमिहीन किसानों को भूमि दी गई खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए क्या किया गया है । ग्रामों में से बंधुआ श्रमिक पद्धति को समाप्त करने के लिए क्या किया गया । यही मानदण्ड है जिनके आधार पर जनता सरकार के कार्य निष्पादन को आंका जाएगा केवल तोते की तरह यह रटने से हम ग्रामीण लोगों के बारे में बहुत चिन्तित हैं कुछ लाभ नहीं होगा ।

कृषि मंत्रालय के कार्य निष्पादन को सिर्फ कृषि उत्पादन में वृद्धि के आधार पर ही नहीं आंका जाएगा । जिस दशा में यह उत्पादन हुआ, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । गरीब

किसान, जिनके पास छोटे-छोटे भूमि खण्ड हैं, कृषि के उन्नत तरीकों का लाभ नहीं उठा सके हैं क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं है हालांकि इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन कुल कृषि योग्य भूमि का बहुत कम हिस्सा इन लोगों के पास है । ग्रामीण जनसंख्या का सबसे बड़ा वर्ग वह है जिसके पास अपनी कोई भूमि नहीं है । वे दूसरों की बड़े किसानों की भूमि जोतते हैं । यह नया अभिजात्य वर्ग है । भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों का प्राय: दुरुपयोग किया गया है और जायज या नजायज उन्नत कृषि तरीकों से अधिकाधिक भूमि अपने नाम करा ली है उपादानों का अधिकतम लाभ बड़े किसानों को मिला है उन्हीं के लिए चौधरी चरण सिंह का बजट उदार बजट है । यह तो सब जानते हैं कि जमीदारी के उन्मूलन के पश्चात सब से अधिक लाभ इन्हीं लोगों को हुआ है अब देश पर इन्हीं लोगों का आधिपत्य है । गरीब लोगों को गरीब बनाए रखने के लिए भी यही जिम्मेदार है ।

कृषि मंत्री महोदय इस स्थिति में किसी परिर्तन की आशा बधाने में असफल रहे हैं । मंत्री महोदय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सक्रिय उपाय नहीं किए हैं कि अतिरेक भूमि हासिल की जाए और गरीब तथा भूमिहीन किसानों में बांट दी जाए । राज्यों में भी अतिरेक भूमि के वितरण के कार्य में बहुत कम प्रगति हुई है । प्रधान मन्त्री के राज्य में भी जनता शासन के दो वर्षों के दौरान थोड़ी से भी फालतू भूमि का वितरण नहीं किया गया है । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रधान मन्त्री इस मामले पर अपने दल की सरकार से कोई कार्यवाही नहीं करा पाए हैं ।

हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके पास अथाह सम्पत्ति है । यदि हमारे कृषि उत्पादन से ग्रामीण जनता के एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रामीण लोगों की स्थिति सुधर गई है । ऐसा लगता है कि जनता सरकार कुछेक धनी लोगों का ही भला करने के लिए बचनबद्ध है, चाहे वे उद्योग में हों या व्यापार में अथवा कृषि में । परिणाम यह है कि सामान्य व्यक्ति पहले से ज्यादा गरीब होता है जा रहा है ।

गांवों में बेरोजगारी बहुत है । वहां के अधिकांश लोग अशिक्षित है । उनकी बेरोजगारी या अर्द्ध-बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा । काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रचार बहुत किया गया है लेकिन यह कोई रोजगार कार्यक्रम नहीं बल्कि अल्पराहत का ही एक भिन्न रूप है बेरोजगारी समाप्त करने के लिए प्रधानमन्त्री द्वारा निर्धारित की गई दस वर्ष की अवधि में से दो वर्ष बीत जाने के बाद, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या पहले से भी ज्यादा हो गई है ।

ग्रामीण लोगों को आज मौखिक सहानुभूति की आवश्यकता नहीं उनके उत्पादन के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ आधारभूत उपाय करने की आवश्यकता है । सम्पूर्ण कृषि भूमि उन लोगों में पुन: वितरित की जानी चाहिए जो वास्तव में उस पर खेती करते हैं । उत्पादन का पूंजीवाद तरीका कृषि क्षेत्र से समाप्त किया जाना चाहिए । वहां सहकारी प्रणाली शुरू की जा सकती है जिन किसानों को भूमि नहीं दी जा सके जो कृषि उद्योगों और कुटीर तथा लघु पैमाने के उद्योगों में काम दिया जाना चाहिए गांवों में कृषि उद्योग तथा लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात केवल बातों में ही खत्म

न कर दी जाए जैसा कि पहले होता आया है लोग चाहते कि इन उद्योगों की वास्तव में वहां स्थापना की जाए । भारतीय ग्रामीण जीवन को बदलने का और तरीका नहीं है । सरकार काम आंका ही इस आधार पर जाएगा कि उसने देश के करोड़ों लोगों के भाग्य को सुधारने के लिए क्या किया है । मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि अब शाब्दिक टाल-मटोल से काम नहीं चलने वाला समय हाथ से निकलता जा रहा है । यदि सरकार ने अब भी अपना तरीका नहीं बदला तो जनता का इस समय जो शोषण हो रहा है वह उसे चुपचाप सहन नहीं करेगी ।

श्री तेज प्रताप सिंह (हमीरपुर) : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ने मेरा नाम पुकारा । मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है, तेज बहादुर सिंह नहीं ।

मैं बरनाला जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में कृषि मंत्रालय ने अभूतपूर्व तरक्की की है और इस की हमें आशा भी थी क्योंकि जनता राज में देहात की और किसानों की ओर यदि ध्यान नहीं जायेगा तो किस की ओर जायेगा ? 70–80 प्रतिशत नागरिक हमारे देहातों में रहने वाले हैं और 70–75 प्रतिशत के बीच में जो किसानी का काम करते हैं उन की बहबूदी के लिए अगर काम नहीं किया जायगा तो हमारे देश की कोई तरक्की नहीं हो सकती है, उस की फाउंडेशन मजबूत नहीं हो सकती है । आप कुछ आंकड़ों को देखें–77–78 में 125.6 मिलिन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ जो कभी नहीं हुआ था । तो इस का श्रेय बरनाला जी को और जनता पार्टी की सरकार को मिलना चाहिए। 77–78 में.....(**व्यवधान**)

सभापति महोदया : आप कृपया किसी की तरफ ध्यान न दें, अपनी स्पीच चालू रखें दस-दस मिनट मैं दे रही हूं ।

श्री तेज प्रताप सिंह : देखिए उन को बीस-बीस मिनट दिया है । बुन्देलखंड के साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए ।

सभापति महोदया : जब सभी लोग इस तरह बीस मिनट ले लेंगे तो फिर बाकी लोग रह जाएंगे।

श्री तेज प्रताप सिंह : अभी मैं बताऊंगा कि बुन्देलखंड कितना उपेक्षित है । उस की ओर आप नजर रखें । आप भी वहीं से लोक सभा की सदस्या हैं ।

1977—78 में 2.6 मिलियन हैक्टेयर्स में सिंचाई अतिरिक्त बढ़ी जो पिछले दस वर्षों 1.5 मिलियन हैक्टेयर के औसत से आगे कभी नहीं बढ़ी । यह कमाल देखिए । अगले वर्ष 79–80 में 3.2 मिलियन हैक्टेयर होने जा रही है । इस से साबित होता है कि बहुत कटि बद्ध है और कमर कस कर के हमारे कृषि मंत्री जी और हमारी सरकार कृषि की तरक्की के लिए लगी हुई है । आप ऐसा न समझें कि मैं कोई अतिशयोक्ति कर रहा हूं । जो औसत हमारी पैदावार बढ़ रही है, औसत अतिरिक्त जो सिंचाई के साधन मुहैया किए जा रहे हैं इस के लिए वे बधाई के पात्र हैं । इसी तरह फर्टिलाइजर में हुआ । बिना फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए हुए हमारे देश की कृषि उन्नति नहीं कर सकती है, पैदावार नहीं बढ़ सकती है । उस में भी आप देखेंगे कि 43 लाख टन का इस्तेमाल 77–78 में हुआ है । यह करीब करीब 26 प्रतिशत बढ़ोत्तरी है पिछले वर्ष के मुकाबिले में । तो मैं बधाई देना

चाहता हूं और यह सही है कि वह पंजाब से आते हैं, पंजाब पर हमें नाज़ है, पंजाब पर कई माने में हमारे देश के लोग नाज़ कर सकते हैं, लेकिन बरनाला जी जरा ध्यान देने की कृपा करें कि वे पंजाब से जो आए हैं। हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और इस पोर्टफोलियो को संभाल रहे हों यह हमारे लिए फर्ख की बात है। लेकिन एक शिकायत हम को है बरनाला जी से कि पंजाब को तो उन्होंने देखा और पंजाब की तरक्की को वह जानते हैं, हर चीज से अवगत हैं लेकिन देश के और किसी कोने में वह नहीं जाते हैं। कभी कभार जाते हों तो जाते हों। मैं मंत्री महोदय का ध्यान बुन्देलखंड की ओर खींचना चाहता हूं जहां पर उन्होंने कृषि की तरक्की के लिए एक घास का फार्म खोल रखा है। भारत सरकार ने खाद्यान्न की तरक्की के लिए वहां एक घास के फार्म के अलावा और कोई फार्म नहीं खोल रखा है जबकि यहां पर केवल घास ही नहीं होती है। वहां पर अन्न पैदा भी होता है, सरप्लस अन्न पैदा होता है। वहां पर ऐसी ऐसी चीजें पैदा होती हैं जिनके लिए रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है जैसे कि अलसी है। तो वहां पर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं।

बुन्देलखण्ड में सिंचाई के साधनों की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब तक वहां पर हाई यील्डिंग वेरायटी का इस्तेमाल नहीं होगा और सिंचाई के साधन नहीं बढ़ाये जायेंगे तब तक कृषि की तरक्की नहीं की जा सकती है। इस देश का टोटल कल्टिवेटेड एरिया का 25–30 प्रतिशत सिंचित है जबकि बुन्देलखण्ड में केवल 10 प्रतिशत एरिया ही सिंचित है। अभी मैं वहां पर गया तो लोग कह रहे थे कि सेन्ट्रल आर्गेनाइजेशन, वाटर बोर्ड से एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। हम लोगों को कुछ पता नहीं कि कौन जाता है और क्या प्रोग्राम है। इसलिए ऐसे आदेश किए जाने चाहिए कि कम से कम जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको पहले से अवगत कराया जाना चाहिए और अगर कोई अधिकारी अपना यह सूचना देने का फर्ज अदा नहीं करते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। तो अभी तीन-चार दिन हुए, मैं वहां पर गया था, हमारे पास सभापति यादवजी आए और कहा कि बिगूहना ग्राम में एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल की ड्रिलिंग हुई है। उनको कुछ पता नहीं था कि उसका कितना डिसचार्ज है कितना नहीं है। मैंने असिस्टेंट इंजीनियर को बुलाया जोकि उसी गांव में थे तो उहोंने कहा कि इस ट्यूबवेल को इसलिए फेल कर रहे हैं कि उसका केवल 15 हजार गैलन प्रति घंटे का डिसचार्ज है जबकि सरकार नार्म यह है कि 30 हजार गैलन प्रति घंटा का डिसचार्ज हो तभी उसको सरकार टेक-ओवर करेगी। लेकिन बुन्देलखण्ड ऐसा एरिया है जहां पर पानी की निकासी कम ही होगी। इस सम्बन्ध में मैंने लिखित रूप में भी प्रार्थना की है और प्रस्ताव भी पास करके भेजा है कि 30 हजार गैलन प्रति घंटे के डिसचार्ज का जो नार्म है उसको घटा करके बुन्देलखण्ड के इलाके लिए 10 हजार गैलन प्रति घंटा रखा जाए। इसके द्वारा वहां पर 100–150 एकड़ भूमि की सिंचाई तो हो सकती है। हमारे यादव जी बता रहे थे कि उस ट्यूबवेल में पानी खूब निकला है, हां उनको यह बात मालूम नहीं थी कि 30 हजार गैलन का डिसचार्ज है या नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि बुन्देलखन्ड के लिए दो बातें विशेष रूप से की जानी चाहिएं। बुन्देलखण्ड के 10-15 जिले हैं। वहां पर ट्यूबवेल के लिए 10 हजार गैलन का नार्म निश्चित किया जाना चाहिए। दूसरे जो वहां का पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है वहां पर आपको स्पेशल रिग्ज भेजने चाहिए जोकि पत्थर को भी काट सकें। मध्य प्रदेश में बुन्देलखण्ड के इलाके में कुछ ऐसा काम हुआ है और वहां पर 10-15 हजार गैलन तक पानी निकल आता है जिससे सैंकड़ों एकड़ जमीन पर

सिंचाई होती है तथा हाई ईल्डिंग वेरायटी बोई जाती है । तो सिंचाई के सम्बन्ध में मेरे यह दो सुझाव हैं ।

दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि जब तक संस्थाओं के द्वारा, सहकारी समितियों के द्वारा ऋण नहीं बांटा जायेगा तब तक किसान तरक्की नहीं करेगा । आपने 1977—78 में 2360 करोड़ बांटा है जिसमें मध्यकालीन और दीर्घकालीन 780 करोड़ है । मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की बड़ी आवश्यकता है । आप जितना सालाना अल्पकालीन ऋण देते हैं उसके अलावा इसको और बढ़ाना चाहिए ।

जहां तक नार्थ ईस्टर्न रीजन का सवाल है, मैं अभी जनवरी में गया था, मनीपुर देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ । वहां पर आप डैम बना रहे हैं जिनसे इलैक्ट्रिसिटी जेनरेट होगी लेकिन खेत सूखे दिखाई दे रहे थे । आप वहां पर सिंचाई के साधन भी बनावें । नागालैंड और मिज़ोरम में रेवेन्यू रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं । वहां लेखपाल भी नहीं है । वहां के मुख्य मंत्री से जब हम मिलने के लिये गये तो हम को बताया गया कि वहां पर लैंड-रिकार्डस भी नहीं रखे जाते, क्योंकि सारी जमीन सामूहिक है, कम्यूनिटी लैंड है । इस में कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छी व्यवस्था है, वे अपने आप उस जमीन को आपस में वितरित कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उन को उस जमीन पर ऋण नहीं मिलता है । मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा—नार्थ ईस्टर्न रीजन में जहां व्यक्तिगत टेनेंसी की व्यवस्था नहीं है, उन के लिये ऋण की व्यवस्था कीजिये, वरना यह एरिया पीछे पड़ जायगा, उस की तरक्की नहीं हो सकेगी ।

अब मैं तिलहन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं—इस में सन्देह नहीं कि हमारे मंत्री जी उस तरफ ध्यान दे रहे हैं । लेकिन हजारों करोड़ रुपया हमारे देश से बाहर चला जाय और हम विदेशों से तेल का आयात करें—यह बड़े शर्म की बात है । हमारे यहां पेस्टस ज्यादा लगता है—हम देख रहे हैं पिछले तीन सालों से सरसों और लाही नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें "माहू" लग जाता है । इस के बारे में रिसर्च होनी चाहिये ताकि हम इस से छुटकारा पा सकें ।

आप पांच सालों में 17 मिलियन हैक्टेअर में एडीशनल ईरिगेशन-फैसिलिटीज देने जा रहे हैं । जब 90 या 100 मिलियन हैक्टेअर भूमि आप के पास अर्सिंचित है तो आप को 10 सालों में हर खेत के लिये पानी देने की योजना बनानी चाहिये, 17 मिलियन हैक्टेअर में पानी पहुंचाने से काम चलने वाला नहीं है । आप इस के लिये कहीं से भी लोन लीजिए, लेकिन 10 सालों में सारी भूमि को सिंचित कर सकेंगे—ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये । आने-वाले सालों में 125 मिलियन टन अनाज पैदा करने का आप का लक्ष्य है—मैं समझता हूं यह पर्याप्त नहीं है, आप का लक्ष्य 500 से 600 मिलियन टन पैदा करने होना चाहिये । इस तरह से जहां हमारे किसान तरक्कीशुदा होंगे, वहां हर गांव में 30 परसेंट लेंड-लेस लेबर हैं—उन को भी लाभ पहुंचेगा । मैंने आप की रिपोर्ट को पढ़ा है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिये, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस में लैंड-रिफार्म्ज के बारे में बहुत ही काम्पलैक्सेंट-व्यू लिया है, यह अच्छी बात नहीं है । मैं हर गांव में जाता हूं, वहां के किसान, हरिजन मुझ से अलग आ कर मिलते हैं । 10

साल से ढो ढाई एकड़ के पट्टे दिये हुए हैं, लेकिन आधा एकड़ पर भी कब्जा करने का नहीं मिला--यह दुर्व्यवस्था है । आप कहते हैं कि 6.48 लाख हैक्टेअर भूमि वितरित कर दी है, यह कागज पर वितरित हुई हैं, लेकिन उन को कब्जा नहीं मिला है । आप ऐसा कानून बनाइये--जो डी० एम० या तहसीलदार उन को कब्जा न दिला सके, उन को जमीन की बाण्ड्रीज न बता सके, उस को सस्पेंड किया जाय, उन को सजा दी जाय । जब तक आप इतनी सख्ती से काम नहीं लेंगे, यह काम नहीं चलेगा ।

आखीर में, मैं यह एक बात फूड-कारपोरेशन के बारे में कहना चाहता हूं । हमारा हजारों करोड़ रुपया इस में लगा हुआ है, यह भी सही है कि हम को सब्सीडाइज्ड रेट्स पर गल्ला मिले--लेकिन यह बात भी सही है कि हजारों टन गल्ला गायब हो जाता है, चुपचाप बिक जाता है और पता भी नहीं चलता । इसमें जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये । वहां पर जो मजदूर काम करते हैं--एक साल हुआ उन के सम्मेलन में बरनाला साहब गये थे, उन से निवेदन किया गया था कि वहां पर जो बिचौलिये हैं, ठेकेदार हैं, उनको एलिमिनेट कीजिए--लेकिन अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला । एक बांध टूट गया था, मैंने वहां देखा कि ठेकेदार मजदूरों को तीन रुपया दे रहा था, लेकिन कागज पर 5 रुपये के लिये दस्तखत करा रहा था । इस तरह से ये ठेकेदार लूट करते हैं । पिछले तीस सालों में से हमारा जितना रुपया इन कामों पर खर्च हुआ है, यदि ये ठेकेदार बीच में न लूटते तो आधा रुपया खर्च कर के हम उन कामों को करा सकते थे । इसलिये यह प्रथा समाप्त होनी चाहिये ।

आप की रिपोर्ट में एक चीज़ की तरफ ध्यान दिलाया गया है कि जब गल्ले का उत्पादन बहुत बढ़ जायगा, तो उस के मार्केटिंग की प्राबलम पैदा होगी । अभी हमारे नाथूसिंह जी कह रहे थे कि हमारा आलू सस्ते दामों में मारा-मारा फिर रहा है इसलिए हमको अभी से इन्फ्रा-स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिये और यह काम कोआपरेटिव बेसिज पर होना चाहिये । आज हमारे यहां जो कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटीज हैं वे डारमेंट हैं, मरी जा रही हैं, उन के पास पैसा नहीं है, उन का कोई निरीक्षण नहीं हो रहा है । कैनाडा में वहां के किसानों ने मिल कर खुद अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, वहां पर बिचौलिये खत्म हो गये हैं । मझे एक जगह ले जाया गया और बतलाया गया कि वहां पर जो महल खड़े हुए थे वे पहले बिचौलियों के थे, अब हम ने उन को खत्म कर दिया है । सारा काम किसानों के हाथ में है और अब उन को बहुत अच्छी रिटर्न मिलती है यहां तक कि उन को 2 डालर प्रति, कुशल के हिसाब से एक्सट्रा कीमत मिली है । जो गल्ले में प्रोफिट होता है वे बिचौलिये खा जाते हैं । जो गल्ला सरकार को देते हैं, उस में वे एक्सट्रा प्रोफिट कर लेते हैं । मैं आप को बताऊं कि मैं 150 रुपये क्वींटल मसूर बेचता हूं और उस मसूर को बिचौलिये 250-300 रुपये क्विंटल बेचते हैं और इतना ज्यादा मूनाफा वे कमा लेते हैं । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि एक कोआपरेटिव मार्कटिंग स्ट्रक्चर आप तैयार कीजिए । उस से यह जो प्राब्लम गल्ले को बेचने की है या प्रोसेस करने की है, वह हल हो जाएगी । बुन्देलखण्ड की ओर मैं फिर से आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री कचरुलाल हेमराज जैन (बालाघाट): सभापति महोदया, कृषि मांगों पर जो बोलने के लिए आप ने मुझे अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आप का धन्यवाद देता हूं।

कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग हमारे भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि पिछले दो सालों से, नई सरकार के आने के बाद, कुछ एक अच्छी बातें सामने आई हैं और इस सरकार ने 80 फीसदी गांवों में बसे हुए किसानों की ओर ध्यान दिया है और कुछ नई व्यवस्था भी की है जिस के अच्छे परिणाम भी हमारे सामने आए किन्तु हम यह देखते चले आ रहे हैं कि कृषि का और किसानों का जो सीधा सम्पर्क कोआपरेटिव बैंकों और सोसाइटीज से है और उन को सहायता पहुचाने के लिए, उन की उन्नति कराने के लिए पिछले शासकों द्वारा जो कोआपरेटिव बैंक, सोसाइटियां और पूंजी विकास बैंक आदि संस्थाएं बनाई गई थीं, वे हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा कलंक है। कोआपरेटिव बैंक या भूमि विकास बैंक, जिस दिन से इन की स्थापना हुई है, में भ्रष्टाचार निरन्तर पिछले दिनों से चला आ रहा है और आज भी वही जारी है। अगर कृषि मंत्रालय किसानों की मदद करना चाहता है और उस के यहां से एलाटमेंट होता है कि इतनी किसानों को सब्सीडी दी जाए या इतना ऋण दिया जाए, तो वह उन तक ठीक से नहीं पहुंचता है। रसोई कोई बनाएगा और खाने का वितरण कोई करेगा। इसी तरह से यहां पर हो रहा है। अलग-अलग विभाग होने के कारण और कृषि विभाग का सीधा सम्पर्क न होने के कारण, जो लाभ ग्रामीण किसानों को मिलने चाहिए, वे उन्हें नहीं मिल रहे हैं। जो लोन उन को मिलना चाहिए, वह समय पर उन को नहीं मिल पा रहा है। अभी नई स्कीमों के अनुसार, ग्रामीण किसानों को पशुपालन के लिए और कई प्रकार के घरेलू उद्योग खोलने के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो उस में यह होता है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, वे उन को कहते हैं कि अगर सरकार 50 फीसदी पैसा माफ करेगी, तो तुम हम को 20 फीसदी दो। अगर 20 फीसदी पैसा देते हो, तो माफ करा देंगे। इस तरह की धांधलेशाही चल रही है और मैं यह समझता हूं कि इस देश के किसानों का सपना पूरा नहीं कर कर सकते जब तक कि पूरा नियन्त्रण इस मंत्रालय के अन्तर्गत न आ जाए। इसलिए कृषि मंत्रालय के साथ उन सब सम्बन्धित विभागों को जोड़ देना चाहिए। नहीं तो पचास, सौ साल तक भी जो हम उन को मदद पहुंचाने की कल्पना करते हैं, वह पूरी नहीं होगी और उस में आप सक्षम नहीं होंगे।

हरिजनों और आदिवासियों को भूमि बांटी गई है और उस का कार्यक्रम भी चल रहा है और गांवों में रोजगार देने की बातें भी चल रही हैं। अनाज के बदले काम कार्यक्रम भी चल रहा है लेकिन हम यह देखते हैं कि जिन इलाकों में भूमि उन लोगों को दस-दस और पन्द्रह,-पन्द्रह साल पहले बांटी जा चुकी है, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि उस का कब्जा भी उन को नहीं दिलाया गया है और अगर कब्जा भी मिल गया है तो कृषि योग्य वह भूमि नहीं है और उन में अपने में इतनी शक्ति नहीं है कि वे उस को कृषि योग्य बना सकें। मैंने लास्ट टाइम भी कृषि मंत्रालयों की मांगों पर बोलते हुए कहा था कि कम-से-कम उन को कृषि योग्य भूमि दें और इतने सारे जो कार्यक्रम आप के बन रहे हैं, उन में आप उन को रोजगार दें और अनाज के बदले काम दें। अगर ऐसा किया गया, तो उन की खेती भी दुरुस्त हो जाएगी और हरिजन और आदिवासियों के पास जो भूमि है, वह भी खेती करने

लायक बन जाएगी । यह नहीं हो पा रहा है । कृषि मंत्रालय ने फूड कारपोरेशन आफ इंडिया से अच्छी क्वालिटी का अनाज ऊंचे रेट पर खरीदने के लिए कहा है । मैं दुखी भी हूं और मैंने शिकायत भी की है कि जो अनाज उसके द्वारा मंडियों से खरीदा जा रहा है वह घटिया किस्म का है और व्यापारियों के साथ उनकी खुली सांठ-गांठ है और आराम से वे घटिया किस्म का माल खरीद रहे हैं और नियमित रूप से उनका उस में दो रूपये चार रूपये क्विंटल के हिसाब से बंधा हुआ है । इस तरह से जो माल खरीद है गोडाउन में रखा जा रहा है वह बहुत ही घटिया किस्म का है । मैं लिख कर देता हूं या कहता तो आपके फूड कारपोरेशन के अधिकारी कहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि हमारे काम में दखल नहीं दे सकते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं । मेरे जिले बालाघाट में आप जांच करवा कर देख लें कि वहां घटिया माल खरीद कर गोडाउंज में रखा गया है या नहीं । मैंने आप से शिकायत की थी, आपने अपने शासकीय विभाग से कर्मचारियों को भी भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई । जिस किस्म का माल लेना चाहिए था उससे बहुत ही घटिया किस्म का अनाज लिया जा रहा है और लिया गया है । आप कोई जांच नहीं करवाते हैं । इस अवस्था में कैसे आपका विभाग ढंग से चल सकता है । पुनः मेरा आप से निवेदन है कि आप ने रेट बढ़ाया है तो आप क्वालिटी को भी देखें और इसको भी देखें कि उस क्वालिटी का माल आप अधिकारी खरीद रहे हैं जिस क्वालिटी का माल आप चाहते हैं कि अधिक रेट दे कर खरीदा जाए ।

वायल्ड राइस जिस को कहते हैं उसकी खरीद के मामले में भी बड़े उद्योग वालों को ही मौका दिया जा रहा है, लघु उद्योग या छोटे उद्योग चलाने वालों का माल नहीं लिया जा रहा है । आपके विभाग वाले कहते हैं कि यह चावल चलने लायक नहीं है । बड़े उद्योगों से उसकी क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद भी कहा जाता है कि इसको खरीदा नहीं जा सकता है क्योंकि यह चलने लायक नहीं है । मैंने आपके विभाग को एक थैली में भर कर उस चावल का सैम्पल भी दिया था और उसको दिए हुए डेढ़ महीना हो गया है लेकिन उसका एनेलेसिस रिजल्ट प्राप्त किया गया है या नहीं, मुझे पता नहीं है उसका कोई उत्तर मुझे नहीं मिला है ।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके विभाग ने काफी तरक्की की है, सिंचाई में भी तरक्की हो रही है । लेकिन पुराने शासकों के जमाने से जो रिश्वतखोरी और घूसखोरी इस विभाग में व्याप्त थी वह समाप्त हो गई है और अब इसका बोलबाला नहीं है इसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं । आज भी व्यापारियों से धड़ल्ले से और खुलेआम रुपया लिया जा रहा है । घटिया किस्म का अनाज गोडाउंज में भरा जा रहा है । यह ठीक है कि अनाज के मामले में अब हम सरप्लस हो गए हैं और हम को विदेशों को भी अब अनाज भेजना पड़ेगा । इस वास्ते रेट ज्यादा दे कर हम अच्छी किस्म का अनाज गोडाउंज में रखें इस ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा ।

मैं यह भी चाहता हूं कि हरिजनों, आदिवासियों को जो पिछले शासकों ने भूमि बांटी है और आप भी बांट रहे हैं वह कृषि योग्य बना कर ही उनको दी जानी चाहिये । जब तक उसको कृषि योग्य बना कर उनको नहीं दिया जाता है उनका काम नहीं बन सकता है । उनके पास इतनी ताकत नहीं है, इतने साधन नहीं हैं कि वे उसको कृषि योग्य बन सकें । अगर आपने ऐसा किया तो उन गरीबों की मदद होगी और हमारा देश भी उन्नति करेगा ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) : कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के विकास के लिए जो बजट सदन में पेश है उसके सम्बन्ध में जो जनता पार्टी का घोषणापत्र है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कृषि से आमदनी बहुत कम है और गांव के निजी व्यवसाय को प्रोत्साहन नहीं मिलता, इसलिये गांव में पूंजी नहीं बनती। इसलिये उसके विकास के लिये जनता पार्टी एक राष्ट्र व्यापी नीति अपनायेगी और इस क्षेत्र में कम-से-कम 40 प्रतिशत खर्च करेगी। पहला बजट जब जनता पार्टी ने पेश किया तो वह 37.2 प्रतिशत था, दूसरा बजट पेश किया तो वह 40.29 प्रतिशत था और तीसरा बजट 43 प्रतिशत है। लेकिन अपने कृषि मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला और कृषि राज्य मंत्री श्री भानुप्रताप सिंह के रहते हुए मैं सोचता था कि यह जो 40 प्रतिशत का प्रस्ताव आपने आज तक पूरा किया, यह देखने में 43 प्रतिशत लगता है। देखने में यह प्रस्ताव साधू है, लेकिन इसमें कुटिलता भरी हुई है। अगर इस कुटिलता के जाल बट्टे को माननीय मंत्री जी काट सकें तो इस देश पर और देश की खेती के उत्थान पर बड़ी कृपा होगी। इस पूरे बजट में जो 43 प्रतिशत का है, इसम जो फर्टिलाइजर पैदा होता है और उसमें जो फैक्टरियों पर पैसा खर्च होता है, वह भी कृषि और ग्रामीण व्यवस्था में जोड़ दिया गया है। आप देखेंगे कि फैमिली वेलफेयर पर जो पैसा खर्च होता है, उसका 75 प्रतिशत भी इसी ग्रामीण कृषि व्यवस्था पर जोड़ दिया गया है। स्माल स्केल इंडस्ट्री पर जो पैसा खर्च होता है, वह भी इसी बजट में जोड़ दिया गया है। सबसे मजेदार और नोट करने की बात यह है कि स्माल स्केल इंडस्ट्री में जो 15 लाख रुपये तक की फैक्टरी खड़ी करेगा, वह भी लघु उद्योग धंधे में आता है। आज गांव के किस आदमी की हैसियत है कि 15 लाख रूपये का उद्योग धंधा वह खड़ा कर सके ? लेकिन उस मद को भी इसमें जोड़ दिया गया है।

जो आर्थिक उन्नयन की कुंजी है, जिसको कहा जाता है कि हमने क्रांतिकारी तब्दीली की भूख जगाई है, हमने गांव की ओर जाने का महाप्रयाण किया है, जरा उसकी तरफ भी ध्यान दें।

सार्वजनिक क्षेत्र के लिये रखे गये कुल पूंजी विनियोग के साधनों का कम से कम 40 प्रतिशत कृषि और ग्रामीण विकास के लिये निर्धारित किया जाना सरकार का अति-आवश्यक लक्ष्य होना चाहिये। इन पूंजीगत साधनों में पक्की सड़कों, परिवहन और शिक्षा पर लगायी गई राशि शामिल नहीं होगी।

लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि काम के बदले जो अनाज योजना आज चल रही है और उसमें जो ग्रामीण सड़कें बन रही हैं, उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है। यदि सब को मिलाकर देखेंगे तो और भी मजे की बात है कि चीनी, शुगरकेन, जूट और काटन की जो इंडस्ट्री है, उनको भी कृषि के अन्तर्गत जोड़ा गया है। यदि फर्टिलाइजर पैदा होकर खत में इस्तेमाल हो, इसलिये उसको खेती में जोड़ा जाये, तो इन फैकटरियों में जो चीजें पैदा होती हैं, जो कि खेती में इस्तेमाल नहीं होती, उनको इंडस्ट्री में क्यों नहीं जोड़ा गया। दोनों तरफ दुधा, तर्क चलते हैं। एक मुंह में जिसके दो जीभ होती हैं वह जानवर बहुत ही खतरनाक होता है। यह पूरे का पूरा शुगर केन और जूट जो पैदा हो, उसको भी इसमें फर्टिलाइजर भी इसमें जोड़ दें, यह ठीक नहीं। अगर इन सारी मदों को इसमें से निकाल दें, तो मैं बड़े अदब के साथ कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पिछली बार जो 31 कुछ

और अब की बार 34 कुछ खर्च करने जा रहे हैं, तो 40 प्रतिशत की बात अधूरी रह जायेगी। आगे हालत इतनी खराब होगी।

कभी-कभी शर्म आती है, लोग पूछते हैं कि जनता पार्टी ने बड़ी शान के साथ कहा था कि हम गांव की ओर जा रहे हैं, महाप्रयाण कर रहे हैं और जब हमारे मंत्री और हमारी जनता सरकार के लोग कहते हैं तो गालिब का एक शेर याद आ जाता है:--

आ वफा ना-आशना, कब तक सुनूं तेरा गिला,

बेवफा कहते हैं तुझको, और शर्माता हूं मैं।

बेवफा श्रीमान को कहते हैं, लेकिन शर्माना हमें पड़ता है। लेकिन शर्माकर भी काम करते चले जा रहे हैं। विचित्र स्थिति है। सारे के सारे कृषि जीवन में आज एक विष घुल रहा है, जरा सा इन सब चीजों की तरफ नजर डालें।

इस देश में चीनी का दाम तय होता है, क्योंकि वह फैक्टरी में बनती है लेकिन गन्ने का दाम तय नहीं होता कि इसका लाभप्रद मूल्य क्या है, लागत मूल्य और समता मूल्य क्या है। आजतक इन तीनों मूल्यों--लागत मूल्य, लाभप्रद मूल्य, समता मूल्य के निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। चीनी का दाम तय होता है, क्योंकि उसको फैक्टरी और इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है--उसका लाभ प्राइवेट सैक्टर में उद्योगपतियों को मिलता है और पब्लिक सैक्टर में ब्यूरोक्रेटस को मिलता है। पूंजीपतियों, ब्यूरोक्रेट्स और सरकार के इन त्रिगुट से गन्ने का दाम तय नहीं होता है, लेकिन चीनी का दाम तय होता है। यही हालत रुई की है--रुई का दाम तय नहीं होता मगर कपड़े का दाम तय होता है। आज ही इस सदन में इस बारे में बहस चल रही थी जिसमें उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीस से सवाल किये गये। श्रीमती चन्द्रावती ने कहा कि जब पिछले साल रुई का दाम 355 रुपये प्रति क्विंटल था, तो कपड़े का दाम 5 रुपये प्रति-मीटर था लेकिन इस साल जब रुई का दाम 260 रुपये प्रति-क्विंटल है तो कपड़े का दाम 11 रुपये प्रति-मीटर है। जब रुई का दाम घटे तो कपड़े का दाम बढ़े यह व्यवस्था कैसे चलेगी ? इस व्यवस्था के बारे में हमें और आपको सोचना होगा।

1402. **(श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए):**

इन चीजों को पैदा करने में चार तरह के पानी इस्तेमाल होते हैं। कबीर ने कहा है :

माया महाठगनि मैं जानी,

केशव की कमला बन बैठी शिव के भवन भवानी,

पंडा की मूरतबन बैठी, तीरथ में भई पानी।

पानी का बड़ा महत्व है। लेकिन सरकार गेहूं और अनाज पैदा करने के लिए जो पानी बेचती है, उस पानी के चार दाम हैं। राजकीय नलकूप से जो पानी मिलता है, उसके अलग दाम हैं। नहर से मिलने वाले पानी के अलग दाम हैं। बांध से जो नहर निकलती है, उसके पानी के अलग दाम हैं। डाल सिंचाई योजना,

लिफ्ट इरिगेशन, के पानी के अलग दाम हैं। पाचवाँ पानी वह है, जो निजी नलकूप से निकाला जाता है, और उस के दाम अलग हैं। लेकिन जब गेहूं बाज़ार में आयेगा, तो उसका एक ही दाम है। ऐसा नहीं है कि जो चावल और गेहूं 60 रुपये प्रति-एकड़ के पानी से पैदा किया जाये उस का दाम अधिक है और 15 रुपये प्रति-एकड़ वाले पानी से पैदा किये गये चावल और गेहूं का दाम कम है।

मेरे एक सवाल के जवाब में राज्य मंत्री ने बहुत पहले कहा था कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि सभी पानियों के दाम एक हो जायें। इस बात को साल, डेढ़ साल हो गया है, आज तक उस योजना पर अमल क्यों नहीं किया गया ? पानी के दाम क्यों नहीं एक किये गये, जबकि पानी से उत्पादित चीजों के दाम एक हैं ?

हमारे देश में 35 करोड़ एकड़ ज़मीन पर खेती हो रही है। उसमें से 10,11 करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है, जहां एशोर्ड इरिगेशन है और जहां उर्वरक का भी इस्तेमाल होता है। अगर फ़ी-एकड़ डेढ़ टन भी माल लें तो 11 करोड़ एकड़ जमीन से लगभग 16 1/2 करोड़ टन का उत्पादन होता है। बाकी 25 करोड़ एकड़ जमीन बिना सिंचाई की है, जिसे आसमान सहारे, आकाश-आसरे या भगवान-आसरे कहते हैं। अगर वहां का उत्पादन आध टन फ़ी एकड़ मान लिया जाये, तो वहां 12 करोड़ टन का उत्पादन होता है ? इस प्रकार हमारे देश में कुल उत्पादन 28 करोड़ टन का हुआ। लेकिन सरकार की ओर से बताया जाता है कि पिछले साल 12.60 करोड़ टन का रिकार्ड उत्पादन था और अब 15 करोड़ टन होने की आशा है।

सवाल यह है कि ये आँकड़े बनाने वाले कौन लोग हैं, किन एजन्सितों द्वारा ये आंकड़े बनाये जाते हैं? इस देश में 60 करोड़ लोग रहते हैं। जेल मैनुअल के अनुसार एक आदमी को 750 ग्राम अनाज मिलना चाहिए। इस हिसाब से 60 करोड़ लोगों के लिए 16.20 करोड़ टन अनाज बैठता है, लेकिन 12 करोड़ टन उत्पादन बताया जाता है। इस स्थिति में कहना पड़ता है कि या तो ये आंकड़े गलत हैं और या हिन्दुस्तान के आधे आदमी आज भी भूखे रह रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में ये आंकड़े गलत हैं; उत्पादन ज्यादा हो रहा है। इस सरकार की निर्यात की नीति के कारण आज इस देश का किसान रोज़-बरोज़ दरिद्र हो रहा है। हम गांवों की ओर महाप्रयाण करने की बात करते हैं, मगर शहर की अटालिकाओं को ऊंचा करने का काम कर रहे हैं।

1974 में अनाज का निर्यात हुआ--48029 हजार टन, 1975 में, 24496 हज़ार टन, 1976 में 48250 हजार टन, 1977 में 18036 हज़ार टन--इस का अर्थ है कि निरन्तर घटता गया।

आप चीनी को लीजिये--1974 में 443.01 हज़ार टन का निर्यात हुआ, 1975 में 996.01 हज़ार टन, 1976 में 843.07 हज़ार टन निर्यात हुई, लेकिन 1977 में 254.08 हज़ार टन निर्यात हुई इस का अर्थ है कि 1977 में आधे से भी कम चीनी निर्यात हुई।

1973-74 में गन्ने का मूल्य 10.26 रु० प्रति क्विंटल, निश्चित किया गया, 1974-75 में 10.40 रु० प्रति क्विंटल 1975-76 में 11 रु० प्रति क्विंटल, 1976-77 में 10.80 रु० प्रति क्विंटल और 1977-78 में 10.80 रु० प्रति क्विंटल .....

चौधरीबलबीर सिंह : यह मूल्य कहां है ? यह तो सिर्फ कागज़ पर है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : यह बात ठीक है—10.80 रु० प्रति क्विंटल कागज़ पर है, जब कि 4 से 5 रुपये प्रति क्विंटल में गन्ना बिका या किसानों ने उस को दियासलाई लगा कर जला दिया । आप देखिये एक तरफ किसान की हालत यह है कि गन्ना उस को जलाना पड़ रहा है, रुई मन्दे भाव पर बेचनी पड़ रही है, दूसरी तरफ़ आप ज़रा चावल के थोक सूचकांक को देखिए । यह हमारी अपनी सरकार है, यह सरकार आर्थिक-नीति के हिसाब से समता-मूल्य चाहती है, पैरिटी-प्राइस चाहती है, लेकिन ज़रा चीजों के दामों को देखिये । 1971 में चावल का थोक सूचकांक 103·3 था, 1974 में 174·7 था, 1975 में 188·2 था, 1976 में 154.9 था, लेकिन 1977 में 163.6 हो गया । इस का अर्थ है कि 1975 में 188.2 था लेकिन 1977 में 163.6 पर चला गया, यानी 6-7 परसेन्ट लगभग माइनस हो गया । यही हालत गेहूं की रही है।

अब मैं आप का ध्यान खेती में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के मूल्यों की ओर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जो चीजें खेती में पैदा होती हैं उन के मूल्य तो घटते जा रहे हैं लेकिन जो चीज खेती में इस्तेमाल होने वाली हैं—उन के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारी कृषि व्यवस्था रीढ़ से जुड़ी हुई है, आज हमारी रीढ़ टूट रही है, पंचर होने जा रही है, इन्सान मरने जा रहा है । आज इन्सान खेती नहीं कर रहा है, आप उस को डांगर कहें, जानवर कहें, आज इन्सान के रूप में जानवर खेती में लगा हुआ है। मैंने पिछले साल भी कहा था कि कुछ लोग कृषि को "कृषि मूलस्य जीवन" समझते हैं लेकिन मैं इस को "कृषि मूर्खस्त जीवन" समझता हूं । आज कृषि में मूर्ख लोग लगे हुए हैं जो इतना अधिक परिश्रम करते हैं जो दोपहर को इतनी सख्त धूप में अपनी हड्डियों को जलाते हैं लेकिन फिर भी उन को 1975 के मुकाबले में कम दाम मिलते हैं और दूसरी तरफ आप यह देखिये कि खेती में काम आने वाली जो दूसरी चीज़ें हैं उन के दाम कितने बढ़ गये हैं। आप बैटरी को ही ले लीजिए। बैटरी ट्रेक्टर में इस्तेमाल होती है और बैटरी का दाम कितना हो गया है । बैटरी में जो लीड और आक्साइड लगता है, उस के दाम एक वर्ष में चार दफ़ा बढ़े हैं। सितम्बर 1978 में उस के दाम 8600 रुपये पर मैट्रिक टन थे और अक्तूबर 1978 में वे 9400 रुपये पर मेट्रिक टन हो गये । उस के बाद जनवरी में वे बढ़ कर 1100 रुपये पर मैट्रिक टन हो गये और फिर 3 मार्च 1979 को वे बढ़ कर 14,100 रुपये पर मैट्रिक टन हो गये । इस वर्ष के अन्दर दुगने दाम हो गये । 1971 में जो ट्रैक्टर 29 हज़ार रुपये का मिलता था, उस के बाद बढ़ कर 60 हजार, 61 हज़ार और 62 हज़ार रुपये हो गये यानी दुगने और तीन गुने उसके दाम हो गये।

अब आप डीजल को देखिये । 1971 में जहां उस का इनडेक्स नम्बर 104.5 था, वहां 1977 में वह बढ़ कर 213.9 हो गया। 1971 में 104.5 और 1977 में 213.9 और डीजल का मौजूदा दाम जो बढ़ गया है, उस को अगर मद्देनज़र रखा जाए, तो यह 213.9 से बढ़ कर 240 हो जाएगा । आप ने यह भी देखा कि जिस गन्ने से चीनी बनती है, चीनी के दाम तो बढ़ गये लेकिन गन्ने का दाम नहीं बढ़ा बल्कि घटा है। कहीं कुछ बात नहीं हुई और चीनी का दाम 30 प्रतिशत बढ़ गया । पहले उस जका दाम 2.20 रुपये किलो था और अब वह बढ़ कर 3 रुपये और 3.20 रुपये प्रति किलो हो गया।

(व्यवधान) साढ़े चार रुपये की याद करते हैं, तो फिर इन्दिरा गांधी की तारीफ करनी होगी। हम तो आप की तारीफ करना चाहते हैं। 2.15 रुपये प्रति किलो चीनी आप भी देते थे।

इसी तरह का बिजली का इन्डेक्स नम्बर आप देखें। 1971 में यह 101.9 था और 1977 में यह बढ़ कर 171.6 हो गया है। ट्रैक्टर का 1971 में 109.6 था और 1977 में यह बढ़ कर 203 हो गया है। फिर कृषि फावडे का आप देखें, 1971 में जहां इस का इन्डेक्स नम्बर 113.6 था, 1977 में वह बढ़ कर 216.9 हो गया और अभी बीजू पटनायक सहाब ने जो दाम बढ़ाए हैं, जो 265 रुपये प्रति क्वींटल हमें छड़ मिलती थीं, उन से बने हुए फावड़े के दाम 360 प्रति क्वींटल हो जाएंगें। इसी तरह से आप यह देखें कि पिण्ड लोहा, जिस का इन्डेक्स नम्बर 1971 में 100 था, वह 1977 में बढ़ कर 181.6 हो गया और फर्टिलाइजर्स का जो 1971 में 100.3 था वह बढ़ कर 186.5 हो गया, आप की महान कृपा के बावजूद। इस तरह से आप देखें कि सारी चीज़ों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, खेती में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उन के दाम घोड़े की रफ़्तार से बढ़ रहे हैं और किसान जो इतना परिश्रम करता है और किसान जो चीज़ों को पैदा करता है, उस की उन चीज़ों के दाम अगर चींटी की रफ़्तार से भी बढ़ते तो हम आप को मुबारकबाद देते लेकिन मुबारकबाद तो अब भी देगें क्योंकि दाम माइनस की तरफ़ जा रहे हैं। आज किसानों को गोदामों की तरफ़ जाना पड़ता है, गोदाम किसान की तरफ़ नहीं जाते हैं। व्यवस्था यह होनी चाहिए कि उन के लिए गोदाम वहीं पर हो जो उन की फ़सल है, उस का इन्श्योरेंस हो। इस के साथ साथ जैसे गोदामों में रखे हुए माल के ऊपर शहरों में कैश-क्रेडिट मिलता है, एडवान्स मिलता है, उसी तरह से जो माल किसान रखे हों उन को भी एडवान्स मिलना चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, तो किसान हमेशा लुटता ही रहेगा। जब उस को पैसे की जरूरत होती है, तो उस को अपना माल बेचना ही पड़ता है और डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसान को ऐसा न करना पड़े।

काम के बदले अनाज योजना का जिक्र करते हुए, अन्त में मैं एक बात और आप की सेवा में अर्ज करना चाहता हूं। 1 लाख 46 हज़र मेट्रिक टन आन्ध्र प्रदेश में पिछले साल गेहूं आवंटित किया गया लेकिन कुल खर्च हुआ 23987 मेट्रिक टन और इसी तरह से हर प्रदेश में हुआ कि जितना आवंटित हुआ काम के बदले अनाज योजना में उस का एक चौथाई भी खर्च नहीं हुआ। इस का कारण क्या है। इस के कारणों में जाया जाए, तो पता चलेगा कि जो गेहूं या चावल इस योजना के अधीन दिया गया, उस में से 50 से ले कर 75 प्रतिशत तक सड़ा हुआ था या खराब था। इस कारण से यह योजना ठीक से नहीं चल पाई और इस तरफ़ आप को ध्यान देना होगा।

इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल 112.50 रुपये का समर्थन मूल्य आप ने दिया था। इस साल के लिए अभी कुछ नहीं किया है लेकिन आज गेहूं बाजार म 80,90 रुपया पर क्वींटल बिक रहा है और जहां समर्थन मूल्य पर खरीददारी होती है, वहां बनिये की एजेन्सी रहती है या बिचौलिये की एजेन्सी रहती है और उन के जरिये से गेहूं लिया जाता है और वे ज्यादा मुनाफ़ा कमा लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : बोरे भी नहीं हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : बोरों का तो इन्तज़ाम कर लेंगे। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कृषि को अगर उद्योग की तरह माना जाए, तभी जा कर कृषि का विकास हो सकता है। इस में जो शासन की कमियां हैं, उन को छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मैं एक शेर कहना चाहूंगा।

"इन्सान आज भी है गुलामी से सर मगूं
यह बात और है कि तरीके बदल गये।।

केवल तरीके ही बदले हैं, और कुछ नहीं बदला।

इन शब्दों के साथ मैं यह कह कर समाप्त करता हूं कि इतने बुद्धिमान, योग्य, सुशिक्षित, संस्कारगों लोगों के मंत्रालय में रहते हुए भी अगर गावों का बिकास नहीं हो सका, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि आगे यह हो सकेगा। यह श्रेय इन लोगों को जाए और इस श्रेय को लेने के लिए जहां भी लड़ना पड़े, हमें लड़ना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सी० वेणुगोपाल गौंडर (**वन्दीवास**) : महोदय मैं कृषि और सिंचाई मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री जी को अनाज का उत्पादन 1250 लाख टन तक बढ़ाने के लिए बधाई देता हूं। हमें इस वृद्धि पर गर्व है। पर उसके बारे में क्या कुछ सोचा गया जिसने इतना उत्पादन किया है। उस के हित की रक्षार्थ क्या कदम उठाए गए हैं? उसे भारत रत्न नहीं चाहिए। उसे रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। पर मंत्री जी को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि मानसून बहुत ही अच्छा रहा है और उसी की कृपा से हम लक्ष्य प्राप्त कर गए हैं। हमें इस मामले में सुस्ती नहीं करनी चाहिए नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी। मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें कि अगर ठीक वर्षा नहीं होती तो क्या स्थिति होगी। इस बात को ध्यान में रखकर ही योजना बनाई जानी चाहिए। अधिक उपज के लिए बाजार ढूंडा जाना चाहिए। उसकी बिक्री के लिए प्रबन्ध होना चाहिए। अन्यथा अधिक अन्न उपजाने वाले को ही हान उठानी पड़ेगी, क्योंकि मांग और पूर्ति का नियम इसमें आडे आएगा। तमिल नाडु और कुछ अन्य राज्यों में अच्छे मूल्य न मिलने के कारण वहां किसानों ने गन्ना नहीं बोया है। किसानों को मिलों से उनके गन्ने की कीमत नहीं मिल रही है। और चीनी मिलों का कहना है कि चीनी की मांग कम होने के कारण उसके लिए समुचित बाजार उपलब्ध नहीं है। परिणाम-स्वरूप किसानों को नुक्सान उठाना पड़ रहा है। जिन मामलों में मांग कम हैं उनमें सरकार को किसानों की सहायता करनी चाहिए।

निस्सन्देह, भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक पूर्ति निगम जैसी संस्थाएं किसानों की उपज खरीद रहे हैं। पर उन्हें ग्रेड आदि जैसे नियमों पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। कृषि मंत्रालय को अनाज की खरीद के बारे में नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करना चाहिए किसान जो भी अनाज बेचने लाता है उसे खरीदने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। किसान की उपज को यह कह कर वापस नहीं किया जाना चाहिए कि वह विदित ग्रेड या क्वालिटी की नहीं है।

उद्योगपति अपने उत्पादन की कीमत स्वयं निर्धारित करता है, पर जो लोग अनाज पैदा करते हैं वह अनाज का मूल्य स्वयं निश्चित करने की स्थिति में नहीं हैं। हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जहां किसान अपने उत्पाद की कीमत स्वयं निर्धारित कर सके। इस समय विचौलियों द्वारा कीमत निश्चित की जाती है जिसे इसका कुछ भी ज्ञान नहीं होता । किसान के हित में हमें विचौलियों को समाप्त करना चाहिए ।

भारतीय खाद्य निगम केवल मद्रास जैसे शहरों में काम करता है । इसके तालुक और जिन परिषद स्तर पर कार्यालय नहीं हैं । इसकी प्रत्येक तालुक में सरकार होनी चाहिए जिससे कि किसान उसका लाभ उठा सकें।

धान के लिए सिंचाई जरूरी है । गेहूं की खेती सिंचाई और बिना सिंचाई के की जा सकती है । गेहूं का समर्थन मूल्य धान के समर्थन मूल्य की अपेक्षा अधिक है । इसमें काफी भेदभाव होता है । मांग की गई है कि धान की उत्पादन लागत को हिसाब में लिया जाना चाहिए क्योंकि सिंचाई के कारण इस पर अधिक खर्च करना पड़ता है । गेहूं की लागत कीमत कम आती है क्योंकि यह बिना सिंचाई से पैदा किया जा सकता है । इस मामले में भेद-भाव को दूर कर गेहूं और धान दोनों के लिए एक से मूल्य निश्चित किए जाएं।

नारियल, चाय काफी आदि के लिए नारियल बोर्ड, चाय बोर्ड, काफी बोर्ड आदि जैसी संस्थाएं है। इसी प्रकार धान और मूगफली के लिए भी बोर्ड बनाए जाने चाहिए जिसमें किसानों को सामिलित किया जाना चाहिए न कि उनको जिनका केवल किताबी ज्ञान है । ये बोर्ड सरकार के पास आवश्यक सिफारिशे भेज सकते हैं।

कृषि मूल्य आयोग 1965 में स्थापित किया गया उसके बाद कोई आयोग नहीं बनाया गया । यद्यपि इसे दूसरे रूप में फिर से बनाया गया । अत: मेरा सुझाव है कि धान, मूंगफली, मिर्च आदि के अलग मूल्य का हिसाब लगाने और उनके लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने के के लिए एक मूल्य आयोग बनाया गाए।

दूसरी बात यह है कि गेहूं खरीदा जाता है और जनता को उचित दर पर बेचा जाता है । इसी प्रकार धान भी अधिक मूल्य पर खरीद कर कम दामों में जनता को बेचा जाए। अगर औद्योगिक उत्पादों को कीमत बढ़ती है तो कोई परवाह नहीं करता । अगर कपड़े का मूल्य 20 या 30 गुना भी बढ़ जाता है तो उसकी सरकार तक परवाह नहीं करती। पर अगर अनाज की कीमत बड़ती है तो वह उन्हें खलती है । लोग चाहेंगे कि उसकी कीमतें कम हों। फिर सीमा तक किसानों को लाभ पहुचाया जा सकता है इस पर सरकार विचार करे । अगर कीमत अधिक बढ़ जाए तो सरकार उसके लिए राज-सहायता दे ।

मैं कृषि मंत्री से सिंचाई साधनों के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करूंगा । हमारे पास काफी पानी है । उत्तर की नदियों में बारह मास पानी रहता है। नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में काफी झगड़े हैं। प्रत्येक राज्य अपने हित के लिए दूसरे राज्य से झगड़ा करता है । अन्ततः किसी को भी फायदा नहीं होता । सारा पानी समुद्र में चला जाता है । अत: अन्तर्राज्यीय जल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए या मंत्री जी इन विवादों को शीघ्र निपटाने का प्रयास करें।

गंगा और कावेरी को मिलाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना है । इसके लिए विश्व-बैंक सहायता देने को तैयार है और विशेषज्ञों की राय में यह व्यावहार्य भी है। इन दो नदियों

को मिलाने से किसानों को निश्चित ही फायदा होगा । इससे रोजगार संभवनाएं भी बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में इससे सभवनाएं भी बढ़ेगी । अत: इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि गंगा और कावेरी को मिलाया जा सकता है । आप पानी को दक्षिण की ओर ले जा सकते हैं जिससे वहाँ के लोगों को भी लाभ मिले । इससे न केवल दक्षिण अपितु उत्तर को भी काफी लाभ पहुंचेगा ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें ।

श्री सी० वेगुगोपाल गौडर : सारे देश में किसानों में असंतोष व्याप्त है । यदि किसानों की समस्या हल न की गई और अगर हमने खेती की ओर उचित ध्यान नहीं दिया तो हम अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन ही समझे जाएंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री भारत भूषण (नैनीताल) : सभापित महोदय, आज हम कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं । जिस वातावरण में हम आज रह रहे हैं, उसमें मैं इन मंत्रालय के मंत्रियों के भाग्य की सराहना करना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि सभी मंत्रालयों के अन्तर्गत आने वाली चीजों का अभाव है—देश में कोयला, बिजली और लोहा नहीं मिलता है, सब चीज़ों का अभाव है मगर कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले खाद्यान्नों की बहुतायत है । वे सब जगह मिते हैं, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है ।

लेकिन इसके लिए किसको धन्यवाद दिया जमाये, किसको बधाई दी जाये ? प्रकृति को, जिससे समय पर वर्षा हुई, या उस किसान को जो भूखा रह कर भी, अभाव में रह कर भी, ज़मीन को जोतता है ?

वह हड़ताल नहीं करता है, अन्न पैदा करता है और उस को उपज जो भी भाव मिले बेचना पड़ता है । इस के लिये मैं किस को धन्यबाद दूं—किसान को धन्यवाद दूं या प्रकृति को धन्यवाद दूं, लेकिन इस मंत्रालय को धन्यवाद नहीं दिया जा सकता है । किसान के द्वारा ज्यादा पैदा करने के बाद, देश में खाद्यान्नों की बहुतायत के बाद भी आज किसान की स्थति अच्छी नहीं है, लेकिन यदि आप कारखानों में देखें, वहां जब उत्पादन बढ़ता है, उन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है ।

मैनीफेस्टो की बात मैं इस लिये नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारे मंत्री जी का सम्बन्ध जनता पार्टी के मैनीफेस्टो से नहीं रहा है । लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं —किसान होने के नाते उन्होंने भी अपने किसानों से वायदा किया था कि किसान को बोआई के दिनों में मूल्य की घोषणा कर देगें । एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के तौर-तरीकों के बारे में अब तक चिल्ला रहे थे कि वह गलत है, उस को हम ठीक करेंगे—लेकिन क्या हो रहा है ? आज गेहूं कट रहा है—मंत्री जो यहां बैठे हैं, आज तक वे किसानों को उस की कीमत नहीं बता सके हैं कि वह क्या भाव बिकेगा । आज किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली तमाम चीजों का सही लागत निकालो जानी चाहिये और उस पर उस को उचित नफ़ा दिया जाना चाहिये, ताकि वह जीवित रह सके । लेकिन होता क्या है—शहरों में रहनेवाली 20 प्रतिशत आबादी की जेब को देखा जा रहा है, उस का बजट क्या एलाउ करता है, वह किस भाव पर खरीद सकता है—उस को दृष्टि में रख कर हिसाब लगाया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं—

यदि मजदूर को पैसा नहीं मिलेगा तो कारखाने का उत्पादन गिर जाएगा, वह हड़ताल करेगा, शहरों में रहनेवालों की बिल्डिंगों को तोड़ेगा, मंत्रियों के घरों पर धरना देगा, ला-एण्ड-आर्डर की स्थिति पैदा करेगा, ब्यूरोक्रेट्स आराम से नहीं बैठ सकेंगे, लेकिन बेचारा किसान क्या करेगा किसान यह सब कुछ नहीं कर सकता, इस लिये किसान के बारे में उन को कोई चिन्ता नहीं है । किसान खेती छोड़ कर हड़ताल नहीं कर सकता, वरना वह क्या खायेगा, वह प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति उस को तनख्वाह का एरियर नहीं दिला सकती । यदि उस ने हड़ताल कर दी और बोआई का मौसम निकल गया, तो वह खाने को कहां से लायेगा । इस लिये, सभापति महोदय, इस नौकरीशाही को, इस अफसरशाही को, पूरा अधिकार है कि उस का शोषण करे और हमारे मंत्री जो उन्हीं अधिकारिवर्ग द्वारा दी गई रिपोर्टों का समर्थन और हिमायत करते हैं ।

मुझे आश्चर्य हुआ--एक दिन में मंत्री जी से बात कर रहा था । उन्होंने कहा--मैंने भी बहुत हड़तालें की हैं, नारे लगाये हैं। इन सब बातों को मैं जानता हूं--क्योंकि हम लोग अपोजीशन में रह चुके हैं। इस लिये अब जब कि मैं मंत्री बना हूं तो हड़तालों और नारों से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता । हम ने भी मुर्दाबाद कहा था, हम ने भी धरने दिये थे, इस लिये अब यह हमारे दरवाजे पर भी हो जाय, तो इस से क्या अन्तर पड़ता है।

किसान की आज जो स्थिति है--अनेक वक्ता उस के बारे में बतला चुके हैं--आज पैदावार से लेकर उस के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली प्रत्येक वस्तु चाहे खेती में लगने वाली वस्तु हो या उसके शरीर पर लगनेवाली वस्तु हो--सब मंहगी होती जा रही है, लेकिन उस के द्वारा जो वस्तुएं पैदा होती हैं, वह यदि अधिक पैदा कर दे तो बाजार में बिखरी-बिखरी फिरती हैं, उन की कोई कीमत नहीं होती, कोई उन का खरीदार नहीं होता । आज आलू की यही हालत है, पिछले साल गन्ने की यही हालत थी । हमारे मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि आप को एक्सपोर्ट करने की छूट है । किसान को कहते हैं कि तुम एक्सपोर्ट कर दो । इस का यही मतलब हुआ कि कमरे के सारे दरवाजे बन्द कर दिये और ताली अपनी जेब में रख ली, फिर कहते हैं कि तुम पर कोई बन्धन नहीं है, तुम बाहर चले जाओ। विदेशों को माल तब तक नहीं भेजा जा सकता, जब तक सरकार दूसरी सरकार से बात कर के निर्यात का प्रबन्ध नहीं करती । किसान स्वयं बाहर नहीं ले जा सकता, वहां पर बिक्री की व्यवस्था नहीं है। कृषि मंत्रालय अगर किसान द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विपणण ठीक से नहीं करा सकता है, किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं दिया सकता है तो उसने किसान को बहबूदी की जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली हुई है उसका वह निर्वाह नहीं कर सकता है और बधाई का पात्र नहीं हो सकता है।

कृषि मंत्रालय के साथ सिंचाई जुड़ी हुई है । इस को कृषि मंत्रालय के साथ ही रहना चाहिये । यह सराहनीय चीज है कि सिचाई के मामले में पिछली सरकार के मुकाबले हमारी सरकार ने कम समय में अधिक सिंचाई की सुविधायें जुटाई हैं और आगे के लिए भी उसकी बड़ी भारी योजना है । किन्तु काम किस प्रकार होता है उसका एक उदाहरण में देना चाहता हूं । इस सदन के अन्दर पहली बार बोलते हुए भी मैंने इसकी चर्चा की थी । आज दो वर्ष बाद फिर से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं । मेरे क्षेत्र में 1974 में कि जिवरानी डैम बनाने के लिए उसका शिलान्यास कर दिया गया है, योजना आयोग से वह एप्रूव हो गया है । 62 करोड़ उस पर लागत आएगी । 1974, 1975 और 1976 निल गए । 1977 में

निर्वाचन आए । मैं निर्वाचित हो कर आया । तब इस डैम का कुछ पता नहीं था । एक करोड़ रुपया हर साल उसके लिए रखा जाता था जो उसके डिविजन पर खर्च होता था, व्यवस्था पर खर्च होता था । रिवर बैंड तक जाने के लिए सड़के बना देते थे, छोटी छोटी टैम्पोरेरी पुलियां बना देते थे और बाढ़ आती थी तो सब नष्ट हो जाता था, सब बह जाता था । अगले साल फिर बना देते थे । डिपार्टमैंट ठीक चल रहा है, जो उस में काम करते हैं उनकी नौकरी पक्की है लेकिन डैम क्यों नहीं निकल कर आ रहा, किसान को खेत के वास्ते पानी क्यों नहीं मिल रहा है, परेशानी क्या है, जब मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि डिजाइन अभी एप्रूव नहीं हुआ है, एक नया डिजाइन कोई अमरीका में बना है उस प्रकार का बनाया जाए तो 62 करोड़ खर्च आएगा और अगर अपने परम्परागत डिजाइन के मुताबिक बनाया जाए तो सत्तर करोड़ खर्च जाएगा । यह जो खर्चा है यह तब होने की बात थी । जो बड़े इंजीनियर थे वे कहते थे कि खतरा मोल लेना नहीं चाहिये, आठ करोड़ कम खर्च करके अगर बना दिया गया और कल को टूट गया तो क्या हो । भारतीय इंजीनियरों को या तो बुद्धि पर विश्वास नहीं या ईमानदारी पर विश्वास नहीं । ईमानदारी पर विश्वास कसे हो क्योंकि चोरियां हो रही हैं, बेईमानी हो रही है । इस का नतीजा यह हुआ कि आज चार साल तक डैम नहीं बना और बनना शुरू नहीं हुआ । फीडर चैनल्ज बन गई है, वैरेज का प्रबन्ध हो गया है लेकिन डैम कहीं नहीं है, चार साल हो गए हैं डिजाइन ही नहीं तैयार हुआ है । 62 करोड़ की जगह अब अस्सी करोड़ में भी नहीं बनेगा क्योंकि इस बीच कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है । कल को एक अरब खर्चा होगा। इस तरह से आप जो रुपया खर्च कर रहे हैं वह किसान तक पहुंचेगा, उसका लाभ उस तक पहुंचेगा इस का विश्वास नहीं होता है । यह कागजों में ही पड़ा रह जाएगा जैसे पिछले पांच साल से यह डैम पड़ा हुआ है। यही हाल सब जगह है ।

कृषि मंत्रालय के अन्दर एक खाद्य विभाग आता है । उस ने वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की कल्पना की थी । किसान को उसकी फसल मार्किट में आने पर जो परेशानी होती है, उसके दाम जो गिर जाते हैं, उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी जो नहीं होती है, अपने माल को रोके रखने की शक्ति नहीं होती है, उसको होल्डिंग कपेसेटी प्रदान करने के लिए बैंकों से वह जो माल इन गोडाउंज में रखेगा उसके अगैंस्ट कर्जा दिलाने के लिए वेयरहाउसिंग कार-पोरेशन की कल्पना की गई थी । इस तरह से जब भाव ठीक होंगे तब वह बेच देगा, इस वास्ते इन गोडाउंज की व्यवस्था की गई थी । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हाउसिंग कारपोरेशन ने पिछले चन्द वर्षों में कितने परसेंट माल एफ० सी० आई० का अपने गोदामों में रखा है और कितने परसेंट किसानों का रखा है । यह कारपोरेशन तो आपका कमाऊ पूत बन गया है और इसने चार करोड़ कमा कर भी आपको दे दिया है लेकिन इसने कितने प्रतिशत माल किसानों का रखा है अपने गोडाउंज में इसके आंकड़े तो आप जरा दे दें । एफ० सी० आई० के लाभ के लिए वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का क्या निर्माण हुआ था ? क्या किसान के लाभ के लिए नहीं हुआ था ? अगर किसान का गल्ला नहीं रखगे उसको अगर अग्रिम राशि नहीं दिलायेंगे और एफ० सी० आई० को दे कर उन से रुपया कमाया जाएगा और रईस इस तरह से बना जाएगा और चार करोड़ का लाभ दिखाया जाएगा तो क्यों नहीं इन गोडाउंज को एफ० सी० आई० को ही ट्रांस्फर कर दिया जाता है ? तब इस कारपोरेशन की जरूरत क्या है ? कोई जरूरत नहीं है । एफ० सी०

आई० ने एक करोड़ बीस लाख टन का व्यापार किया, उसके पास सत्तर हजार कर्मचारियों की फौज है, पच्चीस हजार मजदूर उस में काम करते हैं, इन मजदूरों का शोषण करने के लिए उन्होंने ठेकेदार खड़े कर रखे हैं और ठेकेदार और कर्मचारी मिल कर आप से अनुदान लेते चले जा रहे हैं। गत वर्ष 570 करोड़ का अनुदान आपने दिया था । क्या यह अनुदान उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए दिया था ? आप देखें कि उसके खरीद मूल्य और इशू मूल्य में 18 रूपये का अन्तर होता है यानी 180 रुपये टन का अन्तर होता है और उपभोक्ता के पास पहुंचते पहुंचते वह 250 रुपये प्रति टन हो जाता है । इतना डिफेस होने के बावजूद एफ० सी० आई० अपना खर्चा नहीं चला सकती है । उसने पिछले साल 456 करोड़ की मांग की थी जो बढ़ कर 570 करोड़ हो गया, यानी सवाया हो गया । क्या उसका व्यापार घटने वाला है कि इस साल 560 करोड़ की मांग की जा रही है ? बाद में चल कर इसको बढ़ाया जाएगा और मैं समझता हूं कि इसको सात सौ करोड़ कर दिया जाएगा । देश में एक करोड़ बीस लाख आपके अपने आंकड़ों के हिसाब से लोग बेरोजगार हैं। अब इनको अगर यह रुपया दिया जाए तो हर एक को साठ रुपये महीना दिया जा सकता है। यह विभाग कितना भ्रष्ट और इनएफिशेंट है यह आप जानते ही हैं। इसके द्वारा खरीदे गए चावल का नमूना आपके पास भी पहुंच चुका है । रायकोट गोदाम में यह गल्ला रखा हुआ है । इस में दस प्रतिशत भी चावल नहीं है । किसान छान छान कर एफ० सी० आई० को गल्ला देते हैं, गेहू ला कर देते हैं, तीन तीन छलनियां लगाई जाती हैं लेकिन जब वह कज्यूमर के पास आता है तो उसके अन्दर कूड़ा मिला होता है ? कूड़ा कौन मिलाता है ? आपके एफ० सी० आई० के कर्मचारी मिलाते हैं। आपका जो क्वालिटी इस्पैक्टर होता है उसका एक प्रशितत सवा प्रतिशत मिला रहता है और वह एक साल में इस तरह से चार पांच लाख रुपया कमा लेता है । आपकी तनख्वाह से कई गुना अधिक आय उसकी होती है । एक दो साल के बाद उसको अगर निकाल भी दिया जाता है तो उसको कोई परवाह नहीं होती है।

रुद्रपुर में जो इनक्वायरी हुई है मैं नहीं समझता हूं कि उस में किसी को कोई सज़ा होने वाली है । वहां लोग मिले हुए हैं। वे आप से अपनी बात का अनुमोदन करा लेते हैं। हमें आप से यह आशा थी कि कोई बात होगी आपके विभाग की तो मंत्री जी जज बनेंगे हमारी बात भी सुनेंगे और विभाग की बात भी सुनेंगे और जजमेंट देंगे । लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि मन्त्री महोदय भी वकालत करने लग गए हैं अपने विभाग की और अपने अधिकारियों की जज होने के बजाय । यह हमारी वदकिस्मती है । करप्शन का नमूना मैं दे ही चुका हूं । इसके अन्दर दस परसेंट भी चावल नहीं है । नव्वे परसेंट चावल निकाल लिया गया है और ठेकेदारों से कूड़ा मिलवा दिया गया है और गोडाउज में इस को लगवा दिया । इस सब बेईमानी को छिपाने के लिए करदाताओं से उन्हें सैंकड़ों करोड़ रुपया चाहिये ताकि ये जो माल खराब हो गया है, बरवाद हो गया है, डमेज्ड हो गया है इसको छिपा सके। आपने गांवों में फूड फार वर्क चलाई है । अंधे के साथ वटेर आ गया है । एफ० सी० आई० द्वारा सारा वह डैमेज्ड माल, खराब माल उस में भेज दिया गया है और बांट दिया गया है और सारे गोडाउज क्लीर किए जा रहे हैं। मैं चाहता हू कि एफ० सी० आई० को आप वाइड अप कर दें बाजार में माल वैसे ही काफी मिल रहा है और किसी को इस की जरूरत नहीं है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस मंत्रालय को एफीशियेंटली चलाना है, किसान के हित में चलाना है तो कागज पर स्कीम देकर नहीं, केवल कागजों में लिखकर नहीं बल्कि किसान को हित पहुंचाने की देखभाल करनी जाहिये । आप किसान और वर्कर के कस्टोडियन बनिय, भ्रष्ट अधिकारियों से नजात पाइये । 3 वर्ष से अधिक जहां अधिकारियों को हो गए हैं, उनका तबादला कीजिये ।

मैं समझता हूं कि फूड कार्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ी सूबी के साथ फूड कार्पोरेशन के अन्दर सड़े हुए गल्ले को फूड फार वर्क के लिये बाहर भेजकर फूड कर्पोरेशन को बचाया है । अब उनको विभाग का सचिव बनाया जा रहा है । क्योंकि उन्होंने मंत्रियों को खुश किया है, डिपार्टमेंट को ठीक चलाया है और आपके फूड फार वर्क के काम को खूबी से अच्छा सेहरा पहना दिया है।

जो आपके द्वारा हो रहा है, इसके लिये तो आपको बधाई है, फिर भी मैं मजबूर हूं, इस संसद् में आपका साथी हूं इसलिये आपके अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और इस प्रार्थना के साथ बजट में जो प्रावीजन दिये गये हैं वह कागज में न रखकर जमीन पर ले आइये और व्यावहारिक रूप में चलाइये ताकि देश की जनता खुशहाल हो सके।

श्री बी० के० नायर (मावेलिकरा) : वर्ष 1975-76 के मुकाबले पिछले वर्ष 45 लाख टन अधिक अनाज का उत्पादन करने के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं । पर यह सब पिछली सरकार के पिछले 30 वर्षों के परिश्रम का फल है। यदि श्री बरनाला जी पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो वह पाएंगे कि 1950-51 में 550 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ था जो बढ़ कर 1973-74 में 1040 लाख टन, 1974-75 में 1000 लाख टन और 1975-76 में 1210 लाख टन तक पहुंच गया । 1210 लाख टन के मुकाबले आज 45 लाख टन की वृद्धि हुई है । निश्चित ही इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए । पर साथ ही मैं इस मंच पर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह हम पर कृपा करें और आगे भी इसी प्रकार की वर्षा होती रहे । पिछले दो वर्षों में बहुत ही प्रतिकूल मौसम रहा है । यह जनता और सरकार का सौभाग्य है । वस्तुतः अधिक उत्पादन का यही एक प्रमुख कारण रहा है।

बिक्री की बात वाजिव है पर हम इसमें सुस्ती नहीं बरत सकते । हमें भविष्य के बारे में योजना बनानी है । पिछले 30 वर्षों में हमें 100 प्रतिशत अधिक अनाज का उत्पादन करने में सफलता मिली है । हमें अगले 20 सालों में और 100 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य सामने रखना चाहिए क्योंकि इस शताब्दी के अन्त तक हमारी आबादी सौ करोड़ से कम नहीं होगी । हमारी अनाज की जरूरत लगभग 2300 लाख टन से भी ऊपर की होगी । इस स्थिति का सामना करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। क्या हम केवल एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहें कि हमने 20 लाख या 30 लाख टन का अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया है । हमें अगले 20 वर्षों के लिए उच्चतम दर पर योजना तैयार करनी है। मैं नहीं समझता कि बजट में इस तथ्य को समुचित रूप से ध्यान में रखा गया है । इस समस्या की गम्भीरता पर विचार करने से ही हमें मालूम होगा इतनी अधिक आबादी के लिए अनाज उपलब्ध करने में क्या-क्या कठिनाइयां आ सकती हैं ।

बाधाएं अनेक हैं । इस देश के किसान आज अपने को बिल्कुल प्रथक महसूस कर रहे हैं और अनाथ समझ रहे हैं। वे समझते हैं कि सरकार उनके खिलाफ है, सारा समाज उनके

विरुद्ध है, सभ्यता उनके खिलाफ है और वे देश के गुलामवर्ग हैं। वस्तुतः देश की 20 प्रतिशत जनता किसानों पर हुक्म चला रही है। ये किसान उपभोक्ताओं, शहरियों, नगरवासियों, नौकर शाहों, अधिकारियों मध्य वर्ग के लोगों और व्यापारियों की दया पर निर्भर हैं। ये सभी लोग उसके सिर पर बैठे हैं और उसको गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। यहां तक कि उसे उसका अपना पैसा भी नहीं मिलता। वह एक गुलाम की तरह काम कर रहा है। शहर के प्रत्येक व्यक्ति के पास गांव के चार व्यक्ति गुलाम हैं। वह अपनी ऐशो आराम की सारी वस्तुएं चार किसानों की कीमत पर जुटा रहा है। इस प्रकार यह व्यवस्था काम कर रही है। इसका समाधान क्या है ? यह सभा में कहा गया है और मैं भी कहता हूं कि समाधान किसान स्वयं निकालेंगे। किसान संगठन बनाने होंगे। माउत्सेतुंग ने एक बार कहा था कि गांव वालों को शहरों का घेराव करना चाहिए। उसने गैर उद्योगीकृत देशों से उद्योगीकृत देशों का घेराव करने की बात भी की है। इसी प्रकार सिसानों को शहरों का घेराव करनाहोगा और अपनी बात मनवानी होगी। इस समय उनकी उपज उपभोक्ता और व्यापारियों की दया पर निर्भर है। समय व्यवस्था ही बदलनी होगी। निश्चय ही इसमें समय लगेगा। पर काम आरम्भ हो जाना चाहिए। अन्ततः ऐसा समझ आएगा जब वास्तविक उत्पादक अपनी बात मनवाने में समर्थ होगा तथा कृत्रिम जीवन और दिखावे का जीवन भोगने वाले शहरियों की निर्यात का नियमन करेगा।

मूल्य निर्धारण के वास्ते कृषि मूल्य आयोग बनाया गया है। मैं नहीं जानता वह किन प्रतिमानों का अनुसरण करता है। वह सारे देश के लिए एक समान मूल्य निश्चित करने का दावा करता है। किन्तु उत्पादन में जो श्रम और आदान अन्तर्ग्रस्त हैं उससे उनका समान मूल्य निर्धारित करने का दावा सिद्ध नहीं होता। 1975-76 में विभिन्न राज्यों में प्रति हेक्टेयर धान की उपज इस प्रकार थी : आन्ध्र प्रदेश 2,485 कि० ग्रा०, तमिलनाडु 3,225 कि० ग्रा०, पंजाब 3,867 कि० पा० और बिहार 1382 कि० ग्राम केरल में यह उपज 1,200 कि० ग्रा० से अधिक नहीं होगी। तो समस्त देश के लिए एक समान मूल्य नीति लागू करने के पीछे कौनसा सिद्धान्त है ? उत्पादन लागत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है उदाहरणर्थ केरल में मजदूरी सबसे अधिक है। वहां खेती में काम करने के लिए पुरुष को 10 रु० और स्त्री को 7 रु० प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। इस आधार पर आप सारे देश के लिए समान मूल्य कैसे निश्चित कर सकते हैं। उपज और उर्वरकता के बारे में समानता नहीं लाई जा सकती। इसका समाधान भी नहीं है। इसके लिए मैं अधिक लागत वाले क्षेत्रों में राजसहायता देने का सुझाव दूंगा केरल में बिजली की दर बहुत ऊंची हैं उसके लिए राजसहायता दी जा सकती है। उर्वरक उचित मूल्यों पर सप्लाई किया जा सकता है। इन बातों पर अमल किए बिना हम देश में समान मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री बी० के० नायर : मैं केरल के बारे में कतिपय बातों पर जोर देना चाहूंगा। प्रतिवेदन में कूटानद की कठिनाइयों का जिक्र है। वहां उत्पादन लागत काफी ऊंची है। श्री बरनाला कोई और फसल उगाने का सुझाव देते हैं। दूसरी फसल उगाने के लिए भी भूमि को सुधारना पड़ेगा और धन की आवश्यकता होगी। क्या आप कुछ राजसहायता प्रदान करेंगे लोग कुछ क्षेत्र में दूसरी फसलें बोने के लिए तैयार हैं। ऐसी भूमि लगभग 60,000 से

65,000 हैक्टेयर तक होगी । कुछ लोगों को धान की खेती करनी होगी क्योंकि केरल सरकार इसके लिए आग्रह कर रही है । केरल में कई वर्षों से धान की कमी रही है और वह केन्द्र द्वारा की जाने वाली सप्लाई पर निर्भर नहीं रह सकते । वस्तुतः अब स्थिति में कुछ सुधार हुआ है । केन्द्र सरकार को केरल सरकार को भूमि उपयोग अधिनियम को समाप्त करने का अनुरोध करना पड़ेगा । किसानों के लिए यह एक बाधा है इस अधिनियम को समाप्त किए जाने पर किसान अपनी मर्जी से फसल बो सकेंगे । उन्हें अच्छा प्रतिफल मिलेगा और देश को भी लाभ होगा ।

मंत्री जी मतस्यकी के भी प्रभारी हैं । हमारे तटीय क्षेत्र में लगभग 60 लाख मछुए काम करते हैं । हम उनके लिए क्या कर रहे हैं ? क्या सरकार ने उनकी दशा पर कभी गम्भीरता से विचार किया है । इनमें से कई मानसून के मौसम में समुद्र में जाते हैं और दुर्घटना के शिकार होते हैं । बड़े बड़े तूफान वहां आते हैं । उन्हें कुछ मुआवजा देने या उनका बीमा करने की बात कभी सरकार ने सोची है ? केरल में प्रथा है कि मंत्री मृतक मछुए के के घर जाता है और उसकी पत्नी को 500 रु० देता है । फोटो लिए जाते हैं । खूब प्रदर्शन होता है और अध्याय समाप्त हो जाता है । मछुओं की सहायतार्थ हमें एक वृहत योजना बनानी चाहिए । मेरा सुझाव है कि हम मछली के निर्यात से जो 180 करोड़ रुपया कमाते हैं उस पर 1 या 2 प्रतिशत उपकर लगाया जाए । इससे आप को आसानी से 2 करोड़ रु० मिल जाएंगे और इस निधि से आप मछुओं के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं । उसमें कुछ अनुदान सरकार की ओर से भी किया जा सकता है । इससे मछुवा परिवारों की दुख के समय, दुर्घटना के समय और जब वे बेरोजगार होते हैं तब सहायता की जा सकती है । काम के बदले अनाज योजना केरल में सफल नहीं रही है । आप आधे चावल और आधा गेहूं देते हैं । केरल में खेतिहर मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है उसकी तुलना में यह अनाज बहुत कम बैठता है । उन्हें 10 रु० रोज मिलते हैं और आप 2½ कि० ग्रा० अनाज देते हैं । दिन के काम के बदले और अधिक चावल दिया जाना चाहिए और कुछ नकद भुगतान किया जाना चाहिए । चीनी मिलों के राष्ट्रीकरण पर बहस के दौरान मैंने सुझाव दिया था कि मजदूरी के बदले कुछ चीनी उन्हें दी जाए । जब आप अनाज दे रहे हैं तो थोड़ी चीनी भी क्यों न दी जाए । मजदूरी के एक भाग के रूप में उन्हें 1/2 कि० ग्रा० चीनी दी जानी चाहिए ।

केरल को दिए जा रहे अनाज के बारे में भी कई शिकायतें हैं । वहां अच्छे और उत्तम किस्म का चावल भेजा जाता है जो बिकता ही नहीं । यह अनाज गरीबों के लिए है और वह 1.87 रु० या 2 रु० के हिसाब से चावल नहीं खरीद सकते । यह चावल ऐसे ही पड़ा रहता है । थोक व्यापारी इसे डिपुओं से लाते हैं पर बेच नहीं पाते । लोग केवल मोटा या मध्यम दर्जे का चावल मांगते हैं । यदि इसकी व्यवस्था की जा सके तो उनकी जरूरत काफी हद तक पूरी हो सकती है ।

केरल में अच्छे किस्म का चावल बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ है । उसे खुले बाजार या सुपरबाजार के मध्यम से बचा जाना चाहिए ताकि पैसे वाले लोग उसे खरीद लें ।

महोदय, केरल के लोग पंजाब का उबला हुआ चावल खाने के आदी नहीं हैं । इस प्रकार का काफी मात्रा में चावल वहां अन्न विका पड़ा हुआ है । इसे पकने में 2 या

घण्टे लगते हैं मेरा सुझाव है कि यह सारा का सारा चावल वापस ले लिया जाना चाहिए।

केरल सरकार ने हाल ही में भूमि सुधार कानून में संसोधन किया है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम हमेशा यह दावा करते आए हैं कि केरल पहला राज्य है जिसने भूमि सुधार का काम किया है और आदर्श कृषि कार्य स्थापित किए हैं।

किन्तु वे इसमें संशोधन करने के लिए बाध्य हुए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप फालतू जमीन का 9 प्रतिशत जमीन के मालिकों द्वारा दान स्वरूप भूमि के नाम पर रखी जानी है और दानस्वरूप भूमि को भूमि सुधार अधिनियम के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। यह बहुत ही प्रतिगामी उपाय है और भारत सरकार को इस विधेयक को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए विशेषरूप से इस कारण से नहीं देनी चाहिए कि यह भूमि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को दी जानी चाहिए।

धन्यवाद।

समापति महोदय : श्री आर० पी० दास।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : सभापित महोदय, चर्चा में भाग लेते हुए....

****(श्री धीरेन्द्र नाथ वसु पीठासीन हुए)**

श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन (तिंडिवनम्)। महोदय, अनुवाद नहीं है।

श्री रेणुपद दास : अनुवाद हो रहा है।

सभापति महोदय : अनुवाद है। श्रीदास आप बोलते रहिए।

श्री रेणुपद दास : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए कई माननीय मित्रों ने अपने चिार पहले ही व्यक्त किये हैं। मैं जो कुछ कहूंगा वह कुछ थोड़ा इनसे भिन्न होगा। महोदय, गत दो वर्षों में हमारे लिए मौसम बहुत अच्छा रहा है। अच्छी बारिश हुई है और इस कारण और लाखों खेतिहरों के कारण देश में अनाज और अन्य फसलों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। निस्संदेह यह ऐसी बात है जिसके लिए सरकार को बधाई दी जानी चाहिए और सरकार के साथ-साथ मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं जो खेती में लगे हुए हैं तथा अच्छा मौसम भी जिससे यह रिकार्ड उत्पादन सम्भव हो सका है। किन्तु इस रिकार्ड डत्पादन से कुछ कठिनाइयां भी उपस्थित हुई हैं और मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा। अच्छे उत्पादन से जो सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई है वह है अनाज तथा अन्य नकदी का फलों की कीमतों में गिरावट आना। कृषकों की आज मुख्य समस्या यह है कि वे कैसे अपने उत्पाद की लाभप्रद मूल्यों पर बेचे। यह विरोधाभास लग सकता है किन्तु यह सत्य है कि यद्यपि इतनी अच्छी फसल हुई है किन्तु जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग को इसका समान लाभ नहीं मिला है। महोदय, आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि 30 करोड़ से अधिक आबादी के पास क्रय शान्ति नहीं है। क्रय शक्ति की यह कमी एक ऐसी बात है जिसे गम्भीरता से नोट किया जाना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि जब गन्ने का उत्पादन बढ़ा तो चीनी का मूल्य गिरकर 2.10 रुपये से 2.15 रुपये तक रह गया किन्तु चीनी को खपत 37 लाख टन से बढ कर 45 लाख टन हो गयी अर्थात केवल 8 लाख टन की ही वृद्धि हुई है। इससे यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि जबतक लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई नहीं जाती है, आबादी के गरीब वर्ग की अच्छे उत्पादन से कोई सहायता नहीं होगी तथा दूसरी ओर इससे

**बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

पूंजीपत्तितयों और कुछ गिने चुने लोगों को जिनका व्यापार पर नियंत्रण है, लाभ होगा। अतः मैं कहूंगा कि यदि सरकार, जो किसानों और समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के अपने वचन पर दृढ़ है, अपने वायदे को वास्तव में पूरा कर सकती है और समस्या का समाधान हो सकता है अन्यथा अधिक उत्पादन एक खतरे की घंटी होगी जो देश में विशेष रूप से कृषि में भयंकर स्थिति पैदा करेगी।

(श्री एम० सत्यनारायण राव पी० सी० पीठासीन हुए)

चंकि एक ओर अधिकांश ग्रामीण जनता क्रय शक्ति की कमी से पीड़ित है दूसरी ओर भूमिहीनों में भूमि का कोई वास्तविक पुनर्वितरण नहीं हुआ है। हमारे देश में आज भी केन्द्रीय सरकार और राज्यों द्वारा विभिन्न कानूनों के पास किये जाने के बावजूद भी पट्टेदारी प्रथा अर्ध-सामंतवादी और पूंजीवादी स्वरूप में बनी हुई है। कृषि जन गणना के आंकड़ों के अनुसार 15 प्रतिशत भूमि मालिकों के पास 60 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है तथा 5 प्रतिशत भूमि-मालिकों के पास 37 प्रतिशत कृषियोग्य भूमि है और 4 प्रतिशत सबसे बड़े भूमि मालिकों के पास 31 प्रतिशत खेतीयोग्य भूमि है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि भूमि के स्वामित्व के मामले में किस प्रकार धनी लोगों का गरीब वर्गों के ऊपर अधिपत्य है और किस प्रकार भूमि में वास्तविक रूप से खेती करने वाला बहुत ही बुरे शोषण की अवस्था में है। इस घटना का स्वाभाविक परिणाम कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों का तेजी से घुसना है जो पंजाब, आन्ध्र, दक्षिण के तटवर्ती क्षेत्रों और महाराष्ट्र,, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ खण्डों और तालूकों में स्पष्ट दिखाई देता है। मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि पूंजीपतियों का इस क्षेत्र में आने का विशेष कारण सिंचाई सुविधाएं, और अच्छे प्रौद्योगिकी उपकरण तथा जानकारी, भारी मात्रा में पूंजी निवेश और कुछ लोगों के पास भूमि का अधिक मात्रा में होना है। यद्यपि अभी पूंजीपतियों का कृषि पर पूरा अधिपत्य नहीं हुआ है किन्तु अर्ध-सामन्तवादी पूंजीवाद कृषि क्षेत्र में स्पष्टरूप से दिखाई देना है। पूंजीपतियों के इस प्रवेश का क्या परिणाम हुआ है? परिणाम स्पष्टतः यह है कि ये थोड़े से लोग, अच्छे कृषि उत्पादन का लाभ उठा रहे हैं जो वास्तविक खेती करने वालों को मिलना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप गरीब कृषक, सीमान्त किसान, भूमिहीन, श्रमिक, बटाईदार और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का लगातार शोषण हो रहा है। धनी और धनी होता जा रहा है और निर्धन और निर्धन होता जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। कि अधिकांश कृषक और ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति तेजी से घट रही है। उनकी हालत इतनी दयनीय है कि पूरे वर्ष उनको केवल 130/140 दिन ही पूरा भोजन मिल पाता है। पूरे वर्ष उनके पास कोई काम नहीं होत है और उनको मजदूरी बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है। इन सब के कारण आम आदमी की क्रय-शक्ति पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। जिसके पास न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा है और जिसको अपने शहरी भाइयों की तरह जीवनोपयोगी वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार के लोगों की आबादी 30 से 35 करोड़ से कम नहीं है। जब उत्पादन बहुता है और लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं होती तो पूंजीपतियों की आमतौर से मांग होती है कि अधिशेष अनाज का निर्यात किया जाये या सरकार सारे अधिशेष अनाज को खरीद ले। हम जानते हैं कि भारतीय खाद्य निगम अधिशेष अनाज खरीद रहा है और उन्होंने प्रतिरोधक स्टाक बनाया है। किन्तु जो भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण को जानता है उसे अच्छी तरह से मालूम है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा एककीकरण और

भण्डारण की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा अनाज बर्बाद होता है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि लोग तथा श्रमिक वर्ग ऐसी विरोधाभास की स्थिति बरदास्त नहीं करेंगे जहाँ बहुतायत के होते हुए काफी बर्बादी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप लोग भूखों मर रहे हैं जब तक सरकार सारी स्थिति में शीघ्र कोई परिवर्तन नहीं करती तो इसके भयानक परिणाम होंगे।

सभापति महोदय, इस वर्ष फरवरी के अन्त में तथा मार्च के शुरू में आन्ध्र किसान सभा के नेतृत्व में 75,000 किसानों ने एक आन्दोलन चलाया है। यह आन्दोलन 9 जिलों में तेजी से फैल गया है जिनमें नेलूर, वारंगल, कृष्णा और पश्चिम गोदावरी जिले तथा अन्य स्थान शामिल हैं। आन्दोलनकारियों ने 8,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और उन्होंने इसे 20,000 किसानों में बाँट दिया है। इस आन्दोलन की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि इसमें 50 प्रतिशत से अधिक आन्दोलनकारी स्त्रियां थीं। इस संघर्ष में दो किसनों को गोली से मारा गया। आन्ध्र विधान सभा में मामला उठाया गया और मंत्री महोदय ने सभा को आश्वासन दिया कि गैर-कानूनी तौर पर कब्जा की गई भूमि को वापस किया जायेगा। और इसकी जांच के आदेश दिये गये हैं। मैं इस शानदार संघर्ष का उल्लेख केवल यह सुझाव देने के लिए कर रहा हूं कि उपर्युक्त घटना वह खतरे की घंटी है जो राष्ट्र को यह कहती है कि जबतक भूमि का उचित वितरण नहीं होता और जब किसानों को उनकी उपज का लाभ-प्रद मूल्य नहीं दिया जाता है तथा जबतक उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है शोसित लोग हमेशा के लिए शोषण बरदास्त नहीं करेंगे। वे संगठित होंगे और देश भर में उन लोगों से जमीन लेने के लिए विद्रोह करेंगे जिनके पास यह जमीन आन्ध्र की तरह गैर कानूनी तौर पर है और वे सरकार को अपनी कृषि नीति को बदलने के लिए बाध्य करेंगे। स्थिति के विस्फोटक रूप धारण करने से पहले देश के सभी राजनीतिक दलों का यह राजनीतिक और नैतिक दायित्व है वह आज देश भर में व्याप्त भूमि हीनों और गरीब किसानों के वर्तमान शोषण को समाप्त करने में अपनी शक्ति लगायें।

मैं एक और महत्वपूर्ण मामले के बारे में कहूंगा। यह है सिंचाई। जब हम सभा में सिंचाई के बारे में कहते हैं तो ऐसी भावना बनाई जाती है कि सिंचाई एक नई बात है जिसका केवल 32 से 35 वर्ष पुराना इतिहास है। किन्तु हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। विश्व के सभी नागरिकों की व्यापक सिंचाई व्यवस्था थी किन्तु समय के गुजरने के साथ-साथ तथा उपेक्षा के कारण ये व्यवस्थाएं नष्ट हो गई और उनके स्थान पर आधुनिक तकनीक आ गई। इस सम्बन्ध में दुखद बात यह है कि यद्यपि हमने पुरानी व्यवस्था को छोड़ दिया किन्तु हम सिंचाई के आधुनिक तकनीकों को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं कर पाए। इसके परिणामस्वरूप हम आज भी अपने देश में देखते हैं कि केवल 25 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है और शेष 75 प्रतिशत भूमि सिंचाई रहित है। गत 20 वर्षों में 146 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से केवल 20 क्रियान्वित हो सकी और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना उनमें से एक है। जहां तक मझौली सिंचाई परियोजनाओं का सम्बन्ध है 756 परियोजनाओं में से केवल 447 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। जहां तक दामोदर घाटी निगम का सम्बन्ध है, यह प्रभाव था कि 7 बांध बनाएं जाएंगे किन्तु यह नहीं हुआ। इन सात बांधों में से केवल 4 बने और 3 अभी भी बाकी हैं। इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष आसपास के क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण

पानी के भारी बहाव के कारण ऐसा भारी दबाव हुआ कि फालतू पानी जिसे प्रस्तावित 3 बांध बनाकर रोका जा सकता था अपने तटों को तोड़कर बहा और गांवों, सड़कों, रेलवाहनों को नष्ट कर वहां के निवासियों को अवर्णनीय कठिनाइयों में डाल दिया। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसी घटनाएं होती हैं जबकि हम जानते हैं कि इन्हें टाला जा सकता है। बाढ़ को दुर्घटना नहीं कहा जा सकता है और यह बिल्कुल सम्भव है कि इन्हीं परिस्थितियों में ऐसी ही विनाशकारी बाढ़ इस राज्य में आ सकती है और उपचारात्मक उपाय के रूप में सरकार से आग्रह करूंगा कि इन तीन बांधों का अविलम्ब निर्माण किया जाए। पहाड़ों पर वन लगाए जाएं और मुख्य नदियों की सहायक धाराएं बनाई जायें ताकि आवश्यकता पड़ने पर फालतू पानी को निकाला जा सके। पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्र सरकार को इन आवश्यकताओं के बारे में बार-बार सुझाव देती रही है किन्तु प्राधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते प्रतीत होते हैं अथवा इन उपायों को कोई महत्व नहीं देते और इसका परिणाम यह हुआ है कि गत वर्ष सैकड़ों और लाखों लोगों को कठिनाइयां उठानी पड़ीं और कितने ही और लोगों को भविष्य में उठानी पड़ेंगी।

मैं गंगा बेसिन जल साधन संगठन के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। इस संगठन का परिमण्डल कार्यालय संख्या 2 वाराणसी में स्थित है जिसका वहां ज्यादा औचित्य नहीं है और इसके परिणामस्वरूप कार्य में काफी असुविधा हो रही है। इस कार्यालय को भारत द्वारा बंगलादेश के साथ फरक्का जल के बारे में किये गये करार की जांच करनी है परिमंडल कार्यालय के अधिकारियों को बार-बार फरक्का और कलकत्ता आना पड़ता है और वहां अपने सहकार्मियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कार्य को देखना होता है। उन्हें फालतू पुर्जों की खरीद के लिए कलकत्ता दौड़ना पड़ता है, जलविज्ञान प्रेक्षणों के बारे में कलकत्ता बन्दरगाह के अधिकारियों के साथ चर्चा करनी होती है, तीस्ता जल से उत्पन्न विवादों पर कार्य-वाही करनी होती है और बाढ़ की पूर्व सूचना देने के प्रयोजन के लिए भी कलकत्ता में उनकी उपस्थिति बहुत ही सहायक होगी। इन सब कारणों से यह बहुत ही आवश्यक है कि परिमण्डल कार्यालय को वाराणसी से कलकत्ता स्थानांतरित किया जाये। और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस मामले में तत्काल कदम उठाये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे अभी दण्डकारण्य से सूचना मिली है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किया गया आटा बहुत ही खराब किस्म का है और मैं सभा पटल पर इसका एक नमूना रख रहा हूं और आग्रह करता हूं कि इस संबंध में भी कुछ किया जाना चाहिये।

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया (जम्मू) : सभापति महोदय, कृषि और सिंचाई मंत्रालय की मांगों पर मुझे जो बोलने का अवसर दिया गया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, कृषि देश का मुख्य उद्योग है। मैं माननीय मंत्री तथा किसानों को बधाई देता हूं जिन्होंने गेहूं, चावल और ज्वार इतनी अधिक मात्रा में पैदा किया है कि पिछले सारे रिकार्डों से भी अधिक ज्यादा उत्पादन हुआ है। किन्तु साथ ही मुझे इस बात का खेद है कि चीनी का उत्पादन गिरा है। यही स्थिति आलू की है जिनके लिए बिक्री का अच्छा बाजार नहीं है तथा भंडार बनाने आदि की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं किन्तु दूसरे सदस्यों ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

चीनी और आलू के सम्बन्ध में एक नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। सब के लिए एक सामान्य कृषि नीति होनी चाहिए ताकि उत्पादकों को विपणन, मूल्य आदि के बारे में कठिनाई न हो। देश की यह मांग है कि जैसे चावल, गेहूं, ज्वार आदि के मामले में सफल नीति रही है उसी तरह हमारी सभी चीजों के बारे में सफल नीति होनी चाहिए और तिलहन, रूई और दालों की वर्तमान कमी को दूर किया जाना चाहिए। तेल आदि के आयात पर भारी व्यय हो रहा है और इनमें आत्मनिर्भर बन कर व्यय में बचत की जा सकती है। हमारे किसान भ्रम में रहे हैं। कभी उन से गेहूं पैदा करने के लिए कहा जाता है किन्तु जब चीनी की कमी होती है तो उन्हें इस सम्बन्ध में बिना किसी निश्चित नीति के गन्ने का उत्पादन करने के लिए कहा जाता है। अतः आवश्यकता यह है कि मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों का इन मामलों में भी मार्ग दर्शन कर सहायता की जाये। देश में अबाधगति से वनों को नष्ट किया जा रहा है जिससे उन स्थानों में जहां नदियां बहती हैं बाढ़ आती है और मिट्टी का कटाव हो रहा है। यह रोका जाना चाहिए। देश में कृषि उत्पादन के लिए एक आधारभूत ढांचा बनाने के लिए भूमि को कृषि योग्य बनाने और भूमि संरक्षण का एक आवश्यक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं जम्मू और काश्मीर राज्य का विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र का उल्लेख करूंगा जहां चार नदियां, चेनाब, तावी, रावी और बसंतर बहती हैं। वनों के नष्ट होने के कारण ये नदियां इस क्षेत्र में आस-पास के गांवों में भूमि का कटाव करती हैं। यदि इन नदियों को उनके ऊपर बांध बना कर नियंत्रित किया जाये तो मैं समझता हूं कि सैकड़ों एकड़ भूमि पर खेती की जा सकती है और कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कृषि के उत्पादन में वृद्धि का अर्थ देश में अधिक प्रगति है अतः सरकार को इन समस्याओं पर विचार करना चाहिए ताकि देश में अधिकाधिक कृषि उत्पादन हो।

अब मैं आधुनिक गांव के बारे में कहना चाहता हूं। यदि हमारे देश को आगे बढ़ना है और प्रगति करना है तो हमें अपने गांवों को आधुनिक बनाना चाहिए। जैसी स्थिति इस समय है, जिस भी क्षेत्र में देश आगे बढ़ता है गांवों को उसका लाभ नहीं मिलता है और गांवों का रहन सहन का वही पुराना तरीका रहा है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गांव और खण्ड विकास कार्य ग्राम पंचायतों अथवा खण्ड विकास अधिकारियों को सौंपा जाये।

एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे अपने कस्बे में अर्थात् क.....में जो समुद्र तक से 1025 फीट की ऊंचाई पर है मोरचिला, जिसे गुच्छो कहते हैं, बनाई जाती है। आमतौर से यह पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई में पैदा की जाती है किन्तु अब प्रयोग से मालूम हुआ है कि यह समुद्र तल से 1020 फीट की ऊंचाई पर भी पैदा हो सकती है। यह बहुत अच्छी वाणिज्यिक फसल है और यह बड़ी मात्रा में विशेष रूप से इस प्रयोग के सफल हो जाने पर पैदा किया जा सकता है। किन्तु यह कहते हुए खेद होता है कि इस दिशा में सम्बद्ध मंत्रालय ने कुछ नहीं किया है और इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अब, हाल ही में कलकत्ता स्थित जूट प्रोद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला ने रूई और जूट से उत्पादित कृषि अपशिष्ट के वाणिज्यिक उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास करने में सफलता हुआ है। इन अपशिष्ट पदार्थों से हमें रेशे जैसी वस्तुएं मिलती हैं। यदि इन अपशिष्ट पदार्थों का उचित उपयोग किया जाये तो समझता हूं कि इससे किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।

इस प्रकार उन्हें लाभ दिलाया जा सकता है। अब यह भी मालूम हुआ है कि यह रेशे जैसा पदार्थ अनन्नास और केले से भी मिलता है। मंत्री महोदय को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए ताकि हार्डबोर्ड, गत्ता, क्राफ्ट कागज आदि वस्तुएं इन अपशिष्ट पदार्थों से बनाई जा सकें और यह किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय होगी। मुझे आशा है कि इस पर विशेष ध्यान देंगे और इसी बजट में इसके लिए व्यवस्था करेंगे। यदि मंत्री महोदय को इन बातों की जानकारी नहीं है तो यह उचित समय है कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस बात पर स्पष्ट वक्तव्य दें।

भारतीय खाद्य निगम के बारे में बहुत कहा जा चुका है। मैं इसे भारतीय खाद्य भ्रष्टाचार नाम ही दूंगा। श्री भारत भूषण ने पहले ही इस संगठन के पुनर्गठन के बारे में मांग की है। यदि इस संगठन को बन्द किया जाता है तो इससे किसानों को तथा राष्ट्र को करोड़ों रुपये का लाभ होगा जिसका इस समय अपव्यय हो रहा है। भारतीय खाद्य निगम में लगभग 25,000 मजदूर हैं और इन गरीब लोगों का ठेकेदारों तथा बिचौलियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। ठेकेदारों और बिचौलियों को लाभ हो रहा है। प्रत्येक वर्ष इस संगठन के कारण 5 करोड़ रुपये से अधिक का अपव्यय होता है। कौन कमा रहे हैं ? केवल भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी कमा रहे हैं जिसके वे अन्यथा हकदार नहीं हैं। इसका राष्ट्र के लिए अन्य रूप से उपयोग किया जा सकता है। मुझे आशा है कि इसके कार्यभारी मंत्री महोदय इस दिशा शीघ्र कदम उठायेंगे और श्रमिक ठेका पद्धति समाप्त की जायेगी तथा सम्बद्ध मजदूरों को सर्वाधिक काम दिया जायेगा।

पिछले दिन कृषि मंत्री ने भारतीय खाद्य निगम के मजदूर संघ की 31 मार्च, 1979 को हुई बैठक में भाग लिया। उन्होंने अपनी शिकायतें पेश की और अन्य मांगों में श्रमिक ठेका प्रणाली को समाप्त करने, स्टोर एजेन्सी प्रणाली को समाप्त करने, भारतीय खाद्य निगम के सीधे अदायगी मजदूरों के साथ भेद-भाव पूर्ण व्यवहार को समाप्त करने, समान काम के लिए समान वेतन देने, खाद्यान्न के उठाने-धरने सम्बन्धी काम के लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति ढूंढ़ निकालने, श्रमिक कल्याण योजना को लागू करने, प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी, आदि की भी मांगें थीं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय भारतीय खाद्य निगम की वास्तविक मांगों पर बहुत सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे जो इतने लम्बे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इन मजदूरों को विभिन्न डिपुओं पर कठिनाई हो रही है। मंत्री महोदय ने कुछ समय पहले कहा था कि भारतीय खाद्य निगम में काम करने वाले मजदूरों पर प्रत्यक्ष अदायगी पद्धति लागू की जायेगी। मुझे विश्वास है कि भारतीय खाद्य निगम में मजदूरों को दिये गये इस आश्वासन के अनुसार इसे शीघ्रतिशीघ्र क्रियान्वित करेंगे और अपने वचन को पूरा करेंगे। प्रत्यक्ष ठेका मजदूर पद्धति समाप्त होनी चाहिए और मजदूरों को प्रत्यक्ष अदायगी पद्धति जिससे मजदूरों और दूसरों को लाभ होगा तत्काल लागू किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे।

श्री दाजीबा देसाई (कोल्हापुरे) : सभापति महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है और किसानों और कृषकों के कल्याण कार्य करने की अपील की है। पिछले वर्ष भी माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा था किंतु सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। पिछले वर्ष माननीय कृषि मंत्री ने इस सदन में घोषणा की थी कि वह कृषि मूल्य

आयोग के विचारार्थ विषयों पर तथा उसके कर्मचारियों के सम्बन्ध में पुनः विचार करेंग किन्तु छः महीने बीत गये हैं और कुछ नहीं किया गया है। वित्त मंत्री महोदय तथा उप-प्रधान मंत्री महोदय ने अपने भाषणों में इस बात को स्वीकार किया कि कृषि के क्षेत्र में नये रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की सबसे अधिक सम्भावना है तथा इसी क्षेत्र से सबसे अधिक लोगों की क्रय-शक्ति में वृद्धि होने की सम्भावना है, अतः कृषि विकास के कार्यों में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती है। क्या कृषि और सिंचाई मंत्री इस बात का दावा कर सकते हैं कि अनुदानों में कृषि विकास कार्यक्रम में, सिंचाई कार्यक्रम में, ग्रामीण विकास कार्यक्रम अथवा खाद्यान्न कार्यक्रम में यह रवैया प्रतिबिम्बित होता है। वास्तव में इस के लिये अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है और अनेक दिशाओं में प्रयासों और एक अच्छे संगठनात्मक ढाँचे की आवश्यकता है।

मैं यह कह रहा हूं कि वित्त मन्त्री महोदय और उप-प्रधान मंत्री महोदय द्वारा व्यक्त रवैया कृषि और सिंचाई मन्त्रालय की अनुदानों में अभिव्यक्त नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिये खरीद और कृषि मूल्य नीति को ही लीजिये। पिछले वर्ष का अनुभव क्या रहा?

पिछले वर्ष सदन में सब ओर से यह मांग किये जाने पर भी कि लाभकारी मूल्य निर्धारित किये जायें और सरकार को सभी उपलब्ध फालतु खाद्यान्न खरीद लेने चाहिये, सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय खाद्य निगम और कुछ अन्य एजेन्सियां खुले बाजार में केवल समर्थन मूल्य दे कर खरीद करेंगी। वास्तव में इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम अथवा 'नफेड' जैसे निकायों के पास उपलब्ध विपणन तन्त्र मन्डियों में नहीं पहुंच सका और किसानों को अपने उत्पाद सस्ती दरों पर बेचने पड़े। जिन दरों पर किसानों ने गेहूं, धान, गन्ना, आलू और पटसन बेची वह समर्थन मूल्यों से भी सस्ते मूल्यों पर बेची गई। सरकार भी किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दे सकी। यह किसानों की दशा है।

यह बात नहीं है कि कृषि उत्पादों के मूल्यों पर औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में गिरावट आ रही है, किन्तु सरकार की गलती के कारण अर्थात् सरकार की नीति के कारण कृषि उत्पादों के मूल्यों और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। अतः अगले वर्ष भी इसका वही परिणाम होगा। भारतीय खाद्य निगम का विपणन तन्त्र प्रत्येक मंडी और प्रत्येक किसान तक नहीं पहुंच पायेगा और किसानों का समूची उत्पाद वह खरीद नहीं पायेगी। इस प्रकार सरकार ने किसानों को व्यापारियों की दशा पर छोड़ दिया है और व्यापारियों ने बहुत ही लाभ कमाया है। खुले व्यापार की अनुमति से ऐसा ही होता है। सरकार यह कह रही है कि खुले व्यापार के कारण कृषि उत्पाद फालतू हो गया है और प्रत्येक मन्डी में आप कम मूल्य पर कुछ भी खरीद सकते हैं। किन्तु इसका परिणाम क्या हुआ? यह खुले व्यापार का परिणाम है। यही बात मैं जनता सदस्यों से कहना चाहता हूं। इसी नीति के कारण सरकार ने किसानों को इस दयनीय स्थिति तक पहुंचा दिया है।

एक माननीय सदस्य ने खाद्य निगम के कार्यों के बारे में कहा है। किन्तु यहां पर सरकार का रवैया क्या है? सरकार ने खाद्य निगम को दी जाने वाली राज सहायता को किसानों को दी जाने वाली राज सहायता के रूप में गिना है। यह एक विसंगति है। भारतीय खाद्य निगम 17 रुपये प्रति क्विंटल स्टाक करने के लिये खर्च करती है और पुनः 32.80 रुपये प्रति क्विंटल स्टाक को लाने-लेजाने के लिये खर्च करती है। यह सभी धनराशि किसानों के हिसबा में

गिनी गई हैं। यह धनराशि 560 करोड़ रुपये है। क्या ऐसा करना न्यायसंगत है ? वास्तव में इसे उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाता। उन्हें कोई राज सहायता नहीं दी जाती। उपभोक्त को दी जाने वाली राजसहायता गेहूं के लिये 2.50 रुपये तथा चावल के लिये 5 अथवा 7 रुपये है। वास्तव में स्टाक को लाने लेजाने का मूल्य 560 करोड़ रुपया है--यह राज सहायता नहीं है जो किसान अथवा उपभोक्ता को दी जाती तो यह तो व्यापार का लेखा है।

ग्रामीण विकास के मामले में सरकार ने एक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। नाम से जो यह बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रतीत होता है। कुछ स्वैच्छिक एजेन्सियां इस कार्यक्रम में सहयोग देंगी। यह कार्यक्रम पहले के पांच कार्यक्रमों जैसे छोटे किसानों की विकास एजेन्सी, डी० पी० डी० ए०, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्र कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम को मिलाकर यह कार्यक्रम तैयार किया गया है। 5005 बलाकों में से 2000 बलाक इन पांच योजनाओं के अन्तर्गत आ गये थे।

अब एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 300 बलाकों में कार्य आरम्भ किया जायेगा क्योंकि कृषि विभाग कहता है कि इन 2000 बलाकों को वित्तीय सहायता पुराने आधार पर दी जायेगी। किन्तु छोटे किसानों में--5 एकड़ से कम जोतों वाले, भूमिहीन मजदूर, श्रमिकों को 25 प्रतिशत, 33 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत की दर से राज सहायता प्राप्त होगी। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि छोटे किसानों को तब तक ऋण नहीं मिल सकता, जब तक वह पहले वाले ऋण की अदायगी न कर दें। इसी कारण से अनेक जिलों और बलाकों में बैंक इन परियोजनाओं में निदेश करने के लिये तैयार नहीं है। परियोजना अधिकारी फार्म भी देते हैं और बैंकों को भेज देते हैं। यदि बैंक निदेश करने के लिये सहमत होते हैं तो उन्हें राज सहायता मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें बैंक ऋण नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने पहले वाले ऋण की अदायगी नहीं की होती।

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत उन्हें किसानों की पहचान करनी होती है। इस प्रक्रिया में एक अथवा दो वर्ष लग जाते हैं। उसके पश्चात परियोजना अधिकारियों को प्रस्ताव भेजे जाते है। उसमें एक वर्ष लग जाता है। पिछले तीन वर्षों में इस योजना के सम्बन्ध में अनुमानित व्यय क्या है। यह एक छोटी योजना है। भारत में किसान जिनके पास आधे हेक्टेयर की जोते हैं उनकी संख्या 2.31 करोड़ है। आधे हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों की संख्या 1.25 करोड़ है तथा 2 हेक्टेयर से कम जोतों वाले किसानों की संख्या 1.34 करोड़ है। 6 करोड़ भूमिहीन किसान हैं। इसका अर्थ हुआ कि 10.90 करोड़ पात्र किसान हैं। इनमें से 1.60 करोड़ किसानों की पहचान की जा चुकी है। यह 10 वर्षों की रपट है। 10 वर्षों में वह बस इतना ही काम कर सके हैं।

यदि आप इस योजना को चलाना चाहते हैं तो आपको इन्हें वित्त सुविधाएं देनी होंगी और जिन किसानों पर बकाया ऋण है उन्हें भी नये आवेदक माना जाना होगा। उनके ऋणों को रद्द कर दिया जाना चाहिये। यह एक अच्छी योजना है किन्तु आप इसका सही ढंग से कार्यान्वयन किया जाना है तो सरकार को निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए और जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिये।

हम स्वैच्छिक एजेन्सियों का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें टाटा और बिरला का संरक्षण प्राप्त है। यह एजेन्सियां ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही मचाएंगी अतः हम इनका विरोध करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

चौधरी बलवीर सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय कृषि मंत्री किसान का बेटा हो और दोनो कृषि मंत्री ही किसान हों फिर भी कृषि और किसान की यह हालत हो कि जो वह पैदा करता है उसका मूल्य उसे न मिल सके, तो कारखानेदारों की लाबी कितनी ताकतवर है कि बजट पर उन्होंने तूफान मचा दिया है कि यह किसान का बजट है, यह शहरियों के खिलाफ है, यह सिर्फ देहातियों के हक में है। किसान को मिला क्या है? उसे सिर्फ एक बोरे खाद पर 5 रुपये का मुनाफा हो गया है। एक बोरे खाद पर सिर्फ 5 रुपये की कीमत में कमी हो गई है और उसका जो आलू था, जिसे सरकार ने 50 रुपये खरीदने का हुक्म दिया, कि इससे कम होगा तो सरकार खरीदेगी, इस हाउस में इस बात का एश्योरेंस है, और वह आलू जो कि 50 रुपये वाला है वह 5 रुपये बोरा बिके और यही नहीं बल्कि 3 रुपये बोरा बिके। पौने चार रुपये का बोरा आता है और पौने 3 रुपये का आलू बिके। आलू की छंटाई पर भी 3 रुपये लगते हैं और मंडी तक पहुंचाने का पैसा भी लगता है।

यह बात अचानक नहीं हो गई है, मंत्री जी को याद होगा कि जब यहां दिसम्बर में इजलास हो रहा था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि आलू का इंतजाम कीजिये। आलू पैदा करने वाले बेचारे उल्लू बन गये हैं, उन्हें सूझ नहीं रहा है कि वह क्या करें। लाखों रुपये का नुक्सान उन्हें हुआ है छोटे -छोटे जमीदार का जिसको पैदा करने पर 20, 20 और 25, 25 हजार रुपये खर्च हो चुका है और अब उस आदमी को उसके 2 हजार रुपये नहीं मिल रहे हैं। वे लोग बिल्कुल तबाह हो गये हैं।

मैं एक वार्निंग और आपको देना चाहता हूं कि जो गेहूं की फसल आ रही है उसमें इतना गेहूं आ रहा है कि आप संभाल नहीं पायेंगे। बीच के दलाल सत्यानाश कर देंगे फूड कार्पोरेशन वाले।

जनता पार्टी ने मैनिफैस्टो में कहा था कि किसान जो भी पैदा करेगा, उसको जब वह बीजेगा, उस वक्त उसे बता दिया जायेगा कि उसे यह मोल मिलेगा। यह मैनिफैस्टो अकाली दल और जनता पार्टी का है। हम जितनी देर विरोधी दल में रहे, लगातार इस बात के लिये सरकार की टीका-टिप्पणी करते रहे कि किसान को पहले बता देना चाहिये कि उसकी चीज का क्या भाव होगा। आज मार्केट में गेहूं आना शुरू हो गया है लेकिन सरकार ने अभी तक भी जिस भाव पर गेहूं खरीदा जायेगा, उन भावों का एलान नहीं किया है। तय हो गये हों तो पता नहीं, लेकिन ऐलान नहीं किया है।

यह कितनी बड़ी बात है कि किसान जो पैदा करे, उसका भाव सरकार मुकर्रर करे और सरकार भी उस वक्त मुकर्रर करे जब उसका माल मंडी में आ जाये। एक तरफ तो किसान की चीजों को कीमत सरकार मुकर्रर करती है और दूसरी तरफ कारखानेदार हैं जिसके माल की कीमत वह खुद मुकर्रर करते हैं। वह अपने माल की कीमत जब मर्जी आया बढ़ा लेते हैं।

अम्बेसडर कार सन् 1970 में 17 हजार रुपये की थी आज उसी कार के दाम 53 हजार रुपये हैं। 1970 और 1979 के बीच में 3 गुना दाम ज्यादा बढ़ गये हैं। आपको शायद याद होगा कि कार की कीमत बढ़ाने के लिये जब जस्टिस हिदायतउल्ला के पास गये तो उन्होंने मज़ाक में कहा था कि इस कार की हर चीज़ बजती है, लेकिन हार्न नहीं बजता है। हार्न के बगैर सब चीज़ बजती है। कार की कीमत 17,000 रुपये से बढ़ कर 53,000 रुपये हो गई है। इसी तरह ट्रेक्टर की कीमत 19,000 रुपये से बढ़ कर 60,000 रुपये हो गई है। कारखानेदार की बनाई हुई हर एक चीज़ की कीमत बढ़ गई है।

आज सवालों के जवाब में उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीस, ने कहा है कि कपास की कीमत कम हुई है और कपड़े की कीमत बढ़ गई है।

हम लोग, जनता पार्टी वाले इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि हम ने प्राइसिज़ को काबू में रखा है। श्री वरनाला और श्री भानू प्रताप सिंह बतायें कि क्या उन्होंने किसान को मार कर प्राइसिज़ को कंट्रोल में रखा हुआ है? कारखानेदार की चीजों की कीमत कहां है और किसान की चीजों की कीमत कहां है? जिन चीजों की कीमतें कम रखने के बार में सरकार क्रेडिट लेती है, वे तो किसानों की पैदा की हुई चीज़ें हैं। जो चीज़ किसान पैदा करता है उसकी कीमत कम है, और जो चीजें वह खरीदता है, उनकी कीमत ज्यादा है, जैसे लोहा, कोयला और सीमेंट वगैरह।

सीमेंट की कीमत पहले 11, 12 रुपये थी। जब जनता पार्टी ने राज्य सम्भाला, तो उसकी कीमत 17 रुपये के करीब थी। लेकिन आज सीमेंट 26 रुपये से ऊपर होने वाली है। ब्लैक में उसकी क्या कीमत है, यह कहने की जरूरत नहीं है।

किसान जो चीज़ पैदा करे, उसको उसका मोल न मिल सके, यह इन्साफ की बात नहीं है। मैं फिर वार्निंग देना चाहता हूं कि सरकार अपनी मशीनरी को तरतीब दें, उसको कसे। किसान का गेहूं मंडी में आ जाये, और भाव मुकर्रर कर दिया जाये 115 या 120 रुपये, और मंडी में किसान को 90 या 100 रुपये से भी कम मिले, मिनिस्टर साहब मंडी में जा कर इस बात की इंक्वारी करें।

श्री एन० रामगोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : आप एनक्वारी क्यों नहीं करते हैं और उसकी रिपोर्ट मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं देते हैं? पब्लिक के रिप्रेज़ेन्टेटिव क्या करते हैं? क्या सिर्फ मिनिस्टर ही एनक्वायरी करेगा?

चौधरी बलबीर सिंह : हम तो करते हैं—हम अब भी कर रहे हैं। आपकी ज़ुबान बंद थी। आप बोल नहीं सकते थे। हम करते हैं और मंडी में जा कर भी लड़ाई करते हैं कि इस ढंग से नहीं होगा।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इसकी एनक्वायरी करायें। मंडी में नाफेड वगैरह सरकार की एजेंसियों ने आलू दस रुपये बोरी के हिसाब से लिया है और वही आलू 50 रुपये बोरी दिया है। किसान को उसकी कीमत नहीं मिल सकी। जो सहूलियत सरकार ने दी, उसका फायदा फिर उस आदमी ने उठाया, जिसके पास पैसा था, जो खरीद सकता था और जो किसान को एक्सप्लायट कर सकता था।

किसान की बातें हर एक सदस्य ने कही हैं। मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहत हूं। एक सुझाव यह है कि सरकार फूड कार्पोरेशन के खर्च को कम करे। एक बोरी को सारा साल रखने का 32, 33 या 37 रुपये का जो खर्च है, वह बहुत ज्यादा है, उसको कम किया जाये। सरकार किसान के घर में अनाज रखे और उसको खर्च दे। इस खर्च के बारे में एक बार 32 रुपये का ऐलान हुआ था और दूसरी बार 37 रुपये का। पता नहीं कि असली खर्च कितना है। मिनिस्टर साहब मुझे बता दें, तो मैं उसके मुताबिक बात करूं। अगर फूड कार्पोरेशन के गोदाम में 35 रुपये खर्च होते हैं, तो सरकार किसान से कहे कि वह उससे गेहूं 115 रुपये+25 रुपये, यानी 140 रुपये में लेगी, और फलां महीने में लेगी। इससे सरकार का खर्च कम हो जायेगा और उसे गोदाम बनाने की जरूरत नहीं होगी। किसान को सरकार कुछ एडवांस रुपया दे दे, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, वह अपने माल को रोक नहीं सकता है और उसे एक दम मंडी में बेचना पड़ता है। सरकार अपना माल गोदाम में रखती है। वह समझे कि उसका माल किसान के स्टोर में पड़ा है। किसान इस माल को सम्भाल कर और ठीक तरह से रखेगा, बीमारियों से महफूज रखेगा। सरकार उसको खर्चा दे। इससे किसान को पैसा मिल जायगा, सरकार स्टोरेज की शार्टेज की समस्या को हल कर सकेगी और किसान को अपनी मेहनत का कुछ मोल मिल सकेगा। यह सुझाव मैंने दिया है—इस पर अमल किया जाय।

मैंने पिछले साल भी कहा था—जितने सरकारी मुलाजिम हैं, जितने कारखानों में काम करने वाले मुलाजिम हैं—इन सब लोगों को एक साल का राशन दिया जाए और उसकी कीमत 12 किस्तों में उन से वसूल की जाय। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह से हर महीने उस की कीमत का बारहवां हिस्सा काट लिया जाये इसी तरह से कारखाने के कर्मचारियों के वेतन से काटा जाय। इससे यह फायदा होगा कि करोड़ों मन अनाज जो मंडियों में पड़ा रहता है, लोगों के घरों में पहुंच जायगा और हमारे यहां जो स्टोरेज की दिक्कत है, वह दिक्कत हल हो जायगी।

दूसरा सुझाव यह है कि हमें माल बाहर भजने की व्यवस्था करनी चाहिये। इस वक्त हमारे यहां बहुतायत-का-क्राइसिज है। पिछले 30 सालों के कांग्रेसी राज में हम कासा-गदाई ले कर कभी अमरीका के पास कभी रूस के पास जाते रहे.....

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हम ने 1 करोड़ टन अनाज आप को दिया था।

श्री बलबीर सिंह चौधरी : रेड्डी साहब तो हर वक्त जवाब देने के लिये रेडी हैं। लेकिन वह अपनी बात भूल गये। मैं आप को एक कहानी सुना दूं। एक राजा शिकार पर गया, अपने साथियों से बहुत आगे निकल गया। एक जगह उस को एक बाग नजर आया, वह अन्दर चला गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया बैठी थी। उस ने कहा—मां, पानी पिलाओ। बुढ़िया ने कहा—बेटा, पानी की क्या बात है, मैं तुझे रस पिलाती हूं। उस ने दो सन्तरे पेड़ में से तोड़े और उसका रस निकाला। दो सन्तरों से गिलास भर गया। राजा ने रस पिया और आगे चला। रास्ते में उसने सोचा कि दो सन्तरों से गिलास भर गया, इस लिये इस पर टैक्स लगाना चाहिये। जब वह वापस लौटा तो फिर उसी जगह पर गया और बुढ़िया से रस पिलाने को कहा। बुढ़िया ने फिर दो सन्तरे तोड़े और रस निकालने लगी, लेकिन इस बार उतना रस नहीं निकला। राजा ने पूछा—माई, क्या बात है, सुबह दो सन्तरों से गिलास

भर गया था, इस दफ़ा नहीं भरा। बुढ़िया ने जवाब दिया—बेटा, यहां के राजा की नीयत में फर्क आ गया है।

आप की नियत खराब थी, इसी लिये लगातार आप के राज्य में कमी रही। वरना आप बतलाइये—आप के जितने प्लान थे, क्या उन का असर 1977 के बाद ही होना था; पहले उनका असर क्यों नहीं हुआ ? आज किसान ज्यादा पैदा करता है—तो आप उसे ज्यादा पैदा करने से मत रोकिये। लेकिन हमारे मिनिस्टर कहते हैं कि उस चीज की फसल कम कर दो। गन्ने की फसल कम कर दी जायगी तो फिर क्राइसेज़ आयेगा, उसके बाद आप फिर कहेंगे कि ज्यादा पैदा करो। इसी तरह से गेहूं की बात है—अगर गेहूं की पैदावार कम होगी, तो फिर दिक्कत पैदा होगी। इस लिये यह गलत पालिसी है। आप मेहरबानी कर के किसान को ज्यादा पैदा करने के लिये प्रोत्साहन दीजिये और जो सामान ज्यादा पैदा होता है उसको विदेशों में दूसरे देशों में भेजने का प्रबन्ध कीजिये। अपने माल के लिए विदेशों में मंडिया तलाश कीजिये, बाहर की मंडियों में मुस्तकिल ग्राहक ढूंढने की जरूरत है। बाहर के लोग यह कहते हैं कि जब हमें आलू की जरूरत होती है तब तो आप देते नहीं हैं, लेकिन जब हम दूसरा इन्तजाम करने जाते हैं, तब हमारे पास उसे बेचने के लिये आते हैं।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं—हरियाणा और पंजाब में आप सब्जियों को बहुत तेजी से पैदा कराइये और साथ ही गल्फ कन्ट्रीज़ में ऐसा इन्तजाम कीजिये कि उसको वहां बेचा जा सके। उन के साथ इन्तजाम करें ताकि सामान बाहर भेजा जा सके। जब आप का पैटर्न दल जाएगा, तो यहां के आदमियों को पैसा मिलेगा, किसानों को अपनी मेहनत का दाम मिल सकेगा और बाहर के देशों को भी अनाज भेजा जा सकेगा।

सभापति महोदय : श्री ए० सी० जार्ज।

चौधरी बलबीर सिंह : सिर्फ एक मिनट और दे दीजिए।

सभापति महोदय : आप बहुत बोल चुके हैं।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : सभापति महोदय, मैं कृषि और सिंचाई मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी चर्चा में भाग लेते हुए सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि जो मन्त्री महोदय को बधाई दी जाती है अथवा उनकी निन्दा की जाती है उसकी परम्परा न निभाते हुए यह कहता हूं कि मन्त्री महोदय ईश्वर की कृपा से बहुत ही भाग्यवान हैं। प्रकृति दयावान है। मौसम काफी अच्छा रहा है। मौनसून भी अच्छा रहा है। किसान आधारभूत रूप से मेहनतकश है। श्री बरनाला बड़े भाग्यवान हैं और सरकार मजबूत नीव पर खड़ी है।

जब उन्होंने भार सम्भाला था तो स्वतन्त्र भारत के इतिहास में स्टाक की स्थिति असाधारण और भूतपूर्व थी। उस समय सब से अधिक स्टाक था। मैं उन्हें इसे बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अन्य मंत्रियों के तरह से खराब नहीं किया जो उन्हें प्रभार लेते समय उत्तराधिकार में मिला था। यहां भी वित्त मन्त्रालय का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्हें लगभग 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का भंडार उत्तराधिकार में मिला था; यह विदेशी मुद्रा विदेशों में भारतीय बेटों के कड़े श्रम की कमाई थी।

अब वित्त मन्त्रालय ने इसे बरबाद करने का भरसक प्रयास किया है। वाणिज्य मन्त्रालय के बारे में भी यही बात लागू होती है। स्वतन्त्रता के पश्चात पहली बार देय संतुलन 1600 करोड़ रुपये का है। मैं विदेश व्यापार मन्त्रालय में कनिष्ठ मन्त्री था अतः मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने फालतु देय सन्तुलन का प्रभार दिया था।

उद्योग मन्त्रालय के बारे में जितना कम कहा जाये, अच्छा है। उसके मन्त्री महोदय के लंच से पहले, लंच के बाद और रात्रि भोज के समय के भाषण परस्पर विरोधी होते हैं। एक ही बात में वह दो विपरीत बातें कहते हैं। एक दिन राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो दूसरे दिन अराष्ट्रीयकरण की।

विदेश मन्त्रालय के सम्बन्ध में क्या कहें। हम सभी जानते हैं कि हमारे विदेश मन्त्री जब चीन में थे, तभी चीन ने वियतनाम पर हमला किया था।

कृषि मन्त्री को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जो उन्हें उत्तराधिकार में मिला उसकी उन्होंने बरबादी नहीं की। मुझे एक कहानी याद आ गई है। एक सभा में पादरी ने दान के लिए अपनी टोपी को लोगों में घुमाया। जब टोपी वापस आई तो वह खाली थी। पादरी ने उसे पूरी तरह उलट पुलट कर देखा किन्तु वह बिल्कुल खाली थी। तब पादरी ने प्रभु को हाथ जोड़ कर निवेदन किया, "प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है, मेरी टोपी सही सलामत वापस आ गई है।" यही बात हम कृषि मन्त्रालय के बारे में भी कह सकते हैं। हमें अपनी टोपी तो वापस मिल गई। इसके लिए मैं श्री बरनाला का धन्यवाद करता हूं।

खैर, उन्होने केरल में कुछ तो किया है। शायद नारियल बोर्ड के गठन के समय वह केरल सरकार के बुरे प्रभाव में थे। मैं जानता हूं कि इसे शीघ्रता में पास किया गया है। इसमें नौकरशाही को अधिक महत्व दिया गया है। इससे उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिये इसे बनाया गया है।

मुझे उनकी निष्ठा पर कभी सन्देह नहीं रहा क्योंकि मैं जानता हूं कि वह दिल ही दिल में धरती का बेटा है, किसान है, किसान का रक्त उसकी रगों में है। केरल एक ऐसा राज्य है जिसका नाम एक वृक्ष के नाम पर रखा गया है। मैंने यह जानने का प्रयत्न किया कि क्या विश्व में ऐसा कोई उदाहरण है जब कि किसी स्थान का नाम किसी वृक्ष के नाम के आधार पर रखा गया हो किन्तु मुझे ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। केरल का नाम केरा–नारियल के नाम पर रखा गया है। खैर, उत्तर में मेरे कुछ मित्र इसका कारेला उच्चारण करते हैं जिसका अर्थ एक 'सब्जी' होता है।

नारियल का उत्पादन ही हमारा प्रमुख उत्पादन है। कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे कि सरकार की नारियल उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद पिछले एक दशक में तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल में नारियल खेती की भूमि में कमी आई है। कुट्टानड क्षेत्र जिसमें प्रमुख रूप से नारियल की खेती होती है, में कीड़ो के कारण बीमारी का सामना किया जा रहा है जिसके कारण नारियल उत्पादन में कमी आती जा रही है। अब तक हम में से किसी ने भी इस बीमारी का निदान नहीं खोजा है, अतः मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि एक बार हमने रबड़ के बारे में किया

या नारियल के भी सारे पेड़ों को उखाड़ दिया जाये। रबड़ के पेड़ों के मामले में किसानों को राज सहायता दी गई थी। हमें किसानों को नारियल के पेड़ काटने और नए पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं, कि वह नारियल के पेड़ पुनः लगाने के लिए एक कोष की स्थापना करे। हमें ऋण तथा राज सहायता के रूप में किसानों की सहायता करनी चाहिए ताकि वह पुराने पेड़ काट कर नए पेड़ लगाये तभी उनकी बीमारी समाप्त हो सकती है। इसके लिए नारियल विकास कोष की स्थापना की जानी चाहिए।

नारियल बोर्ड के सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय अब भी इसका पुनर्गठन करे और इसे नौकरशाही पर आधारित न रहने दिया जाये और इसका प्रतिनिधि आधार होना चाहिए।

अब मैं विनियमित मंडियों के बारे में, सहकारिता के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार को वह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को उचित मूल्य मिले। मालाबार क्षेत्र के पहाड़ी लोगों में मैदानों से लोग गए हैं उन्होने ऐसी धरती पर खेती की जो पहले कभी कृषि प्रधान नहीं थी और उन्होने वहां स्वर्ग का निर्माण कर लिया है। केरल जैसे राज्यों में परिवहन सुविधाओं की कोई कमी नहीं है किन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का अभाव है। यदि किसान फसल लगाता है और उसे विपणन के लिए परिवहन सुविधायें नहीं उपलब्ध होती तो उसे अपने श्रम का उचित लाभ नहीं मिल पाता। केरल जैसे राज्य में जहां ऐसी धरती पर खेती की गई है जहां पहले कभी नहीं की गई थी और अनेक नकद फसलें उगाई गई थीं; जहां पर केरल में पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की गई थी, क्वलोन से बारास्ता कोहयाम, इरनाकुलम, त्रिचूर, पालघाट, कालीकट, मालापुरम, से कन्नौर तक एक सड़क बनाई जाये। यहां पर एक सड़क बनाने की योजना है, परिवहन मन्त्रालय को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह किसान को ऐसी सुविधायें उपलब्ध करें कि जो लोग ऐसे कठिन क्षेत्रों में गए हैं वह देश के लाभ के लिए सम्पत्ति का निर्माण कर सकें।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बहु-प्रयोजनीय परियोजना की योजना है। इससे एक बांध का निर्माण किया जायेगा। और 13000 एकड़ धान के नीचे धरती को लवणीय जल से बचाया जा सकेगा। इस परियोजना पर राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ही धन लगायेगी। यह बांध और पुल की परियोजना है। इससे नदी पर पुल बनेगा और बांध से धान कृषि सम्बन्धी धरती को लवणीय जल से बचाया जा सकेगा। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना की स्वीकृति शीघ्र ही दी जाये। मुझे पता चला है कि समुद्री-कटाव विषय भी कृषि मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार में आ रहा है। आज के युग में हम युद्ध और शान्ति की बातें करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय तटों पर एक निरन्तर युद्ध चल रहा है। इन तटों को समुद्री कटाव से बचाया जा सकता है। केरल को आवंटित धनराशि बहुत ही कम है। मैं आशा करता हूं कि तट की समुद्री-कटाव से रक्षा के लिए उपाय किए जायेंगे।

श्री धर्मसिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) : सभापति महोदय, कृषि और सिंचाई मन्त्री ने इस विभाग की जो मांगें सदन के सामने रखी हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ

हूं। गत 2 साल में सिंचाई मन्त्रालय ने उत्पादन, सिंचाई क्षेत्र और उद्योग में काफी प्रगति की है, लेकिन मैं कुछ प्रमुख बातें इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

जब कृषि राज्य मन्त्री श्री भानुप्रताप सिंह जी राज्य मन्त्री नहीं थे, संसद्-सदस्य थे तब उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। उसके कुछ उदगार मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। कृषि साधनों पर सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष-कर उनके उत्पादन मूल्य के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार हैं :–

उर्वरक पर 41.99 प्रतिशत कर है, कीटनाशी दवाओं पर 55.00 प्रतिशत, बिजली की मोटरों पर 26.73 प्रतिशत, ट्रेक्टर पर 44.74 प्रतिशत, ट्रेक्टर पुर्जों पर 26.93 प्रतिशत और डीजल तेल पर 74.47 प्रतिशत कर हैं।

मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि क्या उन के मन्त्रालय में कोई योजना है जिससे इन अप्रत्यक्ष करों को कम किया जा सके। वह अप्रत्यक्ष करों को कम करने के लिए क्या करना चाहते हैं।

भारत का राजपत्र जो 9 मार्च का प्रकाशित हुआ है इसमें फर्टिलाइजर के दाम लिखे हैं। 19 प्रकार के फर्टिलाइजर इसमें लिखे हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए सभी को पढ़ता नहीं हूं, लेकिन 3, 4 के बारे में बताना चाहता हूं। अमोनियम सल्फेट, यूरिया सुपर फास्फेट ट्रिपुल, डायमोनियम फास्फेट के बारे में बताता हूं कि इसमें लिखा है कि इनका प्रतिटन का भाव इस प्रकार है :—

अमोनियम सल्फेट 890 रुपये, यूरिया का 1450 रुपये, सुपरफास्फेट ट्रिपुल का 1600 रुपये और डायमोनियम फास्फेट का 2200 रुपये, एन० पी० के० का 1800 से 2000 रुपये और सुपर फास्फेट ट्रिपुल (पाउडर) का 1500 रूपये है।

आज अनाज का दाम क्या है, 20 रुपये किलो का दाम 20 रुपये है। एक टन पर 1 हजार किलो होता है, उसके हिसाब से लगाइये तो एक किलो फर्टिलाइजर का दाम 2 रुपये पड़ता है और अनाज का दाम 1 रुपये आता है जब कि खाद का दाम 2 रुपये होता है।

यह बात अच्छी नहीं है। अनाज का जो दाम होता है, उससे ज्यादा दाम फर्टिलाइर का नहीं होना चाहिए।

जहां तक वाणिज्यिक फसलों का सम्बन्ध है, हमारे देश में पांच मुख्य तिलहन पैदा होते हैं। मूंगफली, तोरिया-सरसों, तिल, अलसी और अरंडी, कुल मिला कर तिलहन का उत्पादन 1973-74 में 80.85 लाख मीट्रिक टन, 1974-75 में 80.53 लाख मीट्रिक टन, 1975-76 में 90.91 लाख मीट्रिक टन, 1976-77 में 70.83 लाख मीट्रिक टन और 1977-78 में 80.93 लाख मीट्रिक टन हुआ। 1978-79 में वह 88 लाख मीट्रिक टन होने वाला है। सभी तिलहनो में मूंगफली की पैदावार 70 प्रतिशत है। पिछली सरकारों ने तीस सालों में मूंगफली के बारे में कुछ नहीं किया। क्या हम भी कुछ नहीं करना चाहते हैं।

गुजरात, और गुजरात में खासकर सौराष्ट्र, और सौराठ में खासकर जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, अमरेली और भावनगर वगैरह जिले देश की एक तिहाई मूंगफली पैदा करते हैं। सरकार ने इसके लिए क्या किया है और क्या करना चाहती है? मैंने सुना है कि जूनागढ़ में राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र खोला गया है। लेकिन वहां पर काम कुछ नहीं हुआ है। मैं जूनागढ़ में रहता हूं। मैं कृषि मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र में तुरन्त काम शुरु करें।

सभापति महोदय : कृषि विभाग की 1978-79 की रिपोर्ट, पेज 9, पैराग्राफ 12 में कहा गया है कि 1978 से 1983 के अंत तक कृषि जिंसों का निर्यात 3125 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है। वह किस तरह बढ़ाया जा सकता है? बार-बार कृषि जिंसों की निर्यात-बन्दी की जाती है। वह नहीं होनी चाहिए। कृषि-उत्पादन की किसी भी जिंस पर किसी प्रकार का निर्यात-शुल्क नहीं होना चाहिए। निर्यात पर एस० टी० सी० और नाफेड़ की मानोपली नहीं होनी चाहिए। उत्पादकों, किसानों, व्यापारियों और परिसंस्करणकर्ताओं की सलाह और सेवायें सक्रिय रूप से लेनी चाहिए। कृषि जिंसों पर निर्यात-शुल्क रद्द करना जरूरी है।

विभिन्न कृषि-जिंसों पर प्रति टन के हिसाब से निर्यात-शुल्क इस प्रकार है: एच० पी० एस० मूंगफली की गिरी 1500 रुपये, मूंगफली साबुत : 1150 रुपये, रुई : 2500 रुपये मूंगफली की खली (डीआयल्ड केक) : 125 रुपये। क्या मन्त्री महोदय वित्त मन्त्रालय से बात-चीत कर के इसे निर्यात शुल्क को रद्द कराना चाहते हैं? 3125 करोड़ रुपये का निर्यात सरकार किस तरह करेगी? जब उत्पादन होगा, तभी वह निर्यात कर सकेगी लेकिन निर्यात-शुल्क को कम नहीं किया जाता है, बल्कि उसको बढ़ाया जाता है। पांच सात दिन पहले एक सवाल के जवाब में बताया गया कि एच० पी० एस० और साबुत मूंगफली और रुई का निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया है। यदि मन्त्री महोदय एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वित्त मन्त्रालय से मिल कर निर्यात-शुल्क को कम कराना चाहिए।

जहां तक कृषि मूल्य आयोग का सम्बन्ध है, प्रश्न यह है कि वह भाव कैसे तय करता है। कृषि-उत्पादन के मूल्य तय करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए: (1) कृषि की ज़मीन की कीमत, (2) ज़मीन की कुल कीमत का बैंक रेट के हिसाब से 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज, (3) किसानों के कुटुम्ब द्वारा की गई मेहनत, (4) खेत-मजदूरों को दी गई मजदूरी, (5) आयल इंजिन, बिजली के पम्प, ट्रेक्टर, ट्रेलर वगैरह औजारों और यंत्रों का खर्च, (6) बैलों की कीमत, (7) बिजली, क्रूड आयल, फर्टिलाइजर, कीटनाशक दवाओं का खर्च, (8) लिया गया कर्ज और उसका ब्याज, (9) जमीन महसूल और उपकर।

यह सब हिसाब लगा कर लागत तय होनी चाहिए, जैसा कि उद्योग और व्यापार में होता है। इसके अलावा कृषि मूल्य आयोग में कोई किसान नहीं है। उसमें सब एयर-कन्डीशन में बैठने वाले लोग हैं।

किसी ने खेती देखी नहीं है, नदी भी नहीं देखी है, शायद हवाई जहाज से देखी होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में किसान के प्रतिनिधि को रखिए।

अन्त में मैं कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं :–

1. कृषि उत्पादों की लागत सभी प्रकार का खर्च गिन कर उन का भाव तय किया जाये।

2. मूंगफली, एच० पी० एस०, डी० आयल्ड केक्स (मूंगफली की खली), रुई, वगैरह, इन सब कृषि उत्पादों का निर्यात शुल्क रद्द किया जाय।

3. सिंचाई और ग्रामीण मार्गों में पिछड़े हुए—गुजरात को खास प्रकार से—आर्थिक सहायता दी जाय।

4. कृषि-भाव-पंच (एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन) में किसानों का पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

5. फसल और पशु बीमा योजना को शीघ्र अमल में लायें।

6. गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के समुद्र-तटीय ज़मीन के कुओं का पानी खारा हो गया है। माधवपुर, घेड़, पोरबन्दर, मियाणी, ओखा, नवलखा, मांडवी तक "क्षार प्रवेश अवरोधक योजना" के लिए वित्तीय सहायता दी जाय।

7. फर्टिलाइज़र, डीज़ल, क्रूड-आयल और कीटनाशक दवायें, कृषि उपयोगी यन्त्रों, मशीनों का उत्पादन शुल्क रद्द किया जाए।

8. मूंगफली जैसी मुख्य तिलहन के लिए जूनागढ़ में मन्जूर किए गए "अनुसन्धान केन्द्र" का कार्य शीघ्र चालू किया जाए।

9. मूंगफली का न्यूनतम सहायक मूल्य 250 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए।

10. किसानों के लिए 5 प्रतिशत की दर से कर्ज़ा दिए जाने का प्रबन्ध होना चाहिए

11. नर्मदा योजना का कार्य शीघ्र चालू किया जाए और इस योजना में केन्द्रीय सरकार पूरी वित्तीय सहायता दे।

12. गुजरात के ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के लिए पूरा अनुदान मन्जूर किया जाए।

13. कृषि जिन्सों का निर्यात बढ़ाया जाए और रुई तथा खाने के तेलों का आयात बन्द किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं तथा मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान दें।

श्री ए० आर० बद्री नारायण (शिमोगा) : मैं कृषि और सिंचाई मन्त्रालय के अनुदान की मांगों का विरोध करता हूं। इसके कारण मेरे द्वारा दिए गए कटौती प्रस्तावों में हैं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री इन प्रस्तावों को पढ़ेंगे और यथासम्भव राहत देने का प्रयास करेंगे।

हम खुश हैं कि केन्द्रीय बजट अब ग्रामीणोन्मुख है, पहले यह शहरोन्मुख हुआ करता था। वित्त मन्त्री महोदय ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास और सड़क-निर्माण के लिए काफी धनराशि की व्यवस्था की है। मुझे प्रसन्नता है कि

कृषि मन्त्री स्वयं किसान हैं और उन्हें किसानों के साथ सहानुभूति है। मुझे आशा है कि नौकरशाही केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वयन के रास्ते में नहीं आयेगी। जनता सरकार कृषि पर अधिक ध्यान देने के लिए वचनबद्ध है, वह गरीबी और बेरोजगारी को 10 वर्षों में समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए वह कृषि और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता देगी। देश में कृषि उत्पादन कम होने के कारण हमें 6000 करोड़ रुपये मूल्य का अनाज तथा 1400 करोड़ रुपये मूल्य का खाने का तेल आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। कृषि क्षेत्र इसे पिछड़ेपन के कारण घरेलू बाजार का विस्तार रुक गया है, देश के औद्योगीकरण में बाधा पहुंची है, योजनाओं के निर्माण में बार-बार कठिनाइयां उठ खड़ी हुई हैं। और हमें अधिकाधिक साम्राज्यवादियों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है जिसके कारण देश की आर्थिक स्वतन्त्रता को क्षति पहुंचती है।

यहां तक कि कृषकों द्वारा उत्पादित सीमित दौलत का देश में असमान वितरण किया जाता है। आय का एक भाग राज्यों द्वारा कर आदि लगाकर खींच लिया जाता है। एकाधिकारियों और बहुराष्ट्रिकों द्वारा पूंजी बाजार में कीमतों की लूट के द्वारा निकाल लिया जाता है, भूपतियों, सूदखोरों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों द्वारा यह किराये, सूद, मुनाफे और रिश्वत के रूप में खींच लिया जाता है किसान अधिक उत्पादन करते हैं और कष्ट भोगते हैं जबकि शोषक मोटे और समृद्ध होते जाते हैं।

भूमि सुधार के अन्तर्गत 21.52 मिलियन एकड़ उपलब्ध फालतू भूमि में से केवल 1.29 मिलियन एकड़ भूमि का वितरण किया गया है। करीब 20 मिलियन एकड़ भूमि का वितरण अभी किया जाना है। जनता सरकार ने भूमि सुधारों को उल्टी दिशा प्रदान की है। यद्यपि मैं कर्नाटक से सम्बन्ध रखता हूं परन्तु यह ठीक है कि व्यवहारिक रूप में काश्तकारी समाप्त हो गई है और भूमि को जोतने वाला ही उसका स्वामी है। मैं जनता सरकार को अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि गरीब व्यक्तियों को दिए गए छोटे-छोटे टुकड़ों को छीनने में भूपतियों की सहायता करने की बजाए, इसका अन्त होना चाहिए। कई जनता राज्य सरकारें बेशर्मी से उच्चतम सीमा कानूनों में प्रतिक्रियावादी संशोधन करने की फिराक में है ताकि भूमि सुधारों में लूट-पाट को कानूनी जामा पहना सकें। किसानों को ऊंची कीमतों के द्वारा लूटने से भी उतना ही हेय है।

'इकोनोमिक टाइम्स' की इन्डेक्स के अनुसार कृषि वस्तुओं की कीमतें गिर गई है और उत्पादकों की कीमतें और भी चढ़ गई हैं। कृषि उत्पादन 10 प्रतिशत तक गिर गया है जबकि उत्पादकों का उत्पादन 6 प्रतिशत बढ़ गया है और इस प्रकार कृषि क्षेत्र को 15 प्रतिशत की हानि हुई है। यह वर्ष में करीब 2500 करोड़ रुपये बनता है। यह किसानों द्वारा पूंजीपत्तियों, उद्योग कर्त्ताओं और एकाधिकारियों को दिया जाने वाला वार्षिक उपहार है। कृषि के सहायक साधनों की कीमतें 1970-71 में बढ़ गई हैं डीजल 116.6, लूब्रीकेटिंग आयल 209.3, बिजली –95.6, सीमेन्ट –87.8, लोहा –89 उर्वरक 75.9, पेस्टीसाइड्स—131 और ट्रैक्टर— 118। जबकि गेहूं का उत्पादन केवल 43 प्रतिशत, धान का 51 प्रतिशत, ज़वार का 54 प्रतिशत और जूट का 40 प्रतिशत, कपास का 79 प्रतिशत, गन्ना का 33 प्रतिशत तथा सभी वस्तुओं का सामान्य सूचकांक 86 प्रतिशत तक बढ़ गया है। 1970-71 से उर्वरक को छोड़कर कृषि के सहायक साधनों की कीमतें

कृषि उत्पादन की तुलना में काफी अधिक बढ़ गई है। कृषि उत्पादों की कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिला है। इस प्रकार जहां कच्चा माल सस्ता है वहीं उत्पादित वस्तुएं महंगी हैं। उदाहरण के लिए कपास और कपड़ा, जूट और बोरियां, तम्बाकू और सिगरेट, तिलहन और खाद्य तेल। थोक की कीमतों में जो कमी आई है उसका प्रभाव खुदरा मूल्यों पर नहीं पड़ा, उदाहरणार्थ खाद्य वस्तुओं के थोक सूचकांक में 10 प्रतिशत की कमी आई है परन्तु उपभोक्ता मूल्य 10 प्रतिशत बढ़ गए हैं। दिसम्बर 1978 में यह 340 था और मार्च, 1977 में 312। किसानों को जोकि अधिकांशतः उपभोक्ता हैं, उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के रूप में हानि हुई है। इनका लाभ तथाकथित मुक्त बाजार की शार्क मछलियों अर्थात उद्योगकर्त्ताओं और व्यापारियों तथा बड़े पूंजीपतियों को हुआ है। सर्वप्रथम उन्होंने नियन्त्रण समाप्त कराया, खाद्य क्षेत्रों को समाप्त कराया और वायदे व्यापार सट्टे, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी पर प्रतिबन्ध हटवाये और दूसरे उन्होंने जमाखोरी, मुनाफाखोरी और सट्टे के लिए ऋण को उदार बनाया जबकि यही प्रतिबन्ध राज्य व्यापार अभिकरणों जैसे एफ० सी० आई०, सी० सी० आई० और जे० सी० आई० पर ये प्रतिबन्ध बने रहे।

पिछले वर्ष के 1592 करोड़ रुपये की तुलना में निजी वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋणों में 1977 में 2275 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हुई। कपास, रबड़ कोपरा और जूट जैसे कच्चे माल, जिनका उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, के आयात की शर्तें उदार हैं। उन्होंने उच्च कीमत की कपास की 14 लाख गांठें आयात कीं और 72 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता दी गई तथा स्टेपल फाइबर के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए।

चौथे, एक व्यापक वितरण प्रणाली होनी चाहिए और वर्तमान प्रणाली को बन्द किया जाना चाहिए। इसी के कारण हमें व्यापारियों और मिल मालिकों की दया पर रहना पड़ता है। नमक, सीमेन्ट, कागज, कोयला, डीज़ल, मिट्टी का तेल, खाना पकाने की गैस, सोडा, खाद्य तेल आदि ये सभी वस्तुएं बाजार से गायब हो रही हैं।

गन्ने की कीमतों को 12–50 रु० और 16–50 रु० प्रति क्विंटल से कम करके 10 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है जबकि कृषि करने की लागत बढ़ गई है। यह 12–50 रुपये प्रति क्विन्टल से कम नहीं होनी चाहिए।

इन सभी बातों के अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान देश के लिए उत्पादक का काम करता है और इस पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए जितना कि औद्योगिक श्रमिक पर अब दिया जाता है। यह ध्यान अब से न केवल उद्यमियों पर दिया जाए बल्कि किसानों पर भी दिया जाए। किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं में देरी नहीं करनी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ए० आर० बद्रीनारायण : महोदय, एक बात और है जिसे कह कर मैं समाप्त करता हूं। आप इस बात से सहमत ही हैं कि एक ओर तो बाढ़ का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और दूसरी ओर मानसून के देर से आने और कम आने का प्रभाव पड़ा। मैं नदियों के अप्रयुक्त

पानी और नदियों को परस्पर जोड़ने का भी उल्लेख करूंगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जबकि प्रधान मन्त्री ने कुछ दिन पूर्व यह घोषणा की कि नहर माला योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और आशा है कि रूस और विश्व बैंक हमें वित्तीय सहायता और तकनीकी जानकारी देंगे। नहर माला योजना को छोड़िए, पश्चिम की ओर बहने वाली दक्षिण भारत में ऐसी नदियां हैं जिनके पानी का किसी भी प्रकार प्रयोग नहीं किया जाता और यह पानी व्यर्थ में ही अरबसागर में चला जाता है। दक्षिण की विभिन्न नदियों को जोड़ने का कोई न कोई तरीका अवश्य निकालना चाहिए। ताकि इनके पानी का समुचित प्रयोग हो सके।

माननीय सभापति ने मेरे पर विशेष कृपा की है। वे मुझे समाप्त करने के लिए कह रहे थे जबकि मेरे पास बोलने के लिए कई विषय हैं परन्तु मैं सभापीठ के निर्णय का उल्लंघन भी नहीं करना चाहता। अतः मैं माननीय कृषि मन्त्री से यह अनुरोध करते हुए समाप्त करता हूं कि वे इन सभी बातों को याद रखें जिनका मैंने उल्लेख किया है। मुझे आशा है कि वे इन सभी बातों पर ध्यान देंगे जो कि उन्हें प्रिय हैं।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : अधिष्ठाता महोदय, अब तक कृषि और सिंचाई मन्त्रालय के अनुदानों पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। कुछ ने हमारी प्रशंसा की है, बधाई दी है और कुछ ने हमारी आलोचना की है।

श्री राम गोपाल रेड्डी : निन्दा नहीं की है।

श्री भानु प्रताप सिंह : जिसने निन्दा की है, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं और उसका कारण बताता हूं।

आज जो देश में कृषि की स्थिति है उसका एक सुनहला पहलू है और एक काला पहलू है। जिसने केवल सुनहला पहलू देखा है, उसने बधाई दी है और जिसने सिर्फ काला पहलू देखा है, उसने निन्दा की है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि एक संतुलित, बैलैन्स्ड व्यू लेना चाहिए। हमने कुछ उपलब्धियां की हैं, ऐसी उपलब्धियां जिनके बारे में दूसरे देश वाले हमारी आज प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन हममें अभी कमियां भी हैं, उससे मुझे इन्कार नहीं है। मैं दोनों पहलुओं पर थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा।

जहां तक उपलब्धियों का प्रश्न है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि उसकी चर्चा तो दूसरे ही करें तो ठीक होगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जो देश 2 वर्ष पहले तक दूसरों के सामने अपना पेट भरने के लिए हाथ फैलाता था, आज वह दूसरों का पेट भरने योग्य बन गया है। अभी थोड़े समय पूर्व हमारे जार्ज साहब उधर से बोल रहे थे। उन्होंने भी लफ्ट हैन्डेड कम्पलीमैंट दिया, उन्होंने कहा कि सब मन्त्रालयों को तो नहीं कह सकता, मगर कृषि मन्त्रालय को कह सकता हूं कि जैसा उन्होंने चार्ज दिया था, उसको बिगाड़ा नहीं है। इसको मैं लैफ्ट-हैंडिड काम्प्लीमेंट इसलिए कहता हूं कि ठीक है, उन्होंने एक अन्न भंडार दिया था लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं—वह इस समय यहां मौजूद नहीं हैं—कि वह अन्न भंडार किस प्रकार से बना था। क्या वह अन्न इस देश में पैदा हुआ था? विदेशों से मंगा कर; अरबों रुपया विदेश भेज कर, वह अन्न भंडार बना था। उस अन्न भंडार को बनाने का दूसरा तरीका यह था कि अपने देश के किसानों के घरों से

जबर्दस्ती, पुलिस भेज कर, उनकी मर्जी के खिलाफ़, बहुत कम कीमत पर जब्रिया गल्ला वसूल किया गया।

आज हमारा अन्न भंडार न तो विदेशी अन्न से भरा है और न हमने किसी किसान से उसकी मर्जी के खिलाफ़ जब्रिया वसूली की है। जो कर्जा उन्होंने लिया था, उस कर्जे को हमने उतार दिया। सोवियत रूस से जो 20 लाख टन गेहूं लिया गया था, वह करीब करीब उनको वापस दिया जा चुका है। उलटे हम ने उनको दो लाख टन चावल देने का अभी फैसला किया है। अगर इन दोनों परिस्थितियों में जार्ज साहब को कोई अन्तर नजर नहीं आता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि देखने का दोष है।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जहां तक किसानों का प्रश्न है, कांग्रेस के शासन और आज के शासन में उनको कोई अन्तर नजर नहीं आता है। याददाश्तें बहुत छोटी हुआ करती हैं, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में केवल कुछ पायंट्स बता देना चाहता हूं कि क्या अन्तर हुए हैं।

पहला अन्तर तो यह हुआ कि पहली पांचों पंच-वर्षीय योजनाओं में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए व्यय की गई धनराशि 19 से 23 प्रतिशत होती थी, मगर अब उसको करीब करीब दुगना कर दिया गया है। इसके परिणाम भी सामने आने शुरू हो गए हैं। पांचों पंच-वर्षीय योजनाओं में सिंचाई पर जितना व्यय हुआ था, उससे अधिक इन पांच वर्षों में सिंचाई पर व्यय होने जा रहा है। पिछले वर्ष 28 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई पहुंचाई गई। यह बिना धन को लगाये हुए नहीं हो सकता था। इसमें बहुत बड़ी धनराशि लगानी पड़ी है।

अभी कुछ दिन पूर्व सोवियत यूनियन के डिपुटी मिनिस्टर, एग्रीकल्चर, मुझ से मिलने आये थे। जब मैंने उनसे कहा कि भारत में 28 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की व्यवस्था एक साल में की गई है, तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया, और कहा कि हमारे इतने बड़े विशाल देश में किसी एक साल में दस लाख हैक्टेयर से अधिक अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई।

जब इस सरकार ने चार्ज लिया था, उस समय एक राज्य से दूसरे राज्य में अन्न नहीं जा सकता था। राज्य तो छोड़िये, एक जिले से दूसरे जिले को अन्न नहीं जा सकता था। और मेरा जिला तो इतना बदकिस्मत था कि नदी के इस पार आधे जिले से नदी के उस पार भी अन्न नहीं जा सकता था। इमर्जेंसी से पहले भी और इमर्जेंसी के दौरान भी चारों तरफ़ किसानों को घेर कर उनको लूटने की व्यवस्था बनी हुई थी। वे अपना माल कहीं बेच नहीं सकते थे, सिवाये सरकारी एजेंसियों को। उसके दुष्परिणाम भी थे, परन्तु उसकी कोई चिन्ता नहीं की जाती थी।

जनता सरकार ने पहला काम यह किया कि इस देश में एक बाजार कायम किया—"एक राष्ट्र एक बाजार" का जो उद्देश्य था, उसको प्राप्त किया। दिल्ली के निवासी भले ही इसके लाभ को न समझते हों, लेकिन जा कर बम्बई और पूना के लोगों को पूछिए कि उनको कितनी राहत मिली है—केवल इस कारण से कि खाद्यान्नों के आवागमन पर

से सारे प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं। जिन लोगों को दस बारह रुपये किलो के हिसाब से चावल मिलता था, आज उनको दो रुपये किलो के हिसाब से चावल मिल रहा है।

चीनी की दोहरी नीति थी—चीनी दोहरे मूल्य पर बिकती थी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अब तो चीनी 2-90 पर आ गई। लेकिन वह भूल गए कि पहले क्या स्थिति थी। अगर फ्री-चीनी और लेवी-चीनी की वेटेड-एवरेज ली जाय तो आज की चीनी से भाव ऊंचा था। जहां तक उपलब्धि का प्रश्न है—गांववालों को चीनी नहीं मिलती थी और मेरा तो ऐसा विश्वास है कि चीनी की उस दोहरी-मूल्य-नीति के कारण इस देश में कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपए की ब्लैक-मनी जैनरेट होती थी, उसको हम ने समाप्त किया और इसका एक लाभ अभी भी स्पष्ट है कि चीनी की खपत देश में एक दम बढ़ गई। पिछले दिनों हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि चीनी उद्योग में उत्पादन खपत से ज्यादा था, वह समस्या प्रायः सुलझ गई है। जिस गति से चीनी की खपत बढ़ी है—डी-कन्ट्रोल होने के बाद से—आप देखेंगे कि 60 लाख टन चीनी की खपत इस देश में हो जाएगी और साथ ही साढ़े-छः लाख टन हम विदेशों को भी भेजेंगे। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जितनी चीनी बनेगी—उस से कुछ ज्यादा ही देश के अन्दर खपत होने वाली है और विदेशों को भेजी जाने वाली है। इस तरह से चीनी उद्योग को जो सबसे बड़ी समस्या थी, उस को हम ने हल किया है।

अब मैं "फूड-फार-वर्क" के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप को मालूम है—पीछे "फूड-फार-हंगर" नाम की एक स्कीम चलती थी, वह अन्तर्राष्ट्रीय स्कीम थी, परन्तु जितना उस स्कीम के अन्तर्गत सारे संसार में अनाज व्यय होता था, उससे ज्यादा "फूड-फार-वर्क" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने पिछले वर्ष व्यय किया है। जो लोग भूखे रह जाते थे, जिनको पूरे वर्ष काम नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे यहां खेतों में चन्द महीने ही काम होता है, ऐसे लोगों की बेकारी और भुखमरी का सामना करना पड़ता था, आज उन्होंने हमारी इस योजना के कारण भर-पेट भोजन पाया है। हम लोग यह चर्चा करते हैं और वह ठीक भी है कि खेतिहर मजदूरों को मिनिमम वेज मिलना चाहिए। लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं—फूड-फार-वर्क योजना में काम कर के आज जो उन को मिला है, वह मिनिमम-वेज दिलाने में उनको नहीं मिल सकता था। आज इस योजना में एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं मिल रहा है, तब फिर वह 2 या 3 रुपये की मजदूरी करने नहीं जायेगा। इस तरह एक तरफ़ हमने लोगों को रोजगार दिया, लोगों का पेट भरा और दूसरी तरफ़ बहुत सारे निर्जा-डयूरेबिल एसेट्स भी खड़े हुए हैं। मैं माननीय सदयों को आमन्त्रण देता हूं—वे चल कर देखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में किस तरह से काम हुआ है और गांववाले इस योजना से कितने खुश हैं।

एक शिकायत यह की गई कि "फूड-फार-वर्क" योजना में सड़ा हुआ अनाज दिया जाता है। श्रीमन्, यह नितान्त असत्य है, क्योंकि राज्य सरकारों को मैंने बारम्बार स्वयं लिखा है कि इस गल्ले को इसी प्रकार से स्वीकार करें जिस प्रकार से "फेअर-प्राइस-शाप्स" का गल्ला स्वीकार करते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार को यह अधिकार है कि गल्ले का चार्ज लेने से पहले उसको क्वालिटी को देख सकते हैं। किसी भी राज्य सरकार के ऊपर कोई भी रद्दी माल जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा, यह बात बारबार स्पष्ट की जा चुकी है और उनको भी अपना अधिकार मालूम है।

जहां तक फूड फार वर्क का प्रश्न है, उसके लिए मैंने विशेष रूप से लिखा है कि यद्यपि उनको यह गल्ला मुफ्त में मिल रहा है लेकिन इस की कीमत रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को चुकानी पड़ती है। इसलिए इस गल्ले को देख कर लें और इस के साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि किसी राज्य सरकार ने आज तक मेरे पास गल्ले की क्वालिटी के बारे में या कम से कम फूड फार वर्क के गल्ले के बारे में लिख कर नहीं भेजा बल्कि उल्टे आज उस की मांग इतनी ज्यादा है कि हम को सोचना पड़ता है कि क्या हम उसकी मांग को पूरा कर सकेंगे। पहले तो, प्रारम्भ में यह योजना शुरू की गई थी उस समय हमको यह कहना पड़ता था कि आप इस काम को करवाइए लेकिन आज यह इतनी लोकप्रिय हो गई कि हमारे लिए मुसीबत हो गई कि हम किस हद तक उनकी मांगों को पूरा कर सकेंगे।

रोजगार बढ़ाने के लिए दुग्ध योजना भी चालू की गई है जिस पर अगले पांच वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सात सालों में ।

श्री भानुप्रताप सिंह : इस से मैं समझता हूं कि छोटे किसानों और भूमिहीनों को बहुत राहत मिलेगी।

फर्टिलाइजर्स की कीमत पिछले 2 वर्षों में 200 रुपये टन गिराई गई है····(**व्यवधान**)····आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि इस के भाव पैट्रोलियम से तय होते हैं। 1970-71 के मुकाबले में पैट्रोलियम किस भाव पर मिल रहा था।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगले वर्षों के अन्दर जो कर्जे दिए जाएंगे, उसका सूद भी 2 प्रतिशत गिराया गया है। पिछले कई वर्षों से देश में जो तम्बाकू पैदा करने वाले किसान हैं, उन को एक्साइज ड्यूटी वगैरह में परेशान किया जाता था और उन की संख्या बहुत बड़ी है, आज वे राहत की सांस ले रहे हैं। क्योंकि इस सरकार ने उन से एक्साइज ड्यूटी की वसूली बन्द कर दी है।

अब तक हम क्या कर चुके हैं, उस के बारे में मैंने 10, 11 प्वाइन्टस के बारे में बताया है। जो पहले नहीं होता था और जिस के बारे में इस सरकार ने कुछ किया है, वह मैंने आपको बताया है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि आगे हम लोग क्या करना चाहते हैं। यह मैं मानता हूं कि जो खरीददारी की योजना बनती है, बहुत से किसान अपना गल्ला सपोर्ट प्राइस पर भी नहीं बेच पाते। यह बात सही है परन्तु उस में जो कठिनाइयां हैं, उन की ओर भी आप का ध्यान दें। सारी खरीदारी एफ० सी० आई० नहीं करती। वास्तव में यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और राज्य सरकारों को बराबर लिखा जा चुका है कि जो भी गल्ला वे खरीदेंगी अगर वह स्पेसीफिकेशन के मुताबिक है तो उनका खर्चा अदा कर के भारत सरकार उसको ले लेगी। अगर कहीं कोई कमी होती है, तो उस के लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदारी है। बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी हैं जो एफ० सी० आई० को अपने एरिया में आपरेट नहीं करने देतीं। तरह तरह के उन के पैटर्न हैं। कहीं पर राज्य सरकार और एफ० सी० आई० दोनों खरीदती हैं, किसी राज्य में केवल एफ० सी० आई० खरीदती है और किसी राज्य में केवल राज्य की अपनी एजेन्सी खरीदती है। तो इस चीज को भी आप समझें। यह सब होते हुए भी हमारा यह बहुत

स्पष्ट फैसला है और इस फ़ैसले से हम ने सभी मुख्य मन्त्रियों को अवगत करा दिया है कि अगर कहीं भी कृषि पदार्थ की सपोर्ट प्राइस घोषित होगी और उस को अगर वे अपने राज्य में खरीदेंगे और वह हमारी एफ० सी० आई० के स्पेसीफिकेशन के मुताबिक होगा, तो उस की कीमत दे कर और उस के खरीदने का खर्च भी दे कर भारत सरकार उस को ले लेगी। आज इस बात की भी आवश्यकता है कि जहां आप हमारे ऊपर इतने आरोप लगाते है कुछ राज्य सरकारों पर भी दबाव डालने की कृपा करें। नायडू साहब बार बार नाराज होते हैं। उनकी नाराजगी मेरी समझ में नहीं आती है। हमने आन्ध्र प्रदेश की सरकार के मुख्य मन्त्री को स्पष्ट कर दिया है कि वह चाहें जितना भी चावल और धान खरीदें सब एफ० सी० आई० लेने को तैयार है। इस वास्ते वह इस नाराजगी को कुछ उधर भी करने की कृपा करें।

इन सब कठिनाइयों को देखते हुए एक नई योजना चलाने का फैसला किया गया है जिसका जिक्र हमारे वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में किया था और वह ग्रामीण गोडाउंज बनाने की है—

श्री पदमाचरण सामन्तसिंह हेरा (पुरी) : फूड फार वर्क में आप उड़ीसा को चावल क्यों भेजते हैं, वह तो वहां पहले से ही काफी है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : उन से आप कहें कि हम को लिख कर भेज दें। जबर्दस्ती हम किसी को नहीं देते हैं। मांगेंगे तभी देंगे।

रूरल गोडाउंज की नई योजना स्वीकृत हो चुकी है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि 5-6-7 गांवों के बीच में एक डेढ़ या ढाई सौ टन के लिए गोदाम बनें और वहां छोटे किसान नजदीक से आकर अपना गल्ला रख सकें और वहां दोनों ही काम कर सकेंगे, अगर बेचना चाहें स्पोर्ट प्राइस पर तो बेच सकेंगे और अगर रखना चाहे तो रख सकेंगे और अगर रखना चाहेंगे तो रख कर उसके मुकाबले में उनको नकदी काम चलाने के लिए बैंक से एडवांस दिला दिया जाएगा। यही किसान है जिन को सब से ज्यादा रक्षा की आवश्यकता है। यह केवल राज्य सरकार पर ही निर्भर नहीं है। अब तो हम चाहते हैं कि किसान भी स्वयं सगठित हों। हम दावा नहीं करते हैं कि हमने सब ठीक कर लिया है और कुछ करने को बाकी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जरा हमारी कठिनाइयों पर भी गौर करें। पहली तो यह है कि खेती का कारोबार ऐसा नहीं है कि जिस को तत्काल दुरुस्त किया जा सके। एक फसल अगर इस साल मारी जाएगी तो अगले साल आप उस में कुछ संशोधन कर सकेंगे। फैक्ट्री में अगर कोई काम गड़बड़ दिखाई देता है तो एक सप्ताह और दस दिन में उसको ठीक किया जा सकता है लेकिन स्विच दबाने से जैसे एक पंखा चलने लगता है उस तरह से खेती के बारे में नहीं हो सकता है। अब तक की जो व्यवस्थायें थीं वे कमी का मुकाबला करने के लिए थी। देश में कमी का एक वातावरण था। उद्देश्य यह था कि गांवों से अधिक से अधिक गल्ला निकाल कर, जबर्दस्ती या जैसे भी हो उपभोक्ताओं को खिलाया जाए, उनकी रक्षा की जाए। यह आवश्यक भी था। आज परिस्थिति बदल गई है। आज की परिस्थिति में मैं समझता हू कि गांवों में गोदाम बनने चाहियें। ताकि छोटे किसान को दूर जाकर परेशान न होना पड़े और वे अपना माल रख

कर उसकी कुछ कीमत पा कर जब भाव बढ़ें तो उसका लाभ उठा सकें। इसी उद्देश्य से रूरल गोडाउंज़ बनाने की योजना रखी गई है।

यहां मांग की गई है जिस पर विचार हो रहा है लेकिन अभी तक अन्तिम फैसला नहीं हुआ है कि जो खाद्यान्न किसान स्वयं रखे रहें और बाद में सप्लाई करें गवर्नमेंट को तो उसका भी जो खर्चा एफ० सी० आई० वगैरह का आता है वह अधिक दे कर उससे ले लिया जाए। डैफर्ड प्रोक्योरमेंट के लिए ऊंची कीमत दीजिए।, इसमें सभी का लाभ है। आप इस बात को इस प्रकार से समझें कि जिस वक्त गेहूं प्राप्त होता है, पंजाब और हरियाणा में मई के शुरु में आयेगा, कई बार 6 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तो उस वक्त हमारे पास रखने की जगह की कमी होती है, ट्रांस्पोर्ट की कमी होती है। सभी प्रकार से मंडियों में भी जगह नहीं रहती है। इस प्रकार से यह सोचा गया है कि कुछ तो माल रखा जाएगा, पंजाब रूरल गोडाउन्स में और कुछ किसान अपने घर पर ही रख ले तो उसको बरसात के बाद अक्तूबर नवम्बर में और फिर जनवरी, फरवरी मार्च में सरकारी भाव देकर ले लिया जाये। लेकिन आज किसान क्यों रखे? जब पूरे वर्ष तक एक ही भाव रहना है तो उसका परिणाम यह होता है कि हरेक यह चाहता है कि दुकान खुलते ही पहुंचा दिया जाये। तो इससे जहां एफ० सी० आई० पर बहुत बड़ा भार आता है, वहां यह भी होता है कि जब बहुत लोग इकट्ठे होते हैं तो किसानों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है। लेकिन उस भार को कम करने के लिए मैं समझता हूं कि यह दो योजनायें सहायक सिद्ध होंगी।

अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे वित्त मन्त्री जी ने घोषित किया है, अब तक सिंचाई के लिए सिर्फ 2 हैक्टर तक के किसानों को सब्सीडी मिलती थी, अब सोचा जा रहा है कि यह 4 हैक्टर तक के किसानों को सब्सीडी दी जायेगी। उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक छोटे नल-कूप बनाकर किसान स्वयं स्वावलम्बी बनें।

मैं एक कृषक के नाते कह सकता हूं कि खेती अच्छी वही कर सकता है, जिसका पानी का स्रोत उसके अपने कन्ट्रोल में हो। यह तभी सम्भव है, जब अधिक-से-अधिक किसान अपने नल-कूप बनायें। अपने देश में बहुत बड़ा उत्तर भारत का भाग है जहां नीचे पानी की कमी नहीं है, वहां आसानी से पानी निकल सकता है। तो उस जल का हमें लाभ उठाना चाहिए। प्रायः लोग कहते हैं कि मौसम। मौसम की कृपा से कुछ हुआ, इस बात पर मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा। वह अपने विचारों को रख सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि यदि हम सिंचाई के साधनों को बहुत तेजी से बढ़ा सकें, तो इस मौसम के उतार-चढ़ाव से इस देश को मुक्ति मिल सकती है। आज मौसम पंजाब का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप विश्वास रखिये, चाहे जैसा भी मौसम होगा, पंजाब और हरियाणा व पश्चिमी उत्तरप्रदेश में फसल होगी। तो हम उसी स्थिति में पहुंचने के लिए किसानों की सहायता करना चाहते हैं कि वह अधिक-से-अधिक नलकूप बनायें।

एक बात की मैं और चर्चा करना चाहता हूं। गरीबी दूर करने की सब की ख्वाहिश है, लेकिन गरीबी कैसे दूर होगी? गांव की गरीबी दूर करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो पूंजी और दूसरे कुछ नया ज्ञान-विज्ञान। अगर कोई समझता हो कि केवल इस बात की चर्चा कर के कि बड़े किसान छोटे को लूट रहे हैं, या इस प्रकार की

बातें कर के कोई गरीबी दूर करने की कोशिश करे तो वह राजनीतिक लाभ तो उठा सकता है, लेकिन देश की गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर करने के लिए पूंजी और नई जानकारी का पहुंचाना बहुत जरूरी है। जहां तक पूंजी का प्रश्न है, मैं बतला चुका हूं कि भारत सरकार जितना व्यय करती थी, उसका दुगना व्यय अब करने जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारी यह भी कोशिश होगी कि हम वहां कुछ थोड़ी जानकारी भी पहुंचाएं। जब मैं कभी किसी कृषि अनुसन्धान केन्द्र पर जाता हूं तो ऐसा लगता है कि यहां जानकारी का ऐसा ज़खीरा है कि अगर इसका इस्तेमाल हो तो इस देश का चित्र बदल सकता है।

लेकिन दुख की बात है कि वह जानकारी, जिससे दूसरे देशों के लोगों ने फायदा उठाया है, हमारे देश के लोगों ने उससे लाभ नहीं उठाया। हां, बीज जरूर कुछ बिखर गए हैं लेकिन बाकी जानकारी वहीं की वहीं रह गई है।

एक योजना, जिसका तिवारी जी ने जिक्र किया--लैब टु लैण्ड--उसका उद्देश्य है कि जितने अनुसन्धान केन्द्र हैं वे अपने पड़ोस में सबसे गरीब लोगों को छांट कर अपने विज्ञान के द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। 50 हजार परिवार छांटे जाएगे। इसके अतिरिक्त एक योजना यह भी है कि गांवों से कुछ पढ़े-लिखे लड़कों को लेकर उन केन्द्रों पर दो तीन महीने रखकर किसी एक काम के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा--चाहे आर्टिफिशल इन्सेमिनेशन हो, सेरिकल्चर हो, पोल्ट्री कीपिंग हो या इंजन रिपेयर, मोटर रिपेयर का काम हो। जितने भी धन्धे गांवों में चल सकते हैं उनकी ट्रेनिंग देने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। इन्टेंसिव डेवलपमेन्ट ब्लाक्स में पहले से ही यह योजना लागू है लेकिन दुख की बात है कि लोगों को यह मालूम नहीं है। मुझे स्वयं इस बात पर आश्चर्य है, यद्यपि एक साल से गाइडलाइन्स लिखी हुई है लेकिन इसकी जानकारी नहीं है। 2300 ब्लाक्स से बढ़ाकर 2600 ब्लाक्स में लागू किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि यह योजना सारे देश में लागू की जाए। गांवों के जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं उनको नया काम सिखाया जायेगा। नौकरी देने के लिए हम उनको यह काम नहीं सिखा रहे हैं बल्कि तीन, चार, पांच महीने की उनकी ट्रेनिंग होगी जिसमें वे काम सीख कर गांवों में जायें और सेल्फ एंपलायड पर्सन की तरह से अपना कारोबार शुरु करें। इसमें एक तो उनका अपना रोज़गार हो जायेगा और दूसरे लोगों के लिए उदाहरण भी बनेंगे। **(व्यवधान)**

दो एक बा तेंमैं और कहना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनका उत्तर देने से यद्यपि नतीजा नहीं निकलता फिर भी मैं निवेदन करूं, जैसे चन्द्र शेखर सिंह जी ने यहां पर कहा कि जेल में कितना राशन दिया जाता है उसके हिसाब से देखा जाये तो इस देश के लिए कम अनाज पैदा हो रहा है फिर भी कहा जाता है कि अनाज फाज़िल है इसलिए सरकार के सारे आंकड़े गलत हैं। माननीय सदस्य केवल यह भूल गए कि जेल में बच्चे नहीं रहते। बालिग की खुराक और दूसरी तरफ सभी की खुराक में थोड़ा फर्क है। **(व्यवधान)**

इस बात की चर्चा भी की गई कि पहले चीनी बहुत एक्सपोर्ट होती थी और यह सरकार निकम्मी है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है। उन्हें नहीं मालूम कि अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में चीनी का क्या भाव है। जिस समय का माननीय सदस्य ज़िक्र करते हैं उस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का मूल्य 700 पाउन्ड प्रति टन था और आज 100 पाउन्ड

प्रति टन है। उस समय की सरकार ने चीनी बेच कर मुनाफा कमाया था, हम आज भी बेचते हैं लेकिन घाटे पर बेचते हैं।

एक्सपोर्ट की बात भी कही गई। इस विषय में मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मैं भी एक्सपोर्ट का बड़ा हिमायती हूं लेकिन साथ ही मैं यह बतलाना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट भी ऐसे नहीं हो सकता है कि आज आपने फैसला किया कि एक्सपोर्ट होगा और कल एक्सपोर्ट हो जाये। दुनिया के लोग मुंह बाये बैठे नहीं रहते हैं। एक्सपोर्ट के लिए हर एक को अपने कस्टमर बनाने पड़ते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रवेश नया होगा और उसको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी--यह देखना है।

हमारा यह प्रयत्न है ....

श्री चन्दन सिंह (कैराना) : चेअरमैन साहब, मुझे एक बात कह लेने दीजिए। रात मेरे बच्चे ने टेलीफोन किया कि, पिताजी, 20-25 किलो मूंग लेते आना। बड़ी मुश्किल से मूंग मिली। मैं मूंग लेने गया तो वह अफसर मीटिंग में था। मेरे बच्चे ने कीटनाशक दवा भी लाने के लिए कहा था, अब मैं उस के केन्द्र में पहुंचा तो मालूम हुआ कि यह कानून है कि आर्डर देने के एक महीने बाद मिलेगा। मैंने कहा कि सोइंग का टाइम तो अब है, मैं तीन दिन बाद सोइंग करने जा रहा हूं, दवा एक महीने बाद मिलेगी तो उस से क्या फायदा होगा। मन्त्री जी, इस तरह के कानून को बदलिये, ज़रूरत आज है, एक महीने बाद मिलेगी, इस से क्या फायदा है?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह शिकायत सुन कर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ है। मैं तो चौधरी साहब को बहुत अच्छा किसान मानता आया हूं। जिस टीके की आम बात कर रहे हैं—वह इन-आक्यूलेशन है, जब किसान पहली बार मूंग बोता है तब उस को डालनी होती है, जब वह तिलहन या दूसरी फसलें उस से ले चुका है तो उस को दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं होती है।

श्री चन्दन सिंह : खेत की मिट्टी को बदला नहीं जा सकता है।....

श्री भानु प्रताप सिंह : आप उसकी बात मानते क्यों हैं?

अन्त में केवल एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। यह मान कर चलना कि केवल भारत सरकार या भारत सरकार के मन्त्री कृषि की स्थिति को सुधार सकते हैं—यह एक गलत धारणा है। इस काम में बहुत सारे फ़रीक़ हैं। सब से बड़ा फ़रीक तो राज्य सरकार है, उस के बाद स्वयं किसान है। बढ़िया से बढ़िया योजनायें बनाई गई हैं, लेकिन अगर मौके पर डीज़ल न मिले, फर्टिलाइजर न मिले तो दिक्कत होती है--हमने उन समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न किया है, लेकिन सब के सहयोग से ही यह काम सफल हो सकता है।

(Dr. Sushila Nayar in the Chair)

आलू की चर्चा की गई। आलू के बारे में कहना चाहता हूं—सरकार की पूरी सहानुभूति होते हुए भी किसानों की समुचित मदद नहीं की जा सकी और उस का मुख्य कारण यह है कि मदद करने के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वह नहीं है। हमारे पास पर्याप्त कोल्ड-स्टोरेज होने चाहियें, रेफ्रीजरेटेड-वैगन्ज होने चाहिए। लेकिन दोनों नहीं हैं। जो थोड़े-बहुत कोल्ड-स्टोरेज हैं—वे सब भर चुके हैं। हम ने राज्य सरकारों से कहा है कि

अधिक से अधिक संख्या में कोल्ड-स्टोरेज बनाये जाने चाहिये। अभी कुछ दिन पहले इसी विषय पर बात करने के लिए मैं वेस्ट-बंगाल गया था। उन्होंने कहा कि हमारे यहां बिजली नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी बात को माना और कहा कि हम 160 नए कोल्ड-स्टोरेज बनाएंगे, लेकिन अब उन के मुख्य मन्त्री जी का पत्र हमारे पास आया है कि उन के पास सीमेन्ट नहीं है। आप इस बात पर विचार कीजिए—कृषि की समस्या का बहुत ज्यादा सम्बन्ध बिजली, सीमेन्ट, डीजल और लोहेवालों से है। इस सारी अर्थ-व्यवस्था में इन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कभी-कभी थोड़ा-बहुत मतभेद हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पुराने ढर्रे पर खेती करें, छोटे-छोटे उद्योग हों, तो उन से देश का भला होगा। मैं कहता हूं—उद्योग की बात तो छोड़ दीजिए, खेती भी उस तरह से नहीं चल सकती है, जब तक हमारे उद्योग ऐसे न हों जो हमारी खेती की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें।

इसलिए आप हम को जब जांचें, आंकें, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख कर आकें। यह कहना आसान है कि सरकार ने कुछ नहीं किया लेकिन जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, उन की तरफ़ भी आप ध्यान दें।

आलू की बात बहुत की जाती है पर आलू का क्या किया जाए। मैं पिछले साल से पूछ रहा हूं कि हम को यह तो कह दिया जाता है कि किसानों की मदद कीजिए मगर जब मैं यह पूछता हूं कि किस प्रकार से मदद की जाए, तो कोई उत्तर नहीं मिलता।

अन्त में मैं कुछ एफ० सी० आई० के बारे में कहना चाहता हूं। मैं स्वयं यह दावा नहीं करता कि यह एक बहुत बढ़िया और एफीशियेन्ट आर्गेनाइजेशन है, परन्तु जिस प्रकार से आलोचना की गई है, वह भी सही नहीं है। सब से पहले तो मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि एफ० सी० आई० का काम केवल खरीद कर उपभोक्ताओं को गल्ला पहुंचाना नहीं है। यह एक प्रकार से इन्श्यूरंस है। जो आप 570 करोड़ रुपये की बात करते हैं कि इतना घाटा होता है, उसमें से आधे से ज्यादा बफर स्टाक के लिए है पर यह तो एक पालिसी मैटर है कि क्या हम को बफर स्टाक रखने की जरूरत है या नहीं? अगर जरूरत है, तो उस को आप इन्श्यूरंस मानिये, उस को नुकसान में मत गिनिये। संसार में जितने भी खाद्य पदार्थ आदि के आर्गेनाइजेशन हैं और यू० एन० ओ० में जो एफ० ए० ओ० का आर्गेनाइजेशन है, उन सब का यह कहना है कि रिजर्व फूड स्टाक होना चाहिए, न केवल अपने लिए स्टाक फूडस्टफ का होना चाहिए बल्कि और दूसरों के लिए भी होना चाहिए। अब अगर हम बफर स्टाक रख रहे हैं, तो वह न केवल अपने देशवासियों के लिए मुसीबत के वक्त काम आएगा बल्कि और जो हमारे पड़ोसी हैं उन के काम भी आ सकता है और इस के रखने पर जो खर्चा होता है, उस को अगर आप हमारी नालायकी गिनने लग जायें, तो यह हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हैं। एफ० सी० आई० में भी उसी प्रकार के लोग हैं जैसे कि और दूसरे सभी विभागों में और सभी बाक्स आफ़ लाइफ़ में हैं। इस देश में ईमानदारी का क्या स्टैन्डर्ड है, यह सब को मालूम है लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आज तक किसी माननीय सदस्य ने एफ० सी० आई० के किसी कर्मचारी या अधिकारी के बारे में मेरे पास शिकायत नहीं भेजी है। हां, पचासों माननीय सदस्यों नें उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पैरवी की है, जिन के बारे में यहां खड़े हो कर उन को नालायक और बेईमान कहते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : रिकमेन्डेशन करते हैं, पैरवी कोई नहीं करता है **(व्यवधान)** : ···

श्री भानु प्रताप सिंह : जिनको यहां कहते हैं कि भ्रष्ट हैं उन्हीं की पैरवी करते हैं····· **(व्यवधान)** ···मेरे पास शिकायत लायें या प्रमाण लायें, तो मैं देख सकता हूं लेकिन मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं लाई गई है।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे केन्द्र की हो या राज्यों की हों, वे पूरी सहायता किसानों की नहीं कर सकती जब तक कि किसान संगठित हो कर खुद अपनी सहायता न करें। दुनिया का कोई भी मुल्क मैं ऐसा नहीं जानता जहां के किसान अपने माल को बेचने के लिए स्वयं संगठित न हों। यहां पर ही ऐसा है कि सारी बातों की आशा सरकार द्वारा करने की की जाती है। कोई काम हो, वह केन्द्रीय सरकार की मदद से करना चाहते हैं और अगर केन्द्रीय सरकार से छुट्टी मिल जाए, तो राज्य सरकारों की मदद चाहते हैं परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस ने उत्पादन किया है क्या उस का कोई फ़र्ज़ नहीं है उस को अपने आप बेचने का। बेचने में कुछ मदद तो हो सकती है लेकिन दुनिया के जो दूसरे लोग हैं, वे अपने सहकारी संगठन बनाते हैं और अपने माल को बेचते हैं। दूसरे देशों में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने यहां ही गुजरात को ले लें। उत्तर प्रदेश और बिहार और दूसरी जगहों के लोग भी यह कहते हैं कि धान का जो समर्थन मूल्य आप ने 85 रुपये निश्चित किया है, वह कम है लेकिन गुजरात के किसी किसान को इस के बारे में शिकायत नहीं है क्योंकि उन्होंने किसानों की एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना रखी है और उसी धान को वे 85 रुपये के बजाए 100 रुपए पर किसानों से खरीदती है और उस धान को खरीद कर उस का चावल बनाती हैं और बगल में ही, फेयरप्राइस शाप के पास, उस को बेचती है। तो आज इस बात की भी आवश्यकता है कि लोग कुछ अपने कर्त्तव्य को समझे, जो जनता के नेता हैं और जो गांववालों के प्रतिनिधि चुन कर आए हैं, वे उनको सुझाव दें, उनको संगठित करें।

यहां पर भ्रष्टाचार की काफी चर्चा की गई है। मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूं। भैंसों के लेनदेन में होने वाले भ्रष्टाचार के विषय में एक दिन पूरी मीटिंग की गई, कुछ एम० पीज़ भी थे लेकिन कुछ हल नहीं निकल सका। पूछा गया कि कोई हल हो तो बताया जाए लेकिन कुछ हल नहीं निकला। अन्त में इतना ही हल निकल पाया कि किसानों का कोई संगठन हो जो उनके हितों की वहां रक्षा करे तभी उनकी रक्षा हो सकती है।

अपने देश में क्या होता है इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। गौंडा जिले में नलकूप बनाने के लिए एक संगठित प्रयास चल रहा है। उस में तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। बजाय इसके कि केवल शिकायतें करते रहें हम को देखना चाहिए कि आखिर हम भी प्रतिनिधि हैं, हमारा भी कुछ कर्त्तव्य है, वहां जा कर हम देखें और दूर इसको करवाएं····· (इंटरप्शंज़)

एक माननीय सदस्य : संसद सदस्यों की बात कोई सुनता नहीं है।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं नहीं मान सकता कि संसद सदस्य अगर ध्यान दे तो उसके देखते हुए भ्रष्टाचार हो सकता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अच्छा काम करने के लिये दोनों मंत्रियों को बधाई देता हूं और सदन के इस ओर से मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं क्योंकि उन्होंने चीनी उद्योग के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उन्होंने उत्पाद करों में कमी की है, उन्होंने चीनी पर से नियंत्रण हटा लिया है। तथा उन्होंने चीनी मिलों को चीनी निर्यात करने की छूट दे दी है।

भारतीय खाद्य निगम ने जितना अधिक अनाज जमा किया जा सकता था, किया है और अधिप्राप्ति गोदामों की क्षमता से अधिक रही है। मंत्री महोदय अब कहते हैं कि वे गांवों में कुछ गोदाम बनाने जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना को पूरा करने में वे कितना समय लेंगें । वे कुछ प्रशीतन भण्डार भी बनाना चाहते हैं। उन्हें इस योजना को ही प्रशीतन भण्डार में नहीं रखना चाहिए। उन्हें इस पर कार्यवाही करनी चाहिए ।

मैं अपने विज्ञान अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं जो बहुत अच्छा अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अधिक उपज तथा रोग प्रतिरोधी किस्म का विकास किया है जिनके लिय मंत्री महोदय ने उनको धन्यवाद नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ मित्र श्री बरनाला को साइंसदानों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने शानदार काम किया है। विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। हमारी पैदावार सरकारी प्रयत्नों और वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्यों के परिणाम स्वरूप बढ़ गई है वे देश में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो कि अमेरिका और रूस की तुलना में भी अच्छा है। चिन्ता का विषय यह नहीं है कि हम कितना उत्पादन करते हैं, बल्कि यह है कि प्रतिदिन भूमि की उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है और मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं। मैं मंत्रियों से यह जानना चाहता हूं कि वे क्या करने जा रहे हैं। राजस्थान नहर को वे कब पूरा करेंगे जो कि मरुस्थल के बढ़ने को रोक सकती है । यह एक राष्ट्रीय समस्या है, यह राजस्थान की ही समस्या नहीं है। यदि कोई इसे राजस्थान की समस्या समझता है तो वह देश के साथ न्याय नहीं कर रहा है। राजस्थान नहर को यथासंभव शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये और जिन हरियाले स्थानों का विकास किया जाना है, उन्हें विकसित किया जाना चाहिये। इस देश में हम निष्ठुरता से वृक्षों को काट रहे हैं इसी कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है और यह बाढ़ भूमि की उत्पादकता को बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में जा कर छोड़ देती है । इसे रोका जाना आवश्यक है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। मैं चाहता हूं कि भूमि की उत्पादकता बनाई रखी जाए। एक मंत्री जी आ रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं। इस बीच भूमि की उर्वरता का क्या हुआ, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, न कि आप कितना उत्पादन कर रहे हैं यह।

अब प्रति एकड़ उपज कम हो जाएगी क्योंकि आप कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। कार्बनिक उर्वरक भूमि की उर्वरता को नष्ट कर रहे हैं। हम खाद गोबर और अन्य चीजें चाहते हैं। हम हरी पत्तियां चाहते हैं। वृक्षों को काट दिया गया है। हरियाणा और पंजाब में बहुत से पेड़ लगाए गये हैं। इस देश में यदि 100 पेड़ काटे जाते हैं तो एक भी नहीं लगाया जाता। भूमि की उर्वरता की सुरक्षा के लिये और भूमि कटाव से बचने के लिये पेड़ अवश्य लगाये जाने चाहिये। यदि पेड़ नहीं होंगे तो भूमि कटाव होगा। भूमि कटाव के कारण नदी क्षेत्र भर जाता है। इसी कारण बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र अपने इलाके की अच्छी भूमि को नष्ट कर रही है। इसी प्रकार समुद्र द्वारा भूमि कटाव के कारण तटीय क्षेत्रों में

तबाही मची हुई है। हमारा देश भूमि कटाव के कारण प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। बम्बई मैरीन ग्राइव में जो कुछ किया गया है वह शेष देश में भी किया जाना चाहिये। केवल इसी प्रकार हम समुद्र, वायु और अन्य चीजों से होने वाले भूमि कटाव को रोक सकते हैं। हमें वृक्ष लगाने चाहिये। हमें योजना बनानी चाहिये। पहले श्री के० एम० मुन्शी ने एक योजना बनाई थी। उस योजना को विभिन्न कारणों से कार्यान्वित नहीं किया जा सका। मैं मंत्रियों से जानना चाहता हूं कि वे जंगलों की रक्षा किस प्रकार करना चाहते हैं। वनों की न्यूनतम आवश्यकता है कि लगभग 33% भूमि पर वन होने चाहिये। अब यह 24% या 22% हो गये हैं। ये प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। यह एक भयंकर खतरा है। अब भूमि की उर्वरता कम हो गई है। भूमि की उत्पादकता भी कम हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यह मुद्दा किसी द्वारा नहीं उठाया गया है।

यह एक अच्छी बात है कि जनता पार्टी किसानों की ओर ध्यान दे रही है। आन्ध्र प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री ने 2½ एकड़ और कम भूमि पर भू राजस्व की छूट दे दी है। क्या अन्य राज्यों को भी ऐसे ही अनुदेश दिये जायेंगे कम से कम जनता शासित राज्यों को इसका कार्यान्वयन किया जाना जरूरी है। अगर आप छोटे किसानों को संरक्षण देंगे तभी समृद्धि आयेगी। निस्सन्देह अपने बचपन के दिनों में आपने अवश्य गाया होगा:

मेरी माता के सिर पर ताज रहे,

तो ताज तो आ गया है,

अब हम स्वतन्त्र हैं।

घर घर में आदमी के अनाज रहे।

मगर घर-घर में अनाज नहीं है। तो आपके गोदाम भरने से लोगों का पेट नहीं भरता है। लोगों का पेट भरना है तो उनमें खरीदने की शक्ति पैदा करनी चाहिये। शक्ति पैदा करने के वास्ते आप क्या करना चाहते हैं। आपके पास सरप्लस अनाज इस वास्ते है कि आदमी खरीद नहीं सकता है। आप फूड फार वर्क में खाना देकर उससे काम लेना चाहते हैं। यह स्कीम अच्छी होगी, मगर इसका ज्यादा प्रचार नहीं होना चाहिये। देश के बाहर यह बात नहीं जानी चाहिये कि यहां के लोग इतने गरीब हैं कि खाना मिलने के नाम पर काम करने को तैयार हैं यह हमारी सैल्फ रेस्पैक्ट के खिलाफ है। आप मेहरबानी कर के इस स्कीम का नाम बदल दीजिये जैसा आपने बिलिंग्डन हस्पताल का नाम डा० राम मनोहर लोहिया हस्पताल किया है, किसी और हस्पताल का नाम कृपलानी हस्पताल किया है और कुटुम्ब कल्याण बनाया है, इसी तरह से इसका नाम भी बदल दीजिये। यह फूड फार वर्क बहुत खराब चीज है, इसका प्रचार नहीं होना चाहिये।

यदि फूड फार वर्क के लिये लोग काम करने को आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लोग गरीब हैं। खाना खरीदना चाहते हैं, तो उनकी पर्चेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिये। फूड फार वर्क पर आपको पूरा ध्यान नहीं देना चाहिये।

यह कहना कि फूड कारपोरेशन सब करप्शन है, फलां है, तो मेरी कांस्टीटुएन्सी में भी 7,8 जगह फूड कार्पोरेशन खुले हैं, एक दो जगह पर और खोलने का था। खाली मैं लैटर लिखता हूं कि वैइंग सैंटर और पर्चेजिंग सेंटर खुले निजामाबाद आन्ध्र प्रदेश में। मैं कहना

चाहता हूं कि जो एम० पी० इन्हें बुरा भला कहने को आते हैं, वह खुद एक्शन क्यों नहीं लेते? जब मैं कर सकता हूं तो दूसरे एम० पी० भी कर सकते हैं, उसके वास्ते पार्लियामेंट का फोरम और समय बर्बाद नहीं होना चाहिये। कौन ऐसा व्यक्ति है, वह जनरल मैनेजर हो या कोई और अफसर, कि अगर कोई पार्लियामेंट का मेम्बर डट कर कहे कि ऐसा नहीं होना चाहिये, जो फिर भी वैसा करने की हिम्मत करे? हम लोग तो आपोजीशन में हैं, जब हम लोगों की बात चलती है, तो आप लोगों की गवर्नमेंट तो सेंटर और स्टेटस में है, आपकी बात क्यों नहीं चलती है? इन बातों की शिकायत यहां पर नहीं आनी चाहिये। मिनिस्टर साहब या फूड कार्पोरेशन के मैनेजर को एक लैटर लिखना ही काफी है। फूड कार्पोरेशन हो या कोई और संस्था हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि वह पब्लिक रिप्रेजन्टेटिव्ज की बात को न माने। आखिर इसमें हमारा कोई पर्सनल गेन तो नहीं है। हम किसानों के नुमायदे हैं। हम यही चाहते हैं कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिये, उन्हें पूरा पैसा मिलना चाहिये, उनकी लूट-खसूट नहीं होनी चाहिये, और उन्हें व्यापारियों के चुंगल से बचाना चाहिए। ये काम करने के लिये हम लोग, पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव हैं। अगर हम लोगों की बात वहां नहीं चलती है, तो मिनिस्टर साहब को कहने से वह आदमी वहां से जा सकता है, ससपेंड और डिसमिस हो सकता है। इसलिये हम लोगों को इस बारे में प्रयत्न करना चाहिये।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने के लिये आपने मुझे जो अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

आज कल कृषि के बारे में हमारे देश में आम धारणा बन चुकी है कि हमारा देश अनाज के उत्पादन में आत्म निर्भर हो गया है और हम दूसरे देशों को अनाज भेजने लगे हैं। यह एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है और इसके लिये हम सरकार और मंत्री महोदय को बधाई देना चाहते हैं। यों तो हमारे देश में जो क्लाईमेंट है, वह भी इस स्थिति के लिये मुख्य रूप से, बहुत हद तक, जिम्मेदार है, जिसमें कृषि का उत्पादन बढ़ा है। लेकिन हमें अभी तक बहुत कुछ कार्य करने हैं। सब से पहले मैं फूड कंन्ट्रोल के बारे में कहना चाहता हूं।

मेरा सुझाव है कि हमें कृषि को बाढ़ से बचाने के लिये युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिये। सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाये हैं, लेकिन इस बारे में जितनी तत्परता की आवश्यकता है, वह हमें नीचे के कर्मचारियों और दूसरे लोगों में दिखाई नहीं देती है, जो इस कार्य को करने के लिये जिम्मेदार हैं। मैं खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर कुछ कहना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम नदियों में हर साल भयंकर बाढ़ आती है, जिससे कृषि को बहुत नुकसान होता है। मैं अपने जिले गोरखपुर में एप्ती घाघरा, रोहिनी और नारायणी नदियों की बाढ़ के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो बांध बनाने की स्कीम चालू की गई है, उसे अतिशीघ्र कार्यान्वित करायें, अन्यथा इस समय लोगों को बहुत क्षति उठानी पड़ती है और कृषि का बहुत नुकसान होता है।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर भारत और देश के काफी बड़े हिस्से में फलड-कन्ट्रोल के लिये कैप्टन दस्तूर की गारलेंड कैनाल की स्कीम पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। उन्हें संसद् सदस्यों की एक मीटिंग में बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने

गारलेंड कैनाल स्कीम के बारे में बहुत विस्तार के साथ बताया था। जो बातें उन्होंने बताई थीं, अगर वे सब ठीक हैं, तो हम कह सकते हैं कि गारलेंड कैनाल के बनने के बाद न केवल बाढ़ पर नियंत्रण हो जायेगा, बल्कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। इस लिये इस स्कीम पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। योजना मंत्रालय की मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधान मंत्री जी ने भी इस का जिक्र किया था और कहा था कि सरकार उसके बारे में कार्य कर रही है। लेकिन यदि वह बहुत ही यूजफुल स्कीम है, तो देखना चाहिये कि उसे जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाये।

फ्लड कन्ट्रोल के अलावा दूसरी बात मैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने जब कभी भी इस सवाल को सदन में उठाया है बराबर यह कहा है कि शुगर इंडस्ट्री में तमाम मिल मालिक हमारे किसानों का और आम जनता का शोषण कर रहे हैं। उस शोषण से मुक्ति के लिये और साथ ही उस पर पूरी तरह से एक नियंत्रण स्थापित रखने के लिये जिस से कभी उस की कमी न होने पाये, शुगर इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण की दिशा में सरकार को अवश्य सोचना चाहिये।

लैंड रिफार्म के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि लैंड रिफार्म की जो स्कीम चलाई हुई है उस में अभी भी ठीक ढंग से जमीन का बंटवारा नहीं हो पा रहा है और लोगों को जमीन नहीं मिल पा रही है। इस में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है लेकिन केन्द्रीय सरकार को भी इस में तत्परता दिखाने की आवश्यकता है। तमाम गांवों के अन्दर सीलिंग के बाद जमीन निकली हुई है लेकिन उस का ठीक ढंग से बंटवारा नहीं हुआ है। जिसकी जमीन निकली हुई है वही लोग उस पर खेती भी कर रहे हैं। इसलिये आज जो कृषि के कार्य में लगे हुए मजदूर हैं उन की दशा सुधारने के लिये और साथ ही भूमिहीनों की दशा को भी सुधारने के लिये उस भूमि के बटवारे पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उस में किसी प्रकार की कमी करना देश के गरीब लोगों के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय होगा जब कि हमारी सरकार वचनबद्ध है कि गरीबों का हित करेगी।

वनों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे पहाड़ों के अन्दर जो जंगल काटे जा रहे हैं या काटने की जो योजनायें हैं उन्हें तुरन्त रोकना चाहिये। हमें नये जंगल लगाने चाहिये, न कि ऐसी जगहों से जंगल काट लेने चाहिये, खास तौर से पहाड़ों से जंगल काट लेने से जो भू-स्खलन होता है उस से कितनी हानि उठानी पड़ती है। अभी भागीरथी में भू-स्खलन के बाद जो एक बहुत बड़ी चट्टान आ कर रुक गई थी उस से कितना खतरा पैदा हो गया था, यह हमें पता है। तो जंगल काटने से इस तरह की घटनायें होती हैं, इसलिये बजाय जंगल काटने के नये जंगल लगाने की दिशा में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

इरीगेशन फैसिलिटीज के बारे में यह जान कर के हमें प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। लेकिन हमें इस दिशा में भी बहुत तेजी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है और राज्य सरकारों को जहां केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिये पैसे देती है वहीं उसे पैसे दे कर ही अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो जाना चाहिये बल्कि बराबर राज्य सरकारों पर इस बात का दबाव भी डालने की कोशिश करते रहना चाहिये कि राज्य सरकारें इस काम को पूरी तेजी से करें। अगर इरीगेशन फैसिलिटीज ठीक ढंग से नहीं दी जायेंगी

तो कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और हम आत्म निर्भरता के जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पायेंगे।

ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें बतायी हैं। बात बहुत उत्साहबर्द्धक है। बहुत तेजी से यह काम हो रहा है और खास तौर से यह जो फूड फार वर्क स्कीम चली है उस में तमाम गांवों के अन्दर लिंक रोडस बन रही हैं और दूसरे तरह के भी कार्य हो रहे हैं लेकिन उन कार्यों में जिस तरह की तेजी होनी चाहिये वह नहीं हैं क्योंकि हम ने देखा है कि सरकारी अधिकारी जो राज्य सरकार से संबधित हैं वे लोग उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे ह । लेकिन उन के न ध्यान देने के बावजूद भी क्योंकि जन प्रतिनिधियों का उन पर दबाव रहता है इसलिये काफी काम हुआ है। अगर उस मशीनरी को स्कीम लाइन करने की व्यवस्था की जा सके तो वह भी करना चाहिये और सरकार को उस दिशा में भी सोचना चाहिये।

इंडियन कौंसिल आफ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह संगठन हमारे देश में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये नये अनुसन्धान करने के लिये बनाया गया था और इस ने महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह पता नहीं चलता कि यह अच्छे कृषि उत्पादन के लिये बना है या सू ाइड के नये नये तरीके ढूंढने के लिये। हमेशा ही वहां पर सूसाइड होता रहता है और नये नये तरीके से होता है। कभी कोई गले में फन्दा लगा लेता है, कभी कोई ऊपर से कूद जाता है, कभी कोई तीसरी मंजिल से कूदता है, कभी कोई चौथी मंजिल से कूदता है । इस तरह के तमाम कार्य वहां पर हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी को देखना चाहिये कि वहां पर क्या कारण है कि जो इस प्रकार की बातें होती हैं। कहां जाता है कि आई०सी०ए०आर०वे वैज्ञानिकों के गुट बने हुए हैं और वे एक दूसरे से इस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा में रहते हैं कि एक दूसरे का पांव खींचने में लग रहते हैं। माननीय मंत्री जी को देखना चाहिये कि सही तरीके से वहां उन को प्रोमोशन वगैरह मिले और जो सुविधायें आवश्यक हैं वह मिलें। इस पर ध्यान देना चाहिये।

पोटैटो रिसर्च इंस्टीच्यूट जो है उस के बारे में मैंने एक पत्र लिखा था माननीय मंत्री जी को 23 नवम्बर 1978 को। वह पत्र उन्होंने ऐक्नालेज किया है। उस के बाद उस में क्या हुआ यह कुछ नहीं पता चला । वहां के निदेशक के बारे मेंमैं ने कुछ आरोप लगाये थे जो मुझे मिले थे। वह मैं ने उन को भेजे थे। मुझे लगता है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, अन्यथा माननीय मंत्री जी ने हमें सूचित किया होता। इस प्रकार से तमाम लोगों के बारे में, जैसा कि अभी भानु प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि आप लोग कोई बात बताते नहीं है तो हम बताते हैं और उससे कोई कार्यवाही नहीं होती तो उससे बड़ी निराशा होती है जहां तक माडर्न बेकरी का सम्बन्ध है, वहां पर कोई यूसुफ साहब थे [मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया। उनके खिलाफ तरह तरह के चार्जेज थे। शायद सी०बी० आइ० के द्वारा भी इंक्वायरी हुई थी। उनके ऊपर क्या कार्यवाही हुई है—इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। सम्भवतः कोई कार्यवाही हुई ही नहीं है। आज माडर्न बेकरी की स्थिति यह है कि उसकी यूटिलाइजेशन कपेसिटी लगातार घटती चली जा रही है। मंत्रालय की ओर से जो किताब दी गई है उसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं किन्तु उसकी स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती चली जा रही है। उसमें केवल नौकरशाही का ही बोल बाला है।

इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कम्पनी पेय-77 का उत्पादन भी कर रही है लेकिन यह देखकर बड़ा दुख होता है कि पेय-77 का कंजम्शन उस मात्रा में नहीं हो रहा है जितना कि दूसरे पेयों का है: कम्पनी अपने प्रोडक्ट को उस क्वालिटी का नहीं बना पा रही है जिस क्वालिटी की आवश्यकता है। इसी प्रकार से और भी उद्देश्य थे जिनके लिये आप काम करना चाहते थे लेकिन आज वे सारे काम बन्द हो गये हैं।

दिल्ली मिल्क स्कीम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इसको कम्पनी के रूप में बदलने की योजना बना रही है जिसके कारण बहुत सारे कर्मचारियों में क्षोभ व्याप्त है। वे यह समझते हैं कि कुछ नये तरीके के उपकरण आयेंगे और कम्पनी बनाकर कुछ इस प्रकार के काम किये जायेंगे जिनसे तमाम लोगों का रेट्रेंचमेंट होगा। तो इसको बचाने के लिये भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एफ० सी० आई० के गोदामों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं बहुत संक्षेप में, जो प्वाइंटस मैंने लिख रखे हैं, उनको बता रहा हूं ताकि मंत्री जी उन पर ध्यान दे सकें। एफ० सी० आई० के गोदामों के लिये वर्ल्ड बैंक ने लगभग 360 करोड़ रुपया दिया है लेकिन अभी तक उस काम की शुरुआत ढीक ढंग से नहीं हुई है। खास तौर से रूरल एरिया में कहीं एफ० सी० आई० के गोदाम नहीं बन रहे हैं। यदि उत्पादन बढ़ा है तो उस को रखने के लिये जगह भी चाहिये। हमेशा अनाज सड़ता है और हमेशा इस सदन में तरह तरह की बातें आती हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस के अलावा बोरों की कमी की बात भी कही जा रही है। यदि बोरे नहीं होंगे तो उसको कैसे रखा जायेगा? यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रोप्रोज्ड रेलवे लाइन इन रूरल एरियाज के बारे में रेल मंत्री जी ने कहा था कि जहां कृषि फार्म हैं जहां कृषि को काफी पैदावार होती है वहां रेलवे लाइन बनायेंगे। मुझे पता नहीं रेल मंत्रालय की ओर से कोई पत्र आपके पास आया है या नहीं जिस के आधार पर आप बता सकें कि कौन से क्षेत्र हैं चहां पर रेलवे लाइन बनाई जायेगी। उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश में जो रामपुर काठगोदाम लाइन है वहां पर कृषि का बहुत बड़ा क्षेत्र है। रामपुर काठगोदाम की पहले से ही प्रोप्रोज्ड लाइन थी लेकिन उस को रोक दिया गया है। उस को रेलवे बनाने नहीं जा रही है। इसलिये कृषि मंत्री जी को कहना चाहिये कि रेलवे ने अगर इस तरह को कोई योजना बनाई है तो उस रेलवे लाइन को फौरन बनाना चाहिये।

गेहूं वगैरह की प्राइस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कृषक जो कुछ भी पदा करते हैं उस का उचित मूल्य उनको मिलना चाहिए। उसका क्या प्रबन्ध हो रहा है उसके बारे में मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिये। खाद के दाम तो जरूर कम किये गये हैं। पहले भी कुछ कम हुए थे। अनाज के दाम भी कुछ बढ़ाये गये हैं लेकिन उस के बावजूद कृषक महसूस करता है कि उस को उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी अपने जवाब में इन सारी बातों को स्पष्ट करेंगे। किसानों को राहत देने के लिये वे खास तौर से कुछ योजनायें बनायेंगे। अन्त में पुनः दोहरा देना चाहता हूं कि फ्लड कन्ट्रोल के ऊपर वह विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हमेशा बाढ़ से जलमग्न हो जाता है और उस से बड़ी क्षति होती है।

श्री के० मालन्ना (चित्रदुर्ग) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं देश की किसानों की मदद करने के लिये कृषि मंत्री को बधाई देता हूं। 60 प्रतिशत से अधिक किसान परिवार गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं। सरकार उनकी दशा सुधारने हेतु काम के बदले, अनाच सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, छोटे किसान विकास एजेंसी, आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम और पहाड़ी क्षेत्र विकास परियोजना जैसे कार्यक्रम चलाये हैं। ये सब अन्तोदय योजना के अलावा हैं।

मैं उस क्षेत्र से आया हूं जिसे योजना आयोग ने पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है। मेरा सभा निर्वाचन क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और छोटे किसान विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है कि ये दोनों कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित हैं। ये कार्यक्रम देश के बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिये चलाये गये हैं।

सभापति महोदया, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 राज्यों के 74 जिले आते इहैं। सका अर्थ है इसका काम देश के 12 प्रतिशत लोगों को होता है। क्षेत्र के हिसाब से इसके अन्तर्गत 5.66 लाख वर्ग कि० मी० क्षेत्र आता है यानि कुल का 20 प्रतिशत। इसके लिये वर्ष 1979-80 में 59.44 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। मेरे विचार से यह बहुत कम है क्योंकि योजना आयोग ने इस योजना के अन्तर्गत 200 जिलों को पिछड़ा घोषित किया है। इस योजना का काम भूमि गत जल से सिंचाई साधन उपलब्ध करना है। छोटे किसानों और खेतिहरों को रोजगार देने के लिये इसके अन्तर्गत भू-संरक्षण, बागवानी और कई अन्य काम आरम्भ किये गये हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास और छोटे किसान विकास ऐजेंसी शामिल हैं। कुछ भू-संरक्षण और पौधे लगाने के अलावा इसमें और कुछ काम नहीं हुआ है। योजना क्षेत्र की स्थिति के अनुरूप बनाई जानी चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भद्रा नदीं है। अगर भद्रा से पानी लिया जाये तो 13 तालुकों को सिंचित किया जा सकता है। अगर इन 13 तालुकों को सिंचाई के लिये पानी मिल जाता है तो सरकार की उक्त योजना सफल हो सकती है लघु सिंचाई योजनाओं पर भन लगाकर, वह भी गिनकर खर्च, 50,000 से अधिक हो, ही हम योजना को सफल बना सकते हैं। पर लघु सिंचाई योजनाओं, नलकूपों और कूपों की खुदाई के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है अगर इन एजेंसी से कहें कि आप नलकूप लगायें या कुवां खुदवायें तो वह कहेंगे कि लघु सिंचाई योजना हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आती। अत: इसे सूखाग्रस्त क्षेत्र योजना के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता। तो बिना नलकूपों के आप भूमिगत जल का उपयोग कैसे कर सकते हैं? अत: यह केवल नाम मात्र के लिये है।

इन क्षत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग लगाये जाने चाहिये। कहा गया है कि बाग-वानी, मत्स्यपालन, मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर यह सब नाम के लिये है। इसे ठीक से अमल में नहीं लाया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्रालय इस पर गम्भीरता से कार्य करें।

इन योजनाओं के लिये ऋण देने में बैंक गरीब तबके के लोगों को काफी परेशान करते हैं। यद्यपि कृषि श्रमिकों को 30 से 60 प्रतिशत तक की राजसहायता दी जाती है

पर राष्ट्रीयकृत तथा स्थानीय बैंक इन लोगों की मदद करने आगे नहीं आ रहे हैं। अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस विषय की जांच करें और उन्हें आसान तरीकों से ऋण दिलायें।

ये योजनायें गरीब वर्ग के लोगों के विकास के लिये हैं। पर इन्हें ठीक ढंग से अमल में नहीं लाया गया है छोटे उद्योगों और अन्य उद्योगों की सहायतार्थ जिस प्रकार औद्योगिक केन्द्र स्थापित किये गये हैं उसी प्रकार उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृषि केन्द्र स्थापित किये जायें।

गरीब किसानों के पास मुर्गी पालन हेतु घर नहीं हैं। जब वह बैंक से ऋण मांगते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास उनको रखने की जगह है। वह भी वैज्ञानिक आधार पर बना होना चाहिये। जब वे लोग कहते हैं कि हम ऐसी जगह नहीं बना सकते तो बैंक उन्हें ऋण नहीं देता।

इसी तरह रेशम कीट उद्योग के लिये कोयों के उचित पालन के लिये सुनिर्मित मौसम में सुरक्षित मकानों की आवश्यकता है किन्तु छोटे किसान जिनके, पास दो या तीन एकड़ जमीन है, ऐसे मकान नहीं बना सकते हैं और बैंकों से उन्हें ऋण नहीं मिल रहा है। परिणामतः वे यह उद्योग नहीं अपना रहे हैं।

यदि ग्रामीण लोगों के लिये कोई भी कार्यक्रम है वह है डेरी फार्म का कार्यक्रम। इसमें भी बैंक ऋण के आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार कर देते हैं कि उनकी उचित गौशालायें नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन सब बातों पर विचार करें और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि केन्द्र स्थापित करें।

मैं एक और बात पर जोर देना चाहता हूं। जहां तक दूध की समितियों का सम्बन्ध है, हमें मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीति पर विचार करना है। मेरे राज्य में राज्य सरकार ने बड़ी कठिनाई से कुछ क्षेत्रों में कर्नाटक डेरी योजना नाम की एक योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत दूध का न्यूनतम मूल्य 1.35 रु० प्रति लिटर निश्चित किया गया है। गुजरात में 1.65 रु० है। अन्य राज्यों के बारे में मैं नहीं जानता। इसमें काम आने वाली सामग्री की कीमतें बढ़ रही हैं। मवेशियों के चारे की कीमत बढ़ गई है। भैसों और गायों की कीमतें भी बढ़ गई हैं अतः वे मवेशियों का भरणपोषण नहीं कर सकते हैं। दुधारू मवेशियों को खरीदना कठिन हो गया है क्योंकि वे बहुत कीमती हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे दूध की न्यूनतम कीमत निश्चित करें क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों को सहायता मिलेगी। इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। खाद की आसानी से उपलब्धता से वे जमीन की उत्पादकता में सुधार कर सकेंगे।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन की सुविधाओं का सम्बन्ध है, डी० पी० ए० पी० कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीब लोगों को तथा किसानों को भैंसे और गायें खरीदने के लिय ऋण दिये जा रहे हैं किन्तु उन्हें दूध के लिये बाजार नहीं मिल रहे हैं अतः वे ऋणों की वापसी जो उन्हें दिये गये हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे विपन सुविधाओं में सुधार करने के बारे में आवश्यक कदम उठायें। यदि वह छोटे और सीमान्त किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में वस्तुतः गहरी रुचि रखते हैं, तो उन्हें कृषि

केन्द्र स्थापित करने होंगे, उपज के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने होंगे और विपणन सुविधाओं में भी सुधार करना होगा। धन्यवाद।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति जी, अभी जो बहस चल रही है, उस के बारे में सब से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों से सम्बन्ध रखने वाली इस बहस में तीन तरह के लोग हैं, जिन्होंने हिस्सा लिया है। एक तो वास्तव में किसान है, जो गांव में खेत की मेढ पर खड़ा हो कर अपनी खेती करता है। दूसरा वह है, जो कोठी शहर में रखता है लेकिन उसका फार्म देहात में है और वह भी अपने आप को किसान कहता है और तीसरे ऐसे लोग है जो एअर कंडिशन्स मकानों में गद्दों पर बैक कर केवल किसानों से सम्बन्धित कुछ किताबें पढ़ कर आंकड़े इकट्ठा कर लेते हैं और वे भी अपने आप को किसान समझते हैं।

सही मायने में गांव की समस्या के बारे में ऐसे लोग विचार करते हैं जिन्होंने गांव को कभी देखा नहीं, जिनके घर की औरतों को भादों की अंधेरी रात में विदाय पर कीचड़ हेलकर कभी सड़क के किनारे पाखाने पर नहीं बैठना पड़ा, वह कभी गांव वाली औरतों की कठिनाई के बारे नहीं जान सकते। आज भी गांव में बसने वाली करोड़ों ऐसी औरतें हैं, जिनको 12 घंटों तक पाखाने को अपने पेट में सड़ा कर रखना पड़ता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उनके पाखाने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सूर्यास्त होता है तो गांव के बाहर जब पाखाने को जाती हैं और सड़क के किनारे पर पाखाने पर बैठती हैं, उस समय कोई राही रास्ते से निकलता है तो आधा पाखाना पेट में लेकर खड़ी हो जाती हैं। गांव में बसने वाली उन करोड़ों औरतों के बारे में वही जान सकता हैं जिस ने कभी उस वातावरण को देखा हो, वहां पला हो, जिसको उस वातावरण की असलियत का ज्ञान हो। आजाद भारत में गांव में बसने वाली करोड़ों महिलाओं के पाखाना जाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाई और जनता राज्य में ही कोई उस तरफ दृष्टि है और न उसको सुधारने की चिन्ता है।

जिस देश में मातायें रोगिणी होंगी, रोगिणी के पेट से कभी स्वस्थ उन्तान पैदा नहीं हो सकती, देश की सन्तान मां के पेट से ही रोगिणी होगी, उस सन्तान से कभी देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिये अगर सीमाओं की सुरक्षा करनी है तो गांव की करोड़ो महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिये पहले उनके पाखाने की व्यवस्था करनी होगी।

आज हम खेती पर चर्चा करते हैं। खेती के लिये जो लोग पिस रहे हैं, एक तरफ सरकारी तन्त्र हैं और दूसरी तरफ व्यापारी। इस व्यापारी और नौकरशाही की चक्की में खेती पिस रही है। कबीरदास ने कहा था--

चक्की चलते देख कर दिया कबीरा रोय,

दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोय।

व्यापारी की बात जब हम करते हैं तो उसको क्यों नहीं बढ़ावा मिलेगा? व्यापार में लाइसेंस, परमिट, घूस, तरक्की, मुनाफा अजोर फाइवस्टार होटल सब कुछ है, लेकिन खेती में न लाइसेंस, न परमिट, न घूस और न खेती करने वालों के पास फाइव स्टार होटल जहां वह मोटर को ठहरा सकें। जहां सुख और सुविधाओं का अम्बार है, वहां व्यापार की तरक्की होगी, खेती

में यह सुख-सुविधायें नहीं हैं इसलिये किसानों की उपेक्षा होती रहेगी। आज जब यह कहते हैं कि जनता सरकार ने बहुत ज्यादा किया, मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इस बजट में गांव के प्रति, किसानों के प्रति कुछ ध्यान दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देख लें कि शहरों में बसने वाले जो मुट्ठी भर आदमी हैं, जिनके हाथ में समाचार पत्र है और दूसरे साधन हैं वही आज वित्त मंत्री के खिलाफ और इस बजट के खिलाफ हंगामा खड़ा किये हुए हैं कि यह बजट मंहगाई का बजट है और फलां है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों में अपने गांव के लिये क्या किया ? मैं यह भी कहना चाहूंगा के हमारे कृषि मंत्री जी और दूसरे लोग कहते हैं कि गांव वालों के लिये बहुत कुछ किया गया है, गांव पर बहुत खर्चा हुआ है, लेकिन मैं हैरत में पड़ जाता हूं जब इनका दिया हुआ इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण देखता हूं जिसमें लिखा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना पर जहां कृषि और समस्त क्षेत्र पर 14.7 प्रतिशत खर्च किया गया था, वहां 1978–83 की योजना में जो इन्होंने दर्शाया है वह 13.7 प्रतिशत है यह आर्थिक सर्वेक्षण इन्हीं का दिया हुआ है । यह कहते हैं खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में जहां 14.7 प्रतिशत खेती पर व्यय था वहां 78-83 वाली प्रस्तावित योजना में इसे घटाया गया है जिसका प्रारूप अभी तैयार नहीं है। उसमें 13.7 प्रतिशत है और 1978–79 वाले परिव्यय में बताया है कि 15.0 है। सिंचाई में जहां चौथी योजना में 8.6 प्रतिशत बताया गया है वहां 1978–83 वाली योजना में 11.5 है, केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि यह बता रहे हैं। 1978–79 में जो 10 प्रतिशत इन्होंने खर्चे में रखा है जब कि 1978 से 83 वाली योजना में 1 प्रतिशत कमी है।

उद्योग में जहां चौथी पंचवर्षीय योजना में 18 प्रतिशत इन्होंने रखा था वहां 1978–83 की योजना में 19.2 प्रतिशत है। यहां भी जो बड़े उद्योग हैं, उसके अनुसार अगर चौथी पंचवर्षीय योजना के मुकाबले इनकी जो योजना बनने जा रही है उसमें इन्होंने 1.2 प्रतिशत ज्यादा खर्च रखा है और कृषि में 1 प्वाइन्ट कम कर के रखा है। यह इनकी सर्वेक्षण की किताब में प्रकाशित हुआ है ।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने नवम्बर, 1978 तक द्वारा दिये गये कर्जों के बारे में ये आंकड़े दिये : कृषि : 11.5 प्रतिशत, लघु उद्योग 11.6 प्रतिशत, बड़े उद्योग: 39.6 प्रतिशत हिन्दुस्तान के लगभग 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं और 80.10 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं। कृषि पर निर्भर करने वाले लगभग 70 प्रतिशत लोगों को केवल 11.5 प्रतिशत बैंक ऋण दिये गये, जबकि बड़े उद्योगों को 39.6 प्रतिशत दिये गये। ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं ? सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम खेती की तरफ रहे हैं और बड़े उद्योगों में एकाधिकार को खत्म करने के लिये आर्थिक विकेन्द्रीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बैंकों का दृष्टिकोण यह बताता है कि सरकार आर्थिक विकेन्द्रीकरण और खेती की तरफ नहीं बढ़ रही है, क्योंकि कृषि को कम ऋण दिया जा रहा है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य दो मिनट में समाप्त करें।

श्री हुकम देव नारायण यादव : अन्य सदस्यों को 15, 15 मिनट दिये गये हैं। मुझे थोड़ा समय और दिया जाये।

सभापति महोदय : नहीं, माननीय सदस्य दो मिनिट में समाप्त कर दें ।

श्री हुकम देव नारायण यादव : जिस देश में खेती पर भार जितना कम होता है, वह देश उतना ही धनवान होता है। क्या कृषि मंत्रालय द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही की जा रही है कि खेती पर से भार को कम किया जाये? खेती पर भार तब तक कम नहीं होगा, जब तक कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जायेगा। रूस में कुल आबादी का 31.9 प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर है, अमरीका में 4.0 प्रतिशत ब्रिटेन में 2.8 प्रतिशत और जापान में 20.7 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन भारत में जनसंख्या का 69.7 प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर करता है।

यह दर्शाता है कि जिस देश में खेती पर जितनी कम जनसंख्या का भार है, वह देश उतना ही मालदार और खुशहाल है, लेकिन जिस देश में खेती पर ज्यादा जनसंख्या का भार है, वह देश उतना ही गरीब है । अगर हम भारत जैसे गरीब देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी तरक्की करना चाहते हैं तो खेती पर से भार को कम कर के अधिक से अधिक लोगों को कुटीर उद्योगों की तरफ ले जाना होगा। लेकिन कुटीर उद्योगों का विकास तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि हम यह तय न करें कि जिन वस्तुओं का निर्माण मनुष्य के हाथों से हो सकता है, उनका उत्पादन बड़े कारखानों में नहीं होगा।

मेरे सामने प्रति व्यक्ति उपभोग के बारे में भारत सरकार के ये आँकड़े हैं :

	1955–56	1977–78
खाद्य तेल	2.5 किलोग्राम	3.9 किलोग्राम
चीनी . . .	5 किलोग्राम	7.2 किलोग्राम
सूती कपड़ा	14.4 मीटर	11.8 मीटर

इससे पता चलता है कि जहाँ 1955–56 में कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा 14 मीटर थी, वहाँ 1977–78 में वह घट कर 11 मीटर रह गई। एक तरफ रुई के दाम कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ कपड़े के दाम बढ़ रहे हैं।

गाँवों के सुधार की बात कही जाती है, मगर श्री जार्ज फर्नान्डीज उद्योग मंत्री, ने कहा है कि नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन अपने उत्पादन में से केवल 40 प्रतिशत मोटा और साधारण कपड़ा बनाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस देश में 60 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं और 80 फीसदी लोग गाँवों में रहते हैं, वहां की नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन का दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि वह अपने उत्पादन का 60 या 80 फीसदी मोटा और साधारण कपड़ा तैयार करे। ऐसा करने पर ही गाँव वालों के तन पर

कपड़ा हो सकता है। इसलिये अगर सरकार किसानों और गाँव वालों के लिये कुछ करना चाहती है, तो उसे इस दिशा में सोचना होगा।

1971-72 में कृषि–उत्पादों का सूचकांक 100.4 था और थोक कीमतों का सूचकांक 105.6 था। 1971-72 से ले कर दिसम्बर, 1979 तक थोक कीमतों का सूचकाँक निरन्तर बढ़ता चला गया है और यही स्थिति विनिर्मित उत्पादों के सूचकांक की रही है, जो लगातार बढ़ता रहा है। कृषि के सूचक अंक ह्रास की ओर गये हैं। अप्रैल 1977 में जहां दूसरी वस्तुओं का सूचकांक 184 था वहां कृषि का 172 था। 1978 में जहां दूसरी वस्तुओं का सूचकांक 184 पर ही खड़ा है वहां कृषि उत्पादन की वस्तुओं का सूचकांक 172 से घट कर 169 पर चला आया है। तो लगता है कि कृषि उत्पादन की वस्तुओं का सूचकांक ह्रास की ओर चला जा रहा है और दूसरी वस्तुओं का सूचकांक बढ़ता चला जा रहा है। जब तक उसको रोका नहीं जायेगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। इसलिये सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिये।

आधे घण्टे की चर्चा

हरियाणा में डाकघर खाते

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई उत्तर) : मैं सभापति महोदया, 12-8-79 को प्रश्न संख्या 284 का जो उत्तर दिया गया है उस के बारे में, मैं यह चर्चा चलाना चाहती हूं। उस दिन सवाल के जवाब में जो बताया गया उसमें यह कहा गया कि 50 हजार रुपये से ऊपर के जो डिपाज़िट्स 1974 में हरयाने के पोस्ट आफिसेज़ में किए गए उस के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। मैं उस दिन बराबर पूछती रही कि कुल मिला कर 74, 75 और 76 तीन सालों में इस प्रकार के कितने लोगों ने डिपाज़िट्स किए थे और कितनों के बारे में जांच अभी तक हो गई है। मुझे जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक 1974, 75 और 76 में लगभग 712, पचास हजार रुपये के ऊपर के डिपाज़िट्स हरयाना के पोस्ट-आफिसेज़ में हुए इस के बारे देखने लायक चीज तो यह है कि उस में कई डिपाज़िट्स ऐसे हैं कि जहां 30 मार्च को डिपाज़िट किया, 2 अप्रैल को पैसा उसी एकाउंट में से वापिस ले लिया, 29 मार्च को डिपाज़िट किया और 2 अप्रैल को वापस ले लिया या फिर 31 मार्च को डिपाज़िट किया और 3 अप्रैल को ले लिया। ऐसे ही तीन चार दिन के लिए इतनी बड़ी रकम डिपाज़िट कर के जो वापस ले ली गई उस में कई व्यक्तिगत डिपाज़िट्स भी हैं, कई म्यूनिसिपैलिटीज़ के हैं, कई पुलिस इंसपेक्टर्स के हैं, तहसीलदार के हैं, डी एम्स के हैं, कोआपरेटिव मिल्स के हैं, जिला परिषदों के डिपाज़िट्स हैं, कई तरह के डिपाज़िट्स इस प्रकार के हैं और इस के बारे में दिसम्बर 1977 से इस सरकार के पास लगातार कई शिकायतें आई हैं, इस के बावजूद भी अभी तक इन की जांच पूरी नहीं हुई है, यह हमारी शिकायत है।

उस दिन के सवालों के जवाब में कम्यूनिकेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि इस में केवल 31 केसेज़ ऐसे हैं जिन में पोस्टल डिपार्टमेंट के रूल्स का उल्लंघन किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगी, उस दिन भी मैं बार बार कह रही थी कि जो 10 फरवरी 1978 के करेंट में आया है, उस में जो लिस्ट आई है और जो पचास नाम आए हैं उस में से 13 केसेज़ ऐसे हैं कि जहां पोस्टल डिपार्टमेंट के रूल्स वायलेट हुए हैं लेकिन उसके साथ साथ बाकी कई डिपाज़िट्स के केसेज़ हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि कुल मिला कर कितने ऐसे केसेज़ हैं। केवल करेंट में जो पचास केसेज़ दिए गए हैं उन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, 74, 75 और 76 सालों में कुल मिला कर कितने एकाउंट ऐसे खोले गए, कितनों के बारे में पोस्टल डिपार्टमेंट के रुल्स का उल्लंघन हुआ और उस के बारे में अभी तक क्या हुआ ?

मंत्री महोदय उस दिन बार बार कहते रहे कि जांच चल रही है, ऐक्शन ले रहे हैं, कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार की बातें वह करते रहे। मेरा यह कहना है कि जब 77 साल से यह बात चल रही है और अब काफी बातें सामने आ गई हैं, इनकम टैक्स विभाग भी इस के बारे में तलाशी कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में इस में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि 2 मार्च 1979 को कंवर लाल गुप्त जी के अनस्टार्ड क्वेश्चन नम्बर 1762 का जो जवाब दिया गया है उस में 1974 साल के 5 लाख के ऊपर के जो डिपाज़िट्स हैं उन के 85 केसेज़ के नाम दिए गए हैं। मुझे खेद है कि इस लिस्ट में भी नाम दिया है, कितना डिपाज़िट रखा उस की तारीख दी है लेकिन उस का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कि यह डिपाज़िट फिर से वापस कब लिए गए, कब विदड्रा किए गए, क्या एमाउंट था, इस की तारीख नहीं है। इस से ज्यादा शक होता है। दो तीन दिन के लिए पांच लाख आठ लाख दस लाख ऐसा एमाउंट रखा गया। किस के नाम से रखा गया, क्या बेनामी एकाउंट थे, इस के बारे में तीन केसेज़ के बारे में तो उस दिन भी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा था कि ये बेनामी एकाउंट्स हैं, ऐसा लग रहा है--आर पी सी का पांच लाख का डिपाज़िट, श्री एन के गर्ग, ज्वाइंट डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज़, हरयाना गवर्नमेंट का पांच लाख का डिपाज़िट और श्री कश्मीरी लाल, दि देन स्टूडेंट आफ डेलही यूनिवर्सिटी का 1 करोड़ 35 लाख का डिपाज़िट। मैं कहना चाहूंगी कि केवल 74 साल के बारे में ही आप मत कहिए, 74, 75 और 76 इन तीनों सालों में लगातार हरियाणा के पोस्ट आफिसेज़ में इस प्रकार के एकाउंटस खोले गए। ऐसा लग रहा है कि इस का उपयोग बेनामी एकाउंट्स खोल कर कुछ राजनैतिक कामों के लिए हो रहा था। तो क्या यह बात सही नहीं है ? इसके बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी जांच कर रहा है। कहां तक इस की जांच हुई है, यह मैं जानना चाहूंगी।

तीसरी बात यह है कि जो जांच अभी तक हुई उस के आधार पर क्या आप ने डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है उन के ऊपर कोई ऐक्शन लिया ? आप ने कहा है कि तीन पोस्ट मास्टर इन्वाल्व्ड हैं। उस दिन भी आप ने यह कहा था। तो इस में ऐक्शन लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है ? इस से ऐसा लगता है कि लोगों के मन में जो शक पैदा हुआ है वह बिलकुल वाजिब है। तीन दिन के लिए 6, 8 या 10 लाख कोई नहीं रखता है। कुछ न कुछ इस में दाल में काला है। असलियत क्या है वह सदन की जानने की इच्छा है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि आप कृपा कर के पूरी तरह से बताएं। उस

दिन जैसा लग रहा था कि तेरह केसेज ही हैं, उन में से कितने पर ऐक्शन ले रहे हैं या लेने का विचार चल रहा है, इस प्रकार की बात आप मत करें। सन् 74, 75 और 76 इन तीनों सालों में कितने एकाउंटस थे और क्या हुआ है यह बताएं। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास दूसरे मामलों के बारे में जांच चल रही है तो उन की तरफ से भी जवाब आने की जरूरत थी। आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस में जांच करेगा तभी पूरा पता चलेगा। क्या इस जांच में बंशी लाल या दूसरे राजनैतिक नेताओं का सम्बन्ध है और क्या बेनामी एकाउंट्स का प्रयोग किया गया है, इस का भी ठोस जवाब आना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि इस के बारे में पूरा जवाब दें।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदया, सब से पहले "करेन्ट" के 3 फरवरी के ईशू में 30 करोड़ रुपये के बेनामी घुटाले का जिक्र आया था। जब कुछ लोगों ने कहा कि यह मनगढ़न्त बात है तो फिर "करेन्ट" ने अपने 10 फरवरी के अंक में इस का पूरा ब्यौरा ही दे दिया, जिस में डिपाज़िट्स और विद्ड्राअल्ज़--करनाल हैड पोस्ट-आफिस--के 23 केसेज़ का उल्लेख है। मैं इन को पढ़ूंगा नहीं, लेकिन सब के नाम, डेट-आफ़-डिपाज़िट, डेट-आफ़-विदड्राअल्ज़ और उस के बाद रोहतक हैड क्वार्टर के 1973 से 1975 तक के 26 केसेज़ के डिपाज़िट्स और विदड्राअल्ज़ का उल्लेख है। हम को तो यह देख कर आश्चर्य होता है--30 तारीख को काश्मीरी लाल ने 1 लाख 35 हज़ार जमा कराया और तारीख 2 को वह निकाल लेते हैं। हमें तो यह सारा काम जो हुआ है--घोटाले का काम मालूम पड़ता है। वित्त विभाग ने जो उत्तर दिया है--उस में तो बहुत थोड़ा कर के दिखाया है, जैसे आइस-वर्ग होता है, 1/10 भाग पानी के ऊपर होता है, 9/10 भाग नीचे होता है। इस को देखते हुए मैं तो यह समझता हूं कि आधे घन्टे की चर्चा तो बहुत कम है, इस पर 2 घन्टे की चर्चा होनी चाहिये थी।

फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने जो उत्तर दिया है, उस में 145 लाख के बेनामी-ट्रांजेक्शन का जिक्र किया है--

श्री आर० पी० सिंह, तत्कालीन जिला उद्योग अधिकारी, पानीपत--5 लाख रु०।

श्री एन० के० गर्ग, तत्कालीन संयुक्त निदेशक उद्योग, हरियाणा सरकार--5 लाख रु०।

श्री काशमीरी लाल, तत्कालीन विद्यार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय--1.35 करोड़ रुपये।

यह क्या तमाशा है? उस समय के जो राज-नेता थे, वे तो भ्रष्टाचार में शामिल थे ही, लेकिन जो आप के डाक-तार विभाग के, पोस्ट-आफिस के लोग थे, वे भी भ्रष्टाचार के प्रशान्त-समुद्र में डूबे थे और जब हमारे संचार मंत्री जी ने बतलाया कि हम उन के ऊपर एक्शन लेंगे--क्या उन के ऐसा कहने की जरूरत थी, यह एक्शन तो कभी का हो जाना चाहिये था, ताकि वे आगे कोई ऐसा काम न करें। उन्होंने सदन में मृणाल बहिन के प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि हम उन पर कार्यवाही करेंगे--वह कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुई? आज मृणाल बहिन ने उन को जो चुनौती दी है कि अब तक उन्होंने क्या किया--यह ठीक ही है।

इस में दो मुख्य बातें हैं--मैं जानता हूं इस सारे घुटाले को ले कर संचार मंत्री कह देंगे कि यह वित्त मंत्रालय का काम है और वित्त मंत्रालय कह देगा, यह पोस्टआफिस का

काम है, जनता जहन्नुम में जाये। मैं आप से जानना चाहता हूं—यदि यह आप के वश की बात नहीं है और वित्त मंत्रालय के लिए किसी मर्यादा की सीमा का बन्धन है—तो क्या वे इस बड़े घोटाले की जांच करने के लिए—जिस में 30 करोड़ का सवाल तो सुना ही है, हो सकता है कि 130 करोड़ हो—सी० बी० आई० को जांच के लिये भेजेंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस मामले में लीपा-पोती का काम चल रहा है। मोइनहिन ने कहा है कि उस ने करोड़ों रुपया दिया है, वह रुपया कहां गया? इन्दिरा गांधी जी के पास सैकड़ों करोड़ रुपया पहुंचा—उस का पता कैसे लगेगा? सभापति महोदया, क्या सार्वजनिक जीवन को स्वस्थ और साफ़ रखने के लिये मुझे संचार मंत्री जी से यह आश्वासन मिल सकता है कि वे इस सारे बेनामी घोटाले की जांच के लिये इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को देंगे?

दूसरा सवाल यह है कि आप के विभाग की जो नीति है कि इण्डिविजुअल एकाउन्ट में 25 हजार रुपया जमा किया जा सकता है और जो मिक्स्ड एकाउन्ट हैं उन में 50 हज़ार रुपया जमा किया जा सकता है, लाख-लाख दो-दो लाख और पांच-पांच लाख पोस्ट आफिस में किस नियम के तहत जमा किया गया यह बताया जाए। अगर ऐसा करके नियमों को भंग किया गया है तो अभी तक उनको दंडित करने में, जो कि इससे सम्बन्धित हैं, आपके कदम क्यों थरथरा रहे हैं। इन दोनों बातों का मैं आप से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा): माननीय सदस्या ने बहुत अहम प्रश्न किया है और उस दिन का हवाला दिया है कि हम ने केवल 13 केसिस का ही क्यों उल्लेख किया बाकी हमने क्यों नहीं बताए और उनको हमने दबाया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस दिन सवाल सिर्फ करेंट खाते का था। आज जब आपने सारे सवाल पूछे हैं तो मैं कुछ छिपाऊंगा नहीं और हर चीज़ बताऊंगा। सब से पहले उनका प्रश्न यह था कि सिर्फ 13 केसिस थे या और ज्यादा थे और एक साल के ही थे या कई सालों के थे। मैं बता दूं कि 1973-74 में ऐसे 1180 केसिस थे जोकि 25 हजार की लिमिट और पचास हजार की लिमिट से ज्यादा के थे और इंडिविजुअल केसिस थे। 1974-75 में 616 केसिस थे, 1975-76 में 8 केसिस थे और 1976-77 में 84 केसिस थे। ये ऐसे केसिस थे जिन में इन डाकखानों में अलग-अलग जगह अलग-अलग ढंग से रुपया जमा किया गया 25 हजार और 50 हजार से ऊपर। हमने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और करनी चाहिये थी या नहीं करनी चाहिए थी यह भी मैं आपको बता देता हूं।

श्रीमती मृणाल गोरे: सभी केसिस में नियमों का भंग हुआ है?

श्री बृज लाल वर्मा: हमारे नियमों में यह है कि इंडिविजुअल केसिस में 25 हजार जमा होना चाहिये और अगर ज्वायंट खाता है तो पचास से ऊपर हो सकता है परन्तु उससे और ज्यादा जमा है तो हम उस पर ब्याज नहीं देते हैं। नियम 3 और 9 के मुताबिक ब्याज न देने की बात आती है। पचास हजार से या पच्चीस हजार से ऊपर किसी ने जमा किया तो उसके ऊपर की जितनी रकम है उस पर हम ब्याज नहीं देते हैं। इन नियमों का आधार लेते हुए हमारे कर्मचारियों ने उसको जमा कर लिया। इस ख्याल से और इन नियमों की वजह से उस पर कोई कार्रवाई करने में हम ने अपनी असमर्थता प्रकट की।

दूसरा सवाल यह उठता है कि यह कैसे हो गया,--कैसे दो तीन दिन में विदड्रा कर लिया गया, तीस तारीख को जमा हुआ और दो तारीख को वह विदड्रा हो गया, सिर्फ दो तीन रोज के लिए जमा हुआ। यह सच बात है। एक सदस्य ने बताया है कि एक आदमी ने 1 करोड़ 35 लाख कैसे जमा करवा दिया। अब आप जानते हैं कि जिस वक्त की यह बात है उस वक्त वहां पर कौन मुख्य मंत्री था, कैसा वहां पर शासन था, किस प्रकार की जोर जबर्दस्ती वहां पर चल रही थी। एक गरीब कर्मचारी जो वहां पर डाकखाने में काम कर रहा था उसकी छाती पर बैठ कर उसको जमा करने के लिए कहा जाए तो वह क्या कर सकता था। सरकारी अधिकारियों द्वारा उसके साथ जबर्दस्ती की गई। नियमों के मुताबिक उसने जमा किया। जमा करना उसका फर्ज था। विदड्रा नियमों के मुताबिक हुआ। खाता उसका बराबर है, साफ है। उसको कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुक्सान यह हुआ कि उसको अधिक देर तक बैठना पड़ा, और हर प्रकार से उसको डर हुआ, भय हुआ। जिस व्यक्ति ने जमा और विदड्रा कराया उसकी वजह से उसको कुछ व्यक्तिगत फायदा नहीं हुआ बल्कि तकलीफ ही उलटे हुई।

तीन आदमियों के ऊपर हमने एक्शन लिया और वह इसलिए लिया कि उसको ठीक ढंग से जो कुछ करना चाहिये था वह नहीं हुआ। एक्शन इस कारण से नहीं लिया कि उसने पच्चीस या पचास हजार से ज्यादा जमा किया। उसकी पांच छः इनक्रीमेंट्स रोकी और उसके खिलाफ जब वे अपील में गए तो उनको वार्निंग मिली और वे छूट गए।

डा० रामजी सिंह : बेनामी किसी नाम से क्या हो सकता है ?

श्री बृजलाल वर्मा : बेनामी नहीं है हमारे खातों में किस के नाम से जमा हुआ और किस के नाम से विदड्रा हुआ बिल्कुल साफ है।

डा० रामजी सिंह : हस्ताक्षर किस ने प्रमाणित किए हैं ?

श्री बृजलाल वर्मा : यह जांच का सवाल है। लेकिन हमारा काम एजेंसी का काम होता है। हम उसके हकदार नहीं हैं। अगर एक गरीब आदमी आता है कहीं से पचास हजार लाता है या एक करोड़ लाता है अब वह कहां से लाता है इसकी जांच हम नहीं कर सकते हैं, यह हमारे अधिकार से बाहर की चीज है। हम सिर्फ जमा करने वाले हैं और विदड्राअल देने वाले हैं। इसके अलावा इससे हमारा कुछ मतलब नहीं है कि कैसे और कहां से कोई लाया है,.....

डा० रामजी सिंह : चाहे चोरी करके लाया हो ?

श्री बृजलाल वर्मा : चोरी कर के लाया हो तो भी हमारा काम जमा करना है। हम नहीं कह सकते हैं कि चोरी का पैसा है और जमा नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा कहेंगे तो उलटे हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी।

यह कहा गया है कि दो तीन रोज के लिए जमा हुआ जोकि नहीं होना चाहिए था इसके बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास हमारे अधिकारियों ने रिपोर्ट की कि इस प्रकार से जमा हो रहा है इसको आप देखें। 1974 में रिपोर्ट की। ऐसी बात नहीं है किन्हीं

को। परन्तु एक्शन हम नहीं ले सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स वाले लेंगे। हम ने उनको सूचना दे दी। हमारे अधिकारियों ने हरियाणा गवर्नमेंट को भी सूचना दे दी और 1974 में दे दी। जहां तक काश्मीरी लाल की बात है हमने 21-7-74 को बैंकिंग विभाग को इसकी सूचना दी। जिस किसी के बारे में डाउट हुआ उसकी सूचना दी। बहुत से डाउटफुल लगे उनकी सूचना जनवरी 1975 में दी, हमारे अधिकारियों ने दी। लेकिन ये सब चीजें जो हुई हैं ऐसी परिस्थितियों में हुई हैं कि जिन को जानते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते थे। फाइनेंस डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिये। इसलिए मैंने पहले ही स्पीकर साहब को इशारा किया था कि जो जानकारी ये विभाग दे सकते हैं वह हम नहीं दे सकते हैं। हम तो सिर्फ खाता रखने वाले हैं और एजेंसी के बतौर काम करते हैं।

श्रीमती मृणाल गोरे : तीन केसिस में क्या सजा दी ?

श्री बृज लाल वर्मा : मैंने बताया है कि इनक्रीमेंट्स रोकी थीं। फिर उसके बाद अपील में उनको दोषी नहीं पाया गया। इसलिए इनको सिर्फ वार्निंग दी गई है और छोड़ दिया गया है।

श्री वायालार रवि (चिरयिंकील) : हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बकाया राशि है। वहां डाकघरों में ई० डी० एस० हैं। किन्तु क्या उन्हें धन एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया है ? मैं समझता हूं कि उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों में आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री बृजलाल वर्मा (महासमुन्द) : इन डाकघरों में केवल ई० डी० एस० का ही मामला नहीं है किन्तु दूसरों के मामले में भी ऐसा है। ऐसी बात नियमित सरकारी कार्यालयों के बारे में भी हुई है।

श्री वयालार रवि : उनको कोई अधिकार नहीं है। किन्तु धन एकत्रित करने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री बृजलाल वर्मा : यह नहीं किया गया है.....

डा० रामजी सिंह : मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे संचार मंत्री बहुत ही असहाय और निरीह अनुभव कर रहे हैं। उनसे इस दिशा में अगर कुछ नहीं हो सकता, और वित्त मंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो संचार मंत्री जी भी मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं और ज्वायन्ट रिस्पोंसिब्लिटी है। अगर आपसे नहीं हो सकता और वित्त मंत्री इस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो आप तो इसके महत्व को समझते हैं। क्या आप इसको मंत्रिमंडल में ले जाकर सी० बी० आई० की जांच के लिये अपना प्रस्ताव रखेंगे ताकि इसकी पूरी तहकीकात हो और इस पर कार्यवाही हो सके।

श्री बृजलाल वर्मा : मैंने पहले ही कहा कि हम इस में बिल्कुल असहाय नहीं हैं। हमने पूरे-पूरे कागजात जो हमें मिले हैं, फाइनेन्स डिपार्टमेंट और इनकम-टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिये हैं और उनकी जांच चालू है। ऐसी बात नहीं है कि जांच चालू नहीं है। जिस गवर्नमेंट ने बोगस रूप से मद जमा कराया है, यहां तक कि गवर्नमेंट आफिसर्स को दबाव डालकर, बैंक्स को दबाव डालकर, यहां के अधिकारियों पर दबाव डालकर, अपने बैंक से विदड्रा कर के पोस्ट आफिस में जमा कराया, इस वास्ते जमा करते हैं कि दो-तिहाई पैसा डैवलपमेंट फंड के लिये मिलता है, इसलिये यह सारी चीजें करते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि किस एजेन्सी ने यह करवाया ?

श्री बृजलाल वर्मा : बंसीलाल। इस वास्ते ऐसी बात नहीं है, यह सब किया गया है और जोर-जबर्दस्ती से अफसरों को दबाकर बैंक आफिसरों को दबाकर यह सारी चीजें उन्होंने की हैं। जिन अधिकारियों ने इसमें एक्शन लेना है, उन्हें सूचित कर दिया है, इसलिये यह मत सोचिये कि हम किसी बात को छिपाना चाहते हैं।

श्रीमती मृणाल गोरे : आपके आफिसर्स को इस प्रकार दबाया गया तो आपको और भी जिम्मेदारी है, इसकी पूरी जांच करनी होगी, आप इसे परसू कीजिये।

श्री बृजलाल वर्मा : हमने कर दिया है।

श्रीमती मृणाल गोरे : नहीं तो आपके आफिसर्स और पोस्टआफिसेज़ बदनाम हो रहे हैं। आपको यह करना चाहिये कि पूरी जांच सी० बी० आई० की तरफ से हो जाये।

श्री बृज लाल वर्मा : यह किया है और उसके साथ साथ 14 करोड़ 54 लाख रुपये

एक माननीय सदस्य : क्या यह सरकार इसकी इन्क्वायरी सी० बी० आई० को सौंपेगी ?

श्री बृजलाल वर्मा : इस प्रकार से जो प्राविन्शियल गवर्नमेंट ने कर्ज के रूप में ले लिया है उसकी वसूली के लिए फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने 7 किश्तें की हैं और हरियाणा गवर्नमेंट से वसूली कर रही है। इसकी भी कार्यवाही फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने कर दी है और उनसे वसूली शुरु हो गई है। यह सारी कार्यवाही हो रही है। जिस प्रकार से बोगस ढंग से जमा कर के ज्यादा पैसा कर्ज में ले लिया है, खर्च में लेने के लिये जो प्राविन्शियल गवर्नमेंट ने जाल रचा है, वह इसका फायदा न उठा पाये, इसके लिये भी फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने कार्यवाही कर दी है। इस प्रकार से यह मत सोचिये कि किसी भी प्रकार से फाइनेन्स डिपार्टमेंट या इन्कमटैक्स डिपार्टमेंट चुप बैठा है। कार्यवाही शुरु हो गई है। क्योंकि यह पुरानी सरकार का गलत काम है और उस गलत काम को हम किसी भी प्रकार से बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है, जो कुछ भी हो सकता है, नियमानुसार हम काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य यह न सोचें कि हम किसी बात को उनसे छिपायेंगे। यह सब से बड़ा स्थान है, जहां पर सारे देश के प्रतिनिधि हैं। हम उनसे कोई बात छिपायेंगे नहीं, और नियमानुसार जो भी उचित कार्यवाही होगी, उसको करेंगे, और इस में किसी प्रकार से मुरव्वत नहीं करेंगे।

6.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 12 अप्रैल, 1979/22 चैत्र, 1901 (शक) के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

©1979 लोक-सभा सचिवालय में प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित ।